

गर्भमे क्या तछिपा है ? मगर अंत वज्रपात जैसी घटनाके बावजूद, अुपसहार के झन्नमे मैने जो आशा प्रकट की है, वह अभी भी कायम है। अितना सच है कि गांधीजीके रास्ते शायद दूसरोंको भी जाना जरूरी हो जाय। जितनाका एक वाक्य है :

“ अगर हम केवल सत्य और नरन मत्य ही पैच मिनट तक कहेंगे, तो हमारे सारे मित्र हमें छोड़ देंगे, अगर दस मिनट तक कहेंगे, तो हमें देश निकाला दे दिया जायगा, और अगर पन्द्रह मिनट तक कहेंगे, तो हमें फॉसी दे दी जायगी। ” ( मिम वारवारा यंगके ‘ विस मैन फ्रॉम लेंवेनॉन ’ मेंसे )

और तिसपर भी मानवजाति और मानवतापर मेरी अद्वा है। और वह किसी एक ही देश या कालके लोगों तक सीमित नहीं है। मैं कभी वार कह चुका हूँ कि पूर्वकी सस्कृति और पश्चिमकी सस्कृति, हिन्दू सस्कृति, मुस्लिम सस्कृति वर्गों भेद सुने महत्वपूर्ण नहीं मालूम होते। मानव-प्रजामे सिफ दो ही सस्कृतियों हैं : भद्र सस्कृति और सत सस्कृति। दोनोंके प्रतिनिधि सारी दुनियामे हैं। जिस हद तक सत सस्कृतिके अुपासक निष्ठा और निर्भयतासे वरतेगे, अुसी हद तक मानवजातिके सुखकी मात्रा वधेगी।

वर्धा,

९ फरवरी, १९४८

किशोरलाल मशहूरवाला

# विषय-सूची

## निवेदन

### भाग पहला धर्म और समाज

१.	दो विकल्प	३
२.	धार्मिक क्रान्तिका सवाल	६
३.	क्रान्तिकी कठिनाइयों	१०
४.	पौच प्रतिपादनोंमेंते पहला	१४
५.	दृत्ता प्रतिपादन	१९
६.	तीत्तरा प्रतिपादन	२२
७.	चौथा प्रतिपादन	२६
८.	पाँचवाँ प्रतिपादन	३१
९.	प्रचलित धर्मोंका ऐक सामान्य लक्षण	३९
१०.	धनद्वारा खडे किये हुए विष्ण	४१
११.	भाषाके प्रबन्ध—पूर्वोर्ध्व	४९
१२.	लिंगके प्रबन्ध—पूर्वोर्ध्व	५५
१३.	ऐकता और विविधता	५८

### भाग दृसरा आदिक क्रान्तिके सवाल

१	चौथा परिभाषा	६६
२	वरित्र निर्मण	६८
३	दीर्घ व अल्पकालीन योजनाये	७२
४	धन दण्डनेमें साधन	७६

५.	चंगिंचके स्थिर और अस्थिर अग	८२
६.	वादोकी अुलझन	८७
७.	फुरसतवाद	९४
८.	आर्थिक कान्तिके मुद्दे	१०६

**भाग तीसरा**  
**राजकीय क्रान्ति**

१.	कुआँ और हीज	१११
२.	राजकीय हलचले और प्रथाए	११६
३.	चुनाव	११९
४.	सार्वजनिक ओहदे और नौकरियों	१२३

**भाग चौथा**  
**तालीम**

१.	सिद्धान्तोंका निश्चय	१३३
२.	भाषाके प्रदन – अुत्तराधी	१३९
३.	लिपिका प्रदन—अुत्तराधी	१४६
४.	अितिहासका ज्ञान	१५०
	अुपमहार	१५५

# च्यारे साधियोंको



# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग पहला

धर्म और समाज



## दो विकल्प

लम्बे असेसे मैं मानता आया हूँ और कभी वार कह भी चुका हूँ कि हमे अपने अनेक विचारों और मान्यताओंको जड़मूलसे सुधारनेकी जरूरत है। हमारे क्रान्ति सम्बन्धी विचार ज्यादातर अूपरी सुधारों तक ही सीमित हैं, मूल तक नहीं जाते। अनमेसे कुछ विचारोंको यहाँ मैं व्यवस्थित रूपमे पेग करनेकी कोशिश करूँगा।

सबसे पहले मैं अपने धार्मिक और सामाजिक रचना सम्बन्धी विचारोंको लेना हूँ, हमे नीचे दिये हुअे दो विकल्पोंमेसे किसी ऐकको निश्चित रूपसे अपना लेना चाहिये।

१. या तो मि. सजाना वर्गीय टीकाकारोंके मतानुसार हमे मान लेना चाहिये कि जाति-भावना ऐक ऐसा स्वकार और ऐक ऐसी सत्या है, जो हिन्दू-समाजमेसे कभी हट नहीं सकती। जातिन्‌नेन हिन्दू-समाजकी रचना होना असम्भव है। जिसलिये इस दृष्टिकोणको मानकर ही हमे देशकी राजकीय वर्गीय व्यवस्थाओंपर विचार करना चाहिये। मनु आदि सृष्टिकारोंने ऐसा ही किया था। उनकी कोशिश सनको अल्प अल्प रखकर उनमें ऐक किसीकी देकता काम करनेकी थी। दिनुलानपर सुम्बलमानोंका आक्रमण होनेने पहले अन्मा करनेमें कोई कठिनाई नहीं हुई। जिसके दो कारण पे ऐक तो तद देवा जितना विशाल और समृद्ध था कि सनको अल्प अल्प रखकर उन्हें उन्हें तुषिता दी जा सकती थी। आजकी तह वह उन्नतने जादा आजाद और नोपित नहीं था, और दूसरे, सुम्बलमानोंने आनेने पहले गणके कभी देवी ना विड़ी ननाज अनेक देवी देवनाओं और उन्हें भुजाना चाहनेवाले थे। जिन्हिे दक्षात देवनाओंने साथ जिक्र देवनों देवरों ननाना केने थे ऐक ना दूसरे सुख देवने भुजवा चिन्ह तह-

समावेश कर लेनेमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती थी। तब देश अितना विगाल था कि सभी जातियाँ अपने अपने पाकिस्तान बनाकर रह सकती थीं।

अनेक देवोंकी अुपासना और जातिमेद एक दूसरेसे निकट सम्बन्ध रखते हैं। अनेक देवोंमें एक ही देवको देखने और अनेक जातियोंमें एक ही हिन्दू-धर्म या सिर्फ चार ही वर्ण देखनेकी कोशिश बुद्धिका समाधान मात्र है। व्यवहारमें अिसपर अमल होते नहीं देखा गया। बुद्धने अिस व्यवस्थाको जड़से ही बदलनेकी कोशिश की, मगर बौद्धधर्ममें महायान पथ कायम करके हिन्दुस्तानने बौद्धधर्मको ही कमज़ोर बना डाला।

या फिर यह मानकर कि यह चीज हमारे गेमरोममें समाझी हुई है, हम अिसमेसे ही अपना रास्ता निकालनेका निव्वय करे। यानी, सामाजिक व्यवहारमें एक दूसरीसे कम ज्यादा अलग रहनेवाली एक नहीं, वल्कि अनेक छोटी छोटी जातियोंको हम लाजमी माने और अिन सभी अिच्छायें पूरी करनेके लिये कभी तरहके पाकिस्तान, अलग अलग मतदार-मंडल और संख्यानुसारी प्रतिनिधि वर्गों बनायें।

ऐसा हो ही नहीं सकता, सो बात नहीं है। मगर हमें अिसके परिणाममेंकि लिये भी तैयार रहना चाहिये। हमें समझ लेना चाहिये कि ऐसा करनेसे देश ज्यादा ताकतवर और सगड़ित नहीं हो सकेगा और उसे छोटे छोटे राज्योंमें ढुकड़े ढुकड़े होकर जीना पड़ेगा। अलावा अिसके, कुछ समय बाद नामधारी ऊँची जातियोंकी बेसी ही हालत होना सम्भव है, जैसी आज यहृदियोंकी हो रही है। नीच मानी जानेवाली जातियों आगे पीछे अिस्लाम या अीसाई धर्म स्वीकार कर लेनेमें ही अपना फायदा देखेंगी। ऊँची जातियाँ अगर राजकीय महत्वाकांक्षा छोड़कर अपने बुद्धि-वलने मिर्क कुछ बड़ी बड़ी नौकरियाँ करने और व्यापार करनेमें ही सन्तोष मानंगी, तो सुखसे जी सकंगी और अनेके अलग चौकों और देवपूजाओंमें अन्ते कोअी हेगन करने नहीं जायेगा। जिस तरह अीरान, अग्रस्तान आदि देशोंमें आज भी कभी हिन्दू रहते हैं, उगी तगह वे रहेंगी। और अगर वे ऐसा नहीं कंगंगी, तो यहृदियोंकी तरह अपमानित होकर अन्ते जहाँ-तत्त्वों भटकना होगा। जैसे जैसे नीची जातिया जाग्रत होती जायेंगी, वैसे वैसे अपने ऊँचेसका अभिमान रखनेवाले लोगोंको पीछे हटना ही होगा।

अँच्ची जातियोंके लिये ऐक दूसरा रास्ता भी है। वह यह कि जवरदस्त को गिरा करके वे अपनी ऐक फासिस्ट संस्था बनाये और दूसरी सभी जातियों, धर्मों वर्गोंको दबाकर अपनी त्रिवर्णशाही कायम करे। मैं मानता हूँ कि दिल्ली गहराऊमें ऐसी वृत्ति रखनेवाला वर्ग हमारे बीचमे मौजूद है। राजाओं, ब्राह्मण पण्डितों, व्यापारियों और वडे किसानोंका अगर वर्ग चले, तो सुमिक्षा है कि वे ऐसा ही करे।

जो लोग अिस विकल्पको पसन्द करके वैसा हिन्दुस्तान बनानेके लिये तैयार हैं, उनका रास्ता अिस तरह साफ है। वे अिस मक्सदको सामने रखकर दूसरी किसी बातका विचार किये बिना काम कर सकते हैं।

२०. मगर जिन्हे यह विकल्प और अुसके परिणामोंपर पहुँचना मज़ूर नहो, उनके लिये यह जरूरी है कि वे पहले विकल्पको जितने ही निष्ठ्यके साथ अपनायें और अुसके अुपायोंमें दृढ़ताके साथ ल्या जायें। वे अुपाय ये हैं: अपने खननमें जाति-भावनाके स्तकारको और समाजमेंसे जाति-स्त्यांगों नावृद्ध करना; और ऐसी क्रान्ति निर्माण करना कि सारी हिन्दी जनता अपनेको ऐक अखण्ड और समान दरजेवाली मानव-जाति मानने ल्ले और अुसी तरह व्यवहार करने ल्ले।

ऐसी क्रान्ति लानेके लिये क्या करना लाजमी है, अिसपर हम अब विचार करें।

## धार्मिक क्रान्तिका सवाल

कभी वरसोंसे मे कहता आया हूँ और मेरी यह मान्यता ज्यादा ज्यादा मजबूत होतो जाती है कि आजका एक भी धर्म — हिन्दू, मुसलमान, अीसाओं, सिक्ख, बौद्ध, जैन वर्गों — मानवसमाजकी मौजूदा समस्याओंको हल करने लायक नहीं रहा। सभी वेजान वने हुए हैं, और किसीका अस्फे मूल रूपमें जीर्णोद्धार करनेपर भी वह मौजूदा समस्याओंको हल नहीं कर सकता। अिस मामलेमें हिन्दू-धर्म सबसे ज्यादा वेजान और भ्रमोंको दूर करनेमें अग्रोम्य है।

मेरा विश्वास है कि मनुष्यके या समाजके जीवन और कारबागेमें जड़मूलसे क्रान्ति करनी हो, तो सबसे पहले अस्की धार्मिक मान्यताओंमें परिवर्तन करनेकी जरूरत है। अगर आप किसी व्यक्तिको ऐसी सामाजिक स्थितियाँ तोड़नेके लिये कहें, जो ल्याभग धार्मिक स्थितियों जैसी हो, तो वह अपने पुगने धर्मसे चिपके रहकर ऐसा नहीं कर सकेगा। मगर मुसलमान या अीसाओं वन जानेपर, या किसी नये गुरु या सम्प्रदायका डिघ्य हो जानेपर, वह दूसरे ही क्षण पुगने विचारों और बन्धनोंको तोड़ डालनेमें ममथे हुए जाता है। पुराने सनातन धर्मपर हमारी जिस हृद तक अश्रद्धा हुओ है, अुसी हृद तक हम भी अस्वृश्यतानिवारण, सहभोजन, अस्तर्जातीय या प्रान्तीय या धार्मिक विवाह वर्गोंके लिये तैयार हो सके हैं। और जर्वे हमारी मान्यताओं अनु पुरानी स्थितियोंके रूपमें ही पढ़ी है, वहाँ हम जातीय या साम्प्रदायिक मेलजोल पैदा करने वर्गोंके बारेमें तथा दूसरे बहुतसे सामाजिक और आर्थिक केंफार करनेके बारेमें जगरदस्त कदम नहीं अठा सकते। सिर्फ़ सर्वधर्म-समझाव या सर्ववर्ण-समझावकी भावना करके यह कहना कि मैं हिन्दू होते हुए मुसलमान भी हूँ, अीसाओं भी हूँ, ब्राह्मण होते हुए भगी हूँ, मुमही होते हुए किसान हूँ — सिर्फ़ अपरी कोशिश मात्र है। यही आदमी अगर सचमुच ही मुसलमान या अीसाओं वन जाय,

या भगिनीसे जादी करके भगीका धन्धा करने लगे, तब जिसे 'जूता कहों काटता है' जिस बातका जो अनुभव होगा, वह हमें नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिश अपने हिन्दुत्व, ब्राह्मणत्व वर्गराको सुरक्षित रखकर दूसरोंके साथ मेल बैठानेकी होती है। अनुके गैरहिन्दू और गैरब्राह्मण होनेकी भावना हमारे दिमाचसे दूर नहीं हो सकती।

ऐक दिन नागपुर जेलमे मेरे ऐक साथी श्री बाबाजी मोघे पिछड़ी हुर्डी जातियोंकी सेवा और अनुके अद्वारके बारेमे मुझसे चर्चा कर रहे थे। चर्चाके दौरानमे अनुके मुँहसे मराठीमे नीचे लिखे आगयका वाक्य निकल पड़ा : "कओ बार मुझे ऐसा ल्पाता है कि अन लोगोंके वहम और अन्धश्रद्धाए दूर करनेके लिये अन्हे मुसल्मान हो जानेकी सलाह देनी चाहिये!" श्री बाबाजीके मुँहसे यह विचार निकलना बहुत सोचने जैसी बात है। अिसका मतल्ब यह हुआ कि अनुको यह विवास हो गया है कि हिन्दू-धर्मके द्वाय अिस्लाममे वहमों और अन्धश्रद्धाओंको हटानेकी शक्ति ज्यादा है। और यह बात बहुत हद तक सच भी है। लेकिन यह भी समस्याका सच्चा हल नहीं है। क्योंकि अिस्लाम भी भ्रमों—वहमों—अन्धश्रद्धाओं और सकुचिततासे परे नहीं है और न आजकी मानवी समस्याओंको हल करनेमे समर्थ है। साथ ही पूरे खुरानको जैसेका तैसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद अिस्लाम स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं, तो किसी दूसरेको यह सलाह कैसे दे सकते हैं? और अिस्लाममे सरलता और सीधी दृष्टिके होते हुए भी दृढ़तमी ईम्मी बातें हैं, जिन्हे हमारी विवेकबुद्धि स्वीकार नहीं कर सकती। यही टाल अीसायी वर्गा धर्मोका है।

हम हिन्दू लोग, जिन्दगीभर ऐक अजीब किसीकी दौड़िक बनने करनेके आदी हो गये हैं। ऐक तरफने हमारी फिल्मोंसभी ठेठ अँड़त बेदातगी है। अिस रटमे बुद्धिको रखकर जन हम विचार करते हैं तो दुनिया इडी, देव लड़े, गुर गिघ झटे, विधि-निषेध झटे, पाप पुण्य झटे, नीनि अनीति, हिमा-अहिमा जन्य-जन्य जनको इडे झटे बृद्धान्त है। दूसरे अिनन्दे निरलकर जन दूसरी रटपर चलते हैं, तो गोकर्णवता, ग्रन्थेवता, गुरुदेवता, पितृपूजा, ग्रहपूजा, अवनामभक्ति, अल्प अल्प ज्ञेयोंकी

अल्पा अल्पा देवपूजा, श्रुति - स्मृति - पुराण - आगाम - निगम - मन्त्र-तत्र - कुरान - बायिनल वर्गोंरा सबका समर्थन करने ल्याते हैं। यिसमें हमें दूसरे मतोंके प्रति सहिष्णुता या ग्वादारी रखने भरसे सत्तोष नहीं होता। हम सर्वमत समझाव — और सर्वमत ममभाव — तक पहुँचते हैं। अनेक देवताओंवाले समाजका अनेक जातियाँ और छोटे छोटे भौगोलिक विभागोंमें वैटे रहना स्वाभाविक है। काफी विचार करनेके बाद मैंने महसूस किया है कि हमारे समझाव या ममभावका मतलब 'श्रद्धालु नास्तिकता' के सिवा और कुछ नहीं है। किसी चीजकी अच्छाअची या अुसके अस्तित्वमें भले हमारी श्रद्धा न हो, हम अुसे चाहे अिन्नानकी कोणी कल्यना या गंगकुदगती चीज मानते हों, फिर भी अुसके छोड़नेमें डर, या परम्परा जारी रखने या कलाकी कदर करनेके लिये अुसे पकड़े रखनेका मोह ही हमारी अुपासनाका स्वरूप हो गया है। यिसमें न तो सत्यकी अुपासना है, न निष्ठाकी सरलता और न अनन्यता।

अगर हमें हिन्दू-समाजको और हिन्दू-जनताको ऊपर अुठाना है, तो नीचे दिये हुये सिद्धान्तोंको स्वीकार करनेका साहस हमें करना ही चाहिये :

१. एक सब जगह फैले हुये ( सर्वव्यापक ), सबपर कावृ रखनेवाले ( सर्वनियता ) परमात्माके सिवा दूसरे किसी देव, ग्रह, पितृ, अवतार, गुरु वर्गोंरा या अुसकी मूर्ति या प्रतीककी अुपासना-पूजा-मन्दिरस्थापना वर्ग न की जाय। और यिस गतका आग्रह रखा जाय कि किसी नाम-न्यासक सच्चे या काल्पनिक सत्त्वको अीश्वरकी वरापरीमें या अुसके साथ नहीं रखा जा सकता।

२. कोओ भी गान्धी-वेद, गीता, कुरान या बायिनल भी अीश्वरके द्वारा हुये या अीश्वरकी वाणी नहीं है। किसी ग्रन्थको यिस तरह प्रमाण-स्वप न माना जाय कि अुसके वचनोंको अपनी विवेककुद्धिपर कसा ही न जा सके।

३. किसी मनुष्यको अीश्वर या पंगम्बरकी कोटियों न रखा जाय। किसीको अन्वलन्नील, यानी जिसके विचार या वरतावमें भल हो ही नहीं नहीं, ऐसा न माना जाय। और यिसमें अुसका हरेक काम दृढ़ दिव्य, और श्रवण-कीर्तनके ल्यायक नहीं है, ऐसा न समझा जाय।

सामान्य जनताके हितको दृष्टिमें रखकर जो कमसे कम सदाचारके नियम ठीक समझे जाते हो, अन्हे तोड़नेका किसीका अधिकार न माना जाय और किसी व्यक्तिकी विशेष पवित्रताके कारण तो असका यह अधिकार हरभिज न माना जाय। यह कोअी नयी बात नहीं कि बुरी वृत्तिके लोग सदाचारके नियमोंका भग करेंगे, अिसके लिये समाज अपने ढंगसे अिसे रोकेगा और ऐसे लोगोंको सजा भी देगा। नेक वृत्तिके लोग अिन नियमोंका ज्यादा सावधानीमें पालन करेंगे और अनकी सीमाको लांघनेकी अिच्छा तक न करेंगे। अिसलिये अगर महात्मा पुरुषोंने समाजके हितके खिलाफ आचरण किये हों, तो अनेक डैक्कनेकी झोगियाँ न की जाय; बल्कि यह साफ कहा जाय कि वे अनकी कमजोरियाँ ही थीं। अिसलिये उसे चरित्रोंकी तारीफमें पढ़, भजन वगैरा न बनाये जायें। अनका कीर्तन न किया जाय, और न साहित्यमें उन्हीं अपमाओं, स्वपक वगैरा अलंकारोंका उपयोग किया जाय। जैसे कि कृष्णकी शृगारलीला वगैरा ।

४. अन्तमें, वही समाज और वही परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी तरक्की करता और सुख पाता है, जो निरल्लस होता है, कचन-कामिनीके बारेमें नियताचारसे (परहेजने साथ) काम लेता है और खुराकमें तथा सफाई रखनेमें नियमोंका पालन करता है। राजनीतिके सामन्दान आदि अुपाय, धर्मके ब्रत तप और अुपासना, समाजके विवाह और विरासतके नियम, आर्थिक रचना और लेनदेनके कावदे — सबका आखिरी मकसद यही होना चाहिये कि वे प्रजाको निरल्लस (आल्स न करनेवाली, मेहनती), नियताचारी (परहेजसे रहनेवाली), तन्दुरुस्त, और पवित्र जीवन गुजारनेवाली बनानेके लिये सहायिते पैदा करें। यही धर्मकी बुनियाद है। अिन गुणोंके पोषक नियमों, सत्थाओं और परिस्थितियोंका निर्माण करना और अिनसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्योंको खोजना ही सारी प्रवृत्तियोंका झुक्केदार होना चाहिये। अिस तरहके नियमोंका पालन करनेसे ही पिछड़ी हुओ जातियाँ आगे आवेगी और अनमेसे भी जितने व्यक्ति जितनी पीछियों तक उनका पालन करेंगे, अुतने ही वे अच्छे अुठेंगे। अिन नियमोंका भग करनेसे ही आगे वही हुओ जातियोंका पतन हुआ है। जिन पीछियोंमें ये गुण रहेंगे, अनकी दुर्दशा नहीं होगी।

५. बुद्धने कहा था : बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि और सर्वं शरणं गच्छामि । मैं यो कहूँगा कि अेक परमेश्वरका आश्रय लो, धर्मका आश्रय लो, और दूसरे लोगोंके सदाचार — धर्मयुक्त आचरण — का आश्रय लो । परमेश्वरके सिवा दूसरे किसी देव-देवता-देवतका आसरा न लिया जाय, किसी भी पंद्रा हुओ या काल्पनिक गुरु, माता या पिता या दूसरे पूज्य व्यक्ति या प्राणियोंको परमेश्वर या परमेश्वरके द्वारा भेजे हुओ या अुससे खास प्रेरणा पाये हुओ न समझा जाय, अधर्मका आचरण न किया जाय; और किसी भी व्यक्तिके (वह चाहे जितना बड़ा हो) ऐसे आचार, जिनके ठीक होनेमें सन्देह हैं, प्रमाण न माने जायें और न अुनका बचाव किया जाय ।

जिस बातपर हमे विचार करना है वह यह है कि हम हिन्दू-धर्मका मिर्सु चुयार करना चाहते हैं, या मानव-धर्मका नया स्वरूप करके हिन्दू-नमाजमें क्रान्ति करना चाहते हैं ।

१०/११-८-१४७

### ३

## क्रान्तिकी कठिनाइयाँ

दिउंडे परिच्छेदमें प्राट किये गये विचारोंके रास्तेमें जो बहुतसी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं, अुनपर भी विचार कर लेनेकी जरूरत है ।

पर्यंत तो आनिकमें दिये हुए पांच प्रतिपादनोंके सच और मीर्जू होनेमें वोनमें हमें खुदको यकीन होना ही आमान नहीं है । कअी लोगोंको यिसमें ‘तत्त्वमसि’ आदि मतावाक्योंका निषेध मालूम होगा; कअीको अपनी अपनी मन्त्रोंके मुताबिक अुपासना करनेकी आजादीपर आवात होता है तो उन पदेशा कुछको विविधतामें डेकता देखनेकी अुदार दृष्टिका विशेष दिव्यात्मी देश मरुण निरुण अन्तमिद्धि, मम्हायि आदिकी अनेक व्यक्ततें देख र्ही जबरी । हमें यिन मार्गी गतोंका खुलासा करना और अुन्हें लेखेंको मम्हायना होगा ।

मान लीजिये कि लोगोंको समझानेमें हम सकल होते हैं, तो बादमें आचारकी कठिनायियाँ खड़ी होंगी। हजारों अल्पारियाँ भर सके, जितना विश्वाल हमारा देव गुह-पूजा और भक्तिका साहित्य, पूजा और यज्ञोंकी लुभावनी विधियाँ, हजारों मन्दिर, अनेकी वेश्वमार सम्पत्ति वर्गोंका विसर्जन करनेके लिये कहनेकी यह बात है। अन सक्के प्रति रहनेवाला मोहु, अनपर रहनेवाली हमारी श्रद्धा, कला और सुन्दरताकी भावना किस तरह छूट सकती है? यह बात अपने हाथों अपने शरीरकी चमड़ी अंतारने जैसी कठिन है। प० जवाहरलाल जैसे बुद्धिसे अधिकरके बारेमें नास्तिकभाव रखनेवाले व्यक्तिको भी कमला नेहस्त अस्पतालके खात मुहूर्तके बज्जत और अिन्द्रियोंकी गाढ़ीमें सारे वैदिक कर्मकाण्ड करानेमें रस मालूम हुआ। मक्काकी मस्तिष्ठामें से ३६० देवताओंको हृष्टाते बज्जत मोहम्मद साहबको जितनी कठिनाओं हुओंगी, असते हजार गुनी कठिनाओं जिस काममें है।

यह होते हुओं भी, जब अिन्सानकी धर्म बदलनेमें श्रद्धा होती है, तब जैसा करनेकी असमें ताकत आ जाती है।

मगर यह तो जब हो, तबकी बात रही। सबसे पहले ऐसे विचारोंके प्रचारको यह समझ लेना चाहिये कि अिससे ज्वरदत्त सामाजिक कलह पैदा होना समव है। अंगुके कहे मुताविक अिसमें माँ-बाप और लड़कोंके बीच, पति-पत्नीके दीच, भाऊ-भाऊंके बीच झगड़ा हो सकता है। क्रान्तिकारी भले अहंसक रहे, धमाभावते सब कुछ सहता रहे, मगर स्वार्थको धन्का लगनेके कारण या प्रचलित मान्यताकी सचाओंमें ज्वरदत्त श्रद्धा होनेके कारण यह बात जिसके शले न अंतरे, अस्के बारेमें यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह भी अहंसक तरीकेसे ही विरोध करेगा। बौद्ध, अिस्लाम, अीताओं या हमारे देशोंके सामान्य क्रान्तिकारी सम्प्रदाय चलानेवालोंको जैसे शुभ्मों और सुसीक्तोंका सामना करना पड़ा, वैसे ही अिसे भी करना पड़े।

तिर्फ यह कड़वा छूट तभी गलेते नीचे अंतर सकता है, जब यह समझ लिया जाय कि क्रान्तिकारीकी किस्मतमें ही यह चीज लिखी होती है।

मगर अितनेते ही कठिनायियोंका अन्त नहीं हो जाता। सारी सुन्दिकलोंका सामना करनेके बाद भी यह योजना हिन्दुत्तानमें कभी सफल हो सकती है या नहीं, अिसमें शक ही है।

वैद्य-धर्मको किस तरह निर्लाजिलि मिली, अिसे सब कोअी जानते हैं। औसाअी और अिस्लाम-धर्मका कोअी बहुत प्रचार हुआ हो, औसा नहीं कहा जा सकता; और हिन्दू-धर्मके सहवासमे अुनका स्वरूप भी कमज्यादा मात्रामे हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया है। खोजा वगेरा सम्प्रदायोंको तो एक किस्मके गिर्चड़ी सम्प्रदाय ही कहा जा सकता है। सभी धर्मके एक किस्मके महायान स्वरूप बने हैं। सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुआ। यह जात पांतके भेटोंसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही एक पथ है। करीर ब्राह्मणकी कोटियें छोटे छोटे पथ बनकर रह गईं, और वे भी अुनके बुद्ध स्पर्मे नहीं। हिन्दू-धर्म औसा महान् समझ है कि सैकड़ों मॉटे पानीकी नदियाँ भी अुसके खारेपनको दूर नहीं कर सकती, अुल्टे मुखम पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती है, और मुहसे यह आश्वर्य-वाक्य नवम निकल पड़ता है कि — “सब नदियाँ जल भरि-भरि गहियाँ, मागर किस विध खारी ?”

अिस क्रान्तिके परिणाम स्वरूप अगर औसा एक छोटासा नया पथ ही बनकर रह जाय, तो ज्यादा समझदारी अिसमे होगी कि जैसा चल गा है वैसा ही चल्ने दिया जाय और छोटे-मोटे मुधारों तक ही अपना मञ्चमढ़ नीमित गगा जाय।

मगर असा माननेवालेको दूसरे धर्मके प्रति सहिष्णुता रखकर ही अनुग्रह हो जाना चाहिये। उसे न तो सर्वधर्म समझाव, या समझाव-ज्ञे वडे वडे सूत्र पेग करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे अुनकी अपेक्षा अन्नी चाहिये। अन्य अलग धर्मके थोड़े वाय लेकर अुनका पाठ उन्हें गिर्चड़ी अपासना करनेकी भी कोटिय न की जाय। अिसकी उन्नत ही नहीं है। अुसे कमसे कम अितना तो जरूर करना चाहिये कि एक देव, एक गुरु, एक आनन्दका आमग लिया जाय और दूसरेके अगड़ेमे न पड़ा जाय। “एको देव केवो वा गिवो वा।” “एक गुरुका आमा एक गुरुमे आम।” “चाहे कोअ गोरे कहो, चाहे कोअ कारे, उस तो एक सद्ग्रननद नपरे मतवारे।”— औसी वृत्ति रखी जाय। उसे भतका न्यकाम नहीं, तो निन्दा भी नहीं। जिसे जो अच्छा लगे, उसे उसे सुने वह अच्छा लगा है, अितना काफी है।

मेरा ख्याल है कि वैणवाचार्योंकी यह अनन्योपासनाकी विचारस्तरी सनातनी चिन्हां सुपासनाते ज्यादा अच्छी है।

जिसकी मर्यादाएं भी समझ लेनी चाहिये। जिसके साथ किसी न किसी स्फपमे जातिस्स्थाकी जडे रहेगी ही। जातिभावनाते रहत समाज कायम ही नहीं किया जा सकेगा। ज्यादाते ज्यादा जिसका एक दृले और माझूरी ताकनवाले सबके स्फपमे ही डेकीकरण हो सकता है। जो लोग बहुत ताक्तवर देन्द्रीय सत्तामे विश्वास नहीं करते — और बापूजीकी ऐसे लोगोंमे गिनती की जा सकती है — उनकी दृष्टिसे जिसे अधापत्ति कहा जायगा। मगर फिर जातपोत तोड़नेकी बात छोड़ देनी चाहिये। आजकी जातियों तोड़कर नभी जातियों बनानेकी बात भले कहे, मगर यह मानकर चल्ना चाहिये कि हिन्दूसमाज किसी न किसी तरहकी जातिव्यवस्था बनाकर ही रहेगा। और उस हालतमे किसी न किसी प्रकारके धर्म और जातिभेदके आधारपर बने हुअे राजकीय पक्ष और प्रतिनिधित्वका स्वीकार भी करना पड़ेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानोंके लिये भी तैयार रहना पड़ेगा।

यानी, जैसा कि शुल्मे कहा गया है, हमे दो विकल्पोमेंसे ऐकको त्यिर चिन्तते मजूर कर लेना चाहिये। अगर पहले विकल्पको मजूर करना है, तो दूसरेसे पैदा होनेवाले फल नहीं मिलेंगे और दूसरेके फलोंकी अिच्छा है, तो पहलेको लेकर नहीं चल सकते।

हिन्दूसमाज और हमारे जैसे तेवा करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको जिसकर विचार करके जो अनुचित हो, उसे मजूर करनेका फैसला करना चाहिये। और उसमे फिर डाँवांडोल वृत्ति नहीं रखनी चाहिये।

१२-८-४६

\* किसी दलील करनेवालेकी दलीलमें नामनेवाले द्वारा बनाया हुआ ऐसा दोष जो दर्शीह दर्शनवाला नहीं बर ले और उसे अपनी खबोंके तोरपर समझा दे।

बोद्ध-धर्मको किस तरह तिलाजलि मिली, अिसे सब कोअी जानते हैं। अैसाअी और इस्लाम-धर्मका कोअी बहुत प्रचार हुआ हो, अैसा नहीं कहा जा सकता; और हिन्दू-धर्मके सहवासमे अुनका स्वरूप भी कम-ज्यादा मात्रामे हिन्दू-धर्म-मिश्रित बन गया है। खोजा वगां सम्प्रदायोंको तो ऐक किस्मके खिचड़ी सम्प्रदाय ही कहा जा सकता है। सभी धर्मोंके ऐक किस्मके महायान स्वरूप बने हैं। सिक्ख-धर्मकी भी यही हालत हुअी। यह जात पांतके भेदोंसे भरा हुआ हिन्दू-धर्मका ही ऐक पथ है। कवीर वगराकी कोणिंग छोटे छोटे पथ बनकर रह गई, और वे भी अुनके शुद्ध रूपमे नहीं। हिन्दू-धर्म अैसा महान् समुद्र है कि सैकड़ों मीठे पानोकी नदियाँ भी अुसके खारेपनको दूर नहीं कर सकतीं, अुलटे मुखपर पहुँचकर खुद ही खारी हो जाती है, और मुहसे यह आक्षर्य-वाक्य वर्खस निकल पड़ता है कि — “सब नदियाँ जल भरि-भरि रहियाँ, सागर किस विध खारी ?”

अिस क्रान्तिके परिणाम स्वरूप अगर अैसा ऐक छोटासा नया पथ ही बनकर रह जाय, तो ज्यादा समझदारी अिसमे होगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाय और छोटे-मोटे सुधारे तक ही अपना मकसद सीमित रखा जाय।

मगर अैसा माननेवालेको दूसरे धर्मोंके प्रति सहिष्णुता रखकर ही मन्तुष्ट हो जाना चाहिये। उसे न तो सर्वधर्म समभाव, या ममभाव-जैसे वडे वडे सूत्र पेश करने चाहिये, न दूसरे धर्मवालोंसे अुनकी अपेक्षा रखनी चाहिये। अल्ला अल्ला धर्मोंके थोड़े वाक्य लेकर अुनका पाठ करके खिचड़ी अुपासना करनेकी भी कोणिंग न की जाय। अिसकी जस्तर वी नहीं है। अुसे कमसे कम अितना तो जस्तर करना चाहिये कि ऐक देव, ऐक गुरु, ऐक शास्त्रका आसरा लिया जाय और दूसरेके झगड़ेमे न पड़ा जाय। “ऐको देवः केऽवो वा तिवो वा।” “ऐक गुरुका आसग, ऐक गुरुमे आस।” “चाहे कोअू गोरे कहो, नाहे कोअू कारे, तम तो ऐक महजानद स्वप्नके मतवारे।” — अैसी वृत्ति रखी जाय। दूसरे मनका स्वीकार नहीं, तो निन्दा भी नहीं। जिसे जो अच्छा लगे, अुसे माने, मुझे यह अच्छा लगता है, अितना काफी है।

मेरा ख्याल है कि वैणवाचायोंकी यह अनन्योपातनाकी विचारस्तरगी सनातनी सिंचड़ी द्युपास्तनासे ज्ञादा अच्छी है।

यिसकी मर्यादाये भी समझ लेनी चाहिये। यिसके साथ किसी न किसी व्यपमे जातिन्तस्थाकी जडे रेंगी ही। जाति-भावनासे रहित समाज कायम ही नहीं किया जा सकता। ज्ञादासे ज्ञादा यिसका एक हीले और माझूरी ताज्जनाले सबके व्यपने ही ऐकीकरण हो सकता है। जो लेग बहुत ताज्जतवर केन्द्रीय सत्तामे विश्वास नहीं करते — और वापूजीकी ईते लोगोंमे गिनती की जा सकती है — उनकी दृष्टिसे यिसे अद्यापत्ति कहा जायगा। मगर फिर जात-पेत तोड़नेकी बात छोड़ देनी चाहिये। आजकी जातियों तोड़कर नवी जातियों बनानेकी बात भले कहे, मगर यह नानकर चलना चाहिये कि हिन्दू-समाज किसी न किसी तरहकी जाति-व्यवस्था बनाकर ही रहेगा। और युस्त हालतमे किसी न किसी प्रकारके धर्म और जातिन्देश्वर आधारपर बने हुये राजकीय पञ्ज और प्रतिनिधित्वका त्वीकर भी करना पड़ेगा और किसी न किसी तरहके पाकिस्तानोंके लिये भी तैयार रहना पड़ेगा।

यानी, जैसा कि शुल्मे कहा गया है, हमे दो विकल्पोमेते ऐकको स्थिर चिन्तते भंजूर कर लेना चाहिये। अगर पहले विकल्पको मजूर करना है, तो दूसरेते पैदा होनेवाले फल नहीं मिलेंगे और दूसरेके फलोंकी यिच्छा है। तो पहलेको लेकर नहीं चल सकते।

हिन्दू-समाज और हमारे जैसे सेवा करनेकी यिच्छा रखनेवालोंको खिलकर विचार करके जो सुन्नित हो, उन्से मजूर करनेका फैसला करना चाहिये, और युस्तने फिर डांगंडोल वृत्ति नहीं रखनी चाहिये।

१२-८-४६

\* किसी दलील करनेवालेकी दलीलने सामनेवाले द्वाग बनाया है और ऐसा दोष हो दलील वरन्वाला मजूर बर ले और युस्त अपनी वृद्धिके तौरपर समझा दे।

## पाँच प्रतिपादनोंमें से पहला

दूसरे परिच्छेदमें जो पाँच प्रतिपादन पेश किये गये हैं, अनुन्हे माना जा सकता है या नहीं, अिसपर मे यहाँ विचार करना चाहता हूँ ।

### पहला प्रतिपादन

मानो परमात्मा अेक केवल ।  
 न मानो देव देवता-प्रतिमा सकल ॥  
 न मानो कोअी अवतार गुरु-पेगम्बर ॥  
 मानो जानी विवेकदर्शी केवल  
 सब सदगुरु-नुष्ठ-तीर्थकर ।  
 न कोअी सबन अस्वल्लभील ।  
 भले ऊँचा रहवर ॥

जो भगवानके अस्तित्वमें ही विश्वास नहीं करते या जो उसके सहारेकी जहरत ही नहीं समझते, अनुके वारेमें यहाँ विचार करनेकी जहरत नहीं है । क्योंकि अनुन्हे तो 'मानो परमात्मा अेक केवल' के सिवा वाकीके सभ प्रतिपादन मान्य ही रहेंगे । मगर जो लोग भगवानको मानते हैं, अनुन्हे वाकीकि चरण मान्य रहेंगे ही, ऐसी वात नहीं है । क्योंकि अिन्हे माननेमें धार्मिक क्रान्ति — धर्मान्तर जैसी वात होती है ।

<sup>१</sup>मर्व न्यन्विद् व्रह्म, <sup>२</sup>तत्त्वमसि, <sup>३</sup>अथमात्मा व्रह्म, <sup>४</sup>सोऽहम्, <sup>५</sup>गिवोऽहम्, <sup>६</sup>तद्व्रह्म निष्कलमत्मम्, <sup>७</sup>वासुदेवं सर्वम्, <sup>८</sup>गुरुः साक्षात् परव्रह्म,  
<sup>९</sup>यदा यदा हि धर्मस्य . . . सम्भवामि युगे युगे, <sup>१०</sup>सिद्ध, <sup>११</sup>सर्वज्ञ,  
<sup>१२</sup>तथागत, <sup>१३</sup>अद्वित्य-प्रपित, <sup>१४</sup>अद्वित्य-पुत्र वरग विचारोंका अिसमें विगेध होता जान पड़ता है ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि यिनमेंसे आठ वाक्य अेकदेशीय तथ्य हैं, यानी अनुक दायरेमें ही तच है, उस दायरेते बाहर अन्हे लागू करने जायें, तो वे भुलावेमें डालते हैं और भ्रम पैदा करते हैं। जैसा भ्रम अच्छी तरह पैदा हो भी चुका है।

॥७॥ पि भेदाऽप्यामे नाय तवाऽह न मामकीनल्लभम्  
सनुद्रो हि तरङ्ग. व्वचन सनुद्रो न तारङ्ग. ॥  
आदमको खुदा मत करो, आदम खुदा नहीं ।  
मगर खुदाके नृत्ये, आदम खुदा नहीं ॥

वैरा वचन अपरके वाक्योंको गौण करनेवाले ( Modifiers और correctives ) हैं, और वह गौणता अवतार—सद्गुरु—सिद्ध—पैगम्बर वैरा पदोंका अपनेमें आरोप करनेवाले या ऐसी भावना रखनेवाले और इनके अनुयायी दोनोंको याद रखनी चाहिये। इन्हें इन्हें ‘अवतार’, ‘ब्रह्मनिः तदगुरु’, ‘सिद्ध’, ‘तुद’ वैराका स्थान भी भगवानते गौण है। एक वडा फर्क तो ब्रह्मन्द्रवकासे ही तत्त्वा दिया है। यिन्तान चाहे जिन्हां वडा योगिन्द्र विज्ञानवेचा, सिद्ध, विभूतिमान और प्रकृतिके तत्त्वोंपर काहू रखनेवाल हो, वह सरे सनातका नियत्रण — जुत्यत्ति—स्थिति—ल्य नहीं कर सकता। सनातकी वैक्षियोंके अधीन इसे रहना ही पड़ता है। यिसके लिया, वह ब्रह्मकी तरी वैक्षियोंको एक ही वारमें अपनेमें प्रकट नहीं कर सकता। इसके सुगुणता कभी स्वंगुणता हो नहीं सकती, वह हमेगा अद्वृती ही रहती है। तुझी और कुल्हाड़ी दोनों लोहेसे बनी होनेपर भी जिस तरह तुझीने न्यूने रहनेवाला लोहा कुल्हाड़ीकी ताकत नहीं दिखला सकता औ तुल्हाड़ीने न्यूने रहनेवाला लोहा तुझीकी ताकत नहीं दिखला सकता, उन्हीं तरह यिन्हान चाहे आध्यात्मिक इच्छार्जीकी आखिनी हृद तक पहुँचा हुआ हो, फिर भी भानवें रूपमें रहनेवाला ब्रह्म, अभानव रूपमें रहनेवाले ब्रह्मकी वैक्षियां प्रकट नहीं कर सकता। और जब वह एक प्रकारकी वैक्षिप्रकट करता है, तो उसे प्रकारको वैक्षिगायत्र हो जानी है। गीताकार जैसे भव्य कल्पना अस्त्वाले जैविका विद्यपून्य भी तिर्क अपनी भयंकर, कालन्यप विद्युतेयोग ही दर्शन करता है। मगर सच्चानुचके सत्तागम्भे तो जित वक्त

भयकर सहार चल रहा होता है, घोर अधर्म और हिसाका साम्राज्य फैला होता है, उसी वक्त सुन्दरता, धर्म, प्रेम, आदिका सज्जन और पोषण भी होता रहता है। अिसलिए अिस्लाम और यहूदी धर्मके अिस आग्रहसे काफी औचित्य है कि चाहे जैसी — जानदग्गा, शुद्धता या योगसिद्धिकी ऊँचाओं तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो, उसे साथात् परमहकी वरावरीमें न बैठाया जाय। हिन्दुओंको यह सत्य मानना और अिसकी विरोधी मान्यताओंको छोड़ना ही पड़ेगा। अिस तरह शुद्ध और साधारण अीश्वरवाचक नामोंकी वरावरीमें देव, देवी, अवतार, गुरु, सन्त वर्गराके नाम लेना और अुनके गीत गाना ठीक नहीं है। और जो अिसमें दोष देखता है, वह अगर अिसमें भाग लेनेसे अिनकार करे, तो उसपर यह दोष नहीं ल्याया जा सकता कि अुसमें सर्वधर्म-समभावका अभाव है। अिसे वैसा ही समझना चाहिये जैसे कि अहिंसा-धर्म माननेवाला व्यक्ति पश्चयनोंमें वा ऐसी पूजाविधियोंमें शामिल होनेसे अिनकार करे जिनमें मांस, शराब वर्गराका भोग ल्याया जाता है।

अिसका यह मतलब नहीं कि यहाँ सगुणोपासनाका विलकुल निषेध किया जा रहा है, या महापुरुषोंके लिये आदरभाव, भक्ति, या अुनके अच्छे गुणोंका गान करनेकी विलकुल मनाही की जा रही है। यह निर्गुण अुपासना नहीं है। यहूदी और अिस्लाम धर्ममें अीश्वरपर आकारका आरोप करनेकी मनाही है, मगर यह निर्गुण अुपासना नहीं, रामानुजकी भाषामें कहे तो यह ‘सकल कल्याणकारी गुणों’का आरोप करनेवाली सगुणोपासना है। रहीम, रहमान, मालिक, रब, सवको पैदा करनेवाला, करुणासागर, भक्तवत्सल, सन्मार्गदर्शक, सर्वगतिमान, नियमक आदि गुणोंका आरोप अिनको भी मान्य है। मगर रामानुजने अिनके साथ लक्ष्मीनारायण आदि साकार मूर्तियोंकी भी कल्पना की है। और ऐसी कल्पनाका अिन्होंने त्याग किया है।

वेदान्तमें निर्गुण, निराकार शब्दोंने वडी गड़वड़ी पैदा कर दी है। औचित शब्द ये होते — सर्वगुणवीज, सर्वगुणाश्रय, सर्वनामम्पका कारण और आश्रय। सारे शुभ और अशुभ गुणोंका, विभूतियोंका और सृष्टिका यही वीज, आश्रय, कारण, गति आदि है। मगर अुनमेंसे श्रेयार्थी मनुष्योंके

लिये अशुभ और अस्य गुण, विभृतियाँ और अनुका सर्जन अुपास्य या ध्येय नहीं हो सकते। जिसलिये साधक चिन्तन और अुपासनाके लायक गुणों और शक्तियोंमें ही पसन्द करता है और चिन्तके आदर्शरूप अुक्तपके लिये भगवानकी कल्पना कल्याणकारी गुणों और शक्तियोंके महासागरके स्वप्नमें ही करता है।

कल्याणकारी और प्राप्त करने लायक गुण और शक्तियाँ कौनसी हैं, जिसके बारेमें किसी भी देशके भक्तों, श्रेयार्थियों या विचारकोंमें ज्यादा मतभेद नहीं हो सकता। मगर किसी आकारकी सुन्दरता या कल्याण-मयताका आदर्श ठहरानेकी कोगिज की जाय, तो अनेक मत खड़े होते हैं। शुभ और अशुभ गुण और शक्तियाँ कौनसी हैं, जिसका निर्णय सब देशोंके भले लोगोंके अनुभवके आधारपर होता है। मगर श्रेष्ठ आकार कौनसा है, जिसके लिये अनुभवका आधार नहीं मिलता। सिर्फ कल्पना-शीलता और परम्परागत स्तकारका ही जिसमें आधार लिया जाता है। आकार और असकी पूजाओंमेंसे विस्तृत अुपासनाओं और पथ पैदा होते हैं। यहूदी और इत्लाम धर्मोंने आकारका अन्त करके जुदी जुदी अुपासनाओं और पूजाओं प्रचलित होनेकी सम्भावना कम कर दी। हिन्दू-धर्मने जिसे आदर दिया, तो घर घर अल्पा किल्सके देवचौके बने।

जितना जिस परिच्छेदकी शुरूआतमें दिये हुये चौदह वाक्योंमेंसे आठके बारेमें हुआ। अब किसीके अवतार — सिद्ध — सर्वज — पैगम्बर वगैरा होनेकी मान्यताके बारेमें विचार करें। यह स्पष्ट है कि ये सब कल्पनाके तिवा और कुछ नहीं हैं। ससारमें बहुत ही ऊँचे — लोकोत्तर — व्यक्ति पैदा होते हैं, अनके अनेक चाहनेवाले और माननेवाले भी बन जाते हैं; लेकिन अन्ते पैगम्बर, अवतार, वगैरा समझनेमें अनके द्वारा निर्मित और परम्परासे पांचित श्रद्धाओंके स्तकारके सिवा जिसके पीछे किसी सर्वमान्य अनुभवजा आधार नहीं है।

मगर जिन कल्पनाओंने दुनियामें कभी तरहके झगड़े और पथ खड़े किये हैं। परमेश्वर और मनुष्योंके बीच ये लोग पेगवा या प्रधानमन्त्री ज्ञाने गये हैं। अिंगलैण्डका राजा कौन है, जिसपर कोअी झगड़ा नहीं; मगर राज्यमें किसका हुक्म चले, कौन प्रधानमन्त्री बने और राजके नाम-

पर हुक्मत करे, अिसपर झगड़े होते हैं। अुसी तरह झगड़ा परमेश्वरके बारेमे नहीं, बल्कि अिस बातपर होता है कि किस अवतार - पैगम्बर - गुरु - सिद्ध - बुद्ध वर्गोंराकी आज्ञा — हुक्म — चले। मनुष्योंने बहुत कुछ अपने अपने राजकीय कारोबार और अिन्तजामके अनुरूप ही ऋश्वरकी व्यवस्थाओंके बारेमे कल्पना की है। जिस तरह हमारे यहाँ बड़े-बड़े ओहदे हैं, जेल है, पुलिस है, अुसी तरह हमने भगवानके जासनमे भी देव, फरिश्ते, स्वर्ग, वैकुण्ठ, गोलोक वर्गोंरा धाम, और अुत्पत्ति, पाल्म, प्रलय वर्गोंराके लिये अल्पा अल्पा मत्री, यमदूत और नरककुड़ आदि माने हैं।

अिसलिये हमें अिन सारी काल्यनिक अुपासनाओंका दृष्टापूर्वक त्याग करना चाहिये। और सिर्फ अितना ही ध्यानमे रखना चाहिये कि —

मानो परमात्मा ओके केवल ।

न मानो देव-देवता-प्रतिमा सकल ॥

न मानो कोअी अवतार-गुरु-पैगम्बर ॥

मानोःज्ञानी विवेकदर्ढी केवल

सत्र सद्गुरु-बुद्ध-तीर्थ्यकर ।

न कोअी सर्वज्ञ-अस्वल्बनशील ।

भले ऊँचा रहवर ॥

## दूसरा प्रातिपादन

न कोअी शातका वक्ता परमेश्वर ।

न कोअी विवेकके क्षेत्रसे पर ॥

पहले प्रतिपादनको मान लेनेके बाद दूसरेको स्वीकार करनेमें ज्यादा मुँहिकल नहीं मालूम होनी चाहिये । फिर भी सुमिलिन है थोड़ी मुँहिकल जान पड़े । कअी बार मनुष्योंके मुँहसे, और खास करके परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे, ऐसे लोकोत्तर वचन निकल पड़ते हैं कि अगर वे तोत्र-विचार कर कहना चाहते, तो नहीं कह सकते । वे खुद भी नहीं जल्ला सकते कि उन्हे अिस तरह बोल्ना कैसे आया, और दूसरोंको भी खिसमें आस्त्रयं मालूम होता है । बोल्नेवाले और सुननेवाले दोनोंको लाता है कि अिन वाक्योंका कर्ता कोअी और ही है । मानो कोअी अन्तर्यामी उनसे बुल्ला रहा है । ये वाक्य अगर अीश्वरतत्त्वके दरमें, मनुष्योंके धर्मके बारेमें, या किसी खास प्रस्तुके बारेमें हों, और उन्हे सुनते ही अुस जमानेके लोगोंकी कोअी समस्या हल होती हो, तो उन्हे अोश्वरकी आज्ञा या अीश्वरप्रेरित वाणी माननेका दिल हो जाता है । और अगर वह कोअी भविष्यवाणी हो और आगे चलकर विलक्षुल सच निकले, तो अीश्वरके साथ अुसका सम्बन्ध जोड़ते देर नहीं लगती ।

गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि लोकोत्तर वाणी या दूसरोंके मनमें विश्वास पैदा करनेवाले सन्यवचन सिर्फ परमेश्वर-परायण मनुष्योंके मुँहसे ही निकलते हैं, ऐसा हमेशा देखनेमें नहीं आता । कअी बार अज्ञान बाल्कोंके मुँहसे, किसी वक्त पागल जैसे ल्यानेवाले लोगोंके मुँहसे और कभी कभी नगेमे चूर मनुष्योंके मुँहसे भी लोकोत्तर सत्य निकल पड़ते हैं । यिसलिये अपने मन और विवेककी शुद्धिके लिये ल्यातार कोविद्य करनेवाले और मानव समस्याओंकी गहराईमें अुतरकर उनका अध्यन्न करने और अनन्द विचार करनेवाले, परमेश्वर-परायण या तदिद्यापरायण मनुष्योंके मुँहसे अगर जाने या अनजाने लोकोत्तर सत्य मत

ज्यादा प्रमाणमें निकले, तो अिसमें आन्वयकी कोओ बात नहीं है। मगर अिस तरह प्रकट किये गये मतोंमें कभी भूल होती ही नहीं — वे हमेशा और आग्निर तक सच ही साक्षित होते हैं, ऐसा निरपवाद अनुभव नहीं है।

अिसलिए मत व्यक्त करनेवाला या अुद्गार निकालनेवाला व्यक्ति चाहे जितना महान हो, अुसके किसी वचनको ऐसा नहीं मानना चाहिये जिसे विवेककी कसौटीपर कसे वर्गर मिर्फ श्रद्धावश स्वीकार किया जा सके। जो परमेश्वरकी ही वाणी हो, अुसकी सत्यताके बारेमें तो सभीको सुनते ही या अनुभव करते ही विश्वास हो जाना चाहिये। अगर वह मिर्फ वक्ताके प्रति श्रद्धा रखनेवालेको ही मानने योग्य लगे और दूसरेको मान्य होना तो दूर रहा, अुसमें दोष तक नजर आये, तो वह परमेश्वरकी वाणी तो हो ही नहीं सकती। वह चाहे सोच-समझकर अिरादतन कही गयी हो, या अनजाने ही वक्ताके मुँहसे निकल पड़ी हो, या चाहे किसी योगावस्था या चित्तकी खास तरहकी अवस्थामें कही गयी हो, किसी भी हालतमें अुसे परमेश्वरकी वाणी समझनेकी जरूरत नहीं है। हमें अिन्सानके सभी अुद्गारोंको अुसकी दुष्टिसे या भावावेशसे निकले हुओ समझने चाहिये। और जिस हृद तक वे अनुभव और विवेककी कसौटीपर खरे अुतरे, सिर्फ अुसी हृद तक अुन्हें ग्रहण करने लायक समझना चाहिये।

अल्पवत्ता, अिसे व्यवहारके आधारपर समझना होगा। सिर्फ सिद्धान्तकी दृष्टिसे तो यों भी कहा जा सकता है कि जो सार्थक या निरर्थक, सच साक्षित होनेवाले या झूट ठहरनेवाले गब्द हमारे मुँहसे निकलते हैं, वे सब अीश्वरप्रेरित ही हैं। अीश्वरके सिवा दुनियामें अन्य किसीका कर्तृत्व-वक्तृत्व है ही नहीं। यानी यहाँ जो कुछ होता है वह सब अीश्वर ही करता है और जो कुछ कहा जाता है, अुसका कहनेवाला भी अेक अीश्वर ही है। मगर ऐसा मान लेनेसे मनुष्योंकि — जानियोंकि भी — व्यवहार नहीं चलते, चल नहीं सकते। सभीको विवेकदुष्टिका उपयोग करके तारतम्य समझना ही पड़ता है।

वहाँ अिस तत्त्वचर्चामें पड़नेकी जरूरत नहीं है कि कर्तृत्व-वक्तृत्व वरोंग मनुष्योंकि किनने और परमेश्वरके किनने, या कमो तथा वचनोंके लिये प्राणी किनने जवाबदार हैं और भगवान किनना। मनुष्योंकि व्यवहार अुनमें

कर्तृत्ववशतुत्वका आरोप करके ही चलाये जा सकते हैं। यिसलिए सरे कर्मों और वचनोंको अपने अपने विवेककी कमीटीपर करनेका सबको अदिकर है, कर्तव्य भी है। जहाँ खुदकी दुरि काम नहीं देती, वहाँ मनुष्य असुखजिके नियमके आधारपर चला है, जिने वह अपनेसे ज्यादा विवेकी मानता है। मगर ऐसा करनेते पहले वह अपने विवेक या परम्परागत स्तकारके आधारपर उस व्यक्तिको अपनेते ज्यादा विवेकी उद्घाटन है। जहाँ तिक परम्परागत स्तकारके आधारपर ही ऐसा किया जाता है वहाँ यह क्लेश श्वाका ही परिणाम होनेकी वजहसे यिसके लिए औपर दिया हुआ प्रतिवादन अुपयोगी होगा।

अगर इसका प्रतिवादन मान्य हो, तो ऐक दूसरी बौद्धिक कसरतसे मी न्युनोंका — सात काँके पिण्डियोंका — पीछा छूटे। शालवचनोंको इन्हें प्रयोगित नहींनहीं लुन सबसे ऐकवाक्यता दिखानेकी कोशिश होती है। अगर यह मान्यता न होती, तो प्रस्थानत्रयी रचनेकी इन्डटमे हमारे आचार्य न पड़े होते। अल्ला अल्ला कालोंमें शायद ऐक दूसरेते अपरिचित विचारकोड़ा चाहे हुभे लुप्तियों, क्रहन्त्रों, गीता, पुगाग कर्गामें ऐक ही अर्थ ऐक ही त्रिदात कर्गा अनिनेत है, यिते सानित करनेमें जो सीधतन करनी पड़ती है, वह न कर्ती पड़े और बैदिक, बैद्ध, जैन, बिल्लान अन्नाली कर्गा तारे धनामें अुहेव्यकी ऐकता दिखानेका प्रयत्न बदलेकी उहरत न पड़े। हरेक धनेमें कर्ती दाते स्मान हैं, कर्ती मिश्न हैं और उहतसी प्रत्यर विनोदी भी हैं। ऐक ही धनेके ऐक ही शालमें मी नहर विनोदी विवान मिल सकते हैं। कर्ती विविनिषेष ऐते हैं, जिन्हे अनुक देवकल और तंत्कालोंका ढायाल रखकर ही समझा जा सकता है। जिन धनें ऐकवाक्यता दिखलानेकी कोशिश करना वेकार मेहनत लगता है। और यह अप्नोका प्रतिवादनके सुवादिक चलत श्वाका ही परिणाम है। जिसलिए —

न केऽर्थी शालमा वक्ता परम्पर।  
न केऽर्थी विवेके क्षेत्रमें पर ॥

## तीसरा प्रतिपादन

सार्वजनिक धर्म सदाचार-गिष्ठाचार ।  
 मुक्त व्रहनिष्ठको भी भगका न अधिकार ।  
 भले बुद्धि शुद्ध, चित्त सदा निर्विकार ॥

यह तीसरा प्रतिपादन बहुत महत्वपूर्ण है । सच्च पूछा जाय, तो कोअी मॉन्जाया अस्वल्लभील नहीं है । मगर सारे धर्मोमें और अनुसे पैदा हुए विविध पथों और खास तौरपर हिन्दू धर्मके पथोंमें अिस विषयपर विचारोंकी बड़ी गड़वड़ी है, और धर्म-साधना व अधिकारत्वादके नामपर अिसमेसे अनेक वामाचार भी निर्माण हुए हैं । अिसलिये अिसके बारेमें ज्यादा स्पष्टता करनेकी जरूरत है ।

सदाचार-गिष्ठाचारके बुनियादी तत्त्व कौन कौनसे हैं, अिसपर हम चौथे प्रतिपादनमें विचार करेंगे । यहाँ अितना कहना काफी होगा कि हरअेक समाजको सदाचार-गिष्ठाचारके ऐसे नियम बनाने ही पड़ते हैं, जो सबके लिये बन्धनकारक हो और अुस समाजके हरअेक व्यक्तिका फर्ज होता है कि वह अनका पालन करे । सम्भव है, सामान्य तथा अपवादस्थप सयोगोंका भी अिन नियमोंमें विचार रखा गया हो । अलग अलग समाजों और बदलनी हुओ परिस्थितियोंमें अिनकी तफसीलोंमें फेरफार भी हो सकता है और होगा । मगर किसी खास समयमें और खास समाजमें अनकी विलक्षुल टीक टीक व्याख्या चाहे न हुओ हो, फिर भी मामूली तौरपर कुछ मर्यादाओं नों निच्छित की ही गओ होणी और समाजके विद्रानोंने अपनी लेन्वनी, अपने शब्दों और अपने वरतावसे अुसका निर्देश किया ही होगा । जहाँ ऐसे किसी नरहके नियमोंका स्वीकार या विचार न हो, अुस मानव-समृद्धको समाज नहीं कहा जा सकता ।

अिन नियमोंका खुले आम या छिपे तौरपर भग करनेवाले लोग भी हरअेक समाजमें रहेंगे ही । ऐसे लोग समाजद्रोही माने जा सकते हैं

और सनाज अपने स्तकारों और जानकारीके मुताबिक यिस वृत्तिको रोकने तथा नियम भग करनेवालेको सजा देने या सुधारनेकी कोशिश कर सकता है।

हो सकता है कि नामूली आदनों ऐसे नियमोंके अक्षरार्थका, सिर्फ़ सुनके त्यूल भागका ही पालन करे। यितना ही हो, तब भी वह सनाज सुरक्षित रह सकता है। मुमकिन है कि धार्मिक या साधक वृत्तिके लोग अन नियमोंका ज्यादा ल्यानते पालन करे, सुनके पीछे छिपे हुए अनेकोंका ख्याल रखकर अपने लिये अन नियमोंको और कड़े कर दे, और सनाजने जो हूटे देना मज़ूर किया हो अनमेंसे भी अधिकांशका खुद होकर त्याग कर दे। यिस तरह सर्वमान्य नियमोंसे ज्यादा कड़े नियम अनेवाले और अनका पालन करनेवाले लोगोंकी स्थितिये भी अन सकती हैं। यिन्हे अस तनाजके विशेष पथ या सम्प्रदाय कहा जा सकता है। नियमोंको ज्यादा कड़े बनाने और अनका पालन करनेकी कोशिशोंमें त्याग है कभी अनमें अतिरेकता या ज्यादती हो जाय, अनका लिंगिला टूट जाय, अनकी गकल ऐसी विचित्र हो जाय कि दैनेवालोंको हँसी आवे और तारे सनाजके लिये अनका त्वाकार या पालन करना असम्भव हो जाय। यिस स्थितिमें शामिल होने, बढ़ने और लम्बे असे तक अनके नियमोंका पालन करनेवाला व्यक्ति अगर असमें रहनेवाली ज्यादतीका त्याग करे और तिर्फ़ नामूली सनाजद्वारा त्वाकृत स्पर्शाओंका ही पालन करे, तो असे स्त्र्याविसुख भले कहे, मगर सनाजद्वारा ही, सनाजद्वारा या अग्रिष्ठाचारी नहीं कहा जा सकता। स्त्रियोंकी ज्यादा असमें रहनेवालेके लिये बन्धनकारक हो सकती है, सारे समाजके लिये नहीं। नगर सनाजकी अपनी नर्यादा सज्जे लिये बन्धनकारक हैं।

नगर जह किसी व्यक्तियों हम अवतार, पैगम्बर, ब्रह्मनिष्ठ, जीवनमुक्त, लिंग, खुद, अन्यन खुद आदि व्योंने नानने लगते हैं, तब असके अनाचारोंके बरने लेक अल्ला किसकी शहर रखने लगते हैं। असके ज्यस और कनोंको 'दिव्य' यानी अनानुयो, अलौकिक अताधारण समझना और असे सनाजके विधि-निषेधों, सदाचार-ग्रिष्ठाचारके नियमोंसे परे मानना, असके शुद्धतापर शक न करना, असे अनुकरणीय न मानने पर भी नेय

— स्तुत्य — मानना, जिस तरह भी तर्क दोड़कर युसका समर्थन किया जा सके युस तरह समर्थन करना, जहाँ समर्थन किया ही न जा सके, वहाँ युन बातोंकी प्रामाणिकताके बारेमें उकाऊे करना या अनुका कोअी स्पष्टकात्मक अर्थ बैठाना, ऐसी अंक श्रद्धाकी कसरत खड़ी होती है। जिसकी अस व्यक्तिपर श्रद्धा होती है, युसे ऐसा कग्नेमें कोअी मुश्किल नहीं मालूम होती। अितना ही नहीं, बल्कि खुले या छिपे तौरपर युसके मनमें ऐसी अभिलाषा बनी रहती है कि कोअी ऐसा मगल दिन आवे, जब वह खुद भी समाजके विधि-नियेंधोंके बधनसे परे हो जाय। और जब यह अभिलाषा बलवान हो जाती है, तब वह खुदको भी अपने गुरु या आदर्श पहुँचा हुआ समझने लगता है। धीरे धीरे वह छूटे लेने लगता है और बामाचारका केन्द्र निर्माण बरता है। अंक तरफसे बहुत कड़े नियमोंके पालनपर जोर देनेवाले और दूसरी तरफसे स्थापक या अिष्ट देवताको अनुसें परे माननेवाले सम्प्रदायोंमें अस तरह बाममार्ग खड़े हुअे हैं। अपर इये हुअे कारणोंमें ही दूसरे लोग ऐसे व्यक्तियों और पथोंको नहीं मानते और अनुकी निन्दा करते हें; अितना ही नहीं, अनुके स्तुत्य कर्मोंकी कदर कग्नेकी भी अनुकी वृत्ति नहीं होती।

दुनियामें कोअी किसकी आश्चर्यकारक घटनाओं, जिसकी कल्पना भी न की जा सके ऐसी ग्रक्ति रखनेवाले प्राणी व वनस्पतियाँ और कुदग्नकों व चित्तकी अद्भुत ग्रक्तियाँ बारबार देखनेमें आती हैं। दूसरे प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्यमें यह विगेपता है कि असकी चित्तवृत्ति और ग्रक्तियाँ अनंक गाम्बाओंवाली हैं। आपको अकाध विल्डी ऐसी भले मिल जाय जो दूसरी विल्डियोंसे बहुत ज्यादा ताकतवर और मोर्टी हो, मगर असमें आपको कुत्तेके स्वभावका दर्शन कभी नहीं हो सकता। वैसे ही किसी कुनेमें कभी विल्डीका स्वभाव नहीं पाया जा सकता। मगर मनुष्यका स्वभाव और बुद्धि अनन्त स्फोर्में विकसित हुअे हैं और कोअी मनुष्य एक खेत्रमें तो दूसरग दूसरे खेत्रमें असाधारणता दिखला सकता है। कोअी मनुष्य विल्डीकी वृत्तिका, कोअी ज्ञानवृत्तिका, कोअी सिंहवृत्तिका, कोअी भियागवृत्तिका, कोअी गोवृत्तिका तो कोअी घोड़ीकी वृत्तिका हो

सकता है। वह मानो 'प्राणीनां प्राणीं, जीवानां जीवः' है। अिसलिए मनुष्योंमें तरह तरहके लोकोंतर पुरुषोंका निमांण होना कोअी आश्चर्यकी बात नहीं है। भिक्षदर, नेपोलियन, हिटलर, परशुराम वर्गोंरा ऐक प्रकारके लोकोंतर व्यक्ति थे, राम, कृष्ण, मोहम्मद, मनु वर्गोंरा दूसरे प्रकारके; बुद्ध, महावीर, अश्विनी, कनफ्यूशियस, वर्गोंरा तीसरे प्रकारके; सॉकेटीज, शकराचार्य वर्गोंरा चौथे प्रकारके, शायद अिन सबका अश रखनेवाले गांधी पांचवे प्रकारके; अन्तर और दक्षिण ध्रुवके तथा ऐवरेस्टके यात्री, डेविड लिविस्टन जैसे मुसाफिर, महान सैनिक तथा नौसेना, हवाओं सेना वर्गोंके योद्धा छठवे प्रकारके। महान वैज्ञानिक सातवे प्रकारके। अिस तरह अनन्त प्रकार शिनाये जा सकते हैं। अिन सबमें चाहे जितनी असाधारण शक्तियां हो, हजारों दरसोंमें ऐसा ऐकाध ही व्यक्ति पैदा होता हो, अुसके पराक्रम और यग चाहे जैसे अद्भुत हों, फिर भी किसीको अतिप्राकृत या अप्राकृत 'द्वितीय' माननेकी जस्तरत नहीं है। सब प्रकृतिके ही काम हैं। क्योंकि कोअी भी ऐसा नहीं है, जो अपने खास क्षेत्रसे बाहरके क्षेत्रमें, मामूली अिन्सानोंके गुण-दोषोंसे और वृत्ति-स्वभावोंसे मुक्त हो। सबमें मानव स्वभाव ही पावा जाता है, यानी प्राणियोंका सामान्य स्वभाव और धर्म भी पाये जाते हैं; और सबमें मनुष्यको विगेषता भी पाओ जाती है। अिसलिए प्राणिधर्मोंके नियमनके लिए और मनुष्यकी विगेषताका समाजके फायदेके लिए अुपयोग करनेके लिए जो सदाचार और शिष्टाचार जस्ती माने जायें, अुनसे किसीको परे न समझा जाय और न कोअी अपने आपको अुनसे परे समझे। अित तरह मानने और मनवानेवाले दोनों दोपी हैं।

सार्वजनिक धर्म सदाचार-शिष्टाचार,  
मुक्त व्रतनिष्ठिको भी भंगका न अधिकार;  
भले बुद्ध शुद्ध चित्त सदा निर्विकार।

## चौथा प्रतिपादन

जिजासा, निरल्सता, अुद्घम ।  
 अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ॥  
 शरीर स्वस्य व वीर्यवान ।  
 अनिद्रियां गिरित, स्वाधीन ॥  
 शुद्ध, सम्य, वाणी अुच्चारण ।  
 स्वच्छ, गिष्ठ वस्त्रधारण ॥  
 निर्दोष, आराम्यप्रद, मिनआहार ।  
 सयमी, गिष्ठ स्त्री-पुस्त्र व्यवहार ॥  
 अर्थव्यवहारमे प्रामाणिकता व वचनपालन ।  
 दम्पतीमे अमीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन ॥  
 प्रेम व विचारयुक्त, गिष्ठपालन ॥  
 स्वच्छ, व्यवस्थित, देह, घर, ग्राम ।  
 निर्मल, विशुद्ध जलधाम ।  
 शुचि, शोभित सार्वजनिक स्थान ॥  
 समाजधारक अुद्योग व वत्रनिर्माण ।  
 अन्न-दृध-वर्धन-प्रधान ।  
 सर्वोदयसाधक समाज विधान ॥  
 मंत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय ।  
 रोगी-निगारितको आश्रय ॥  
 ये सब मानव-अुक्तर्पके द्वार ।  
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ॥

सदाचार कहे, गिष्ठाचार कहे, नीति कहे, या मानवधर्म कहे,  
 समाज और व्यक्तिके धारण-पोषण और सत्त्वशुद्धिके लिये ये ही नियम या  
 शर्ते हे । जो व्यक्ति, परिवार, जातियों या प्रजाये अन नियमोंको

पालनी है, ने स्मृति हो सकती है, यिनका भग शुरू होनेके बाद वे अपनी समृद्धिको ज्यादा लम्बे समय तक दिका नहीं सकती। चाहे जिस मनसदते यिन नियमोंका भग या यिनके पालनमें गिरिलता की जाय, ऐसा करनेवाले समाजको झुसते हानि ही होगी।

नह निश्चित है कि समाजके प्रति इनेवाले अपने कर्तव्योंके बारेमें लाप्तवाह, भोगरत, स्वार्थी या अजानी और बालको जैसे स्वभाववाले ती-पुत्र यिन नियमोंके पालनमें गिरिलता अवश्य दिखावेगे। यिसलिये यिनका पालन करनेके लिये समाजके नेताओं और शासकोंको हमेशा तप्त रहना होगा। अपूर बतलाये हुये धेयोंकी तिडिके लिये कमसं-कम किस तरहके खूब व्यवहारके नियम हैं, तथा लोगोंमें अुनके अनुकूल आदतें डालनेके लिये किस तरहकी अनुकूल तालीम तथा बाह्य परिस्थिति निर्माण की जाय यितका निर्गत अुस समाजके अनुभवी, विज्ञानवेत्ता और जानी-विवेकी पुरुषोंको करना चाहिये और जस्तरके सुताविक अुनमें घरन्यार नहोंचन भी करना चाहिये। मगर जिस बढ़त जो भी मर्यादाएं निश्चित की गयी हैं, वे इन समाजमें रहनेवाले सब लोगोंके लिये समन्वयपते बन्दनकारक होनी चाहिये। नजा या सतसे लेकर मजदूर या काल तक कोई भी अुनसे परे न जाना जाय। जो सामान्य मर्यादाएं निश्चित की गयी हैं, अुनसे ज्यादा कडे स्थान और नियम भले कोई व्यक्ति या सदृह अपने लिये निश्चित करे, मगर किसीको अुनके अमलमें गिरिलता करनेका अधिकार न रहे।

धर्मो और समाजकी व्यवस्था आज यिस प्रकारकी नहीं है। एक तरफते तत्त्व धन और जानका अधिकारवाद अनेकोंको अपूर बतलाये हुये सार्वजनिक स्वाचारों और गिरावचारोंके एक अवकी अवगणना बननेके छुट देता है तो दूसरी तरफते लाग, वैराग्य और मोक्षके आदर्श दृष्टरे अवकी अवगणना करनेके और अुनकी अवगणना न कर सम्बन्धित सानान्द ज्ञनाको पान्न तरफन्ते संस्कार पैदा करने हैं। इदहरनेके लिये, आजकी धर्म और समाज-व्यवस्थामें सत्ताधारी, धनिक, जानी और त्यागी सबको आलेह छोड़ने 'और उद्यम करनेके कर्तव्यसे सुकृति निली है। सत्ताधारी और धनिकको अपनी धन और भोगकी

अच्छापर मर्यादा रखनेकी ज़रूरत नहीं है; धन और स्त्री-सम्बन्धी व्यवहारमें ये लोग वेअमान और अनियन्त्रित, तथा गुरु और जानी चेपग्वाह और सामान्य मर्यादाओंसे परे और स्वतंत्र रह सकते हैं। शुद्ध और सम्मताभरी भाषा बोलनेका भार अधिकारियों, मालिकों और गुरुओं पर दोना ज़सरी नहीं है। कपड़ोंकी स्वच्छता और शिष्टताका विप्रय सच्चा, धन और आयद जाति पर निर्भर है। गरीब, सामान्य जनता और हल्की मानी जानेवाली जातियोंको कपड़ोंकी स्वच्छता तथा शिष्टताका अधिकार नहीं, त्यागी-वैरागियोंके लिये मलिनता, फ़ूहड़ता, तथा नग्रता या अर्ध-नग्रता भृपण स्वप भी मानी जा सकती है। अनिके लिये सफाई और शिष्टता निन्दाकी चीज भी हो सकती है। मगर गुरुपद पर पहुँचनेके बाद ये चाहे, तो अपने आपको अस विप्रयमें सच्चाधारियों और धनियोंकी श्रेणीमें रख सकते हैं। निर्दोष, आरोग्यप्रद और मिताहारका धर्म सिर्फ योगाभ्यास करनेवाले ही अपनी मर्जीसे भले पाले, दूसरे लोगोंको दीमारीकी झाल्तमें जवरदस्तीसे ऊसे पालना पड़े तो वात दूसरी है। पति-पत्नीके आपसी व्यवहार, वडा-वर्धन और निजी तथा सार्वजनिक स्वच्छताके मामलोमें साधारण जनतामें अराजकता जैसी स्थिति है। शास्त्रोंमें बहुत समझदारीके और अति समझदारीके भी अुपदेश भरे हैं, मगर व्यवहारमें सभी मर्यादाओं या तो टूट गई हैं या टूटती जा रही है। दूसरी तरफ पथों और सम्प्रदायोंमें ऐसे नियमोंका विवान होता है, जो खास सहलियानों और गैरमामूली — आम जनताके जीवनमें भिन्न — जीवन-न्यूननाके विना पाल ही नहीं जा सकते। अिकट्ठा करके खाना, स्वादहीन खुगक लेना, उबला हुआ अन्न ही खाना, अलूना ही खाना, कच्चा ही खाना, दुग्धाहार या फलाहार ही करना, अस तग्ह ऐकके बाद ऐक ऐसे ब्रतोंकी व्यवस्था है, जिनमें कहीं अनि खुगक ली जाती है और कहीं विलकुल अुपवास किया जाता है। और अन ब्रतोंनं निर्दोष, आरोग्यप्रद मिताहारके नियमोंकी जगह ले ली है। स्त्री-पुन्य-व्यवहारके बारेमें भी विवाहकी मर्यादामें रहनेवाले पति-पत्नी भोगमें स्वयम या विवेकयुक्त वडावर्धनकी आवश्यकताको नहीं समझते और विवाहके बाहरके धेन्वेमें सप्रदायोंके नियमोंमें दोनों तरफ अतिरेक है। ऐक नरफ तो खुले या छिपे वामाचारी पथ ह और दूसरी तरफ औरतोंके

लिये तो परदा है ही, मगर कुछ सम्प्रदायोंमें पुस्तोके लिये भी असी मर्यादावं निर्दिच्चत है, जो करीदकरीह परदे जैसी ही है। पहलेमें सबको भोगके साथ मोक्ष दिलानेकी भावना है, दूसरेमें प्रे मानवसमाजको प्रकृतिके असरसे छुड़ानेकी कामना है।

जिस तरह स्त्रीके बारेमें अतिरेक है, अुसी तरह धनसप्रहके बारेमें भी है। एक नरफ अपरिहके आदर्शको लेकर ऐसे कडे नियम बने हुए हैं कि अुनके अनुसार धातु और धनका सर्व तक नहीं किया जा सकता। मगर इसके साथ ही अुस आदर्शको माननेवाले पथोंके पास यितना धन विकट्टा होता है कि अुने समेटनेके लिये फावडेका अुपयोग करना पड़े और वह धन अुनी आदर्शको रठनेवाले अनुयायियोंकी तरफसे मिलता है। अथोत् अुन अनुयायियोंके जीवनको यह अपरिहका आदर्श छू नहीं पाता. यिसीलिये ऐसा होता है। धनको खुद तो छुआ भी नहीं जा सकता. मगर सधके लिये बेगुमार धन बड़ानेमें कोई हर्ज नहीं समझा जाता — ऐसे परत्तर विरोधी प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप नियमोंके अर्थ करनेमें विचिन्न तरोंवे अस्तित्वार किये जाये, तो यिसमें नयी वात कोई नहीं है। जैसे कि धातुके धनको तो धन माना जाय, मगर नोटको न माना जाय; देवोंके गहनों वर्चराकी धातुको छनेमें कोई हर्ज नहीं। पैसे अपने हाथमें नहीं लिये जा सकते. मगर इसके लिये नौकर रखा जा सकता है, या खात किलेके चिप्प बनाने जा सकते हैं, आदि।

जल, धल और शरीरकी त्वच्छत्ताके बारेमें भी ऐसे ही अतिरेक हैं। एक पथने ऐसी नियमरचना है कि शरीर धोते रहना, बरतन माँजते रहना, और-ओगन लैपने रहना और पानी अुजालते या छानते रहना ही तरे दिनका काम हो पड़ता है. तो दूसरे पंथमें अत्वच्छ, अमगल. अद्यंती जीवन अच्छा माना गया है। सार्वजनिक त्वच्छत्ताके बारेमें तो अनी दृष्टि ही अत्यन्त होना बकी है।

यिस नरह नियम बनानेने या तो विवेक, सदाचार, योग्यायोग्यता वर्गीकरी अवगणना हुई है या यिस वातकी परवाह नहीं की गई है कि यिन्तानते. जो कि कुदरतके बढ़नें हैं. कितने नियमोंके पालनकी अंगूष्ठा रखी जा सकती है तथा समाजके धारण-पोषण और सत्त्वसंशुद्धिके

काम किस तरह चल सकते हैं। जिस कामको चार आदमी स्वेच्छासंघी कर सकते हैं — और शायद साथ रहे, तो वे भी नहीं कर सकते — अुसकी मैंकड़ों शिाओंको दीक्षा देकर अुनसे करवानेकी अपेक्षा रखी जाती है और समाजको यह समझानेकी कोशिश की जाती है कि वे ही ओकमात्र नियम या आदर्श हैं।

अिस तरह विषयको आगे बढ़ाया जा सकता है। सधेपर्मे, ऐसे नियम बनानेकी ज़रूरत है, जिनका कोअभी भग तो न कर सके, मगर जिसे ज़रूरत हो वह अुन्हे अपने लिये ज्यादा कड़े बना सकता है। और ऐसे नियम बनानेके बाद अुनके अनुकूल बातावरण और क्रान्ति निर्माण करनेकी ज़रूरत है।

श्रेय क्या है, धर्म क्या है, समाज और राजन्यवत्थाका स्वन्दप क्या होना चाहिये, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध क्या हो, अिन सारे मामलोमे धर्मों तथा पथों द्वारा स्वीकृत या पोषित सिद्धान्तोमे और कल्पनाओमे जडमूलसे फेरफार हुये बिना यह हो नहीं सकता। आजके सारे धर्म और पन्थ व्यक्तिको मोक्ष दिलानेके लिये समाज पर ज्यादा बन्धन, पाप, दुःख या श्रमका बोझ डालते हैं, और वैसा बोझ अुठानेवालोको अुसके बदलेमे अजानी, मायामें फँसे हुए, पामर आदि विशेषण मिलते हैं।

२१-८-४७

## पाँचवाँ प्रतिपादन

पहले चार प्रतिपादनोंके विस्तारके बाद पांचवेके बारेमें ज्यादा कहने जैसा कुछ रह नहीं जाता। यह चारोंके अुपराहर जैसा है। अिसमें बतलाया गया है कि—

रसिये परमेश्वरका ही आश्रय ।

न किसी सर्जित-कस्तियतमें पैगम्बर-अद्वयरपनका निश्चय ॥

मानिये युसीको विवेकयुक्त तदाचार ।

जिससे न पोषित हो कभी भी अनाचार ॥

लेजिये सत्पुरुषोंके सत्कर्मोंका ही आधार ।

कोजिये कथाओं-गात्रोंका विवेकसे त्याग या स्वीकार ॥

न प्रमाणिये कोअी संशययुक्त आचार ।

चाहे जितना बड़ा हो आचरनार ।

या चाहे जैसे शालका भी आधार ॥

धर्म हों भले निय, नैमित्तिक, विग्रेष या साधारण ।

करे सद्का सनान रूपते पालन ॥

यिसका खुलासा करनेमें कुछ बाते पेश की जा सकती है। धर्म-अधर्मकी व्याख्या करनेमें क्या दृष्टिकोण होना चाहिये और अुते कौन निश्चित करे?

यह मानन्तर चलना चाहिये कि बहुजन समाजमें धन और भोग प्राप्तिकी विच्छाप्रकट या दीज रूपमें रहेगी ही। किसी अपवादरूप व्यक्तिने अगर वह न हो, तो असके कर्मी कारण हो सकते हैं। वह अुसकी जन्मसिद्ध लोकान्तरा या निजी साधना भी हो सकती है, या अुसके शरीर, दिमाग वैराकी कोअी खामी भी हो सकती है; किसी वक्त वे दोनों यिकट्ठे भी देखे जा सकते हैं। ऐसे लोगोंकी स्वाभाविक

या साधना द्वारा बनायी हुई आदत सबको किड हो सकती है, ऐसा आदर्श रखकर धर्मके नियम ठहगनेमें भूल होगी। साम्राज्यिक नियमोंमें जिस किस्मकी भूल ज्यादातर देखी जाती है। अुदाहरणके लिये मान लेंजिये कि किसी पुरुषको धन-ऋग्वे वर्गराके बारेमें अत्यन्त अुदासीनता या वैराग्य सिद्ध हो गये हों, जिससे अुसकी असाधारण चित्तशुद्धि और अुन्नति हुआ हो। अुसका यह वैराग्य जन्मसिद्ध या कुछ जन्मसिद्ध और कुछ साधनामिद्ध भी हो सकता है। अनेक मनुष्योंमें सात्त्विकताका कुछ अंग तो होता ही है। धर्मोपदेश और धर्ममार्गका यह अुद्देश्य होना स्वाभाविक है कि अिस अंगको पोषण मिले। मगर अिसके साथ यह भी याद रखना चाहिये कि सात्त्विक अंगको पोषण मिलना एक बात है और धन-ऋग्वे या दूसरे भोगोंकी वासनाका निर्मूल होना विलकुल दूसरी बात। वह शायद ही कभी अिस तरह निर्मूल हो सकती है या वह विलकुल निर्मूल होती ही नहीं, और वहुजन समाजके बारेमें तो यह मानकर चलना चाहिये कि अुसमें अिन भोगोंकी तृप्तिके लिये योग्य अवकाश रखे बिना छुटकारा ही नहीं है। मिर्क स्थूल कड़े नियमोंका पालन करनेसे अिसमेंसे विलकुल बचा जा सकता है, ऐसा नहीं होता, मगर होता हो तब भी वहुजन-समाज अिस रास्तेसे चल नहीं सकता। यानी ऐसे कड़े नियम वहुजन समाज मजूर करे और अुनके मुताविक आचरण कर सके, अंसा धर्म बन नहीं सकता। अिस तरह शीलके नये नये बन्धन, या आठ प्रकारका व्रहनचर्य, या स्त्री अथवा पुरुषका फरजियात अ-पुनर्विवाह, या फरजियात यावजीवन व्रहनचर्य, या फरजियात कथा-कौपीन-धारण या अपरिग्रह व्रत, वर्गराके कडे नियम, अथवा यह स्तकार बनानेका प्रयत्न कि विवाह यानी पतन, यहस्याश्रम यानी पामर जीवन, अुद्वम यानी समार-वधन, वर्गरा वहुजन समाजके लिये बेकाम और हानिकारक सावित होते हैं। नतीजा यह होता है कि पहले तो अुस पथमें साधु और समारी ऐसे दो प्रकारके अनुयायियोंकि वर्ग बनते हैं। ससारी अनुयायी नियमोंकी योग्यताको तो स्वीकार करते हैं मगर खुद अन्हें पाल सकनेकी कमज़ोरी महसूस करते हैं, और अुनमें अपनी सहाय्यितके मुताविक काट्ठांट करते हैं। नियमोंकी योग्यता माननेवाले होनेके कारण यह स्वाभाविक है कि अुनमेंसे कुछ

व्यक्तियोंको जीवनकी शुरूआतमें या अन्तमें साधु हो जानेकी अिच्छा हो आवे । जो लोग जीवनके पिछले भागमें साधु होते हैं, वे अगर वहुत कुछ स्थिर हो चुके हों, तो अन्दे ज्यादा कठिनाओं नहीं पड़ती । मगर शुरूआतके भागमें ही साधु बने हुअे व्यक्तियोंको, जब वेराग्यमें अुतार आता है और वीजस्वप्नमें रहनेवाली वासनाओं जब वारचार प्रकट होती है, तब वडी घबड़ाहट होती है । साधु तो बन बैठे, कडे नियमोंका पालन भी शायद कर लें, मगर वासनाओं शान्तिसे रहने नहीं देतीं अिसका क्या किया जाय ? साधुसंघमें से निकलते गर्म मालूम होती है और वासनाओं तो दबती ही नहीं । फिर गलत तरीकोंते वासनाओंका शमन करना या अनुके दाहको सहते रहना, ये दो ही रस्ते रह जाते हैं । अिस तरह 'त्याग न टकेरे वैराग्य विना' बाले भजनमें बतलाओंही हुओ हालत होती है । जो बहुजन समाजका आदर्श नहीं हो सकती, जिसमें किसीको जवरदस्ती शामिल करना या शामिल होनेके लिये ललचाना शोभा नहीं देता, जिस स्थितिके प्रति ख्यावसे ही आकर्षण हो तभी वह फायदेमन्द हो सकती है, अुसे सबके लिये आदर्श बतलाकर और अुसके लिये खास नियम घड़कर अनेक लोगोंको अुसके दायरेमें लानेकी कोशिश करनेसे ऐसी फजीहत होती है ।

दूसरी तरफसे नियम बनानेमें अतिरेकके कारण या देशकाल तथा विचारोंके फेरफारकी बजहते पुराने नियम चल न सकनेके कारण अथवा कठिन नियमोंका पालन करनेसे मन शुद्ध रहता ही है, ऐसा अनुभव न होनेके कारण ऐसे ख्याल बनने लगते हैं कि सच्ची शुद्धि तो मनकी होनी चाहिये. शुद्ध मनसे जो नियम पाला जाय वही सच्चा है, वाकी सब मिथ्याचार है, सदाचार या समाज-व्यवस्थाके लिये कोअी सामान्य नियम हो ही नहीं सकते. सारे नियमोंके बन्धन तोड़ने लायक ही समझे जाने चाहिये, हरयेक व्यक्ति अपनी अपनी रुचिके मुताबिक नियम बनाकर जब तक अुसे ठीक ल्लो अुनका पालन करे, और धीरे धीरे सब नियमोंके बन्धनोंसे छूटना अपना आदर्श रखे, क्योंकि "मन चगा तो कठीनीमें रंगा" — यह दूसरे प्रकारकी भूल है ।

अनेक अर्धसत्य सूत्रोंकी तरह यह सूत्र भी वहुत अनर्थकारी है । क्योंकि मन कोअी ऐसी चीज नहीं है, जिसे अगर ऐकवार धोकर शुद्ध

कर डालें, तो फिर कभी अुसपर मैल चढ़ ही नहीं सकता। वह तो कपड़े जैसा है। अुसे रोजाना अच्छी तरहसे धोयिये, फिर भी वह मैला तो होगा ही। अथवा पानी जैसा है; अुसे ऊवालकर, भाफ बनाकर फिरसे ठढ़ा करें, तो भी हवाके ससर्गमें आकर वह फिरसे दूषित हो जायगा। गाँधीका वचन है कि परमपदका दर्शन करनेके बाद मन ऐसा शुद्ध हो सकता है कि फिरसे अुसके दूषित होनेकी सम्भावना नहीं रह जाती। मगर जिन लोगोंकी परमपदतक पहुँचनेके बारेमें ख्याति है, अुन्होंने अगर आखिर तक समाजकी नियम-मर्यादाओंका पालन किया हो, तो अुन्हे अुन मर्यादाओंको तोड़कर चलनेवाले लोग पूर्णतातक पहुँचे हुओ माननेको तैयार नहीं होते, और जिन्होंने मर्यादाएं तोड़ी हों, अुन्हे मर्यादामें रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ परमपदको पहुँचे हुओ नहीं मानते। सिर्फ अेक किसकी भीस्ताकी ही बजहसे वे लोग शकर या कृष्णको मानवसमाजमें परे, पूर्णवितारकी कोटिये रखकर, अुन्हे चचकि क्षेत्रसे बाहर मानते हैं। शिव और कृष्णके लिये जो अत्यन्त भक्ति रुद्ध हो गयी है, अुसे आघात न पहुँचानेके लिये ही ऐसा हुआ है। मगर अुनके चरित्रोंको अुन्होंने अनुकरणीय नहीं माना है।

जिस तरह गतानुगतिकता क्रान्ति या प्रगति नहीं है, अुसी तरह अनवस्था और सम नियमोंका भग भी क्रान्ति या प्रगति नहीं है। फेरफार भले जडमूलसे ही हो, फिर भी वह विवेकयुक्त ही होना चाहिये।

व्यक्ति और समाजकी जम्मरतोंके बारेमें अेक फर्क ध्यानमें रखना चाहिये। यह सच है कि अगर मन दुरे रास्तेपर भटकता फिरे और सिर्फ शरीर ही बाहरी नियमों और आचारोंका पालन करे, तो जिससे व्यक्तिका नैतिक अुकर्प नहीं होता। मगर समाजकी रक्षाके लिये बहुत बार अितना ही काफी होता है। अेक आदमीकी अपने पड़ोसीकी घड़ी या लड़कीपर दुरी नजर रखती हो, तो वह अपने अुकर्पकी दृष्टिसे चोर या व्यभिचारी तो बन चुका; मगर किमी सत्यमके संस्कारके कारण वह अपनी नापाक अिच्छापर किमी भी नरहका अमल न करे, तो अुसका पड़ोसी सुरक्षित रहता है, और पड़ोसीके लिये अितना काफी है।

अिसके विपरीत, अगर वह शुद्ध अुद्देश्य लेकर ऐसा कोअी काम करे जिसमें समाजको न्यतग हो, तो अुसके अुद्देश्यकी शुद्धता समाजके प्रति

अुते निर्दोष छहरनेमें काफी नहीं होगी । अदाहरणके लिये मान लीजिये कि एक शरीर आदमीको घडीकी बहुत ज्यादा चलत है । यह आदमी अस पडोनीके घर जल्दतते ज्यादा घडियों देखता है । अनमेसे एक अुठाकर अगर वह अुस गरीबको पहुँचा दे, तो अुसके हेतुकी शुद्धता अुसे चोर करार देनेसे रोक नहीं सकती । इसी तरह पडोसीके घरको या सामानको वह वडे सेवाभावते आग ल्या दे या अुसकी लड़कीका हरण करे या अुते अपने पास चुलाये, तो अुसके हेतुकी निर्मलता सामाजिक दृष्टिसे अने अपराधी माननेते रोक नहीं सकेगी । अुसकी शुद्ध वृत्तिके कारण समाज अुते माफ कर दे या कम सजा दे, यह जुदी बात है । मगर अुसे वह बैकदर नहीं मान सकता ।

कभी कभी कहा जाता है कि भगवान मनुष्यके भावकी — हेतुकी — शुद्धताको देखता है । बाहरी — स्थूल मर्यादाओंके कम-ज्यादा पालनकी अुतके पात कोजी कीमत नहीं । बहुतते अर्धसत्य स्थूलोंमेंसे एक सूत्र यह भी है । ‘भगवान यानी क्या ? अुतके देखने न देखनेका क्या मतलब ?’ यितजी तात्त्विक चर्चा छोड़ दे और भगवानकी लोकमान्य कल्पनाको ही त्वीकार करे, तब भी यह कैत्ते समझा जाय कि भगवान यिस सिद्धान्तके शुतात्त्विक काम करता है । “भगवान भावका भूत्वा है, वह गरीबके पत्रं पुरुषं फलं तोयंते जैसा रीझता है, वैसा धनवानकी लाखों स्पर्योंकी भैंझे नहीं रीझता, दुर्योधनको मेवा त्याग्यो, साग चिदुर घर खाई — सबसे ऊँची प्रेम सगाई”, वैरा शास्त्रों तथा भक्तोंके वचन हमारी श्रद्धाके आधार है; तथा जब सज्जन पुत्र भी यिस तरह दृतते हों, तब भगवान ऐसा करे तो यिनमें कहना ही क्या, यह न्याय यितजे पीछे है ।

यिन स्थूलोंको दर अचल यो रखना चाहिये :

१. भगवान तिर्क स्थूल वर्तन या अपेणको नहीं देखता, भावको भी देखता है । वर्तन और अपेणके साथ भाव — हेतु भी शुद्ध होना चाहिये ।
२. भगवान भावपूर्वक सर्वार्पण मांगता है । मगर यिस तर्वार्पणकी कोजी अत्यन्तम मर्यादा नहीं है । और भावकी अधिकतम मर्यादा नहीं है । यदि पत्र-पुष्प ही बुद्धारा सङ्कृष्ट हो और समृण भावते हुम अने अर्पण

करो, तो अुसकी कदर पांच लाख या दो लाखमेंसे ढे क' लाख स्पयोंके दानकी अपेक्षा भगवान ही क्या — महापुरुष भी — ज्यादा करते हैं।

अिस तरह अशुद्ध मनसे किया हुआ समाज-धर्मका पालन समाजके लिये काफी माना जाता है तथा शुद्ध हेतुसे किया हुआ उसका भंग दोपर्युप गिना जाता है। गो समाजके धारण-पोषण और रक्षाके लिये जिन नियमोंका पालन जरूरी है, अनुमे पालनेवालेके मनकी शुद्धि-अशुद्धि गौण रहती है, ऐक आचरण ही महत्वकी वस्तु है। अपवादन्ध्य प्रसग नियमोंमें आ ही जाते हैं।

ये नियम बनानेमें नीचे दिया हुआ इष्टिकोण सामने रहना चाहिये :

१. समाजका बहुत बड़ा भाग मन और अिन्द्रियोंके भोगों और अनुके साधनरूप अर्थग्रातिकी, वगवर्धनकी और कुछ कर बतानेकी अभिलापाओंसे विलकुल विमुख नहीं होता, वल्कि अनुसे भरा हुआ होता है। विमुख होना मानव समाजके धारण-पोषण और अशुद्धयके लिये हानिकर भी माना जा सकता है। अिसलिये नियम ऐसे होने चाहिये, जो अिन अभिलापाओंकी पूर्तिके अनुकूल हो।

२. अिसके साथ ही यह भी खयाल रखना होगा कि अगर ये अभिलापाए नियुक्त हो जायें, तो वे भी समाज और व्यक्ति दोनोंके अशुद्धयके लिये और अन्तमे धारण-पोषणके लिये हानिकारक हो सकती हैं। अिन अभिलापाओंकी मिठि जरूरी होते हुये भी वे ही मानव-जीवनका अन्तिम साध्य नहीं हैं। अिसका साध्य तो मनुष्यमें रहनेवाली अदात्त भावनाओंका विकास और अुक्तपर है। मानव समाजको दुःखमें घसीटनेवाले अज्ञान, भुखमरी, गरीबी, गेंग, लड़ाई, अपीर्या, वैर, विप्रमता आदि कारणोंका नाश हो, और मनुष्यके ज्ञान तथा प्रवृत्तियोंका मनुष्य-मनुष्यके बीच न्य, सहयोग, प्रेम, योग्य समृद्धि, समानता, भ्रातृभाव वर्गा वदानेके लिये अप्रयोग हो, और हरओक व्यक्तिको अुसकी अप्रियोंका अन्तिन दिशामें विकास करने और समाजको अपर्ण करनेका मौका मिले — ये अिस विकास और अुक्तपरके स्पष्ट परिणाम हैं। अगर अिसीको व्यक्ति तथा समाजके धारण-पोषण और सत्त्वसशुद्धिकारी धर्म कहा जाय, तो अिस धर्मकी सिद्धि मानव-जीवनका अन्तिम ध्येय है। अिसके लिये अभिलापाओंका

विवेकपूर्वक नियमन भी चाहिये। मोटर चलानेके लिये जिस तरह ऐनिकी जरूरत है, उसी तरह अुसकी चालको कमज्यादा करने और जरूरत पड़ने पर उसे खड़ी रखनेके लिये नियामको और दानोंकी भी जरूरत है।

३. कुछ नियमोंके बारेमें दोहरी मर्यादा होती है : कमसे कम अमुक होना चाहिये और ज्यादाते ज्यादा अितना हो सकता है; जैसे कि कमसे कम अितने या ऐसे कपडे पहने हो, और ज्यादाते ज्यादा अितने या ऐसे। हरअेकको कमसे कम अितनी मेहनत करनी चाहिये और अितनेसे ज्यादा मेहनत कित्तीते नहीं ली जा सकती। कुछ नियमोंमें नीचेकी मर्यादा होती है, कुछने धूपरकी, जैसे मजदूरी कमसे कम अितनी होनी चाहिये, आमदनी ज्यादाते ज्यादा अितनी। नियम बनानेमें त्वास्थ्य, नीति और तभ्यता तीनोंका ख्याल रखा जाय।

जहाँ कमसे कम अनुक हृदयक पालना चाहिये ऐसा नियम हो, वहाँ व्यक्तिको अिस्ते ज्यादा कडायीसे पालन करनेकी हृष्ट रहे मगर ढीला करनेकी नहीं। जहाँ कमसे कम अनुक होना चाहिये ऐसा नियम हो, वहाँ दिस्ते ज्यादा रखनेकी (धूपरकी मर्यादा निश्चित न की गयी हो तो) हृष्ट दी जा सकती है। जैसे कि किती ज्ञाहपर त्रियों और पुरुषोंके लिये अल्प अगल व्यवस्था रखी गयी हो और अुसे बन्धनकारक ठहराया गया हो, तो उसका भग कोओी नहीं कर सकता। जहाँ ऐसी व्यवस्था सिर्फ त्रियोंकी रहलियतने लिये ही रखी गयी हो मगर पुरुषोंकी ज्ञाहमें नीकों जानेकी हृष्ट हो वहाँ कोओी त्वी आप्रहपूर्वक पुरुषोंकी ज्ञाहमें न जानेका नियम रख सकती है।

अिस तरह व्यक्तिको परिव्रह तथा जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें सहन दर्शानेके लिये नियमोंमें धट-कर करनेका सानान्य अधिकार रह सकता है। मगर ऐसी धट-कर करनेवी हृष्ट किसीको नहीं मिल सकती, इससे संयम दृज्ञाने के लिये तहलियन पैदा हो।

ऐसे नियम कौन निश्चित करे, वह दूसरा त्रवाल है। नुझे लगता है कि जिन्हे सानान्य बनानेका अधिकार हो, दून्हीका नीति-धर्मके कानून दर्शानेका भी अधिकार सन्तान जाना चाहिए। वह सच है कि ये सब धर्मचितक,

स्थितप्रश्न नहीं हो सकते, और हाथोकी शिनती करके कुछ बुद्धिमत्ताका माप नहीं निकाला जा सकता। फिर भी, अगर हम अनेक लोगोंको भयकर युद्ध जैसे सामाजिक जीवन-मरणके अनेक गम्भीर काम करनेका अधिकार देते हैं, तो अन्हें ये कायदे बनानेका अधिकार भी दिया जा सकता है। आखिर वे भी अल्पा-अल्पा कामोंमें अपनी मर्यादा समझते हैं, और जिस कामके लिए जो योग्य माने गये हैं, अनुकी सलाहके मुताबिक ही ऐसे काम करते हैं। अनुकी अितनी समझदारी काफी है। अनुभवके बाद नियमोंमें सुधार करनेका अवकाश तो रहता ही है।

ऐसी कोअी स्पष्ट मर्यादाओं नहीं है, जिनके अनुसार नीति-धर्म और ससार-न्यवहारके कायदोंके बीच फर्क किया जा सके। जीवनका कोअी भी कार्य नीति-धर्मसे अदृता नहीं है, और दरअसल ऐसा कोअी नीति-धर्म या धर्मकी कोअी साधना नहीं हो सकती जिसका ससारके जीवनके साथ सम्बन्ध न हो। यह ठीक है कि काल्यनिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली साधनाओं या नीति-धर्मके नियम भी होते हैं। लेकिन यदि वे सांसारिक जीवनके नीति-धर्मको तोड़नेवाले हों, तो अन्हें तुरे ही समझना चाहिये।

यह तो होगा ही कि समाज द्वारा बनाये हुओं नियमोंमेंसे कुछ नियम किसीको अड़चनस्वप मालूम पड़े और किसीको वे प्रामाणिक रूपसे तुरे ल्यो। ऐसे लोग सत्याग्रह-वृत्तिसे या जवादस्तीसे अनुका भग करेंगे। और भग करनेके ननीजे भी भोगेंगे। अनुके भगके पीछे अगर कुछ तथ्य होगा, तो समाजको आगे-पीछे अन नियमोंमें सुधार करना ही पड़ेगा। समाजकी सारी व्यवस्थामें सुधारका यही गस्ता है। और वह अनिवार्य है।

## प्रचलित धर्मोंका अेक सामान्य लक्षण

सर्वधर्म-समझावके समर्थनमें अेक बात यह कही जाती है कि सब धर्मोंमें आच्यात्मिक, पारमार्थिक और सात्त्विक जीवनके सम्बन्धमें महत्वके सिद्धान्त अेकसे ही हैं। सब धर्म परमेश्वरकी भक्ति और आश्रय तथा सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, सत्यम् वगैरा सत्त-भुगोंके अनुशीलन वगैरा पर अेकसा भार देते हैं। देश-काल आदिके फेरफारके कारण विगतोंमें थोड़ा बहुत फर्क भले दीजे, मगर उसे किसी भी धर्मके सत पुरुष ज्यादा महत्व नहीं देते। अिसलिए सरे धर्म समान आदरके पात्र हैं।

सब धर्मोंमें अेक दूसरा सिद्धान्त भी समान है, और वदकिसमतीसे वह सिद्धान्त आजकी समस्याओंका हल खोजनेमें कठिनाइयाँ खड़ी करता है। समाज-धर्मके पालनमें यह सिद्धान्त बाधक होता है, और मनुष्यको — खास करके श्रेयार्थी वृत्तिके मनुष्यको — समाज धर्मकी अवगणना करना भी सिखाता है। वह सिद्धान्त व्यक्तिकी अमरता और मोक्षका है। मनुष्यका जीतेजी अनुभव होनेवाला अपना व्यक्तित्व अनादि-अमर है; मरनेके बाद पुनर्जन्म द्वारा या स्वर्ग-नरकके बास द्वारा वह चालू रहता है, और मनुष्यका सच्चा काम अिस संसारको सुधारना नहीं, वल्कि परलोककी (यानी भविष्यमें अच्छे जन्मकी अथवा नरकका निवारण करके अखड़ स्वर्ग या निर्वाणकी) प्राप्ति है, जैहिक जीवनमें जितना दुःख अुतना ही पारलौकिक जीवनमें सुख — ये सारे सत्कार अिसमेंसे ही पैदा हुआ हैं। घरने छप्पर छृता हो, तो खुद छाता खोलकर बैठ जाना चाहिये, और अिसी तरह घरके लोगोंको भी अपनी अपनी सहृद्दियत कर लेनी चाहिये, श्रेयार्थी पर अिस तरहका बहुत तीव्र सत्कार पड़ा रहता है। रात और दिनकी तरह परलोक और अिस लोकके बीच, समाजके — सासारके — धर्मों और मोधनोंके धर्मोंके बीच विरोध माना गया है। मोक्ष धर्ममें चलनेकी अशक्तिके परिणाम त्वर्त्प समाज-जीवनमें प्रवृत्ति होती है।

अिसके द्वारा जितनी चिन्तशुद्धि हो, युतना ही अिसमें हित है। आखिरी थेय तो निवृत्ति, व्यक्तिगत साधना, अपना स्वर्ग या मोक्षस्थी परलोक है। अिससे समाजको सुखी करनेकी अिन्धा रखनेवाले, समाजकी विविध प्रगृहितियोंमें पड़नेवाले, समाजके धर्मोंका अनुसरण करनेवाले लोग अन्तमें अन्नानी, मायामें फँसे हुये ही माने जाते हैं।

अिसलिये यह स्वाभाविक है कि तीव्र श्रद्धालु आदमीके मनमें ससारके कर्मोंके प्रति अनास्था और अुनसे निकल भागनेकी वृत्ति अुठती रहे। अगर वह ससारके कामोंमें रस ले, तो वह तीव्र साधक नहीं हो सकता और ससारके कामोंमें रस लेना साधु पुरुषोंके लिये अुनका पतन भी माना जाता है। नतीजा यह होता है कि ससारकी प्रवृत्तियाँ स्वार्थी और धूर्त लोगोंके ही हाथोंमें रहती हैं।

दरअसल आत्मतत्त्व (चैतन्यशक्ति अथवा ब्रह्म) और व्यक्तिस्थपमें हरअेक देहमें दिखाओ पड़नेवाले अुसके प्रत्यगात्मभावके वीचका भेद समझनेकी ज़रूरत है। यह निष्ठित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि चैतन्यशक्ति अथवा परमेश्वर अनादि-अमर है, अिसलिये उसपेसे सुरित और अुसके आधारपर टिका हुआ व्यक्तित्व भी अनादि-अमर ही है। यह ही भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह है ही, ऐसा मान लेनेके परिणामस्वरूप समाजधर्मके प्रति अनास्था और अपने व्यक्तित्वके ही विकास और मोक्षके बारेमें श्रद्धा पैदा होती है। समाजधर्म, सेवा ये सब अपने निजी मोक्षकी सिद्धि पुरते ही महत्वके होते हैं। अगर यह कल्पना ही हो, तो समाजधर्मके ल्यागमें समाजका द्रोह ही होता है।

दूसरी ओरमें विचार करें, तो व्यक्ति मरकर दुनियामेसे नेस्त नाबृद हो जायें, फिर भी दुनियाके जीवनका क्रम और विकास म्क्तो नहीं है। पूर्वजों द्वाग माथे हुने विकास या हास, तप या पाप, अुनके द्वारा हासिल की हुओ भिड़ियाँ या पराजयों वर्गोंका लाभ पीछे आनेवाली पीछियोंको मिलता है और यिस तग्द भावी समाजके अन्यान्यतनका इतिहास प्रचल अनुभवमें आता है। पूर्वजोंका डोरा वडाजोंमें डिल्ली पड़ता है। व्यक्तिकी अवश्यित्वमें समाजकी अवश्यित्व होती है और समाजकी अवश्यित्व व्यक्तिकी अवश्यित्वमें मददगार होती है। समाजकी मददके बिना कोई भी

व्यक्ति अपना सब तरहका विकास नहीं कर सकता । “जन्मभृत्यु विच  
क्षण नहि ताता । जः न समाज होत सुखदाता ॥” (कृष्णायन) । यह हो  
सकता है कि कुछ व्यक्तियोंकी मददके दिना ही समाजको अपना विकास  
करना पड़े; मगर कहना होगा कि ऐसे व्यक्ति उनपर रहनेवाला समाजका  
कर्ज अदा नहीं करते ।

मतलब यह है कि व्यक्तित्व चाहे अनादिअमर हो फिर भी  
समाज-धर्मको ढोड़कर निजी श्रेय साधनेकी अुपासना दोषपूर्ण ही है ।  
समाजके कल्याणके लिये कोणिश करते रहना और यिसी अुद्देश्यसे  
अपनी शक्तियोंका उपयोग और विकास करना हमारी साधना होनी  
चाहिये । जिस विचारके अभावका ही यह नतीजा है कि ससार अुसे  
कष्ट देनेवाले लोगोंके हाथमे ही रह है और रहता है । जिस हद तक यह  
विचार परनेवरने निःपूर्वक छूट है, उसी हद तक ससारको भले  
लोगोंकी भद्र मिली है और मिलनी है । व्यक्तिको अपने मरनेके बादके  
अपने भविष्यकी चिता करनेकी जरूरत नहीं है । अुसे समाजके ही श्रेयकी  
चिना करनी चाहिये ।

## १०

### धर्मो द्वारा खड़े किये हुअे विष्ण

ईहिक या पारलौकिक धर्मका हेतु मनुष्यमनुष्यके बीच प्रेम, अेकता,  
सदाचार, न्याय, नीति, लुकन्य समाजजीवन तथा अनेक सद्गुण और  
अच्छी आदतें निर्माण करना होना चाहिये । वह मनुष्यके विवेक और अुत्सक्षी  
त्वत्त्र रीतिने विचार ज्ञानेकी शक्तिका विकास करनेवाला होना चाहिये । वह  
कल्यालों, वहमों आदिने धैर्यसे मानवको बाहर निकालनेवाला तथा अज्ञानसे  
ज्ञानवी ओर परावर्लन — अविज्ञानसे स्वावर्लन — शक्तिकी ओर जानकी  
जो प्रगिनानकी त्वान्विक राति है, अुसे मदद करनेवाला होना चाहिये ।  
जिस त्वमवर्ण ताथ ही प्राणियोंकी प्रकृति दैन्यने ऐन्वयकी ओर, भेगके  
अनोखते द्वारा अन्याधिक भोगकी ओर जानेकी भी है । यह प्रकृति अुसके

और समाजके विनाशका कारण होती है। फिर भी, अिसको पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता, और ज्ञवरदस्ती दबानेसे न अिसे लाभ होता, न समाजको और अिससे किसीका अुत्कर्ष भी नहीं सधता। अिसलिये धर्मका हेतु यह है कि वह दो अन्तिम सिरे छोड़कर समाजको बीचका रास्ता बार बार बतलाता रहे। चाहे जितनी पूर्णताको पहुँचा हुआ धर्म-स्थापक हो, फिर भी वह हमेशाके लिये ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकता जिससे यह हेतु सिद्ध हो। समय-समय पर हरअेक स्थान व प्रजाको विशेषताओं तथा सयोगोंके अनुसार उसमे बार बार घट-बढ़ तथा बड़े बड़े परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। धर्मके मूल आधारस्तम्भ — सिद्धान्तोमेसे कुछ सनातन हो सकते हैं, मगर अुसके विगतवार विधिनियेध सनातन नहीं हो सकते। यह बात नहीं समझनेसे, अिसे भूल जानेसे, जो धर्म मनुष्योंके मार्गदर्शक होने चाहिये, वे ही अन्हे भ्रममे डालनेवाले, भटकानेवाले और विपत्तियोंमे ढकेलनेवाले हो गये हैं। जितने बड़े बड़े धर्म आज प्रचलित हैं, वे सब अिस आधेपके पात्र हैं। औश्वरप्रणीत माने जानेवाले (रिवील्ड या अपौरुषेय) धर्म तो और भी ज्यादा प्रमाणमे।

हमारे देशके कअी राजकीय शकल ले लेनेवाले सवालों और झगड़ोंके मूलमे उत्तरने पर पता चलेगा कि प्रचलित बड़े-बड़े धर्मोंके प्रति रहनेवाली गलत श्रद्धाओं तथा अुनके बड़पनके बारेमे झूठे अभिमानोने अन्हे पैदा किया है। ये अब धर्मके मार्ग नहीं रहे, बल्कि ऐसे टूटे हुओ, मिटे हुए अवगोप हैं, जिनमेसे गुजरनेकी कोशिश मानव समाजको भयकर जगलम्हे ही ले जाती है। और मोहवग हम सब अपने-अपने रास्तेको सच्चा मानकर अबड-खावड़ पगडण्डीको ही दुर्स्त करके अुसे पक्की बनानेकी कोशिश करना चाहते हैं।

स्मृतिकारोने किसी समय धर्मों और वर्णोंकी अुच्चता-नीचताकी कल्पना की, उसके अनुसार विवाह, विरासत, छुआदून, सकरना-शुद्धता, सज-क्षमा वर्गोंके कायदे बनाये और जातिभेदकी नींव डाली। अुस समय शायद यही हो सकता होगा। मगर हमारे लिये ये सनातन सिद्धान्त बन बैठे। ये शास्त्र अब प्रामाणिक नहीं रहे, ऐसा कहनेकी हिम्मत कौन करे? अब भले ऐसा ल्ये कि क्रियोंके अधिकार विशाल करने,

विरासतके नियम बदलने, विवाह-न्वयनोंमें फेरफार करने, छुआछूत हटाने और वगान्तर-धर्मान्तर विवाहोंको मान्य रखनेकी कस्तरत आ पड़ी है। चालतकी भद्रते हम चाहे वह सब करनेमें सफल भी हो जायें, मगर तनातन हिन्दू धर्मों तो अिस तरकी धर्मका लोप या कल्युगका प्रभाव ही मानेगा। छुआकृ हिन्दू अितनी हृद तरकी चाहे न जाय, मगर आदरके त्वपने तो वह जैता कुछ मानता ही है : जैते कि, किसी न किसी त्वपमे वर्ग-न्यवस्थाका जीर्णोदार करना ज़हरी है; पुनर्विवाह और तलाकके कानूनोंने राता भले कर दिया हो, मगर वह प्रशत्त नहीं है; सिर्फ कानूनों विवाहते विधि पूरी नहीं होती, युत्सके साथ ऐसा कुछ रखना ही चाहिये, जिसके पुरने शातों और विधियोंकी कुछ प्रतिश बनी रहे, वर्गान्वर्गान् । वह शगणतिको न भाने, फिर भी गणेशोत्तव मनाता है; नागपूजानों न भाने, फिर भी नागपञ्चमीका दिन पालता है, वह अवतारों तथा देवोंकी विडम्बना करे, उनके स्तिनेना और नाटक खेले, फिर भी उनके दिनों और नहिनको भूलने नहीं देता ।

यही बत उत्तमानों, तिक्तवों कर्माके बारेमें भी है । कुरानने चार अैतें कर्त्तव्यी जिज्ञासत दी है । अब कौन जिन्तानी ताक्त उत्सको वापर्त लेनेकी हिन्तत कर सकती है ? कुरानने गायको मानेकी मनाही नहीं की । तब किसी भी जिन्तानी ताक्तको कुते रोकनेका अधिकार ही नहीं हो सकता । युह गोविन्दलिले पांच के रखनेकी आज्ञा दी है; जितलिले जो उत्सु छोड़े, वह तिक्तव नहीं; जो ठोड़नेके लिये कहता है, वह तिक्तव धन्यव इत्यत्त्वा करता है । और ये ही तत्त्व जिन्तानोंके झगड़ों-पक्षों वर्गाकी उत्पत्तिके करा है ।

जिन उठना कारा क्या ? कारण है : वेद अपौर्वक्य है, त्यूतिकार त्रिकाल्ज द्ये वादिवल और कुरानमें अीक्वरकी वाणी है, युत्त्वाक्य लविचारीय है — कौरा श्रद्धालै ।

विविध त्वपोंने तृतीयज्ञ और उत्सुके अनेक नये नये प्रकार निर्माण करनेजा और उत्सुके पीछे जिखनकी नदियाँ बहनेका अनिष्ट भी प्रचलित नहान् धर्मोंकी ही विछ्ले २५-३० त्वत्तोंने कलहका कारण हो पड़नेवाली विएत्तर है । हजारों वर्षोंतेरे रजाओं तथा दडे दड़े वर्तों और चेनापतियोंके

अपने अपने खास झडे तो रहते ही आये हे । हम पढ़ते हैं कि महा-भारतके युद्धमें पांचों पांडव, द्रुपद और अुसके लड़के, कौरव सेनापति वर्गारा सर अपने अपने खास झडे रखते थे । यूरोपमें भी ऐसा था । किसी योद्धाको दूरसे पहचाना जा सके, यही अिसका एक अुद्देश्य था और होना भी चाहिये । अिस झडेको तोड़नेका मकसद यह था कि अुस योद्धाको कोआई पहचान न सके और अिस तगड़ वह अपनी फौज या दोस्तोंसे अल्पा पड़ जाय । अिसमें अिस झडेका अपमान या पूजा वर्गारकी भावना नहीं थी । अिस तरहके घज-वटनका हिन्दुस्तानमें कोआई रिवाज कभी गहा हो, ऐसा पठनमें नहीं आता । यह चीज पहले पहल अीसाअी यूरोपमें दाखिल हुयी । क्योंकि अीसाअी प्रजाओंने अपने धर्मका पूज्य चिन्ह 'क्रास' झडेपर बनाया । पुराने अीसाअियोंमें मूर्तिपूजाका संस्कार बलवान होनेके काण्ण कासका निशान चाहे जहाँ और चाहे जिस कारणसे दिखाअी पड़, वह वदनीय बन जाता था । अुसमें देवतकी भावनाका आरोप हो जाता था । अिस तगड़ झडा पूज्य बना, और जिस योद्धाका वह झडा हो, अुसके दुश्मनोंके लिए अुस योद्धाका अपमान करने या अुसे छेड़नेका सरल साधन बना ।

मुसलमानों और अीसाअियोंके बीच होनेवाले धर्मयुद्धों (क्रुसेडो)में झडा आसानीसे खून-खराबीका कारण बना । अिसमें अपने राजाकी, राज्यकी, धर्मकी, अिस तरह कठीकी आपल्का समावेश हुआ ।

मुसलमानोंका मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म भी अिस झडा-पूजनकी घूससे नहीं बचा । राज्य हो, वहाँ झडा तो रहेगा ही । दूरसे पहचाननेके लिए यही मौजूद चीज मानी जा सकती है । मगर मुसलमान बादगाटोंका झडा भी मुनिल्लम धर्मके माथ जुड़ गया । मूल पैगम्बर या पहले खलीफाका झडा नीला और चॉद-तारेके निशानबाला गहा होगा, अिसलिए वही अीसाअियोंके क्रॉसकी तगड़ अिस्लामका बुन बना । फिर भी अमुक दिन और अमुक तर्गिमें झटा चगना, अनागना, अुसे मलामी देना बंगरा कर्मकाट मुम्लिम राज्योंमें होते होंगे, जैसा नहीं ल्याता ।

हिन्दुस्तानमें त्रिलिंग गजके आरंभने पहले झडेका किसी जीते जनेवाले या जीते हुओं न्यानके माथ या प्रचंश लडाअीमें जहाँ समन्व न

हो, वहाँ सिर्फ अुसीकी अिज्जत या टेक रखने या अुसे तोड़नेके लिअे कहीं खून-खराबी हुअी हो, औसा कर्ही पड़नेमे नहीं आता ।

विठ्ठि राज्यने हिन्दुस्तानमे झडेके रूपमे मूर्तिपूजाका एक नया प्रकार दाखिल किया । अिस मूर्तिपूजा-परायण देशमे हिन्दू राजा बहुतसे थे, मुसलमान वादशाह भी बहुतसे थे । मगर किसीका एक झडा नहीं था । कोओी झडा सिर्फ हिन्दू धर्मका ही चिह्न माना जा सके, औसा नहीं था । जिस तरह दूसरे राजाओके अपने झडे थे, अुसी तरह गिवार्जीने भी एक पसन्द किया था । वह भगवे रगका था, जिसपर कोओी दूसरा निशान नहीं बना था । मगर भगवे झडेकी या किसी मन्दिरकी ध्वजाकी भी बन्दना करनेकी किसीने कर्खना तक नहीं की थी ।

किसी मूर्तिपूजापरायण कांग्रेसके मेम्बरको झडा पूजनकी छूत लगी । अुसने यह छूत गांधीजीको ल्याअी और अुसकी झडपमे वे आ गये । फिर यह सारी कांग्रेसमे फैली, और अुसके विरोधियोंको भी दूसरे रूपमे लगी । चरखेके निशानबाला तिरंगा झडा पैदा हुआ, अुसके विरोधमे यूनियन जैक तो था ही, लीगका नीला — चॉद-तारेबाला झडा, हिन्दू महासभाका भगवा झडा और दूसरे छोटे-बडे दलोंके कभी किसके झडे बने । कोओी देश जीतने नहीं थे, जीते हुअे नहीं थे, कोओी युद्ध नहीं चल रहा था या कोओी फौज नहीं थी, जिसके आगे अिसे रखा जाता, फिर भी अिसने पक्षका — टेकका — झगडा खडा किया । नागपुरके मूर्ख हाकिमोंने अुसके लिअे निमित्त देकर अुसे अहमियत दी । झडा पूजनीय मूर्ति बना । अुसपर स्त्री-पुत्रोंके खून दहे ! तिरंगा आगे आवे, तो लीगका झडा क्यों पीछे रहे ? और हिन्दू महासभा अिसे कैसे चुपचाप मान ले ? अिस तरह लाल (या केनरी), सफेद, नीला, भगवा रग और चरखा या चक्र, या चॉद-तारेका निशान मनुष्योंके लिअे एक-दूसरोंके सिर फोड़नेके निमित्त बने । केनरी यानी बलिदान, सफेद यानी शान्ति, नीला यानी अमुक, वगैरा तो मनुष्यके दिये हुअे कल्पित अर्थ है । जिन रगोंने अन भावनाओंको चुरक्षित रखा हो, औसा कभी नहीं देखा गया । झडेका चरखा सृत नहीं निकाल सकता, न अुसका धर्मचक्र धर्म कायम कर सकता; मगर वे सद झुठी मोहम्मदता और खूरीजीकी भावनाको बढ़ावा देते हैं और यह तो

प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि अिसीमेसे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके दो राजकीय प्रदेश खड़े हुअे । अगर अडा सिर्फ पहचानका ही चिह्न होता और अुसका सिर्फ अितना ही अुपयोग समझनेका सस्कार होता, तो वहुतसी गिला वजह होनेवाली ख़्वरेजी रुक सकी होती ।

ऐक सोचने लायक बात यह है कि 'रिलिजियन' या 'मजहब' के अर्थमें धर्म गव्दका अपयोग अभी अभी ही किया जाने लगा है । सस्कृत भाषामें मत, पथ, सम्प्रदाय, दर्शन, गाल्लवाद वगैरा गव्द है, अिन जुदे जुदे पन्थोंको मान्य हो, ऐसे धर्म अथवा आचार भी हैं, और अिस तरह सृष्टि-धर्म, रुद्धि-धर्म, पुराणोक्त-धर्म वगैरा भी हैं, मगर वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू धर्म जैसा भाषा-प्रयोग हालमें ही पैदा हुआ है । अपने अपने सम्प्रदाय या दर्शन द्वारा मान्य किये हुअे शास्त्रोंका समन्वय और ऐकवाक्यता करनेकी हरअेक मतवालेने कोशिश भी की है । मगर अलग अलग मतों या पन्थोंका या अनेक शास्त्रोंका समन्वय या ऐकवाक्यता करनेकी कोशिश नहीं हुअी । अिसे सम्भव नहीं माना गया कि वेद मत, जैन मत, बौद्ध मतकी ऐकवाक्यता की जा सकती है । ऐसा कोजी नहीं कहता कि श्वेताम्बर पन्थ और दिग्म्बर पन्थ, शैव सम्प्रदाय और वैष्णव सम्प्रदाय, सांख्य-दर्शन और वेदांतदर्शन वगैरा वगैरामें ऐकवाक्यता है । यथादसे यादा अिन सबमें विचारकी क्रमिक प्रगति या समानता दिखानेकी कोशिश होती है । अलग अलग मतों, दर्शनों वगैराको माननेवालोंके प्रति सहिष्णुता रखते हुअे भी हमारे यहाँ अुनकी आलोचना करनेमें कभी सकोच नहीं किया गया, न यही माना गया कि अुनकी आलोचना की ही नहीं जा सकती । अिस बातको स्वीकार किया गया है कि 'शास्त्रार्थ', 'न्यायन-मण्डन' आदि करनेका अधिकार सबको है ।

सच पूछा जाय, तो जैसे वैदिक मत, जैन मत, बौद्ध मत है और अुनमेंसे हरअेकमें अनेक सम्प्रदाय, दर्शन, पथ कहे जा सकते हैं, वैसे ही अिस्लाम और अीसाई मत भी हैं । हरअेक मत अुसके माननेवालेको सोलह आने सच मालूम होता हो, मगर दूसरे मतवालेको वह कुछ सच्चा और कुछ झटा या विलकुल झट भी लग सकता है । झट ल्याते हुअे भी वह भले अुसके प्रति सहिष्णुता रखे, विनय-आदर बतावे, विनय-आदरसे

अुते जाननेकी कोशिश करे, मगर यह मजूर नहीं किया जा सकता कि अुसके विचारों और आचारोंकी सत्यासत्यताकी आलोचना नहीं की जा सकती, या ऐसा करनेका किसीको अधिकार नहीं है। अगर इसे मजूर कर लिया जाय, तो सत्यकी गोध और असत्यके त्यागका रास्ता ही बन्द हो जाय। मगर मतोंके लिये धर्म या मजहब शब्दका प्रयोग करके, अुसकी अुत्सत्तिके बारेमे अुस मतके अनुयायीकी शब्द — अीश्वर-प्रणीतता यानी सत्यता — दूसरे मतवालोंको भी मान्य रखनी चाहिये, ऐसा सत्य-शोधनका विरोधी आप्रह ऐदो हो गया है।

विचार करने पर मालूम होगा कि गलत शब्दों द्वारा बहुतसे अनर्थ पैदा होते हैं। अपर कहे नुतांदिक 'मजहब' या 'रिलिजियन'का सच्चा अर्थ 'मत' है। मगर इसके लिये 'धर्म' शब्दकी योजना हुआ। जिस तहिएपुत्राके ददले 'समभाव'की योजना हुआ। इस तरह परमत-सहिष्युताके अर्थमे सर्वधर्म-समभाव शब्द बना। और समभावका मतल्ल तहानुसृति या आदर नहीं, कल्कि 'ऐकभाव' (=सन् धर्म ऐक ही है) और अुससे आगे बढ़कर वह 'ममभाव' (=सन् मेरे हैं) तक पहुँचा।

ऐक तरफसे ऐसा ला तकता है कि यह सब हिन्दुओंकी ऐक दुर्जित ही है, और इसका अुद्देश्य कठीनी हुआ धर्मान्तरकी प्रश्नितिसे आल्पज्ञा करना है। अगर यह मान लिया जाय कि हरऐक धर्म सच्चा है, नोलदायी है, तो धर्मान्तरकी जट्टत ही न रहे। जिस धर्ममे जो पैदा हुआ है, अुते सच्चे दिल्ले पाले अितना वस है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः पदधर्मे भयावहः। यहाँ धर्म शब्दका अर्थ मत — सम्प्रदाय — नहीं है, यह कहनेकी जट्टत नहीं होनी चाहिये। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जैनते वैष्णव या वैष्णवते जैन मत स्वीकार नहीं किया जा सकता या अद्वैतवादी वातावरणमे पला हुआ व्यक्ति द्वैतवादी नहीं बन सकता। नाभाजिक धर्म — जिहे मामूली तौरपर वर्गश्रिम धर्मके नामते पहचाना जाता है — अपने अप्ने स्वभाव, विकाग, सत्कार वैराग्य चलती हैं और उनका प्रचार होता है। जैसे जैन, बौद्ध, तिक्ति आदि मत हैं

और अनका स्वीकार-त्याग किया जा सकता है, अमी तरह मुसलमान-अंसाओं का भी स्वीकार-त्याग करने और अनका प्रचार या खण्डन-मण्डन करनेमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। अिसमेंसे राजकीय समस्या खड़ी होनेकी जस्तर नहीं है।

मगर हुआ ऐसा ही है, और मत बदलनेकी प्रवृत्ति, जिसे धर्मान्तर प्रवृत्तिका नाम दिया गया है, एक बड़ी समस्या बन बैठी है। अिस समस्याका सच्चा स्वरूप समझनेमें धर्म शब्दके गलत अुपयोगके कारण हम खुद गलत रस्ते चल पड़े हैं।

हकीकत यह है कि इस्लाम तथा अंसाओं धर्म सिर्फ मतान्तर नहीं करते, बल्कि समाजान्तर भी करते हैं। कोअी जैन वैष्णव बनकर गलेमें कठी पहने तथा कृष्ण-मन्दिरमें जाय और गीता-भागवत पढ़े, या वैष्णव जैन बनकर कठी तोड़े, अपासरे (जैन साधुओंके रहनेकी जगह) में जाय और जैन-पुराण सुने, तब भी अुसके सामाजिक और घरेलू धर्म-कर्म तथा स्थान, वश-विरासत-विवाह वर्गोंके अधिकार आदिमें फेरफार नहीं होता। अुसका नाम-ठाम नहीं बदलता। मगर मुसलमान या अंसाओं होते ही वह सर बदल जाता है। तब अुसकी पत्नी अुसकी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता। अुसके सम्मिलित कुटुम्बके, विगसतके तथा मिलियतके अधिकारोंमें फर्क पड़ जाता है। अिस तरह मतान्तरके साथ समाजान्तर होनेसे प्रजामें समाजमें निर्माण होता है — हुआ है। और अिस तरह समाजकी अेकता भग होनेका नतीजा दो प्रजाओं — दो नेगन्स — का वाद और अुसके फल है। जो ज्ञगज्ञ है वह अहंकार, गोड़ या अंग्रेजका नहीं, एक देव या षुष्ठेवोंका भी नहीं, बल्कि कुरान, दाइविल तथा स्मृतिमें द्वारा निर्मित अल्पा अल्पा क्रिस्मके सामाजिक अधिकारों, कर्तव्यों और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधि-नियेधोंका है। अगर सामाजिक कायदे एक प्रदेशमें रखनेवाली सारी प्रजाके लिये एकसे ही रखनेका लाजमी नियम हो, और साथ ही परमत सहिष्णुता भी हो, तो अनेक तरहके मत-विवरण होनेमें भी मुश्किलें पैदा न हों।

अिस तरह धर्मान्तर = मतान्तर + समाजान्तर, और विविध धर्म (= मजहब) = विविध आध्यात्मिक मत + विविध सामाजिक कायदे।

जिनमेसे अगर योग्य मर्यादामे रहकर सिर्फ विविध आध्यात्मिक मतोंका ही प्रचार हो और चाहे जिस तादादमे ऐक मतके मनुष्य दूसरे मतमे शामिल हों, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अुससे अङ्गचने पैदा होंगी ही। सर्वधर्म-समझाव नहीं बल्कि परमत-सहिष्णुता ही हो, तब भी सब सुखसे रह सकते हैं। मगर मतान्तरके साथ अुस मतवालोंको किसी खास समाजके कायदोंके अनुसार चलने या अुससे वे मान्य रखनेकी छूट नहीं होनी चाहिये। यिस मामलेमे कायदोंका 'अत्यमतवालों'का — यानी विशिष्ट धर्म या मतवालोंका — अधिकार मान्य रखनेसे भिन्न भिन्न, ऐक दूसरेसे ऐकरूप न हो सकनेवाले समाजोंका अस्तित्व याल नहीं जा सकेगा, और यिसकी समस्याए खड़ी होती ही रहेगी। यह बतलानेसे यिस समस्याका अन्त नहीं होगा कि अीश्वर, सद्गुण और पवित्र जीवनके सम्बन्धमे सब धर्म ऐकमत है, क्योंकि ये ह्यगडे अीश्वर, सद्गुण या पवित्र जीवन सम्बन्धी मतोंके बारेमे नहीं, बल्कि नेरे और दूसरोंके समाजके अल्प होनेसे पैदा होनेवाली राजकाय, आर्थिक बंगाल स्वर्धाओंके हैं।

जिस हृद तक लैसे समाजान्तरका कारण आजके धर्म हैं, अुसां हृद तक वे प्रजाकी समस्याओंका अन्त करनेमे विभ्रस्तप हैं।

११

## भाषाके प्रश्न - पूर्वार्थ

यह हमे अच्छी तरहते याद रखना चाहिये कि पाकिस्तान प्रकरण हिन्दुओंकी समाज-रचना और अन्के स्वभावका नतीजा है। हमारा चौका दूसरोंते बिलकुल जुदा होना चाहिये। अुसमे किसी दूसरेको शामिल नहीं करना चाहिये, हमारी विशिष्टता ऐसी होनी चाहिये कि अधा भी उसे देख सके, यह हिन्दू जनताका — या जनताका नहीं, बल्कि हिन्दू पडितों, नेताओं तथा झूची कही जानेवाली जातियोंका स्वभाव और आग्रह ज्ञ शया है।

यह दात नहीं है कि ऐसा समाज कभी सुधरता ही नहीं या प्रगति ही नहीं करता। मगर वह यिस सुधार या प्रगतिको बुद्धिपूर्वक नहीं अपनाता।

जवरदस्तीसे कोअी सुधार अुसमे दाखिल किया जाय, तो काफी समय बीतनेपर वह अुसके आधीन हो जाता है। और सिर्फ आधीन ही नहीं होता, वल्कि वह मानो शुरूसे ही अुसके सामाजिक जीवनका अग था, ऐसा समझकर अुसके प्रति ममता भी रखने लगता है। सुवारोंके सम्बन्धमे हमारी वृत्ति रेलगाड़ीके मुसाफिरों जैसी है। डब्बेमे जगह होते हुए भी अगर नया मुसाफिर बैठनेके लिये आवें, तो पहले अुसे रोकनेकी कोशिश करना। मगर वह जवरदस्ती द्युस जाय, तो पहले योड़ी देर तक क्रोध दिखाना और बादमे उसे दोस्त बना लेना। फिर कोअी तीसरा मुसाफिर आवें, तो नये और पुराने दोनोंने मिलकर बैसा ही व्यवहार अिस तीसरेके साथ करना।

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कारिक, वैगंग जीवनके किसी भी पहलूकी हम जाँच कोरें, तो हमारे अिस स्वभावके हमे दर्जन होंगे। अिसमेसे यहां हम भाषाके प्रश्न पर विचार करेंगे।

अिसमे शक नहीं कि हमारी मौजूदा प्रान्तीय भाषाओंे बहुत ज्यादा अंगोंमे स्वस्त्रत भाषाकी खाद चूसकर बड़ी हुओं विविध ल्ताये हैं। मगर जब हम ‘बहुत ज्यादा अंगों’का मतलब सौ फी सटीके बराबर समझने लगते हैं, तब दो-तीन प्रकारकी भूले होती हैं। पहली यह कि स्वस्त्रत खादका बहुत बड़ा भाग होने पर भी अुसमे दूसरी भाषाओंका खाद भी है ही, और हम यह भूल जाते हैं कि स्वस्त्रत अपने साहित्यिक स्वरूपमे नहीं, वल्कि प्राकृत अथवा विकृत (यानी विगड़े हुओं) स्वप्नमे भी है। अिस कारणसे ओक ही स्वस्त्रत शब्द अलग अलग भाषाओंमे अलग अर्थोंमे काममे आता है, और ओक ही अर्थमे अलग अलग भाषाओंे अलग अलग स्वस्त्रत शब्दोंको भी काममे लेती है, अिसे हम भूल जाते हैं। दूसरी भूल यह होती है — हम ऐसा मानने लगे हैं कि मुसलमानों और अंग्रेजोंके आनंद पहले मस्कून परिवारसे स्वतंत्र भाषाओंे बोलनेवाली मानो कोअी प्रजायें अिस देशमे थीं ही नहीं, अथवा अगर थीं भी, तो अनुकी बोलियोंका हमाने मौजूदा भाषाओंमे कोअी हिस्सा ही नहीं है। सच बात तो यह है कि हमारी प्रचलित भाषाओंे स्वस्त्रत (तस्म या तद्व) + स्थानीय और पुरानी या नयी आयी हुओं एकी प्रजाओंमी भाषाओंसे अच्छी तरह

मिथित हैं, सिफ़ सुखलमानी (फारसी-अरबी) या अग्रेजी भाषाओंसे ही नहीं। तीसरे, हम यह बात भूल जाते हैं कि खुद साहित्यिक सत्कृतमें भी दूसरी भाषाओंके शब्द आ गये हैं। उसमें द्राविड़ी भाषाओंके कभी शब्द तत्त्वम या तद्वच (यानी सत्कृत-कृत) रूपमें हैं तथा ग्रीक वर्गोंमें भी कभी शब्द हैं। अपनी दृष्टिसे हम इन्हे सत्कृत बनाये हुए जानते हैं, मगर जिन भाषाओंको बोलनेवालोंको दृष्टिसे वे विकृत या तद्वच ही जाने जायेंगे। जिस तरह सत्कृत या कोअी भी प्रचलित भाषा हैंती नहीं है, जिसने दूसरी भाषाओंके शब्दोंका मिश्रण न हो। मगर अनु पिछले निश्चयोंको हनने पचा लिया है और अनुके प्रति हमारे दिलोंमें मोह भी पैदा हो गया है। हम ऐसा भी मानने लो हैं कि जिससे हमारी भाषा निझी नहीं, बल्कि बड़ी है, उसे प्रांतीय विशिष्टताये प्रात हुओ हैं, तुद सत्कृतको अपेक्षा ऐसे स्थानीय शब्द ज्यादा प्लॉट करने लायक हैं। तम्भव है कि जिन जिन जमानोंमें ऐसी निलावट हुओ, अनुनन्दे जिसका स्वागत नहीं हुआ हैगा, मगर अनिवार्य हो दृष्टिके द्वारा जिनके प्रति नमता पैदा हो गयी होगी। जैसी कितनी भाषाओंकी नदियों हमारी नौज़दा भाषाओंमें मिली हुओ होगी, जिसे गिनाना भी चुस्किल है।

सुखलमानों और अग्रेजोंके आनेके बाद उनकी भाषाओंके शब्दों, नामों, परिभाषाओं वर्त्तरका हमारी भाषाओंमें दाखिल होना कोअी आन्वेनी बात नहीं है। उन्होंने हने जीता, हम पर राज किया, हम राजन्दा किया, जिसका भले ही हमें दुख हो, मगर जिससे भाषाओंकी या सत्कृतियोंकी निलावटके बरेमें श्रेष्ठ करने जैसी कोझी बात नहीं है। ऐक नज़का दूसरी प्रजाते समन्ब दैधनेके अनेक निमित्त होते हैं। जिस तरह पड़ोस व्यापार, प्रवास, साहित्यप्रेम वर्गोंके द्वारा समन्ब बैधते हैं, उक्ती तरह हिंसारायग जातने आन्मग और हारजीतके द्वारा भी समन्ब बैधते हैं। सद्दे अच्छेद्दुरे नतीजे होते हैं। सद्दे ऐक दृक्षेरकी भाषा और सत्कृतिर अच्छेद्दुरे अस्त होते हैं। जिसकी जो विनेता हो, उसे बज्जा करनेवाले खात शब्द भी उक्ती भाषाने होते ही हैं। हे सज्जा है कि उसे व्याक प्रकट करनेवाले कोअी शब्द दूसरी भाषाने

न हो। ऐसे वक्त अपनी भाषाका कोअी नया शब्द बनानेकी बात सामान्य जनताको नहीं सूझती; क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक नहीं है। अगर कभी अुसके समान अर्थवाला दूसरा शब्द मिल जाय, फिर भी नया शब्द काममें लानेमें ज्यादा सुविधा हो सकती है। अिसके परिणामस्वरूप या तो ढोनों ही शब्द चल जायें, या फिर नये शब्दके सामने लोग अपने शब्दको भूल भी जायें। दो असमान धाराये जब मिलती हैं, तब वडी या जोखार धारा छोटी या कमजोर धाराको रोक देती हैं; ऐसा जिस तरह पानी और हवाके बारेमें होता है, अुमी तरह भाषाओंके बारेमें भी समझना चाहिये।

एक दूसरेको अपने मनकी बात समझानेके लिये ही भाषाका प्रयोग होता है। अिसमें बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज्यादा महत्वकी चीज है। “आँखके खास डॉक्टर”में सकृत, अरनी और अग्रेजी भाषाओंके तद्देव हैं। फिर भी “अधिक-चिकित्सा विशेषज्ञ” या ऐसा कुछ लिखा हुआ पटिया कोअी ल्पावे, तो मामूली आदमी अुसे आसानीसे समझ नहीं सकेगा। धवा करनेकी अिच्छावाला कोअी भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। डॉक्टरके बदले वह वैद्य या हकीम भी नहीं लिखेगा। क्योंकि अिससे अुसकी विशेष चिकित्सा-पद्धतिके सम्बन्धमें भ्रम हो सकता है। भाषा-शुद्धिकी दृष्टिसे यह बहुत बड़ा सकट है, मगर भाषा-शुद्धि कोअी स्वतंत्र रीतिसे की जा सकनेवाली चीज नहीं है। भाषा जब खुद ही जीवनका साध्य नहीं, वल्कि सावन है, तब उसकी शुद्धिके बारेमें तो क्या कहा जाय?

परन्तु सुसल्लमान और अग्रेज चूंकि हमपर हमला करें, हमे हराकर आये हैं, अिसलिये अिसमें पदा हुओ हीनताग्रहसे हमारे मनमें अिनकी भाषा, मन्त्रनि, लिपि वर्गों सरके प्रति अन्वचि पैदा हो गयी है। यह अन्वचि यहाँ तक बढ़ी कि ‘यावनी’ या ‘म्लेच्छ’ भाषाका शब्द कानोंमें पड़ जाय, तो अटकर नहानेवाले भी हमारे यहाँ हो गये हैं। अिससे अिन भाषाओंको हमारे जीवनमें दाखिल होनेसे हम रोक तो नहीं सकें, मगर यह अन्वचिकी भावना अभी हमसे दूरी नहीं है। अिनकी भाषाके जिन शब्दोंको हमारी जनता किनी ही पीछियोंमें काममें लाती रही है,

अन्हे बदलनेकी हम कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश, जहाँ दो समान और सामान्य शब्द प्रचलित हो, अन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन प्रजाओं द्वारा दाखिल की हुअी विजिष्ट विद्याओं और प्रणालिकाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले खास शब्दों तक भी पहुँचती है। माना कि 'कप्पनी' के लिये 'भागीदारी' शब्द अच्छी तरह चल सकता था, और भागीदारी कोयी अग्रेजों द्वारा दाखिल की हुअी स्थानहीं थी, यह भी सच है। मगर पेड़ी (दुकान)के नामके साथ 'भागीदारी' शब्द जोड़नेकी चाल हमारे देशमें पहले नहीं थी। यह चाल हमने अग्रेजोंके पाससे ली, अिसलिये ज्यादा बारीकीमें न जाकर अग्रेजों द्वारा 'कप्पनी सरकार' शब्दके रास्ते ही परिचित कराया हुआ 'कप्पनी' शब्द हमने भी ले लिया। और सौ-डेव्सी वरसों तक अिसका अपयोग करते रहे। अब अगर अिसके बदले 'भागीदारी' शब्द भी नहीं, बल्कि 'प्रमङ्गल' शब्द दाखिल करनेकी कोशिश करें, तो अिसे द्वेषे अभिमानके सिवा और क्या कहा जायगा? अिसी तरह Transfer-entry के लिये 'हवाला' शब्द रुढ़ है; मगर यह तो मुसलमानी भाषाका है। यह हमारे मिथ्याभिमानका पोषण नहीं कर सकता। अिसलिये 'स्थानांतरण-प्रविष्टि' शब्द सुझाया गया है। अिसी विचारधारके अनुसार agreement और 'करार'के बदले 'सविदा' और agreement-deed — 'करानामा'के बदले 'सविदालेख' अथवा 'सलेख' जैसे शब्द सुआये गये हैं। अिस तरह साहित्य और भाषाके क्षेत्रमें जीवनके ऐक ऐक विषयमें प्रयुक्त अरबी-फारसी-अग्रेजीके रुढ़ शब्द निकालकर सत्कृतका जीर्णोदार या नया अवतार करनेकी 'भद्रभद्र' वृत्ति पैदा हो गयी है।

जैसा कि पहले ही लेखमें कहा गया है, हमारे विचार आज दो परत्पर-विरोधी दिशाओंमें काम कर रहे हैं। ऐक तरफ तो हमे हिन्दू, मुसलमान, मिस्र, पारसी, असाझी वर्गाराको ऐक प्रजाके सम्मे समर्पित करना है जातपांत तथा सम्प्रदायोंके भेद और आपसी मनमुद्घाव तोड़ने हैं; और दूसरी तरफ हमे अपनी प्राचीनताका पुनरुद्धार भी करना है। ऐक तरफ हम सारी दुनियाकी ऐकता, सरे देशियाका समर्थन, अखण्ड हिन्दूत्तान वर्षेराकी साधनाकी अिच्छा रखते हैं, और दूसरी तरफ परदेशी

माने हुअे सस्कार, भाषा वर्गारकी छाँहसे भी परहेज करते हैं। और सो भी सैकड़ों वरस साथ रह लेनेके बाद।

यह दृष्टि दूसरी चाहे जिसकी हो, पर क्रान्तिकी नहीं है, अेकताकी नहीं है, सुलह-ग्रान्ति-सपकी नहीं है, अिसलिअे अद्विसाकी नहीं है, विद्या तथा प्रगतिकी नहीं है। मेरी समझसे यह दृष्टि सकुचित मिथ्याभिमानकी है।

शिक्षाकी दृष्टिसे अिस पर चौथे खडमे ज्यादा विचार किया गया है।

१३-९-'४७

## १२

### लिपिके प्रश्न — पूर्वार्ध

भाषासे भी लिपि ज्यादा बाह्य वस्तु है। भाषाको लेखनमे प्रकट करनेका यह साधन है। अिसका लिखनेवाले या बोलनेवालेकी जाति, धर्म, प्रान्त, राष्ट्र वर्गरके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं। टेव-महावरेके साथ जम्हर सम्बन्ध है। यह टेव आनुवंशिक नहीं है। अिसके बारेमे ऐसा अभिमान या ममत्व होनेकी जखरत नहीं है कि अिसमे फेरफार करनेसे हमारी जाति छोटी हो जायगी। अिसलिअे भाषा और लिपि दोनोंमेसे अेकको छोडनेका प्रसग आवे, तो लिपिका त्याग कर देना चाहिये।

हिन्दुस्तानमें आज अनेक लिपियां प्रचलित हैं। वर्णमालाके स्वयालने अिन लिपियोंके तीन वर्ग किये जा सकते हैं : सस्कृत वर्णमालावाली, फारसी वर्णमालावाली, और अंग्रेजी वर्णमालावाली। ( अंग्रेजी अिसलिअे कहता हूँ कि गंमन लिपिके अंग्रेजी अनुक्रम और उच्चार-पद्धति ही हिन्दुस्तानमें प्रचलित है, गंमन या यूगेपकी दूसरी भाषाओंके नहीं। )

अंग्रेजी वर्णमालाकी लिपि अिस तरह सल्लम है कि उमे डोक भी कहा जा सकता है और चार भी। लिखने और छपनेकी पद्धतियोंमें थोड़ा फक्के दोनेके कारण, और कंपिटल और छोटे अक्षरोंमें योङ्गा भेद होनेसे यह चार प्रकारकी बनती है और किंव भी ये भेद मराठी ( वाल्नोंध )

और हिन्दी देवनागरीके बीच तथा गुजराती, मोड़ी, कैथी जैसी पत्रलेखनकी और नागरी जैसी ग्रथ लेखनकी लिपियोंके बीचके भेदोंसे ज्यादा तीव्र न होनेसे कहा जा सकता है कि वह अेक ही लिपि है ।

फारसी वर्णमालावाली लिपिके दो प्रकार हैं । अरबी मरोड़की (जिसका प्रयोग कुरान और छापेमें होता है) और फारसी मरोड़की (जिसका प्रयोग हत्तलेखन और गिलछापमें होता है) । अन दोनोंमें अितना ही फर्क है, जितना तेलुगु और कन्नड़ लिपियोंके बीच है । मैंने सुना है कि हिन्दुत्तानसे बाहरके अिस्लामी देशोंमें अब अरबी मरोड ही काममें लाया जाता है । हिन्दुत्तानमें दोनों चलते हैं, मगर मुसलमान प्रजा फारसी मरोडको ज्यादा पसन्द करती है । छापनेकी दृष्टिसे अितमें बेहद असुविधा भरी है । जो पट सकते हैं, उन्हें कुरान बगैराके कारण पहली लिपिका काफी महावरा होता है । फिर भी फारसी मरोडमें लिखनेकी आदत पड़ जानेके कारण अरबी मरोडके अक्षरोंके प्रति अितनी अल्पिचि पैदा हो गयी है कि अरबी मरोडमें छापनेवाले प्रकाशकोंको आखिर हार खानी पड़ती है । आज पट-लिख सकनेवाले मनुष्योंकी तादाद बहुत कम होते हुअे भी यह हालत है । गिक्षणके विस्तारके साथ अगर यही टेव जारी रही, तो अितमें फेरफार करना बहुत मुश्किल हो जायगा ।

स्वत्तु वर्णमालाकी मुख्य लिपियाँ — जिनमें पुस्तके बगैरा छापी जा सकती हैं — हिन्दुत्तानके लिये जितनी जिनायी जा सकती है : देवनागरी (दो तरहकी — हिन्दी तथा मराठी), गुजराती, वंगाली, पञ्जाबी (गुरुमुखी), अुडिया, कानडी, तेलुगु, मल्यालम्, और तामिल । यह कहनेमें कोअी हर्ज नहीं कि अिनमेसे आधुनिक तामिलके स्तिवा दूसरी सभी लिपियोंकी वर्णमाला अेक ही है । अिसके बाद पत्र बगैराके लेखनमें कअी अुपलिपियोंका भी प्रचार है । जैसे कि, कैथी. मोड़ी बगैरा ।

अिन सारी लिपियोंको अुपर अूपरसे देखें. तो ऐसी निराली जान पड़ती है, मानो झुनमेसे बहुतसी अेक दृतरत्ने द्विलक्षुल स्वतत्र व्यपते बनी हों । मगर प्राचीन लिपि-स्त्रोधकोंने यह अच्छी तरह दिखला दिया है कि ये सारी लिपियाँ अेक ही मूल लिपिमें समय समय पर पड़े हुअे और स्थिर बने हुअे अलग अलग मरोडोंका परिणाम है । अिस मूल लिपिको

ब्राह्मी लिपि कहा गया है। यिस लिपिका कालांतरमें देवनगर (काशी)में जो मरोड़ स्थिर हुआ, वही आधुनिक देवनागरी है। काशीके प्राचीन सांस्कृतिक महत्वके कारण यिस लिपिका सबसे ज्यादा प्रचार तथा आदर हुआ। यह आसानीसे देखा जा सकता है कि गुजराती, कैथी जैसी लिपियाँ देवनागरीके ही स्थान्तर हैं। बगाली, झुड़िया या ड्राविडी लिपियोंमें यह बात अितनी आसानीसे नजर नहीं आती। ये ब्राह्मी लिपिके सीधे स्थान्तर भी हो सकती हैं।

अल्पा अल्पा प्रान्तोंमें पहले पहल लेखन-कला ले जानेवाले पडितोंके अपने हस्ताक्षर, लिखनेके अधिष्ठान (कागज, भोजपत्र आदि), लिखनेके साधन (स्याही, कल्म, लोहेकी लेखनी आदि) वर्णरा कारणोंसे अल्पा अल्पा जगहोंकी लिपिमें जाने-अनजाने नये मरोड़ पैदा हुए जान पड़ते हैं। ऐसा भी लाता है कि कुछ अक्षरोंकी पहले जरूरत न जान पड़ी हो और अन्हें बादमें दाखिल किया गया हो। यह सभी हरअेक प्रान्तमें अेक साथ ही या अेक ही तरहसे नहीं हुआ। फिर भी सभके पीछे अेक मूल ब्रूनियादी योजना साफ दिखाओ पड़ती है। स्वर-न्योजना, स्वरोको व्यजनेकी साथ मिलानेकी योजना, अक्षरों या चिन्होंके अपर, नीचे, दाहिने या बाये तरफ लिखनेकी गीत सब जगह अेकसी मालूम होती है। छापनेकी कलाके आगमनके बाद कुछ प्रान्तोंमें असमें फक्के पड़ गया है।

यह नहीं कहा जा सकता कि ये लिपियाँ सिर्फ़ स्थिवश या अनजाने ही बदलनी गयी हैं। अनेक समय-समयपर बुढ़िप्रवर्क केरफार किये हुए भी जान पड़ते हैं।

यिस तरह अनेक लिपियोंका अव्ययन अेक बहुत दिलचस्प विषय है। अनेक स्वम्पकी जांच करने पर अलटी तरफ लिखी जानेवाली अरवी-अहृदी लिपियाँ और विलकुल अल्पा दिग्वाड़ी पड़नेवाली गेमन-ग्रीक लिपियोंमें भी ब्राह्मी लिपिके साथ सगपन दिखाओ पड़ता है, और यिसमें यह अनुमान होता है कि ये सब लिपियाँ मूलमें अेक ही लिपिसे पैदा हुयी होंगी।

जिस तरह बाप-बेटे बिलकुल अेकसे लगते हैं, दो जुड़वाँ भाइयोंमें सुन्नतेमें डालनेवाली समानता दिखाओ पड़ती है, फिर भी वे बिलकुल

ऐकसे नहीं होते; जैसे हरसाल क्रष्णुओं खराकर आती है, फिर भी ऐक सालकी क्रष्णु हूँवहूँ किसी दूसरे सालकी क्रष्णु जैसी नहीं होती; यिसी तरह जीवित भाषा, लिपि और वेशको ऐकसा रखनेकी हम चाहे जितनी कोशिश करे, वे विल्कुल ऐकसे कभी नहीं रह सकते। जानवृद्धकर हम भले अनुमे कोअी फेरफार स्वीकार न करे, मगर अनजाने ही अनुमे फेरफार हो जाते हैं। यह मुझे वापदादोंसे विरासतमे भिली हुअी भाषा, लिपि, या पोशाक है, ऐसा कहना इन्हें अभिमानके सिवा और कुछ नहीं है। ऐसा कहनेवालेके पूर्वज कभी न कभी तो दृसरी ही भाषा बोलते, लिपि लिखते और पोशाक पहनते ही होंगे। कोअी व्यक्ति अपने वापदादोकी ऐक भी चाल्से पूरी तरह चिपका नहीं रह सकता। अच्छा है यिसलिये न-छोड़नेका आग्रह ठीक है, मगर वापदादोंसे चला आया है, यिसलिये अच्छा न हो फिर भी अुससे चिपके रहनेके आग्रहका क्रान्तिकी बातोंसे मेल नहीं दैठता।

दो व्यक्तियोंमे भी अपनी अपनी अलग विशेषताये होती है और वे ऐक होनेकी कोशिश करे, फिर भी वे नहीं जातीं। यिसी तरह दो प्रजाओंमे, प्रजाके अलग अलग वर्गों वर्गरामें अपनी अपनी विशेषताये रहेहीं। मगर यिसलिये अन्हे अलग रखनेका हठ करना, अनु विशेषताओं पर इठा अभिमान करना, अन्हे धर्मका स्वप देना ठीक नहीं है। मनुष्योंकी दीन दिलोंकी ऐकताकी तरह ही बाहरी ऐकता लानेकी कोशिश करना भी जस्ती है। अगर विशिष्टता या भेदोंके लिये जस्ती कारण हों या अमुक भेद रखनेते मनुष्य जातिका ज्यादा हित किया जा सकता हो, तो वहां अन्हे भले रहने दिया जाय। मगर जहां ऐसी जस्तत समझमे न आवे, वहां अहंतक व्यक्तिके लिये भेदोंको सहन करना लाजमी है। मगर अपने भेदकी पूजा करना ठीक नहीं है।

नुसल्लान अगर धर्मके कारण धर्दूका आग्रह रखे प्रान्तवाले प्रान्तीय अस्तिताकी बजहसे अपनी अपनी लिपियोंका आग्रह रखे, नागरीको हिन्दुलालकी अस्तिताके लिये बनाये रखनेका आग्रह हो, रोमन लिपि तिर्क परदेशी होनेके कारण छोड़ने लायक जान पड़े, तो वे सारी दर्लीले

क्रान्तिकी नहीं हैं। सबके गुण-दोपोका स्वतंत्र और मानव-हितकी दृष्टिसे विचार करनेके लिये विवेकी व्यक्तिको तैयार रहना चाहिये।

अिन प्रस्तों पर भी शिक्षण खड़में ज्यादा विचार किया गया है।

१५-९-४७

१३

## ऐकता और विविधता

भाषा, लिपि, वेग, वंश-विरासत-विवाह-मिल्कियत वर्गोंराके नियम, शिष्टाचार-सदाचार-भान-पूजा-स्तकार वर्गोंराकी स्वविद्याँ, घर-भाली-भाँव-सभा-मंडप आदिकी रचना, आसन-भोजन-स्थान वर्गोंराके रिवाज आदि अिस बात पर विचार करनेकी जरूरत खड़ी करते हैं कि ऐकता और विविधताका कर्ता और कैसे ख्याल रखा जाय।

दुनियामें विविधताये तो रहेंगी ही। यह विलक्षुल ठीक है कि नवकों सोलह आने ऐकसा नहीं बनाया जा सकता। कओं विविधताये कुदरतकी ही बनाओ हुओ है। अल्पा अल्पा जगहोंकी अल्पा अल्पा आवोहवा, नैमित्तिक सम्पत्ति, सुविधा-असुविधा वर्गोंराके कारण विविधताये पैदा होती है। अिनकी वजहसे खान-पान, वेग, घर-भाँव वर्गोंराकी रचना, धर्यों वर्गोंराकी विशेषताओं, व शिष्टाचार-सदाचारकी स्वविद्योंमें फर्क पड़ता है और अुसे रखना पड़ता है।

कओं विविवतायें संपर्कके अभावमें पैदा होती है और कओं नये सम्पर्कोंने बनती हैं। मूल्यमें ऐक ही भाषा, रिवाज आदिको माननेवाले जब ऐक दृमरेसे बहुत दूर जा बनते हैं और अुनका आपसमें मिल्ना-जुझना बन्द हो जाता है, तो ऐक ही भाषा (अुच्चारण), लिपि, वेग, न्यूट्रिवर्गोंरी धीरे धीरे अिनसे बदल जाते हैं कि वे ऐक दृमरेसे विलक्षुल ही भिन्न जान पड़ते हैं। रेलवे वर्गोंग प्रवासकी सुविधाओंके कागण अब पहलेकी अपेक्षा अिस तरहका सम्पर्क कम दृयना है। सम्पर्कके अभावमें दूसे 'वाग्द कोस पर बोली न्यारी' बाली कहावत चरितार्थ होती थी;

और सिर्फ बोली ही नहीं, वल्कि पगड़ी और जूतोंके आकार भी बदल जाते थे और विवाह-जादीकी स्थियोमें भी मिस्रता आ जाती थी।

कभी बार जब एक ही प्रदेशका एक हिस्सा एक प्रकारके लोगोंके सम्पर्कमें आता है और दूसरा दूसरे प्रकारके लोगोंके, तब भी विविधता पैदा होती है।

कभी बार जान या अनजानमें कुछ फक्के हो जाते हैं, और वे फक्के स्थायी बन जाते हैं, और जिन्होंने वे नहीं किये होते, वे अल्पा पड़ जाते हैं।

जिस तरह प्रकृति, देश, काल, क्रिया, संग, शिक्षा-दीक्षा, निय-नैमित्तिक प्रसंग, सुविधा-असुविधा वगैरासे विविधताओंपैदा होती हैं और होती रहेगी।

मगर यह सोचना एक प्रकारकी भूल है कि ये विविधताओंपैदा होती हैं, जिसलिए अन सबको रखना ही चाहिये, अन्हें यालनेकी कोशिश ही नहीं करनी चाहिये, फिरसे एकता कायम करनेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये, अन विविधताओंमें ही अपनी अस्मिता और अभिमान भर देना चाहिये और विविधतामें ही एकता देखनी चाहिये। और विविधताओंके कारणोंकी जांच किये वगैर एक ही सांचेमें ढले हुअे माल्की तरह जवरदस्ती एकता कायम करनेकी कोशिश करनेमें दूसरे प्रकारकी भूल है।

प्रकृतिके भेद (जैसे कि स्त्री-पुरुषके, चमड़ीके रगके), कुदरतके भेद (जैसे कि लाल, काली सफेद, पहाड़ी, मैदानी, रेशितानी वगैरा जमीनके; सन्दूर किनारेसे झूचार्यिक, रेलवांश-अक्षाशके तथा अल्पा अल्पा झूतुओंके), परिस्थितिके भेद (जैसे कि शान्तिकालके, युद्धकालके, सुकाल-दुकालके, अम्ब्रके भाता-पिताके, भाव-अभावके वगैरा) जो विविधताये निर्माण करते हैं, वे खोड़ी बहुत लाजमी हैं। अन कारणोंसे पैदा होनेवाले प्रज्ञाओंके जीवनधारणोंमें भेदोंको सहन करना चाहिये और उन्हें रखते हुअे भी उनके दीन अच्छे सम्बन्ध पैदा करने चाहिये।

मगर शिक्षा-दीक्षाओंके कारण पैदा होनेवाले भेद और अूपर गिनाये हुअे भेद जिस जगह या जिन कालमें अनिवार्य हों, उससे मिल

जगह या भिन्न कालमें भी अनुंहे अनिवार्य ही नहीं मानना चाहिये । गुजरातका आटमी अगर बंगालमें जाकर रहे, तो उसका अपने साथ गुजरातकी भाषा, लिपि, वेश, रीति-रिवाज, अन्तराधिकारके कायदे, विवाह आदिकी विधियाँ, आठर-स्तकार-पूजा वर्गोंके तरीके ले जाकर अनुंहे कायम रखनेका आग्रह करना या अधिकार मांगना अनुचित नहीं है । अल्पा अल्पा धर्मके लोगोंकी धर्मविवियोंमें (यानी देवपूजा तथा प्रार्थना वर्गोंमें) भले अपनी अपनी मान्यताके अनुसार फर्क हों; मगर सामाजिक कार्योंमें — जैसे कि सभाओं, सामाजिक सम्मेलनों, विवाह आदिके मौके पर किये जानेवाले स्वागत वर्गोंमें — हिन्दू और तरहसे स्तकार-गिरषाचार करे और मुसलमान दूसरी तरहसे, ऐसा नहीं होना चाहिये; बल्कि अुस जगहका वहुजन समाजका जो गिरषाचार हो, वही सबको स्वीकार करना चाहिये । ‘जैसा देस वैसा भेस’ वाली कहावतमें वडी समझदारी भरी हुअी है । मगर भेसका मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि भाषा, लिपि, वर्गोंरा औपर गिनायी हुअी नभी चीजोंको यिसमें ग्रामिल समझना चाहिये । सिर्फ चार दिनोंके लिये ही विलायत जानेवाला या यिस देशमें थोड़े दिनोंके लिये ही आनेवाला व्यक्ति अपना वेश कायम रखे, यह बात तो समझमें आ मरुती है । मगर कोअी हिन्दुस्तानी विलायतमें लम्बे अरसे तक — मान लो छह महीनों तक — रहना चाहे, या कोअी यूरोपियन या हिन्दुस्तानके वाहनोंवाला व्यक्ति यहाँ अनुत्तर वाला ही समय तक रहना चाहे, तो सभ्यता अपने वेशकों पकड़े रखनेमें नहीं, बल्कि अुस जगहका वेश वर्गोंरा धारण करने व वहाँकी भाषा बोलनेकी कोशिश करनेमें मानी जानी चाहिये । अल्पा अल्पा प्रान्तोंके बीच तो ऐसा विंशांग स्वर्पमें होना चाहिये । मगर किसी विचित्र अहभावके बगामें होकर हम दूसरी जगह रहकर भी वहाँकी प्रजाके माथ पूरी तरहसे बुल-मिल जानेके बदले अपनी पुगानी रीतियोंमें चिपके रहते हैं और ऐसा करना अपना अधिकार समझते हैं । ऐसा नियम होना चाहिए कि गुजरातमें वर्मनेवाले हिन्दू-मुसलमान-पारसी-अमाझी-अंग्रेज सब गुजरातके लिये निश्चित किया हुआ वेश ही पर्ने, गुजराती भाषा ही अपनावें और गुजराती लिपिका ही स्वीकार करें । यिस विषयमें प्रान्तीय विवेषता ही कुछ न नहीं, और नारे विन्दुस्तानमें सब ऐकमें ही हैं —

भले जिसमें दोन्हार विकल्प या प्रकार हो — तो वह ज्यादा अिष्ट है। सती दुनियामें अगर ऐसा किया जा सके, तब भी तात्त्विक दृष्टिसे अिसमें कोअी बुराड़ी नहीं है। मगर सबके दीच अपना अल्पा वाडा बनाकर रखनेका आग्रह अिष्ट नहीं है, और न अिसे कानून द्वारा मजूर करवानेकी जांग ही युचित है। भाषा, लिपि, वेच, वश-विरासत, सदाचार, शिष्याचार वर्गोंमें किसी काल्पनिक और देवके समाजकी तार्वेजनिक चीजें हैं, अन्हें किसी खात पिरकेकी चीजें देना ठीक नहीं है।

एक ओर हम असड हिन्दुत्तानके हिसायती हैं। कहते हैं कि केन्द्रीय सत्ता बल्वान होनो चाहिए। देवके दुकडे होनेका हमारा शोक अभी दूर नहीं हुआ है। हम दो राष्ट्र (नेशन)के सिद्धान्तके प्रति अपना विरोध जाहिर करते हैं। हम चाहते हैं कि अल्पसख्यक नहु-तर्खनकका सबाल ही न रहे और सब धर्मोंके लोग एक दृसरेके साथ हिल निल्कर भाजी भाजीकी तरह एक हो जायें। जात-पांतके भेदभाव तो इनेका भी हम प्रचार करते हैं और समाजवादके आदर्शमें भी अपना विचार जाहिर करते हैं।

दूसरी तरफ हमारी प्रवृत्तियाँ जिस तरह काम करती हैं, मानो हमारे दिलोंमें दूर छैठ गया हो कि अगर साग हिन्दुत्तान एक हो गया, केन्द्रीय सत्ता भज्जूत हो गई। जात-पांत दूट गई। तो किस हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा? हमारा 'मैं' या हमारा नडल भी कुछ है, जिस अभिन्नानको हम कैसे कानून रख सकें? यिसलिये हम अपने प्रान्तीय भेदोंपर और कुन्हे त्यिथ करने तथा बढानेपर जोर दे रहे हैं। तामिल जौं तेलुगु लोग दुनियानें दूसरे तब लेगोंके साथ रह सकते हैं और कह कह सकते हैं, मगर अन दोनोंका एक दूनरेके साथ रहना और कह कह सकता अवश्य है। जिन दोनोंके अल्पा अल्पा रहनेके सिवा दूसरा नहा ही नहीं है। जैसा ही सर्ववं व्याली-विहारीका, कलकत्ताने नारवारी-व्यालीका, मध्यप्रान्ते हिन्दी-महाराष्ट्रीका और दम्भरीने गुजराती-नराठीका-नराठीका है।

राजनेत्रजी दुविधा या भाषाकी दुविधा वर्तेगनी दृष्टिसे भाषावान विचारितोंनी स्थापना करना या प्रान्तीय प्रदन्धने हिस्ते करना एक चीज

है। मगर ओक भाषा वोल्नेवालेकी दूसरी भाषा वोल्नेवालेसे न बने, वे अेक दूसरेसे अीर्या करे, और जीवनके छोटेन्हडे हरअेक क्षेत्रमें भाषाका भेद गाय-भैंसके बीचके भेदसे भी ज्यादा महत्वका बन जाय, तो अिसे हमारी कलह-प्रियताका ही चिन्ह समझना चाहिये।

अेक तरफ हम सयुक्त-मतदार-मडलोका और अुनमें लाज्जमी तौरपर किसीकं लिए खास जगहे न रखनेका कानून बनाते हैं, नौकरियोमें भी अिसी नीतिकी हिमायत करते हैं। और दूसरी तरफ हम कानूनसे बाहर अिससे भी ज्यादा मजबूत स्टिंग्स (conventions) कायम करनेकी कोशिश करते हैं। चुनावोमें अमीदवार खड़े करनेमें, मतिमडल चुननेमें, अनके मत्री चुननेमें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकरकी पसदगीमें, कमेटियोकी नियुक्तिमें—कहीं भी सिर्फ योग्यताके आधारपर तो पसदगी की ही नहीं जा सकती, बल्कि योग्यता तो शौण बन जाती है। ब्राह्मण-अब्राह्मण, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी हुओ जातियाँ, पारसी, ओमाओ, मुसलमान, गुजराती, महाराष्ट्री, कानडी, नागपुरी, वैदर्भी, बगाली, बिहारी, स्त्री, पुरुष वर्गराक यथायोग्य प्रमाण बनाये रखना ही महत्वकी चीज बन जाती है। और यह प्रपञ्च अितना बढ़ता जाता है कि हरिजन है मगर भगी नहीं है, मांग नहीं है, पिछड़ी हुओ जातिका है मगर बुनकर नहीं है, तेली नहीं है, सुन्नी है, मगर शिया नहीं है, ओमाओ है, मगर अंग्लो-अंडियन नहीं है; वर्ग वर्गरा शिकायते करते हुओ हमें सकोच नहीं होता। और अिन शिकायतोंको रद्द करनेकी हिम्मत भी किनीकी नहीं होती, क्योंकि नेताओंके खुदके ही दिलेंसे यह दृष्टि नाबृद नहीं होती।

हिन्दी-भुद्ध-हिन्दुस्तानी भाषा और लिपि वर्गराके झगड़े, फिरकेवाराना झगड़े, प्रान्तीय ओर्यां वर्गरा सकें मूलमें ओक ही चीज है: हमारे दिलोंकी क्रान्ति नहीं हुओ; हम अपनी सकुन्ति अस्मिताओंको छोड़ नहीं सकते, अिसमें छोटे छोटे दुकङ्गोमें बैठ जानेकी ओग ही हमारा पुरुषार्थ वारवार जोग किया करना है।

# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग दूसरा

आर्थिक क्रान्तिके सवाल



## चौथा परिमाण

अब आर्थिक सवालोंको ले । किसी चीजका माप बतलाना हो, तो नानूली तौरपर अगर अुत्को लम्बाई, चौड़ाई और मुद्रार्थी, ये तीन परिमाण बतला दिये जायें, तो माना जाता है कि असका पूरा वर्गन हो गया । नगर आधुनिक भीतिकनात्ती कहते हैं कि वह वर्णन काफी नहीं है । यिसके साथ साथ दूसरे दो परिमाण और भी बताने चाहिये, और वे हैं वर्णनके काल और स्थानके । क्योंकि जो चीज धरतीकी सतह पर अनुक परिमाणवाली होती है, वह चढ़पर भुक्ती परिमाणकी नहीं रहेगी और चुत्तर अुसका परिमाण फिर बदल जायगा । यिसके सिवा कालभेदसे भी अुसका माप छुदा रहेगा । यिसमें स्थानका महत्व जरा विचार करनेपर शायद सन्दर्भमें आ जाय । फिर वर्णन करते बज्जत चूंकि चीजेंके स्थान ही अुत्के स्थानका अल्लिन भी नानकर चलते हैं, यिसलिए मानूली तौरज अुत्के विश्यने अल्लाते विचार नहीं करना पड़ता । नगर भीतिकनात्तियोंका निर्गत है कि स्थानते भी हर क्षण बदलनेवाले काल—समय—का महत्व बहुत बड़ा है और वह आसानीनि समझमें नहीं आता । फिर भी कालके विचारमें ही आभिन्न्यायीनिका ‘रिलेट्रिविटी’ — संदर्भाका तिदात्त पैदा हुआ; जिसने गुल्त्वाकर्षण वर्णनकी पुणी भाव्याओंने बहुत फँक कर डाला । देवाका परिमाण बखुके साथ ही माना हुआ होनेने कालको चौथा परिमाण कहा जाता है ।

ऐसा ही कुछ आर्थिक सवालोंको समझनेमें वारंने है । पहले स्वप्निमे करनेने तिक्क दो चीजें गिनाई जाती थीं: कुद्रत और मन्द्रगी । गनी कुद्रती ज्ञानीयी उल्भता और मन्द्रार्थी की उल्भता पहले स्वप्निमा माप निश्चित जा सकता था । आगे चलकर मालूम हुआ कि निक्क दो परिमाण काफी नहीं हैं । कुद्रती नानीयीकी और मन्द्रगीकी उल्भता किसे यौं किस प्रकार्की है यह भी स्वप्निमा माप

निकालनेके लिये एक महत्वका परिमाण है। अिसकी सुलभताका विचार करते हुओ ही पूँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, औद्योगीकरण, राष्ट्रीयकरण, यंत्रीकरण, केन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण आदिके अनेक वाद पैदा हुओ हैं। और जिस तरह जात-पांत, धर्म वर्गोंके भेदोंके काग्न आपसमें झगड़नेवाले अनेक वर्ग बनते हैं, उसी तरह अिन वादोंके आग्रहसे भी बने हैं।

जैसे कभी वार कानूनकी मददसे कुछ धर्म अपना अधिकार जमाते हैं, वैसे ही अलग अलग वादोंको माननेवाले भी ऐसे किसी एक वादका अधिकार कायम करनेकी कोशिश करते हैं। जहाँ मौजूदा राज्यतत्र अिस कोशिशके अनुकूल नहीं होता, वहाँ उस तत्रको ही बदलनेकी कोशिश होती है। किसी वादकी स्थापनाको आर्थिक क्रान्ति कहते हैं, और उसके लिये राज्यतत्रके बदलनेको राजकीय क्रान्ति। अिस तरह क्रान्तिका अर्थ (मामूली तौरपर कुदरती सामग्रीपरके अविकार और व्यवस्था सम्बन्धी) किसी नये वादकी जवरदस्ती या कानूनी फृगसे स्थापना करना हो गया है।

मगर सम्पत्तिका माप निकालनेके लिये कुदरती सामग्री, मजदूरी और उसने सम्बन्ध रखनेवाला वाद ये तीन परिमाण काफी नहीं है। अिसमें भी दूसरे दो और परिमाणोंपर विचार करना शेष रहता है। ये दो परिमाण अगर शून्य हो, तो विपुल कुदरती सामग्री, विपुल मजदूरी और सारे श्रेष्ठ वादोंपर रचा हुआ राज्यतत्र तीनोंके होते हुओ भी सम्पत्तिके गणितका जवाब शून्य ही निकल सकता है। जिस तरह किसी चीजका शुद्ध गणित करनेमें देश-काल महत्वके परिमाण है, उसी तरह सम्पत्तिका गणित करनेमें दो महत्वके परिमाणोंकी अपेक्षा रहती है। और वे हैं: प्रस्तुत प्रजाका जान और चरित्र।

अिसमें ज्ञानका महत्व आज मामूली तौरपर सभी स्वीकार कर लेंगे। ज्ञानमें कौन कौनसी वातोंको शामिल करना चाहिये, किन्हें किनना महत्व दिया जाय, अिसके बारेमें थोड़ी वहुत अस्पष्टता या मतभेद गायद रहे। यह कठनेकी नश्शन नहीं कि वहाँ ज्ञानका मतलब ‘अपराविद्याओं’ (ब्रह्मविद्याके गिरा अन्य विद्याओं) सम्बन्धी ज्ञानमें है। फिर भी

युतको आवश्यकताके सम्बन्धमें निवृत्तिवादी (हुनियाकी झज्जटेसे दूर नहर अेक त्वात् करनेवाले) के सिवा शायद ही कोई गका करेगा। यह पत्निएग घटीत किये जैला ही है।

चरित्रके नहरेमें यों तो सभी अेकमत हो जायेगे। निवृत्तिवादी भी युतको जल्लरत्से अिनकार नहीं करेगा। भौतिकवादी भी मुँहने युसका जस्तीकर नहीं करेगा। फिर भी जित तरह बत्तुजा माप दिखानेमें काल्के निर्देशका नहर आत्मानीसे ध्यानमें नहीं आ सकता, युसी तरह चरित्रका नहर न्तु यों — नेताजीके या जनाके — ध्यानमें नहीं रहता। अितके सम्बन्धमें यही आदा रखी जाती है कि अितकी कर्मीकी पूर्ति कन्दूनकी या दड़की व्यवस्था द्वारा हो जायगी। राजकीय लान्तिके, नरे प्रकारके वादपर कायम की हुबो आर्थिक व्यवस्थासे या राष्ट्रतत्त्वके संचालकोंमें जवरदस्त फेरवडल बर्जने जनाका चरित्र ढूँचा नहीं ढूँचा। युल्टे ऐसे अेकाइएक और अनेकित फेरफरते कर्मी अनिष्ट तत्त्व अवस्थ दाखिल हो जाते हैं। राज्य द्वारा नरे धर्मकी स्थापनासे भी चरित्र दुच्च नहीं होता। यह कैसे हो, जिससे अल्लाते विचार करेंगे। यहां तो अित वातनर जोर देनेकी जस्तरत है कि हुदरती तान्त्री, न्तु यद्दल, अनुद्वल राज्य और अर्थवादकी स्थापना तथा हान, जिन त्वंके रहे हुआे भी अगर योग्य प्रकारका चरित्रवस्तु नेताजों और प्रजादर्गेक पात न हो तो अित अेक ही कर्मीके द्वारा, देश और प्रजा हुँक और दरीबीने हुब सकती है। अित चीये परिमाणा नहर ठीक तरहसे समझना चाहिये।

## चरित्र निर्माण

कुदरत, मज़दूरी, ज्ञान, योग्य गत्यतत्र और अर्थव्यवस्थाके साथ चरित्र भी समाजको तरक्कीके लिये लाजमी और महत्वका धन है, अिसे स्वीकार करनेके बाद अिसकी वृद्धिके अनुपायों पर विचार करना शेष रहता है।

‘चौथा प्रतिपादन’ वाले प्रकरणमें चरित्रके मुख्य अग गिनाये गये हैं। ऐक ही बात फिरसे कहनेका दोप अपने मिर लेकर ‘भी मैं अन्हें यहाँ फिरसे गिनाता हूँः

जिजासा, निरल्सता, अद्यम,  
अर्थ व भोगेच्छाका नियमन ।  
अरीर स्वस्थ व वीर्यवान;  
अिन्द्रियाँ शिक्षित स्वाधीन,  
शुद्ध, सम्य वाणी-अुच्चारण,  
स्वच्छ, शिष्ट वस्त्र धारण;  
निर्दोष, आरोग्यप्रद, मित आहार,  
मयमी, शिष्ट स्त्री-पुरुष-व्यवहार ।  
अर्थव्यवहारमें प्रामाणिकता व वचनपालन,  
दम्पतीम अीमान, प्रेम व सविवेक वशवर्धन,  
प्रेम व विचारयुक्त गिरुपालन  
स्वच्छ, व्यवस्थित, देव-व्रग-ग्राम,  
निर्मिट, विशुद्ध जल-वाम,  
शुचि, शांनित मार्वननिक स्थान ।  
समाजवारक अन्योग वः यत्रनिर्माण —  
अन्न-दृवदर्वन प्रवान,

सर्वोदय-साधक समाज-विधान ।  
 मैत्री-सहयोगयुक्त जन-समाश्रय,  
 रोशी-निराश्रितको आश्रय;  
 ये सब मानव-युक्तिके द्वार  
 समाज-समृद्धिके स्थिर आधार ।

यिन गुणोंकी समाजमें वृद्धि हो, अिस अुद्देश्यसे यहाँ हम अनके साधनोंके बारेमें विचार करेगे ।

अिस सम्बन्धमें दो-तीन तरहकी प्रणालिकाये व्यवहारमें है । सुविधाके लिये अन्है दीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति और सयोग (environment) पद्धति नाम दिये जा सकते हैं ।

पहली पद्धतिमें दीक्षा या सदुपदेश पर जोर है । बार बार यह बात प्रजासे कहते रहना, अिसका अुपदेश देनेवाली पुस्तकोंका श्रवण-चाचन-मनन कराना, अिसकी फलश्रुति बतलाना, अिससे सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ कहना, जप जपवाना ( नारे ल्पावाना ) वर्गेरा वर्गेरा अिसमे शामिल हैं ।

दूसरी पद्धतिमें शिक्षा या तालीमपर और पुरस्कार तथा दडपर जो दिया जाता है । बचपनसे जस्ती आदते डाल्ना, अिन्सानके गले अुतरे या न अुतरे, वह समझे या न समझे, अुसे ऐसे अनुशासन — निजाम — मे रख देना कि अुसके मुताबिक वरतनेकी अुसे आदत पढ़ जाय । आदत डाल्नेके लिये मौजूद तरीकोंसे अिनामका लोभ या दण्डका भय भी बतलाना । चरित्रके अंगोंका अभ्यास करके अनकी यत्रकी तरह आदत (mechanization) तथा कवायट (regimentation) कराना ।

तीसरी पद्धतिमें ऐसे अनुकूल या प्रतिकूल सयोग ऐटा करनेपर जोर है, जिनमे योग्य प्रकारके चरित्रकी ओर मनुष्यका स्वाभाविक झुकाव हो । बचपनसे ही भीलको वाघ-चीतेका, घालेको शाय-चैल्का, और शहरीको मोटरों और ट्रामोंकी दौड़ादौड़का भय नहीं लगता । खलासी चलती ल्यीमरने अितने ढूचे बॉसपर मजेमें चढ़ जाता है, जहाँसे दूसरे किसीकी आँखोंमे तो अंधेरा ही ढा जाय, भर दरियामें भी वह नहीं घवराता; मगर पडितके लड़केको रसपूर्ण ल्पानेवाली चर्चामि अुसे नीद आ जाती है ।

साहस पैदा करनेवाले सयोगोमेंसे साहस पैदा होता है और वार्ताश्चि अुसके अपने सयोगोमेसे अुत्पन्न होती है। जिसे चार व्यक्ति मिलकर ही कर सकते हों, ऐसे काम करनेकी प्रवृत्तिमें ग्रामिल होनेसे अिस प्रकारके सहयोगकी आदत पड़ती है। जिसको सिफे अकेले हाथो ही काम करनेके संयोग मिले हो, सम्भव है अुसे किसीके साथ काम ही न करते बने। आपसी प्रेमसे भेरे हुओ परियारम्पे पले हुओ बच्चो और साथ रहते हुओ भी अपना ही स्वार्थ साधनेवाले भाइयो, देवरानी-जिठानियो, सास-बहुओ बयेराके बीच पले हुओ बच्चोंके चरित्रमें बहुत फर्क पड़ जाता है। जहाँ अन् खाये नहीं खूबता, पानीकी कमी नहीं होती ऐसे देशमे अतिथि-सत्कारका गुण स्वाभाविक होता है, अुदारता, दान बयैराकी वृत्तियों भी होती है; यही देश जन अन्न-जलसे मोहताज हो जाता है, तब अिन्सानोको कजूस — अनुदार — बना डालता है। अिस तरह जैसा चरित्र अष्ट हो, अुसके अनुकूल बांहरी संयोग निर्माण करना तीसरी पद्धतिका घ्येय है।

पहली दो पद्धतियों पुराने जमानेसे प्रसिद्ध है, और आज तक अन्हींपर ध्यान दिया गया है। हमारे देशमें अभी अिन दो पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। अधिक कुछ दिनोसे पश्चिमके विद्वान् तोमरी पद्धतिपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे यहाँ अभीतक अिसकी ओर दुर्लक्ष्य ही रहा है।

तेज, जातवान, अच्छे धोइको प्रेरणा करनेके लिये मालिको मुहका शब्द काफी होता है। यह दीक्षा पद्धति है। अनगढ़, और जिसकी तालीममें ज्यादा मेहनत न की गयी हो, ऐसे धोइको हाँक और चाढ़ुकने प्रेरणा की जाती है या अुसके आगे लालच की चीज़ रखी जाती है। यह शिक्षा पद्धति है। दीमक, चीटी, मधुमक्खी, भौंरा, पतिंगा, पक्षी वर्गरामे सयोग ही अुनको अपनी अपनी प्रवृत्तियोमें ल्यानेवाला चरित्र पैदा करते हैं। संयोग बड़नपर जुदा किस्मकी आदतोवाली जातियों पैदा हो जाती है।

मनुष्योंमें कुछ व्यक्ति तेज, जातवान धोइ जैसे होते हैं; अनेके लिये दीक्षा-पद्धति काफी होती है। मवको अनगढ़ धोइकी—तरह ज़म्मर गया जा सकता है; मग अिसमें जातवान धोइ निगङ्गे और मावारण धोइ

जीवनभर अनगढ़ — परप्रेरित ही रहेगे । वे कभी सच्चे अर्थमें चरित्रवान् नहीं बनेगे । जिसी तरह सबके लिये शिक्षा-पद्धति काममें लाभी जा सकती है, मगर जिससे चरित्रको झूचा अुठानेमें सफल्ता नहीं मिल सकती । ज्यादाते ज्यादा कुछ यंत्रवत् आदते भले पड़ जायें । फिर भी, यह पद्धति कुछ अशों तक रहेगी ही ।

मगर यह समझना ज्यादा ठीक है कि मनुष्य मुख्य स्पसे मक्खीकी जातिका प्राणी है । वह घेरेलू मक्खीकी तरह असख्य होकर भी असंगठित और निष्चरित हो सकता है, या योग्य संयोगोमें मधुमक्खी जैसा व्यवस्थित भी रह सकता है । जंगली मधुमक्खीते ल्याकर वक्समें रहनेवाली मधुमक्खी तक वह अनेक जातियोंवाला हो सकता है ।

चरित्र-नाभनके लिये योग्य सयोग निर्माण करनेकी जस्ततो पर व्यान देना बहुत जल्दी है ।

चरित्र-निर्माणके लिये कुछ अशोंमें योग्य अनुकूल सयोगोंकी और कुछ अशोंमें योग्य प्रतिकूल संयोगोंकी जालत होती है । वेहद अनुकूलतायें चरित्रको दियिल कर सकती हैं और वेहद प्रतिकूल संयोग मनुष्यको और अुत्के लाय अुत्के चरित्रको कुचल सकते हैं । अनुकूलताये और प्रतिकूलताये अगर योग्य परिमाणमें रहे, तो वे चरित्रवर्धक साधित होती हैं । अल्पता, जिनके लाय जिनके अनुकूल विज्ञानदीक्षा भी चाहिये ।

मनुष्य किस हद तक स्वाधीन सयोगोंका स्वामी और निर्माण करनेवाला है, और किस हद तक सयोगोंके आधीन, पराधीन प्राणी है, जिस नवालका निविच्छ जवाब देना कठिन है । मगर बहुजन समाजकी दृष्टिये वदि हम ऐसा मानकर चले कि मनुष्य ज्यादा अशोंमें सयोगोंके आधीन है, और कुछ अशोंमें वह स्वाधीन और संयोगोंका स्वामी व निर्माण करनेवाला भी है, तो नेरा खयाल है कि भूले नहीं होंगी; और अगर होंगी भी तो कमसे कम होंगी ।

मनुष्यका यह स्वभाव होता है कि उसके अनजाने हुई गलतियोंका सारा दोन संयोगोंके नियम भृत्यकर वह अपना वचाव करता है, मगर दृढ़रेको अुत्की भूलोंके लिये दोष देते वक्त यह मानकर चलता है कि वह दृढ़रा आदमी स्वाधीन ही है, और कर्ता वे भूले जुनके व्यानने पहले भी आजी

हों, तो वह खास तौर पर ऐसा कहता है। अिससे अल्टे अपनी सफलताओंको वह अपने ही कर्तृत्वका परिणाम समझता है, और दूसरेकी सफलताओंको उसे मिले हुए अनुकूल सयोगोंका।

वहुजनसमाजको यदि किसी खास दिग्मे मोड़ना हो, कोअी विंगेप चरित्र अमर्में निर्माण करना हो, किसी दिग्मासे उसे लौटाना हो, तो दीक्षा और शिक्षासे भी ज्यादा अस्के लिए योग्य, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग पैदा करना समाजके विवायकोका लक्ष्य होना चाहिये। गज्जब्बवस्था, विरेन्द्रीकरण, यत्रीकरण, समाजवाद वर्गें जहाँ तक ऐसे सयोग पैदा करते हैं, वहाँ तक अनका महत्व है। मगर यह नहीं समझना चाहिये कि अितनेसे ही सारे काम बन जायेगे।

२२-९-'४७

### ३

## दीर्घ व अल्पकालीन योजनायें

अगर हमें अिस बातका ठीक ठीक भान हो जाय कि किसी भी समाजकी समृद्धिके लिए असकी प्रज का चरित्रशठन बड़े महत्वकी चीज़ है, तो जो कोअी किसकी योजनाये हम बनाते हैं, आनंदोलन चलाते हैं तथा एक दूसरेके गुगादोप निकालते हैं, अन सबके स्वरूपमें बहुत बड़ा फ़र्क़ पड़ जाय। हम सभी चाहते हैं कि देशकी आर्थिक समृद्धि बड़ी तेज़ीसे हो। हम सब महसूस करते हैं कि देशकी आवोद्धा और कुरुक्ती सम्बनिको देखते हुए कोअी काग्न नहीं है कि प्रना औरी गरीबीके कीचड़ने रही रहे। पूज्जीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, साम्राज्यवादी सबके बीच तीव्र मनभेद होनेपर भी हरओकका ध्येय देशको धनधान्यमें समृद्ध करना है। अिस ध्येयके सम्बन्धमें दो मत नहीं हैं।

जुड़े जुड़े किसकी गतकीय, आर्थिक, सामाजिक वर्गोंरा व्यवस्थायें बासम करके अन्य और दीर्घकालीन योजनाये बनाकर सभी कोअी देशकी

कुदरती सम्पत्तिसे ज्यादासे ज्यादा फायदा उठानेका हिसाब लगानेमें ल्हो है। वाल्सि मताधिकार (adult franchise), औद्योगिकरण (industrialization), राष्ट्रीयकरण (nationalization), विकेन्द्रीकरण (decentralization), सहकारी खेती और गोपाल्न, बल्बान केन्द्रीय सत्ता (strong central government) वजौरा विविध योजनाओंका, कभी कभी परस्पर विरोधोंके बाबजूद, ऐक ही अद्वैत है कि देशकी कुदरती सम्पत्ति ज्यादासे ज्यादा बढ़े और अुसका लाभ ज्यादाते ज्यादा लोगोंको मिले। यिसके लिये ऐक तरफ तो नन्य आपसमें ऐक दूसरेके गले काटनेको भी तैयार है और दूसरी तरफसे सुन्ह-जान्ति कायम करनेके लिये बैचैन भी है। ऐक तरफ वह पाकिस्तान-हिन्दुस्तान अखवत्तान-यहूदिस्तान बनाता है, ऐसे बस और कॉल्सिक किरणोंकी शोध करता है और दूसरी ओर UNO की प्रवृत्ति भी चलाता है।

देशकी कुदरती सम्पत्तिकी वारीकीसे गिनती लगानेमें कभी अर्थगाती ल्हो हुअे हैं। यिस सम्पत्तिका कितनी तरहसे अपयोग हो सकता है, यिस बातकी शोधमें बड़े बड़े वैज्ञानिक दिनरात ऐक कर म्हे हैं। धनपति और राज्यतन्त्र यिस बातकी जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं कि यिन शोधोंका पहला लाभ अन्हे मिले।

यिसने शक नहीं कि ये सारी बाते महत्वपूर्ण और जहरी हैं। यह अनुकूल परिस्थितियाँ (environments और conditions) निर्माण करनेके प्रयत्नका ही ऐक भाग है। मगर साथ ही यह भी याद रखनेकी जरूरत है कि यितना सब होते हुअे भी अगर प्रजामें योग्य प्रकारकी चरित्र-सम्पत्ति न हो तो यह अक रहित शून्य जैसा ही नहीं, दलिक विनाशका करण भी बन सकता है। यिसलिये सिर्फ सम्पत्तिके पैदावार-न्यैवरे आटिको ही धेय बनाकर अनुकूल परिस्थितियों पैदा करनेकी कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि सम्पत्तिकी पैदावार जिसका ऐक नतीजा है इन चरित्रधनको निर्माण करनेवाली परिस्थिति पैदा करनेका प्रयत्न होना चाहिए। यिसका खयाल न रखनेसे सम्बन्ध है प्रत्यक्ष अहम्बन्धमें सरे हिसाब — सारी गिनती गल्ल लाभित हो।

लम्ही योजना और छोटी योजना ये दो गब्द हम बहुत बार सुनते हैं। मगर लम्ही या छोटी योजनामें लम्हे समय और लम्ही दृष्टिकी तथा थोड़े समय और छोटी दृष्टिकी योजनाका फर्क हमें समझना चाहिये। दस वर्ष बाद देशमें भरपूर अनाज और कपड़ा हो जाय, ऐसी दस वर्षकी योजना बनाओ जा सकती है और बनानी भी चाहिये। परन्तु इससे अगर अनेकाले छह महीनों तक अन्न-वन्धु विलकुल न मिल सके, तो यह लम्ही योजना निश्चयोगी है और छह महीनोंका योग्य वन्दोवस्त न होनेसे ही निफल हो सकती है। अिसलिये अुसके साथ छोटी—यानी अत्यधिकालीन योजना भी चाहिये ही।

मगर लम्हे समयकी या थोड़े समयकी योजनाके पीछे यदि दृष्टि छोटी हो, तब भी सारी योजना धूलमें मिल सकती है।

जैसे बने तैसे जल्दी स्वराज हासिल करना चाहिये। अिच्छासे या अनिच्छासे अग्रेजोंको भी ल्या कि यह देना चाहिये। मगर किसी भी तरह मुस्लिम लीगको समझाया न जा सका। अुसने खूब धौधली मचाआई। नर्नजा यह हुआ कि अखड़ हिन्दुस्तानके वरेण्य जिनका आग्रह बहुत तीव्र था, अन पजाव और बगालके हिन्दू-सिक्ख नेताओंने ही अपने अपने प्रान्तके हिस्से करने और पाकिस्तान दे देनेका छोटा रास्ता अखिलयार करनेकी अिच्छा प्रकट की। यह छोटा रास्ता तत्काल परिणाम देनेवाला होनेमें मुस्लिम लीगने अिसे मजूर किया, हिन्दू-सिक्ख नेताओंने अिसकी माँग की और कांग्रेसको अुसे स्वीकार करना पड़ा। सबने तत्काल स्वगत्य स्थापनामूर्ती परिणाम देखा। मगर अुसके दूसरे परिणामोंकी कल्पना किसीके दिमागमें नहीं आयी।

अिस छोटे मार्गोंके पीछे रहनेवाली मूल कल्पना भी छोटी दृष्टिकी थी, मकुचिन थी। मुस्लिम-गेरमुस्लिम द्वेष अिसके मूलमें था। अिसमें यह मान लिया गया था कि मुमलमान और गेरमुमलमान मिलकर डेक राज्य चला ही नहीं सकते। और अिसकी जड़ें द्वेषका यही पानी डिगदनन मींचा गया था। यानी यह मान लिया गया था कि दो भाग हो जानेमें दोनोंको अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र मिल जायेंगे। मगर अिस परिणामकी किसीने कल्पना नहीं की कि जो मुमलम-गेरमुमलमान मिल

कर ऐक राज्य नहीं चला सकते, वे ऐक गाँव या ऐक शहरमें भी साथ साथ नहीं रह सकेगे। द्वेषका नशा किये हुअे लोगोंने जब अुसे कर दिखाया, तब कहीं यह बात हमारी समझमें आयी। लोगोंने सहज स्वभावसे हिजरतका छोटा और आसान ल्यानेवाला रास्ता अखिलयार किया। राज्योंको लान्चार होकर अुसका साक्षी और व्यवस्थापक बनना पढ़ा। अिसका दुःखद अमल आज हो रहा है।

मगर यह माननेमें भूल होगी कि अिससे अिस समस्याका अन्त हो जायगा। क्योंकि जो मुसलमान और चैरमुसलमान ऐक गाँवमें साथ साथ नहीं रह सकते। ऐक राज्य नहीं चला सकते, वे कमसे कम हिन्दुस्तानने तो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बनाकर भी शार्तिसे नहीं रह सकेंगे। यह माननेका कोअी कारण नहीं है कि द्वेष दो वत्तियोंको अल्प अल्प करके ही रक जायगा। अिसलिए यह द्वेष अिस रूपमें फैलेगा कि या तो अिस पूरे देशमें सब मुसलमान ही मुसलमान हों या सब चैरमुसलमान ही रहे। अिसमेंसे बादमें ऐक नया विव्युद्ध भी पैदा हो सकता है। अिस तरह सारे अेशिया और सारे जगतको ऐक करनेका मनोरथ धूलमें मिल सकता है, और ऐक तरफ दुनियाके सारे मुसलमान और कुछ दूसरे देश तथा दूसरी तरफ चैरमुसलमानोंके दीच भयकर यादवी जम सकती है।

जो योजना मुसलमानों तथा चैरमुसलमानों (हिन्दू, अीसाई, तिक्ख, पारसी, यहूदी, चीनी आदि) को, अनकी कम या ज्यादा ताटाटके दावजूद ऐक पड़ोन्नति, ऐक गाँवमें, ऐक राज्यमें सबके साथ रहना तिक्खावे, वही योजना, चाहे वह थोड़े समयकी (अल्पकालीन) हो, चाहे लम्बे समयकी (दीर्घकालीन), अिस समस्याका अन्त ला सक्नी। अगर कहीं मुसलमान लोग अल्प रहकर अिस समस्याको अपनी जल्दतेज़ सुनाइक हल कर सके होंगे, तो वे ही समस्यावें फिर हिन्दू, तिक्ख, पारसी, अीसाई वर्गोंने दीच खड़ी होंगी। क्योंकि जो द्वेषभावना अिसके मूलमें है, वह अभी निकल थोड़े ही गधी है। और अगर मुसलमान भी बित्ते हल न कर सके, तो जिस तरह येरोपके देश अीसाई होते हुअे भी ऐक दूसरेजे साथ कुत्तोंकी तरह लड़ते हैं, अर्ती तरह वे भी जापन्ने लड़ेगे।

पीला वर्ग द्वारा होना अनुके भीतरकी चीजेको समानेके लिये महत्वकी चीज़ नहीं, बल्कि अनुकी दीवालोंकी मुद्राओं ही महत्वकी चीज़ है, असी तरह मनुष्यकी चमड़ीके या वह पूर्वमें पला है या पठिचममें वर्ग वाहगी भेद अनुसमें समाये हुये गुणोंके समन्वयमें महत्वके नहीं है। महत्वकी चीज़ यह है कि अनुकी भावनाओं स्फी दीवाले स्थूल हैं या सूक्ष्म, स्लकारी हैं या अस्लकारी। जिस तरह वाहरसे एक सी दिखायी पड़नेवाली बोतलोंको अनुमं ज्यादासे ज्यादा माल समा सके औसी बनानेके लिये अन्दरकी दीवालोंको — बोतल दृढ़ न पड़े और बहुत कमज़ोर न बन जाय अिस तरह सम्हालकर — विसना चाहिये, असी तरह वाहरसे एकसे लगनेवाले मनुष्योंको ज्यादासे ज्यादा कीमती बनानेके लिये, अनुका गरीर दृढ़ न पड़े और बहुत कमज़ोर न हो जाय अिस तरह सम्हालकर अनुकी नैतिक भावनाओंको सूक्ष्म बनाना मानवकी सारी योजनाओंका ध्येय होना चाहिये। जिस तरह बोतलको धिसनेके लिये लेथ, जुदी जुदी जातिके और माफके धर्पक (abrasives) करौरा साधन चाहिये, और हरएक बोतलकी जाँच करके अनुके लिये योग्य रीतियो और साधनोंका अुपयोग करना चाहिये, असी तरह भावनाओंको स्लकारी बनानेके लिये अलग अलग मनुष्योंके लिये ही नहीं, बल्कि हरएक मनुष्यके लिये भी अलग अलग समयपर अलग अलग तरीके आज्ञामाने पड़ेंगे। पूरी मानव जातिको हमेशाके लिये एक ही लकड़ीसे हाँकनेके तरीकेसे काम नहीं चल सकता।

और असी मामलेमें हम भुलावेमें और विचारभेदोंमें पड़ते हैं। या तो हमारी कोणिग्य यह होती है कि सभी साधनोंका राजा कोअी एक ही साधन दृढ़ निकाला जाय और असे सभी पर लागू किया जाय। यह कोणिग्य दो जगहोंके बीचके अन्तरको सेर और तोलेसे बताने या दुखारको फुट्यार्डीमें नापनेकी प्रवृत्ति जैसी है।

या फिर हमारी यह भमडनेकी भूल होती है कि चूंकि अनेक नावनोंकी ज़म्मन पड़ती है, अिसलिये अिसमें व्यवस्था लानेकी कोशिग्य ही व्यर्थ है और हरएक व्यक्तिका रास्ता स्वतंत्र ही होता है। यह अिस तरह कर्त्तव्य नियम है कि चैक्सि जैसे उनके पासी वाय पिज्जली व्यांगके

नापके साधन और परिभाषाये अल्ला अल्ला होती है, अिसलिए मापकी व्यवस्था ही नहीं की जा सकती ।

अिती तरह सभी मनुष्य सत्त्विक वृत्तिके या सभी राजस वृत्तिके या सभी तामस वृत्तिके हैं, ऐसा समझकर केवल अपुदेग, केवल लोभ या केवल दड़के साधनोंपर जोर देना, या सबके लिये बिल्कुल सादे साधन या सबके लिये अट्टडे साधनोंकी योजना करना, या सभी मनुष्य मज़हूत व नीरोगी होते हैं ऐसा समझकर या सभी रोगी और कमजोर होते हैं ऐसा मानकर साधनोंकी योजना करना, या सिर्फ लाउओंके विकासको या सिर्फ कर्मेन्द्रियों या जानेन्द्रियोंकी वैगाहां या धीर्जी कार्यक्रमको, या सिर्फ तार्किक या शोधक वक्तिको या सिर्फ प्रदाकी ही भावनाको महत्व देना या कोअी ऐक ही जैना साधन खोजना कि जो तारे अिष्ट परिणाम ला सके और आनेट परिणामोंको द्यल सके — कर्मा सारी कोशिशे भुलवेमे डलनेवाली है ।

वादका मन्त्र है ऐक दो ल्लोगान (नारे) — अति व्यापक दून — दूनाना और फिर कुनने खुद ही अल्ज जाना । चरखा सूत कातनेका नाधन है, और हमारे देशकी भौजूदा परिस्थितिमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह ऐक आर्थिक विधान है; और अिनने इसके प्रचारके पीछे ल्लाजी जनेवाली ताङ्काकी अपयोगिता सब कोअी समझ सकते हैं । मगर यह हम यह समझने ल्पते हैं कि वह स्त्री और अहिंसाका प्रतीक है, इसे चलनेवाला व्यक्ति नहीं और धन-दौलतके समन्वयमें चरित्रवान ही होगा, वह किसी दिन हुठ नहीं दोलेगा, छुआछूको नहीं मानेगा, किसीका खुन नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, किसीको धोखा या दुःख नहीं देगा — कर्मा चरन्त्रशुदिका भी अपने स्वरूपसे ही साधन है, तद हम खुट तो इसकी जालने दुल्ज जाते हैं । फिर हम कहने लगते हैं कि जितका अहिंसाने विवास न हो, हिन्दू-स्ट्रिल्स देक्ताने विवास न हो, सच्च, द्रुजचर्य वर्गीयोंने विवास न हो, जिस्का चरित्र शुद्ध न हो, वह चरखा न चलाये । अिस तरह वननिर्माणे साधनको चरित्रनिर्माणा भी तरह साधन देनेकी उम्मीदाने ज्य इसे सकारा नहीं निर्त, तब हम कहने लगते हैं कि वननिर्माणे हिये भी दुर्लभ दुर्घटना न किया जाय ।

भक्तिमार्गी गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनोंका राजा है मगर गतदिन 'राम' 'राम' करते रहनेपर भी कोई लोग बुरे कामोंमें फँसे हुए देखनेमें आते हैं। यह देखकर वादमें जपकी व्याख्या करनी पड़ी है : कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह अुसे किया जा सकता है, जब करते वक्त कैसा भाव रखना चाहिये, कैसे अनुसन्धान करना चाहिये, बैगै। सब कोई समझ सके और अुसका आचरण कर सके, यिस दृष्टिसे पहले पहल 'जप'की योजना हुई और उसका प्रचार हुआ। मगर अितना अनियंत्रित जप वेकाम ही साक्षित हुआ। अिसलिए अुसपर ऐसी शर्त रखी गयी कि त्रेकाध तीव्र साधक ही जपका अविकारी हो सकता है, दूसरोंके लिए तो वह वकवास जैसा ही है। दरअसल जप अनेक साधनों — चरित्रकी योग्यताओं — को सिद्ध करनेमें मद्दत स्वप होनेवाला एक योगिक साधन है। चूना अंटोंको जोड़ता है; मगर अंटोंके बिना केवल चूना क्या कर सकता है? ज्यादासे ज्यादा वह उत्थकर चाकका पथर ही बन सकता है। यही हाल जपका है।

ऐसी तरह चग्गवा वस्त्रनिर्माण तथा वस्त्र स्वावलम्बनका और अुतने अंगोंमें आर्थिक समृद्धिका अपयोगी साधन है। अिसमें जपकी अपेक्षा यह विशेषता है कि जप दूसरी शर्तेंकि बिना कोरी वकवास साक्षित हो सकता है, मगर यह ताल चग्गेका नहीं है; वह कमसे कम वस्त्रनिर्माणका काम तो कर ही देगा। अिसके बाद प्रजामें दूसरे गुण पैदा करनेके लिए दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी तो जस्त रहेगी ही। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि चग्गवा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती है। यह भले कहा जा सकता है कि चग्गेके बिना अहिंसक समाजरचना होना अगम्य नहीं, तो मुश्किल ज़म्म है।

'अहिंसा' शब्दको भी हमने अपने ही हाथों अुत्तरानमें डाल्नेवाला बन्ध बना दिया है। अुमंगेमें 'मिठान्त' और 'नीति', 'वशदुरुक्ति' अहिंसा' और 'कायरकी अहिंसा', 'अहिंसक प्राणहरण' और 'हिंसक प्राणहरण', 'अहिंसक प्राणक्षता' और 'हिंसक प्राणक्षता', 'सत्य रहित अहिंसा' और 'सत्य सहित अहिंसा', 'अहिंसा और देशरक्षा या द्यात्म-रक्षा' अहिंसा और युद्ध' आदि चर्चायें नहीं हुईं। अगर हम

एक ही शब्दमें अगर सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका हम आग्रह न रखे और यह मान लेनेकी भूल न करे कि किसी ऐकको सिद्ध करनेसे दूसरा सब्र अपने आप सिद्ध हो जाता है, बल्कि हरऐक गद्द या भावको अुसकी मर्यादामें रखकर ही समझे, तो अनन्मेसे बहुत-सी चर्चाये और मतभेद टल जायें ।

अर्थके अन्त्यादम और वृद्धिके लिये मनुष्यमें अमुक प्रकारका चरित्र — गुण और आदतें — होना चाहिये और अुसके सुख-संयम और न्याय-पूर्वक अुपयोग और अुपभोगके लिये अमुक प्रकारका । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका अुद्देश्य भी अपनेमें सत् — अच्छे — मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना होना चाहिये । मगर कोअी ऐक शब्द या कोअी ऐक साधन सारे जरूरी गुणों और आदतोंको दिखलाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता । अकांशी दृष्टिसे देखा जाय, तो परस्पर विरोधी दिखनेवाले साधन और गुण तथा आदतें भी जरूरी हो सकती हैं, और बहुत श्रेष्ठ ल्यानेवाले गुण भी विवेक और दूसरे गुणोंके अभावमें मनुष्यके शुभ विकासके लिये बाधक हो सकते हैं । यह भी हो सकता है कि ऐक बक्त्त ऐक गुण पर जोर देनेकी जरूरत पड़े और दूसरे वक्त दूसरे पर । अिसलिये हमेशाके लिये कोअी ऐक रास्ता नहीं बनाया जा सकता । हर जमानेमें और हरऐक समाजमें नेताओंको सावधानी और विवेकसे अपने समयकी जरूरतके मुताबिक ही मर्यादाये निश्चित करनी चाहिये और उन्हें अिस तरह नहीं जकड़ देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको उन्हें बदलनेमें मुश्किल मालूम हो ।

चरित्र समृद्धिका साधन है, और समृद्धिका साध्य अुन्नत चरित्र ही है, अिस सत्यको बरावर स्वीकार न करनेसे ही आजका विज्ञान-सम्बन्ध मानव-समाज अिस तरह दुनियामें घूम रहा है, मानो हाथमें आग ल्यानेके साधन रखनेवाले और अुसकी कला सीखे हुओ वानर-समाजको खुला छोड़ दिया गया हो । अिसलिये अर्थवृद्धिके साधनोंपर विचार करते बक्त्त आदि, मध्य तथा अन्त तीनों अवस्थाओंमें चरित्रके अंगोंका विचार करके ही कदम अुठाने चाहिये ।

भक्तिमार्गी गुरुने कह दिया कि जप सारे साधनोंका राजा है मगर रातदिन 'राम' 'राम' करते रहनेपर भी कभी लोग बुरे कामोंमें पैसे हुओं देखनेमें आते हैं। यह देखकर वादमें जपकी व्याख्या करनी पड़ी है : कौनसा जप सच्चा, कौनसा झूठा, किस तरह अुसे किया जा सकता है, जप करते वक्त कैसा भाव ग्रहना चाहिये, कैसे अनुसधान करना चाहिये, वगैरा। सब कोअी समझ सके और अुसका आचरण कर सके, अिस दृष्टिसे पहले पहल 'जप'की योजना हुआ और अुसका प्रचार हुआ। मगर अितना अनियन्त्रित जप वेकाम ही सावित हुआ। अिसलिए अुसपर ऐसी गर्त रखी गयी कि अेकाध तीव्र साधक ही जपका अधिकारी हो सकता है, दूसरेके लिए तो वह वक्तवास जैसा ही है। दरअसल जप अनेक साधनों—चरित्रकी योग्यताओं—को सिद्ध करनेमें मदद रूप होनेवाला अेक योग्यिक साधन है। छूना अंटोंको जोड़ता है; मगर अंटोंके बिना केवल छूना क्या कर सकता है? इयादासे झाठा वह सूखकर चाकका पत्थर ही बन सकता है। यही हाल जपका है।

अिसी तरह चरखा बल्निर्माण तथा बल स्वावलम्बनका और अुतने अशोमे आर्थिक समृद्धिका अपयोगी साधन है। अिसमें जपकी अपेक्षा यह विशेषता है कि जप दूसरी गतेकि बिना कोरी वक्तवास सार्वित हो सकता है, मगर यह हाल चरखेका नहीं है; वह कमसे कम वल्निर्माणका काम तो कर ही देगा। अिसके बाद प्रजामें दूसरे गुण पैदा करनेके लिए दूसरी प्रवृत्तियों और साधनोंकी तो जरूरत रहेगी ही। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि चरखा हो, तभी अहिंसा सिद्ध हो सकती है। यह भले कहा जा सकता है कि चरखेके बिना अहिंसक समाजरचना होना अगर अगम्य नहीं, तो मुश्किल ज्ञास्त्र है।

'अहिंसा' शब्दको भी हमने अपने ही हाथों अुलझनमें डालनेवाला शब्द बना दिया है। अुसमेसे 'सिद्धान्त' और 'नीति', 'वहादुरकी अहिंसा' और 'कायरकी अहिंसा', 'अहिंसक प्राणहरण' और 'हिंसक प्राणहरण', 'अहिंसक प्राणरक्षा' और 'हिंसक प्राणरक्षा', 'सत्य रहित अहिंसा' और 'सत्य सहित अहिंसा', 'अहिंसा और देशरक्षा या आत्मरक्षा', 'अहिंसा और युद्ध' आदि चर्चाये खड़ी हुआ है। अगर हम

ऐक ही शब्दमे अगर सभी सुन्दर गुणों, वृत्तियों और कृतियोंका समावेश करनेका हम आग्रह न रखे और यह मान लेनेकी भूल न करे कि किसी ऐकको तिर लेनेते दूरता तत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है, वल्कि हरऐक शब्द या भावको अुत्सको मर्यादामे रखकर ही समझे, तो अनिमत्ते बहुतसी चर्चाये और मतभेद टल जायें ।

अर्थके जुत्सदम और वृद्धिके लिये मनुष्यमे अमुक प्रकारका चरित्र — गुण और आदते — होना चाहिये और अुत्सके सुख-संयम और न्याय-पूर्वक सुपयोग और सुपमोरगके लिये अमुक प्रकारका । मनुष्यकी सारी प्रवृत्तियोंका सुहेत्य भी अपनेमे तन् — अच्छे — मनुष्यके गुणों और आदतोंकी वृद्धि करना होना चाहिये । मगर कोअभी ऐक शब्द या कोअभी ऐक ताथन तरे जहरी गुणों और आदतोंको दिखलाकर सिद्ध नहीं किया जा सकता । ऐकांगी दृष्टिके देखा जाय, तो परत्तर विरोधी दिखनेवाले ताथन और गुण तथा आदते भी जहरी हो सकती हैं, और बहुत श्रेष्ठ लानेवाले गुण भी विवेक और दृष्टरे गुणोंके अभावमे मनुष्यके द्युम विकासके लिये दाखक हो सकते हैं । वह भी हो सकता है कि ऐक वक्त ऐक गुण पर जोर देनेकी जल्दत पड़े और दृष्टरे वक्त दृष्टरे पर । जिसलिये हन्दाके लिये कोअभी ऐक राता नहीं दनाया जा सकता । हर जमानमे और हरऐक लनान्ने नेताओंको सावधानी और विवेकने अपने सद्यकी जल्दतमे सुनाइक ही मर्यादाये निर्विचित करनी चाहिये और दुहें जिस तरह नहीं लकड़ देना चाहिये कि भविष्यकी प्रजाको दुहें बढ़ानेमे दुर्बिक्ष नालून हो ।

चरित्र स्वदिका साधन है, और स्वदिका साध्य दुश्मत चरित्र ही है, जित्त स्वयको व्याप्त लीजार न करनेते ही जालका विज्ञान-सुन्दर सन्दर्भ-सार जित्त तरह दुनियाने घूम रहा है, मानो हाथमे आग लगानेते साधन रहनेवाले और सुन्ननी कला सीखे हुये वानरचनाएँको खुला ढोड़ दिया गया हो । जिसलिये अर्थवृद्धिके साधनोंर विचार करते वक्त ल-दि, मर्य तथा झन्त तीनों अवस्थाजांमें चरित्रके लंगोंना विचार बदले ही छूटन दृग्न चाहिये ।

## चरित्रके स्थिर और अस्थिर अंग

मनुष्यको अपनी खुदकी ओर देखनेकी दृष्टिमें साफ़ होनेकी जरूरत है। वह दूसरे प्राणियोंकी तरह ऐकाध निश्चित और सरल दिग्मामें ही विकसित बुद्धिवाला प्राणी नहीं है। अिसी तरह वह अनन्त प्रजा-बुद्धि-वाला होते हुअे भी पूर्णप्रश्न नहीं है। अुसे दूसरे प्राणियोंकी तरह ऐकप्रज्ञ नहीं बनाया जा सकता। वह अनन्तप्रश्न होनेकी कोशिश करता ही रहेगा। यानी सभी मनुष्योंकी ऐकसी ही बुद्धि नहीं हो सकती। सब अल्पा-अल्पा तरहकी बुद्धिवाले ही रहेगे। अितना ही नहीं, वल्कि किसी व्यक्तिका भी विलकुल ऐकप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। ऐकाध दिग्मामें किसी व्यक्तिकी बुद्धि अपनी आखिरी सीमा तक भले पहुँच जाय, मगर यह सम्भव नहीं कि दूसरी दिग्माओंमें अुसका विलकुल ही विकास न हो। और सिर्फ ऐक ही दिग्मामें विकसित बुद्धिसे कोअी अिच्छित पूर्णता नहीं पा सकता, न कृतार्थताका अनुभव ही कर सकता। साथ ही किसी भी व्यक्तिका पूर्ण और अनतप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसा बननेकी असफल महत्वाकांक्षा रखे, मगर पूरी मानव जातिका पूर्ण और अनतप्रज्ञ होना सम्भव नहीं है। यानी अगर बुद्धिको मनुष्यकी छठी अिन्द्रिय माना जाय, तो वह अिन्द्रिय ऐक ऐसी जातिके अनत और सूक्ष्म स्नायुओं और शानतनुओं रूपी पञ्चुड़ियोंसे बनी हुअी है कि जिसकी जुदी-जुदी पञ्चुड़ियाँ थोड़ी-बहुत खिली हुअी हैं, थोड़ी बहुत मुरझाअी हुअी है, सब अभी खिली ही नहीं, और सभीका किसी ऐक वक्तमें खिली हुअी स्थितिमें दिखाअी पड़ना सम्भव नहीं है।

ऐक दूसरा दार्टांत लेकर अिसपर विचार करे, तो मनुष्य समाज किसी अनजान जंगलमें छोड़े हुअे अथे और वहरे मनुष्यों जैसा है। वह हाथसे छूकर रास्ता ढूँढना, दोस्तों और दुश्मनोंको पहचानना और अच्छे-नुरे साधन और स्थान निश्चित करना चाहता है। सबके अनुभव

अल्ला-अल्ला है। कुछने अपना जीवन अमुक साधनों और स्थानोंमें स्थिर कर लिगा है, कुछको अुतनेमें अच्छा नहीं ल्याता या अनुहे अभी वैसी अनुकूलताएं नहीं मिली। कुछका जीवन दूसरोंपर विव्वास और प्रेम रखनेसे चुत्पृष्ठक बीता है, तो कुछका अिन्हीं कारणोंते दु त्वमय रहा है। कुछने दूसरोंके प्रति अविव्वास रखनेमें ही अपनी सफ़लता देखी है, तो कुछने अिसी बजहते ठोकर खाड़ी है। कुछके लिये अपने हाथ-पौँबोंकी शक्ति ही मददगार साक्षित हुआ है, तो कुछको अपने तर्क, बुद्धि या वाणीकी शक्तिसे भद्र मिली है। कुछने डर डरकर चलनेमें अपनेको सुरक्षित नाना है : तो कुछने साहसकी बदौलत ही अपनेको आगे बढ़ा हुआ पाया है। अपने-अपने धोड़े अनुभवसे हरअेकने व्यापक सिद्धान्त निकाले हैं।

फिर भी अित्तमें एक किल्सकी व्यवस्था है। हरअेकका अनुभव थोड़ा होते हुओं भी युतको अपने अनुभवका स्मर्थन करनेवाले मिल जाते हैं। अिससे साक्षित होता है कि अिन अनुभवोंको कुछ वर्गोंमें बॉटा जा सकता है और हरअेक वर्गकि अनुभवोंमें कुछ विचारने और ग्रहण करने लायक अंदर होता है। लेकिन कोओ ऐक अनुभव न तो सकते श्रेष्ठ होता, न सर्वथा छोड़ने लायक ही होता है। दूसरे, यह भी कहा जा सकता है कि ऊदी-चुदी कोटियें या परिस्थितिके लोगोंके लिये किसी ऐक वर्गका अनुभव दूसरोंके मुक्कावले ज्यादा योग्य साक्षित हो सकता है तथा अमुक परिस्थितिमें किसी ऐककी महत्ता ज्यादा और दूसरेकी कम हो सकती है।

जिस तरह देखनेपर यह कहा जा सकता है कि नीचे लिखी हुआई योग्यताएं नामूली तौरपर हरअेक पृष्ठांग मनुष्यमें हमेशा होनी चाहिये, और जिनमें दोन्चार हरअेकने विशेष स्वपत्ते होनी चाहिये, तथा विशेष परिस्थितिने कुछ योग्यताएं दहुत दबी ताटादें मनुयोंने होनी चाहिये।

### शारीरिक

१. नीरोगी और पूरी तरहने विकाल्पन शरीर।

२. नेतृत्व करनेकी शक्ति और आदत।

३. नर्दी-रानी, भृत्य-प्यन वर्त्ता स्वनेत्र शक्ति और आदत।

४. ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके कामोंको स्वतंत्रतासे और व्यवस्थित तरीकेसे करनेकी जानकारी और आदत।

५. स्फूर्ति और तेजी रहते हुअे भी व्यवस्थितता और नियमन।

## मानसिक

१. साहस — खतरेका नामना करनेका स्वाभाविक हीसला और हिम्मत।

२. धीरज — खतरेमें घबरा न जानेकी (panicky न होनेकी) ताक्तत।

३. समयसूचकता — परिस्थितिका मुकाबला करनेकी सूझ।

४. श्रमानद — जवरदस्त मेहनतके वक्त कामसे अरुचि होनेके बजाय अुमंग बढ़ना।

५. पकड़ी-पकड़ — पकड़ी हुअी चीज़को आसानीसे न छोड़ने, बल्कि मजबूतीसे पकड़े रहनेका स्वभाव।

६. तेज अथवा स्वाभिमान — दूसरेकी धमकी, लाल और्खें बैरासे दब न जानेकी ताक्तत।

७. आत्मनियमन — काम, क्रोधके वेगोंको रोकनेकी शक्ति।

८. हमेशा प्रगति करते रहनेकी अभिलापा।

९. सावधानी।

## धौष्ठिक

१. जिज्ञासा और शोधवृत्ति।

२. अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग करनेकी आदत।

३. अनुभव और कत्यना, वस्तुधर्म और आरोपितधर्म, आदर्श और महत्वाकांक्षा तथा हवाओं किले बॉधने, वास्तविकता और अभिलाषाके दीन भेद करनेकी शक्ति।

४. गणित और आकलन।

५. स्मृति और जाग्रति।

६. चीटीवृत्ति — जहाँसे मिले वहाँसे चीटीकी तरह छोटे और नम्र बनकर ज्ञानसंग्रह करनेकी वृत्ति।

७. अतिव्याप्ति<sup>१</sup> तथा असुक्ति<sup>२</sup> न करनेकी आदत।

८. पूर्वग्रहों<sup>३</sup> और साम्राज्यिकतासे या किसी पक्षसे अपर अुठकर विचार करनेकी शक्ति।

### चारित्रिक

१. विवेकपूर्ण श्रद्धा।

२. प्राणीमात्रका आदर।

३. समभाव, करुणा, दया आदि।

४. स्वजनोंके प्रति ऐसा प्रेम जिसमे दूसरोंका द्रोह या अनुके प्रति अन्याय न हो।

५. विवेकपूर्ण परोपकार, क्षमा आदि।

६. अजलनी और स्वजन-विरोधियोंसे सावधान रहते हुओ भी अनुके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना।

७. चैतन्यकी अपेक्षा जड़ पदार्थोंकी कम कीमत करना।

८. धनके व्यवहारमे प्रामाणिकता, स्वच्छता, सत्य प्रतिशता, धोखा न देना, अशान, गरजमन्द या चरीबकी मुश्किलोंसे फायदा न अुठाना आदि।

९. स्त्रीकी जिन्दगी, प्रतिष्ठा और शीलकी अपने प्राणोंपर खेलकर भी रक्षा करना।

१०. अव्यभिचार तथा अनत्याचार

११. अश्वरनिष्ठा — यानी सारी कोशिशों और पुरुषार्थके वावजूद अिस बातको ध्यानमे रखना कि अिच्छित फल देना सिर्फ भगवानके ही हाथमे है और अिस सत्यको स्वीकार करते हुओ भी जगतके लिये नम्रता-पूर्वक मगलकामना करना, अुस मगलकामनामे श्रद्धा रखना और अुसके लिये आशासहित ल्यातार कोशिश करना।

१२. स्वच्छता, व्यवस्था और सादगीकी सुन्दरता।

१३. रोग, चरीबी, अन्याय, स्थूल तथा सूक्ष्म मलिनता और हिंसाको दूर करनेके लिये अुद्धम करना।

<sup>१</sup> लक्ष्यसे दाहरकी वस्तुके विषयमे कहना।

<sup>२</sup> दाताको ददाचदाकर कहना।

<sup>३</sup> पहलेसे ही दने हुओ मत।

१४. समाजके हितके लिये अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, ममताओं वगैराको गौण करने और अनेकोंके साथ सहयोग करनेकी तत्परता । फिर भी,

१५. अन्याय और असत्यके खिलाफ और सत्यके लिये प्रगी दुनियाका अकेले मुकाबला करनेकी हिम्मत ।

### ध्येयात्मक या श्रद्धात्मक

१. असत्यमेसे सत्य, हिसामेसे अहिंसा, दैन्यमेसे ऐश्वर्य, आसक्तिमेसे वैराग्य, अज्ञानमेसे ज्ञान, अव्यवस्थामेसे व्यवस्था, विषमता और अन्यायमेसे समता और न्याय, अधर्ममेसे धर्मकी ओर ल्यातार बढ़ना तथा अपनी और समाजकी पूर्ण मानवताका विकास करना ।

२. पूरी मानव जातिकी अेकताको स्वीकार करना और उसे सिद्ध करनेकी कोशिश करना ।

३. जीवनके मूल सत्यको खोजने और समझनेका पुरुषार्थ ।

अिस सूचीको सम्पूर्ण नहीं मानना चाहिये । अिसमे सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, सतोष, भावना, श्रद्धा, अुपासना, आत्मरक्षा, फौजी तालीम, धन्धा, कला वगैरा-वगैरा सूख शब्द नहीं है, बल्कि वर्णनात्मक शब्दोंका अुपयोग किया गया है, जिसमे योग्यताओंका निश्चित स्वरूप समझमें आ सके और अनुकी जस्तरोंके वारेमे विचार किया जा सके । इन वातोंका आर्थिक क्रान्तिके सवालोंमे इसलिये समावेश किया गया है कि अिस बुनियादके बिना कोअी भी आर्थिक योजना सिद्ध ही नहीं हो सकेगी । आर्थिक योजनाओं और अल्पा-अल्पा वादोंकी रचना करते बङ्गत यह मान कर चला जाता है कि यह सब तो मनुष्यमे है ही । मगर थोड़ा विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी प्रजामे या जगतमे यह सब है ही, ऐसा मान लेनेका कोअी आधार नहीं है । अिस पर यही टीका काफी नहीं होगी कि नाइस्ति मूलं बृतः शाखा (मूल नहीं तो शाखा कहैंसे ? ), बल्कि यह कहना होगा कि सन्मूलस्याभावात् प्रसूता विषवल्लयः (अच्छे मूलके अभावमे विषकी लताये ही फैली हैं) ।

## वादोंकी अुलझन

आज हम सब अल्पा-अल्पा वादोंकी अुलझनमें फँसे हुओ हैं। पृजीवाद, नाधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, चत्रीकरण, राष्ट्रीयकरण, कल्प्रीकरण, विकेन्द्रीकरण, वडे अुद्योग, ग्रामोद्योग, चंत्रोद्योग, दत्तकारी, वल्वान केन्द्र, ग्राम स्वराज्य, मजदूर राज्य, किसान राज्य, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेती वर्परामें ते ऐकाध गव्डको हम पकड़ लेते हैं और अपनी तारी चर्चाये वह मानकर करते हैं कि ऐसे किसी ऐक वादके मुताविक तारा कारवार जमा देनेते जीवनकी सच्ची और अच्छी व्यवस्था हो जायगी; नार मानव जीवन वैसा फिल्मेवाल है कि किसी ऐक व्यवस्थाकी पकड़में वह आ ही नहीं सकता, या अगर जवर्दस्तीते अुसे पकड़ भी जाय तो वह तड़ने ल्याता है और मनुष्यको बुखी और तदुर्लत बनानें बढ़ले उते आपत्तिमें डालता है।

नार अिसके अल्वा हमे ऐक महत्वकी बात पर विचार करना है। ये सभी वाद ऐक दृश्यरेते बिल्कुल छुदे हंगके दिखते हुओ भी ऐक ही उनियादको मजबूत बनाकर या समझकर खडे हुओ हैं। सभीकी रचना धनरागित—सोनेके तौल-रागित—के आधारपर हुबी है। आज भले ही नोनेके तिक्कोंका चलन कही भी न हो, नार अर्थविनिमयका साधन—वातन और नाप—इसके पीठे रहनेवाले सोनेचॉर्डीने स्प्रह पर ही है। साम्यवादी भले ही मजदूर्को महत्व दे, पृजीपतिको निकाल्नेकी जोशिया करे, नार वह भी पृजीको—यानी नोनेचॉर्डीने जाधारको और गणितज्ञो ही—महत्व देता है। आर्थिक स्मृदिका नाप नोनेकी दर्ती हुबी उच्चमी ही है। इस फूटपटीके पीठे रहनेवाली सानान्य सन्झ दर है कि जो चीज़ हर किन्नीजो आलनीने न मिल सके, वही उक्तम धन है।

पृजीवादवा भरना है ईनी चीज़पर सानगी बजा रहनें श्रद्धा, तथा साम्यवाद दा समाजवादका अर्थ है ईनी चीज़ समाज बजा

रखनेमें श्रद्धा । जो चीज हर किसीको आसानीसे मिल सकती हो, वह जीवन-निवाहके लिये चाहे जितनी महत्वपूर्ण होनेपर भी हल्के दरजेका धन समझी जाती है । अिस तरह हवाकी अपेक्षा पानी, पानीकी अपेक्षा खाद्य व अनुकी अपेक्षा कपास, तमाकू, चाय, लोहा, ताँबा, सोना, पेट्रोल, युरेनियम वगैरा अुत्तरोत्तर ज्यादा अचूते प्रकारके धन माने जाते हैं । अिस तरह जो चीज जीवनके लिये कीमती और अनिवार्य हो, अुसकी अर्थशास्त्रमें कीमत कम, और जिसके बिना जीवन निभ सके, अुसकी अर्थशास्त्रमें कीमत ज्यादा है । यों जीवन और अर्थशास्त्रका विरोध है ।

अगर कोआई क्रान्ति होना ज़रूरी हो, तो जिस तरह धार्मिक वर्गरा मान्यताओंके सम्बन्धमें पहले कहा जा चुका है, अुसी तरह अिस विषयमें भी विचारोंकी क्रान्ति होना ज़रूरी है । कुछ ऐसा अर्थमापका साधन खोजना चाहिये, जो जीवनके लिये अपयोगी और सबको आसानीसे मिल सकने वाली चीजों और शक्तियोंको कीमती ठहरावे, तथा अनुके अभावको दरिद्रता समझे ।

अर्थशास्त्रकी दूसरी विलक्षणता यह है कि मज़दूरीका समयके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें अुसके साधन अथवा यंत्रका कोआई ध्यान ही नहीं रखा जाता । अुदाहरणके लिये, समान वस्तु बनानेमें एक साधनसे पाँच घटे लाते हैं और दूसरेसे दो, तो दूसरा साधन काममें लेनेवालेको ज्यादा कीमत मिलती है; फिर भले ही पहलेने खुद मेहनत करके वह चीज बनाती हो और दूसरेको अुसे बनानेमें यत्रको दबानेके सिवा और कुछ न करना पड़ा हो । अिसीको दूसरे शब्दोंमें यों कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रमें समयकी कीमत नहीं है, मगर समयकी बचत करनेपर अिनाम मिलता है, और समय बिगड़नेपर जुरमाना होता है । मगर अिसमें किस तरह समय बचा या बिगड़ा, अिस बातकी परवाह नहीं की जाती ।

सच पूछा जाय तो जिस तरह साधन अच्छा हो, तो समयकी बचत होती है, अुसी तरह अगर कुशलता, अुद्यमशीलता, वर्गरा यानी मज़दूरीकी गुणमत्ता ज्यादा हो, तब भी समयकी बचत होती है । और अगर साधन तथा गुणमत्ता एकसे हों, तो वस्तुकी कीमत अुसे बनानेमें ल्यो हुओ समयके प्रमाणमें आँकी जानी चाहिये । एकसे ही यत्र पर एक

व्यक्ति ऐकसी गुगमत्ताका अुपयोग करके कोअी चीज बनावे, तो अुते दो धंटे लाते हैं। अिसकी अपेक्षा अगर वह अशार्दी धंटे छर्च करके कोअी चीज तैयार करता है, तो वह पहलीते इगादा कीमती बननी चाहिये। गाधन तथा गुगमत्ताकी विजेषता डुस चीजमे अुत्तरी चाहिये। अिस तरह किसी चीजके बनानेने जितना इगादा समय, जितने अच्छे साधन और जितनी इगादा गुगमत्ताका अुपयोग किया गया हो, अुतनी ही इगादा अुचकी झीनत होनी चाहिये। दरअसल मूल कीमत तो अिसी तरहकी होती है। भार आजकी अर्थन्यवत्त्यमे माल तैयार करनेवालेको अिस हिसावते कीमत नहीं निल्ती। अिसके समय और गुगमत्ताको बचानेवाले साधनोंपर ही तात जोर दिया जाता है। या कहिये कि समयके अुपयोगपर भारी छुरमाना होता है और गुगकी कीमत केंद्रस्तिते औंकी जाती है।

गणितकी भागाने पेच की गई अिन तारी वातोंको सोलह आने गगितके ही त्यपने नहीं लेना चाहिये। अिसका हेतु तिक्क अितना ही दिजाना है कि सोना, चाँदी वगैरा विरल पदार्थोंके आधारपर रची हुअी कीमत औंकनेकी पद्धतिते बलुओंकी सच्ची कीमत नहीं औंकी जा सकती। और अिसलिए अुत्तरे आधारपर बनी हुअी अर्थन्यवत्त्या, चाहे लिंग बादके आधारपर खड़ी को गई हो, अनर्थ पैदा करनेवाली ही रासित होती है और जाने भी होती रहेगी।

हुद्दत चार्नन्टिक है। अिसलिए अुत्तरी झीमत ही नहीं होनी चाहिये। जनीन या खाद्य पदार्थ हवाकी तरह ही हुद्दतकी दखियें हैं। जिनकी विपुला या कमीने झीमतने फँड़े पड़नेजा कोअी नारा नहीं है।

जिनके लिवा, आज्ञी हजारी धन और झीमत नामनेकी पद्धति देखनेने नहीं तब — लाम्बान्ट (positive) हो, भार दरअसल वह अन्य — हानिनान्ट (negative) है। आज्ञकल अगर किसी गलीने दगा हुआ हो, तो वहो रन्नेवाले लेगोंपर हुद्दतिक हुन्नना किंजा उवा है। अगर दो गलियोंमें दगे हुए हों और ऐक पर पन्द्रीह हजान्ट तथा दूसरे पर दूसरा हुन्नना किंजा उप तो त्वकरी दहिने पर्ली गर्भवहें लाते पन्द्रीक हजार त्यादे ज्ञन किंजे उच्चो और दूसरे के दहने

दस हजार। अिसपरसे सरकार पहली गलीको ज्यादा लाभदायक मानेगी और दूसरीको कम। और अिसलिए अगर वह पहलीके लिए ज्यादा सन्तोष माने, तो अेक तरहसे यह सीधी बात जान पड़ती है। मगर दूसरी ओर सच्ची दृष्टिसे देखे, तो यह पन्द्रह हजारका अधिक लाभ संतोषकी नहीं, वल्कि खेदकी बात है। क्योंकि सरकारका हेतु दंगोंको रोकना है, दंगोंकि जुरमाने वसूल करनेका धन्धा चलाना नहीं। अिस हेतुकी सिद्धिके लिए ऐसी स्थिति पैदा करनी जरूरी है, जिसमे किमीपर जुरमाना न करना पड़े, व दंगे ही न हो ।

या नीतिमे थोड़ा फेरफार करके सरकार ऐसा नियम बनावे कि जो गलियों सालभर तक शान्ति बनाये रखे, अन्हें अमुक हिसाबसे करमे छूट दी जाय, और जहाँ दंगे हों वहाँसे पूरा कर वसूल किया जाय। अिस तरह सम्भव है कुछ गलियाले लोग अच्छे अिनाम ले ले और अिससे सरकारका कर कम वसूल हो। आपरसे देखनेमें यह तुकसानकी बात मानी जायगी। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि सरकारका मकसद दंगे रोकनेका है, अिसलिए करमे अमुक हिसाबसे छूट देनेसे लाभ होगा। शान्तिकी दृष्टिसे सजाकी जमा रकम अपसब्य — हानिमापक सख्ता है और करमे छूट सब्य — लाभमापक संख्या है।

अिसी तरह हम कीमतेके सवालपर विचार करे। मान लीजिये हम कहते हैं कि मिलका कपड़ा हमे अेक रूपये गजमे पुसाता है और वैसी ही खादी दो रूपये गजमे। और अिस हिसाबसे मिलके अेक गज कपड़ेकी कीमत अेक रूपया मॉडते हैं और खादीकी दो रूपया। अब अेक गज कपड़ा तो अेक गज कपड़ा ही है: फिर वह चाहे मिलमे बना हो, चाहे खादीका हो। जीवनकी जस्तरत तो दोनोंसे अेकसी ही पूरी होती है; अिससे जीवनके लिए दोनोंकी कीमत अेकसी है। मान लीजिये कि अेक आदमीको अुसकी

\* जुरमानेके सम्बन्धमें यह कथन शायद आसानीसे मज़र कर लिया जाय, और यह कहा जाय कि ऐसा कोभी नहीं समझता। मगर शराब वैरापद होनेवाली आमदनीके सम्बन्धमें ऐसो भावना है या नहीं, अिसपर विचार करना चाहिये।

बड़ी छह महीनों तक ल्यातार काम देती है। यानी अस्तकी सच्ची क्रीमत छह महीनों की है। फिर भी अस्तकी अल्पा-अल्पा कीमतों मॉडनेका मतल्ब यह हुआ कि यंत्रमें छह महीनोंका किराया एक रुपया होता है, और हाथ औजारमें दो रुपये। अगर छह महीनोंका किराया एक रुपया होता है, तो खादोंके दो रुपये लेकर आप खादी पहनेवालेहर एक बिस्तका छुस्नाना करते हैं, तो दो रुपये देकर खादी दनानेवालेको अनाम देते हैं। और अगर छह महीनोंकी कीमत दो रुपये वाजिब हो, तो मिलके कपड़ोंके लिये ऐक रुपया देकर आप मिलवाले पर छुस्नाना करते हैं, या निल्का कपड़ा एक रुपयेमें बेचकर उत्तरका झुपयोग करनेवालेको अनाम देते हैं। जित्त तरह लागत कीमतके हिनाव पर ते बत्तुकी क्रीमत आँखें जायें, तो अस्तकी सच्ची क्रीमत जाननेका कोअी ठीक-ठीक साधन ही नहीं निल्का।

जित्तके सिवा एक बूतरी तंहस्ते नीजूदा अर्थ-चक्रत्याकी अनर्थना पर विचर करें। नैतिक न्यायकी दृष्टिने देखें, तो जिन चीजोंके बिना जीवन ही न चल सकता हो, और जिसलिये जित्तके अुत्तादनमें ही जादाते जादा न्युयोंका ल्याना जर्दी हो, इनमें लो हुआ लेगोंकी मेहनतकी तरते जादा कीमत होनी चाहिये। न्युयकी मेहनतमें ते क्या जिनां होता है, और कह जीवनके लिये कितना जर्दी है, जिसका उगल रखकर ही अस्तका मेहनताना निश्चिन दिया जाना चाहिये। अधिक तरह देखा जाय, तो जित्तने जग भी शक नहीं कि झटकाने जादा मनुरोंके अनाज दैदा करनेमें कानून ही ल्याना चाहिये। दक्षिण नाम कानूनके ल्यान जिसने गौण रुदा जाय। जिसलिये जादाने जादा मेहनतका अनाज दैदा करनेकी ही नज़दीकी करनेवालेको निल्का चाहिये। जो न नरे धरे जिसने इनकी पत्तिने नाम जाने चाहिये। अनाज दैदा करनेवालोंके दाद दृग्य नम्बर गाप्ड घर और कृष्णे बनानेवालों तथा भी वौरा नम्बरी बनेवालोंके नाम ज न्यून है। जिस धर्मेने जान न नदरें दिया दूनरे धर्मे कानेवालोंकी नाम दिया-करन देखन ही जानी है, दृष्ट इन्द्रा व्यार्दिक दृष्टिने नामे बीमही नाम जान चाहिये।

मगर हम जानते हैं कि आजकी अर्थन्यवस्थामें ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा मेहनताना राजा, वजीर, सेनापति, फौज, पुलिस, न्यायाधीश, बकील, वैद्य, वडे अध्यापक, माहिर, फैजान सर्जक - वगैराको दिया जाता है, और जीवनमें जिसकी कमसे-कम जरूरत पड़ती है, उसे ज्यादासे ज्यादा मेहनताना मिलता है।

ऐसा होनेका एक कारण यह है कि अजान लोगोंमें जिस तरह भूत-प्रेत अथवा देवी-देवताओंके विषयमें वहम फैले हुओ है और अुनकी पढ़े-लिखे लोग हँसी अुड़ते हैं, अुसी तरह हमारे सभ्य समाजियों ( बुर्जुआ लोगों ) में राज्य-न्यवस्था और सुलह-शान्ति बनाये रखनेवालों तथा ज्ञान देने वालों वगैराके सम्बन्धमें वहम है। जिस श्रद्धासे अजानी लोग भूत-प्रेत या देवी-देवताओंको रिक्षानेके लिये मुर्गे, बकरे या पाइकी बलि चढ़ाते हैं, अुसी श्रद्धासे हम राजा-महाराजा और राजपुरुषोंको रिक्षाने के लिये अुन्हें ख़बू मेहनताना देते हैं, अुनके दरवार भरते हैं और जुलूस निकालते हैं। जिस तरह मनुष्य अपने ही हाथों गड़ी हुआ या चित्रित की हुआई देव-मूर्तिको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि हे भावन, तू हमारा कर्ता और भर्ता है, अुसी तरह वह अपनी मददसे खड़े किये हुओ राजपुरुषोंको पूजकर या प्रणाम करके कहता है कि आप हमारे राष्ट्रके स्वामी और पालक हैं। मगर अनुभव तो यह बतलाता है कि राजपुरुषों के कारण जितनी खून-खराबी, अव्यवस्था, अन्याय, लूट-मार, छुठाअी वगैरा होती है, अुतनी किसी प्रकारकी व्यवस्थित राजसत्ताकी चैरहाजिरीमें शायद न हो।

मगर अब मानव समाज ऐसी स्थितिमें है कि व्यवस्थित राजसत्ताको बनाये रखनेके सिवा अुसके लिये दूसरा कोअी रास्ता नहीं है। अिसलिये वह भले रहे, मगर अिसका यह मतलब नहीं कि अुस काममें ल्तो हुओ लोगोंकी आर्थिक कीमत भी ज्यादा ऑकनी चाहिये। ऐसा भी एक ज़माना था, जब ऐसा नहीं होता था। आज अिनकी आर्थिक कीमत ज्यादा

\* नोट — फैशन सर्जक शब्दको “कला सर्जकसे” भिन्न मानकर अुपका यहाँ अुपयोग करता हूँ। सच्चे कला सर्जकका मेहनताना तो अक्सर कम होता है, अुसकी प्रतिष्ठा भले हो।

ओकलेका अेक कारण यह है कि धन और प्रतिष्ठाका हमने ऐसा समीकरण किया है कि जितना धन, उतनी ही प्रतिष्ठा। अथवा हम ऐसा मानने लो हैं कि जिसकी प्रतिष्ठा बड़ानी हो, उसका मेहनताना भी बड़ाना चाहिये। हमने 'सर्वे गुणाः काश्वनमाश्रयन्ते' वाले नीतिवाक्य को अपने जीवनमें त्वीकृति दे दी है।

प्रतिष्ठा अनेक कारणोंसे हो सकती है और दी जा सकती है। अुते मान्य करनेके दृष्टरे चाहे जितने तरीके हों, मगर पैसोंके अिनाम द्वारा वह नहीं की जानी चाहिये। दृष्टे अक्षितको अुसकी अुम्रके लिये, लीको अुसके नारूत्व, कोनलगा और शीलके लिये, बाल्कको अुसकी निर्दोषता और मुखरताएँ लिये, ज्ञानीको अुसके ज्ञानके लिये, स्तिपाहीको अुसकी वहादुर्गाइ लिये, राज्यपुरुषको अुतके नेहन्त और कर्तृत्वके लिये, तत्त्वको अुसके चरित्रके लिये और अधिकारीको व्यवस्था कलाये रखनेमें नददरूप होनेके लिये अगर प्रतिष्ठा मिले, तो अितने कोजी दोष नहीं है। नगर पैसे देकर अित प्रतिष्ठाकी कठर नहीं की जानी चाहिये। आप अुन्हें आदर दीजिये, तबसे आगे जगह दीजिये, दैनंदिन त्यान दीजिये, ठीक लो अुत कर्त नन्त्कार या प्रगान कीजिये, पूर्णाला और लिपेच दीजिये, जर्ही हो तो खिताव या पदवियां भी दीजिये; नगर अुच्छव लिये अुन्हे ज्ञादा मेहनताना या चोने-चोराकी या कीमती चीजें या धन अिकन करनेकी रहूलियें देनेकी जल्दन नहीं है। अगर अल्प-अल्प कामोंने लिये अल्प-अल्प मेहनताना हो, तो सबसे ज्ञादा मेहनताना अनाजकी खेती करनेवाले या जलकी खेती करनेवालेओ निज्ञा चाहिये। यजकी भी अेक दिनकी मजदूरी खेतीके मजदूरकी अंक्षा कम होनी चाहिये। फिर भले अुतके कामोंने लिये अुते देनारी दियतिके दैनंदिन मर्मदित सहूलिये दी जाये।

## फुरसतवाद्

पिछले प्रकरणमें ‘समयकी वचतपर अिनाम’ या ‘समय विगाइनेपर जुरमाना’ जैसी परिभाषाओंमें चीजोंकी कीमत औँकनेकी मौजूदा पद्धतिका एक खुलासा पेश किया गया है। मगर सच पूछा जाय, तो अिस तरह स्पष्टता करनेमें ही गलत विचारदान होता है। हकीकत तो यह है कि गांधीवाद और दूसरे वादोंमें अगर स्वर्णके आधारपर सची हुअी वस्तुओं की कीमत औँकनेकी पद्धतिके सम्बन्धमें समानता है, तो ऐक विप्रयमें विरोध भी है। वह यह कि दूसरे सब वाद फुरसतवादी हैं; अनुके अनुसार अिन्सानको ज्यादासे ज्यादा फुरसत दी जानी चाहिये। कहा जा सकता है कि मौजूदा अर्थशास्त्रकी बुनियादी श्रद्धा यह है कि विद्या, कला, वगैराका—‘सस्कृति’ का — कारणगरीर या मूल साधन फुरसत है। गांधीवाद प्रतिक्रियाके स्वप्नमें शायद अिसके दूसरे छोरपर चला गया है, और वह फुरसतको लाभग मानव-हितकी दुश्मन ही समझता है।

‘हकीकत यह है कि फुरसत शब्दमें आल्स्य और विश्राम दोनोंका समावेश होता है। यहाँ मेहनतके वाद विश्राम करनेकी जस्ततके सम्बन्धमें विवाद करना बेकार है। यह विश्राम दो तरहका हो सकता है — ऐक तो आरामसे पड़े रहकर या सोकर हो सकता है, और दूसरा अनार्थिक जौक या ‘विनोदका श्रम करके किया जा सकता है। अिसमें खेल-कूट, कला-चातुरी, कथा-कीर्तन, ज्ञान-चर्चा वगैराका समावेश हो सकता है। यह श्रम धन पैदा करनेवाला भले न हो, फिर भी शरीर, मन, बुद्धि वगैराको स्वस्थ और अनुनत करनेवाला होना चाहिये। यह कहना कोरी पंडिताओं दिखाना है कि मनुष्यको विश्रामकी कोअी जस्त ही नहीं है; या ऐक प्रकारकी मेहनत करनेके वाद दूसरे प्रकारकी जो मेहनत की जाय, वह भी अर्थोत्पादक ही हो और अिसीमें विश्राम समाया हुआ है। यह स्वीकार करनेमें किसीको हर्ज नहीं होना चाहिये कि आल्स्य मानव-हितका

दुन्हमन है। 'निकम्मा वैठा सर्वनाश न्योते' वाला वाक्य अनुभव वाक्य है। जिस फुरसतका परिणाम जुओं, शराब, व्यभिचार, नाच्तमागा, मल्लि कला, गाली-गलौज तथा मारपीट हो, उसे ऐसी सर्वनाश न्योतने वाली फुरसत कहा जा सकता है।

मगर आल्सकी अनिष्टता स्वीकारने जाकर कहीं श्रमका बोझ न चढ़ जाय, अिस दहशतसे फुरसतवाद पैदा हुआ। जीनेके लिए किये जानेवाले आश्रयक श्रममे से ज्यादासे ज्यादा मुक्ति पहले मिलने दी जाय; आश्रयक श्रम ही श्रान्ति (थकावट) है; और अिसमे से निकलना विश्रान्ति—फुरसत। थकावट महसूस होने ल्लो अुससे पहले ही फुरसत या विश्रान्ति मिले, तो ज्यादा अच्छा। ऐसा हो तभी दूसरे प्रकारके ज्ञान-कला वर्चैराका अुपार्जन-सर्जन हो सकता है। थकावट-रहित फुरसत विताते न आता हो, तो हजे नहीं; 'निकम्मा वैठा सर्वनाश न्योते' का खतरा अठाकर भी मनुष्योंको पहले फुरसत दी जानी चाहिये। वादमे धीरे-धीरे फुरसतके समयको अच्छी तरह वितानेकी तालीम दी जा सकेगी। यह फुरसतवाद है।

विचार करने पर मालूम होगा कि श्रम-फुरसतका सम्बन्ध त्याग-भोग, अहिंसा-हिंसाके सम्बन्ध जैसा है। जिस तरह मनुष्य सर्वथा-भोगके विना नहीं रह सकता, सर्वथा हिंसाके विना नहीं रह सकता, अुसी तरह फुरसत निकाले दिना, मेहनत बचानेकी कोशिश किये दिना भी वह नहीं रह सकता। भोगको मर्यादित करने या घटानेकी कोशिश बरते हुअे भी मनुष्य बहुत कुछ भोग करता ही है। मगर अिससे अगर वह भोगको ही जीवनका सिद्धान्त बना ले, तो सर्वनाशके रास्ते जाता है। अिसी तरह हिंसाको मर्यादित करने—घटानेकी कोशिश ही अहिंसा है। अहिंसक होनेकी कोशिश करते हुअे भी अन्सानसे कुछ हिंसा हो ही जाती है। मगर अिसमे अगर वह हिंसाको ही जीवनका नियम बना ले, तो उनका परिणाम यादवर्थली निर्माण करनेके तिबा और क्या हो सकता है। ग्रीष्म वात श्रम और फुरसतके सम्बन्धने कहीं जा सकती है। अन्तान फुरसत ने निर्गतर्गा ही। श्रम करते हुअे भी झुककी नजर फुरसत पर रहेगी।

मगर फुरसतको ही अगर वह अर्थगाल्की या जीवनकी फिलॉसफी या ज्ञान-कलाका साधन समझ ले, तो उसके परिणाम स्वरूप अनर्थोंकी परम्परा ही उसके हाथ लग सकती है।

एक ऐसी मान्यता है कि संस्कृतिका विकास फुरसतमेसे हुआ है और होता है। फुरसत हो तो मनुष्य गाना सीख सकता है, नाचना सीख सकता है, चित्रकला, मूर्तिकला वगैरा सीख सकता है, शरीर, घर वगैराको सजाना, पढ़ना और मनन करना सीख सकता है, विज्ञान और तत्त्वज्ञानपर विचार कर सकता है। मगर जिसका सारा दिन और जीवन पेटका गदा भरनेकी मेहनतमें और जीवनको जैसे-तैसे ठिकाये रखनेमें ही चला जाय, वह यिस सारी विद्या-कला-ज्ञान वगैरा का किस तरह विकास कर सकता है? आज तक दुनियामें जो-जो महान संस्कृतियाँ पैदा हुई हैं, भव्य नगर, अिमारतें, साहित्य, संगीत, कला, तत्त्वज्ञान आदि रचे गये हैं, वे सब फुरसत निकाल सकनेवाले लोगोंके ही प्रतापसे हैं। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थामें थोड़े मनुष्य किसी तरह खूब धन अिकट्ठा कर सकते थे, और यिससे सिर्फ अन्हैं खुदको ही खूब फुरसत नहीं मिलती थी, बल्कि वे दूसरे योग्य व्यक्तियोंको भी फुरसत दिलानेमें मददगार हो सकते थे। मुझे शरीरश्रम करके जीवन निर्वाह नहीं करना पड़ता, योड़ी मेहनतसे ज्यादा कमा सकनेवाले कुछ लोगोंमें पुस्तके खरीदनेकी शक्ति होती है, यिसलिए ‘नवजीवन प्रकाशन मंदिर’ पुस्तके छापनेका धन्या चला सकता है, और यिससे मेरे जैसे लेखक निश्चिन्त होकर साहित्यसर्जन कर सकते हैं और महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टागोर जैसे नररत्न भी पैदा कर सकते हैं। यिसीकी बदौलत शकराचार्य जैसे अनेक तत्त्वज्ञानी तत्त्वज्ञान विद्या सके हैं और साधु-सन्त भक्तिका प्रचार कर सके हैं। यिसीके कारण पिरामिड, ताजमहल, देल्वाइके मन्दिर, नाल्न्दा, मोहन-जो-दरो बने हैं। अणुमे रहनेवाली अद्भुत और प्रचण्ड शक्ति, विजली तथा किरणोंकी वैज्ञानिक खूबियाँ, हैरतमें डालनेवाले प्रचण्ड अद्योग और पुल वगैराके बॉधकाम करनेमें वे ही लोग शक्तिमान् हुए हैं, जिन्हे अर्थोत्पादक श्रममेंसे फुरसत मिली है। अगर फुरसतकी शक्यता न होती, तो विज्ञान का विकास न होता। अठारहर्वीं सदी तक जो सुख-सुविधाओं वहुत बड़े

चक्रवर्ती राजाको भी नसीब नहीं थीं, वे आज वम्बअीमे रहनेवाले मिल-मज्जदूरको या मामूली मुनीमको भी मिल सकती हैं। शाहजहांने जैसी बारीक मलमल पहनी होगी, वैसी ही या अुससे भी बारीक मलमल आजका मामूली मज्जदूर पहन सकता है, और अुसकी स्त्री ऐसी साड़ी पहनकर दर्तन साफ करने वैठ सकती है, जैसी दो सौ बरस पहलेके नगरसेठकी वहने भी रातदिन पहननेके काममे नहीं ली होगी। पचास बरस पहले अगर लड़केके पोवकी रेखा देखकर ब्राह्मण कहता था कि अिसके नसीबने गाड़ीघोड़ा है, तो अुसकी मोक्षी खुगीका पार नहीं रहता था। आज पैंखकी अुस खात रेखाके बिना ही आदमी ऐक आना खर्च करके ब्रिजलीके बाहनमे वैठकर आधी वम्बअीकी सैर कर सकता है। राम जैतोंको भी विभीषणकी मददसे पुष्पक विमानमे वैठनेका लाभ मिल। आज शकरताब देव जैसे निष्किच्छन लेवक भी महीनेमे दो बार अुड़ सकते हैं और हिजरत करनेवाले चरीब किसानोंको भी विमानमे स्थानान्तर बदाया जाता है। अितने बड़े विक्रासका श्रेय फुरसतको ही है। अभी तक यह फुरसत पूजीपतियोंकी ही अेकाधिकार मे थी। अब अिसे यंत्रोदयोगों द्वारा और समाजवादी रचनाके द्वारा समाजव्यापी बनाया जा सकता है। घृजीवाद स्वार्थी और अत्यन्यापी होनेसे वह हटा देनेके क्षाविल हैं; भगर अुसका नवनीत — फुरसत तो जर्वर बढ़ाने और सम्भालकर रखनेकी चीज है। जैसी है फुरसतकी महिमा।

भगर अिन विचारोंमे सत्य, अर्धसत्य और भूल्से भरी हुओ वातोंका बिनना साता मिश्रण कर दिया गया है कि अनकी गहराईमें अुत्तरकर विचार करनेकी जर्वरत है। पहलेसे कर्त्ता गुनी ज्यादा सुख-सुविधाके साधन आज व्यापक तरीकेसे जनताको सुलभ होते हुओ भी और समयकी दन्त करनेवाले अितने सारे साधनोंका निर्माण होते हुओ भी वह जैसी विचित्र बात है कि जिस फुरसतके लिये हम अितने ज्यादा तर्कते हैं, वह हमारे पृथक्कोंको जिननी मिलती थी, उतनी भी हमे नहीं मिलती। जिस निष्किच्छनाते न्यै वर्ष पहलेका किसान जीवन निर्वाह करता था और अपने दे नरी पश्चिमास्त्रों पालना था, उस निष्किच्छनाते अगर आज्ञा किसान दर्ते तो पालन ही ही जाय। कच्चे गत्तेपर नेंद्रिये दौड़नेवाला देहा

या सॉइनी ही जब मुसाफिरी या सन्देशा लाने—लेजाने के बेगवान साधन थे, तब मनुष्यको जितनी फुरसत थी, अुतनी रेलगाड़ी मिलनेके बाद नहीं रही; और रेलगाड़ी मिलनेपर जो फुरसत थी, वह हवाओं जहाज मिलनेके बाद नहीं रही । महाभारतके युद्धने हमारे भगव पर पुराने ज़मानेमें होनेवाले वडे से वडे युद्धका संस्कार डाला है । दोनों तरफसे मिलकर अठारह अक्षीहिणी<sup>1</sup> सेनाने—अठारह ही दिनोंमें अुस समयकी सारी ‘आर्य’ जातियोंने—आपसमें ऐक दूसरेका क़ल्ल किया । मगर इस वडे युद्धमें भी आजकी अपेक्षा कितनी निश्चिन्तता और फुरसत थी ! मुहूर्त पूछा जाता था, सेनाये भिकट्टी होती थीं, बीचमें ग्रहण पड़ता था तो दोनों पक्षोंके बीच सुलह घोषित हो जाती थी, अुस बङ्गत दुश्मन भी ऐक दूसरेसे मिलते और आमोद-प्रमोद करते थे; लड़ाओंके दरमियान मामूली तौरपर स्वर्यास्तके बाद लड़ाओं बन्द रहती थी, तब दुश्मनकी छावनीमें भी जाया जा सकता था; रातको कथा-कीर्तन होता था और वह ‘बँड़क आबुट’ के बिना ही चलता था । भयकर युद्धोंके बीच भी फुरसत और शान्ति रहती थी, जैसे हाओं कोर्टमें कोओं ‘लॉग कॉज़’ (बड़ा केस) दायर किया गया हो । मगर आज तो यह हालत है कि दो माह पहलेसे जिसकी तारीख जाहिर हो चुकी हो, ऐसी किसी विचार-परिषदमें भी कोओं शान्त चित्तसे नहीं पहुँच सकता । कुछ लोग तो ऐसे निकल ही आयेंगे, जो बड़ी मुश्किलसे समय निकालकर विमान द्वारा वहाँ पहुँच सके हों । फिर वहाँ पहुँचकर सभीको इस बातकी जल्दी पढ़ जाती है कि कैसे तीन दिनके निश्चित कामको दो ही दिनमें निपटा दिया जाय । कुछ लोग अुसमेंसे भी जल्दी निकल जानेवाले मिल जायेंगे । कुछ स्वयं न पहुँच सकनेकी बजहसे आखिरी घड़ीमें ‘अर्जेण्ट फोन’ से सन्देश भेज देंगे । जिन दिनों छह-छह महीनोंमें डाक पहुँचती थी, तब अस्ट अिण्डिया कम्पनीने छह हजार मील दूर हिन्दुस्तान जैसे देशमें राज्य कायम किया और चलाया । अकबरने ल्याभग पूरे देश पर हुक्मत की । आज फोन, रेडियो और विमान जैसे साधन होते हुओं भी ऐसा करना असम्भव हो गया

\* २१८७० रु, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े तथा १,०९,३५० पैदल सिपाहियोंसे बनी हुओं ऐक फौजी डुकड़ी ।

है। अगर चौबीस घण्टेकी देर हुआई होती, तो काश्मीरकी क्या दशा होती, यह हमे प० जवाहरलालजीने बतलाया ही था। यत्र-युगमे जिस फुरसतके लिये हम तरसते हैं, अुसकी यह हालत हो गई है। हम ज्यादा फुरसत पानेके लिये प्रयत्न करते हैं, मगर वह तो गवेकी नाकके सामने दैध्ये हुओ प्याजकी तरह हमसे दो अगुल दूर की दूर ही रहती है। जित तरह गवेका ध्येय प्याज पाना है, अुसी तरह हमारा ध्येय फुरसत पाना है, और अिसमे हनारी भद्दा है।

खैर, अब हम फुरसत और सत्त्वतिके सम्बन्धपर विचार करे। संत्त्वतिमे हम भक्ति, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, ललित कलाये, शरीर, मन, दुष्टि वर्षा की अलाधारण शक्तियों, या सुख-सुविधाके साधनोंकी सुलभता — चाहे जिसे ज्ञानिल करे — उनके सम्बन्धमे हमे दो भेद करने होंगे। ऐक तो किसी छात कित्सकी सत्त्वतिकी विशेषताका निर्माण करनेवालोंका और दूसरा अुसके कदरदानों और अुपमोग करनेवालोंका।

जब हम अपने मित्रोंके साथ मिलकर छुट्टीके दिनोंमे ( यानी फुरसतके बड़त ) अपना ही शौक पूरा करनेके लिये अपने हाथों मालपुआ, कच्चीड़ी, कट्टी, भात, दो-चार चटनियों वर्षा तैयार करके, भोजनके स्थानको पूर्लों और चिंत्रोंसे सजाकर, अगरदत्ती वर्षा से सुरान्धित करके गारे और आनन्द करते हुओ भोजन करते हैं और वादमे जानचर्चा करते हैं, तद पाककल, चित्रकल, नगीतकल, तत्त्वज्ञान वर्षाके हम खुद ही निर्माण, कदरदों जैसे भोक्ता होते हैं। यह फुरसत अपनी है, और सर्जन भी खुदका ही है।

मगर जब हम अपनी और अपने मित्रोंकी फुरसतने बड़त जिसी त्रीको या न्सो-अियेंद्रो या होट्वालोको हुक्म देकर याना तैयार करवाने हैं तथा किसी गवैये, नाचनेवाली या हस्तिर्तनकारको हुल्कार या ग्रामोंमें टलाकर वन-भोजनके कार्यशमनी योजना करते हैं, तद हुस्ते ब्लाना निर्माण करनेवाले दृतरे होते हैं और अनें आध्यदाता तथा हुम्मेंग बरन्गले हुते। ले तेंग जिन कलाओंका निर्माण करते हैं, वे अपनी इरुलनका बड़त हुनें नहीं ल्याते बल्कि प्यार्थीना या अपना दंड पालनें लिये ही मेहनत करते हैं। वे हुस्ता हुम्मेंग भी नहीं करते, अधड छपने आध्यदाताओं द्युम्मेशमें जे रक्ष रखता है, हुम्मेंग

अुपभोग कर सकते हैं। रसोअिये, होटल्वाले या गव्वये अपने कलामय व्यवसायको पेटके लिये मजदूरी करना ही समझते हैं, अिसके लिये वे ज्यादा ग्राहकोंकी तलाशमें रहते हैं और ये भी ग्राहकके फुरसतवादको ही माननेवाले होनेके कारण ऐसी युक्तियों ढूढ़ते हैं, जिनसे अिस मेहनतको कम किया जा सके और अपने कलासर्जक व्यवसायमें से फुरसत हासिल की जा सके। अपने व्यवसायमें अिन्हें कलाकी अुपासना नहीं मालूम होती। अिसलिये फुरसत निकालकर वे दूसरी कलाओंके अुपासक बनना चाहते हैं और अनुमें भी वे वहुत करके कलाके निर्माता नहीं बनते, वल्कि किसी दूसरे पेशेवर कलाकारके आश्रयदाता ही बनते हैं। रसोअिया अपनी फुरसतका बक्त सिनेमामें विताता है, सिनेमाका नट होटलमें या वेश्याओंके यहाँ पड़ा रहता है, कीर्तनकार 'ब्रह्मोजन'की खोज करता है और व्रह्मानी साधु गोंडे-भगके सेवनमें विश्राम पाता है ! ज्यादातर सभी लोग सिनेमानाटक, बुड्डोइ, क्रिकेट या ऐसी ही कलाओंके आश्रयदाता बनते हैं, जिनमें थोड़े लोगोंकी मेहनतका अुपभोग वहुतसे लोग एक साथ कर सके और वहुतसी अिन्द्रियोंको रिझाया जा सके। आज तो वहुतसी कलाओंका अन्तिम स्थान सिनेमाघर है। वहाँका पहनावा, नृत्य, संगीत, घरकी सजावट, श्रागार, चित्र वर्गों समाजकी कलाके आदर्श बनते हैं। अिसमें सभी कलासर्जकोंका सहयोग होता है। चित्रकार, गिल्पी, कथालेखक, कवि, गायक, वैज्ञानिक सवको वहाँ स्थान मिलता है, और वे सब वहाँ कला द्वारा जीवननिर्वाह करते हैं, और पैसा देनेवाले सयोजकके हुक्मके मुताबिक कलाका प्रदर्शन करते हैं।

ललित कलाये सस्कृतिका नवनीत - माखन - मानी जाती है। शालये अपने वर्षभरके शिक्षणका प्रदर्शन नाट्यप्रयोगों द्वारा करती है, अितिहासकार प्रजाकी सस्कृतिके अुदाहरण स्वरूप भव्य नगरियों और अिमारतों तथा श्रेष्ठ काव्य, नाटक वर्गोंकी सूची देते हैं। अिन कलासर्जकोंके जीवनमें फुरसतके लिये कितनी जगह थी, अपनी कलाकारोंके लिये कितना सद्भाव और कद्रदानी थी, अपने आश्रयदाताओंकी खुशामदके लिये अन्हें अपनी कलाको कितना विगड़ना या गिराना पड़ता था, और शौक्षसे

नहीं, वल्कि अपने आश्रयदाताओंके लिये अपने व्यक्तित्वको कितना कुचलना पड़ता था, जिसका ये स्वकृतिका मालून चखनेवाले और अुसका बुण्डान क्लेवाले शायद ही कभी अन्दाज ल्याते हैं। यह सच है कि फुरस्तकी बदौल्ल अिन कलाओंका पोषण हुआ, मगर फुरस्त किसकी, और कितनोंकी १ कलाके सर्जकोंकी या आश्रयदाताओंकी ? अिन आश्रयदाताओंकी फुरस्त कहाँते आरी ?

और फुरस्तको पूजनेवाली या फुरसतवालोंके लिये निर्माणे की हुअी कलाओंका स्वरूप भी कैसा है ? सामान्य जीवनमें जैसे अगविक्षेप करते ही न करे संगीतके त्वर और ताल्से अगर अुसका सम्बन्ध न हो, तो देखनेवालेको (हृत्य) करनेवालेके सम्बन्धमें यह गक पैदा हो जाय कि उत्ते चित्तभ्रम तो नहीं हो गया है या अग्रजीमें जिसे 'तेन्त वायिद्यका नाच' कहते हैं जैसा ऐक तंहका वाउनेग तो नहीं हो गया है; और जो वेच, हावभाव और संकिञ्ची किरणों और भडकीली सजावटें जिन जीकी पड़ जाएँ, वह है हमारी आजकी झेंचीसे झेंनी हृत्यकलाका स्वरूप। और जिसीको सीखनेके पिछे वाल-मिट्टिके बच्चोंमें लेकर उनिहर्मिटीके तरगतरणियों तक सब देवैन रहते हैं। जैसे लम्हे और पतले नाक, कान, आंख, कमर, झुंगलियाँ और नखवाले मनुष्य दुनियामें कर्त्ता भी देखनेको नहीं मिल सकते, और अगर दिखे तो विचित्र प्राणियों कैसे ही लगे, उन्हें हम चित्रकलाके अुत्तम नमूने मानने लगे हैं। हमें लगता है कि जिन हृत्य-चित्र वर्गोंमें जो खूदहस्ती मालूम होती है, उनका जागा उन्हें अद्दृत अगविक्षेप य नाक, कान, आंख वर्गोंकी असामान्य दबावद है। ऐसे इष्ठा जाएँ, तो जिनकी आकर्तनाका आधार हृत्यी जिन्दिन-नोहन शान्त ही है। कुन्तपता दो प्रकारकी होती है: ऐक नरमत पैदा करनेवाल, वीभस्त लानेवाली और दूसरे ही जैसे जिचली पैदा करनेवाली: जैसी जि गक्षतर्की, धन्दृतर्की, हिटिमार्की, हृजर्की। हृत्यी है न हुक और शारर्की हुअी कुन्तपता। पर कुन्तपता ईर्ही है कि अगर जिसका शरार अुत्तर ढाले, तो दुर्बलता, अल्पर्क्षिता, रेग या व्यग्नि ही लिट्टा हुन्न रही। मगर नाहुक और स्तिगारी हुअी होनेते, कुन्तपता होते हुये भी वह वीर्यज्ञान हुन्नपन ईर्ही ही जिन्दियनेहन लगती है। मेरे द्वयन्देश विवर

करने पर हमें विश्वास हो जायगा कि आज हम कलाके नाम पर ज्यादातर नाजुक कुस्तपताको ही माँदर्य मानने लो हैं। जिननी ज्यादा अल्पवीर्यता होती है, उतने ही ज्यादा श्रगार, हाव-भाव बर्गरासे अुसे ढंकनेकी कोशिश की जाती है। और देखनेवाले अुस वाहिंगी रापर ही मुग्ध होकर गह जाते हैं, अुसके पीछे रहनेवाली कुस्तपताको नहीं देख पाते।

मगर यह थोड़ा विपर्यातर हो गया। मूल वात फुरसतकी है। और अुसमें कहनेकी वात यह है कि फुरसत-पूजामेंसे निकले हुअे कला-साहित्य-काव्य बर्गरा अुथले, अिन्डियोको आकर्षित करने वाले, रागद्रेपसे भरे हुअे और ज्यादातर वाजारू वृत्तिके होते हैं। अपने जीवनके नित्य नैमित्तिक कार्योंमें, सम्बन्धोंमें, श्रममें जिस कृतार्थता और प्रसन्नताका अनुभव हो, अुसके परिणामस्वरूप अुन कामोंको सुगोभित करने, अुन सम्बन्धोंमें भक्ति, मिठास और रसिकता लाने और अुस श्रममें पारगतता प्राप्त करने तथा सुन्दरता भरनेकी जो प्रवृत्ति हो, अुससे निर्माण होनेवाली कला बर्गरा अल्पा ही किस्मकी होगी। अिसकी कीमत पैसोंमें ऑकी ही नहीं जा सकती। अिसकी कदर करनेके लिअे जो कुछ दिया जाय, वह देनेवालेको फूल नहीं, बल्कि फूलकी पॅखुरी जैसा ही लोगा और लेनेवालेकी नज़र अुस चीज़पर नहीं, बल्कि देनेवालेके भावपर ही रहेगी।

अिस वातसे कोअी अिनकार नहीं कर सकता कि मानवकी अुन्नतिके लिअे फुरसत जरूरी चीज़ है। शान्तिसे खाने या सोनेका भी समय न मिले, जीवनमें हमेशा ‘वक्त नहीं’ का ही स्वर प्रधान हो अुठे, यह स्थिति कभी भी अिष्ट नहीं है। मगर अिसका नाम फुरसत नहीं है कि दिनमें कुछ घटे खब दौड़धूप करके भूतकी तरह काम करना, बादमें कुछ घटे मौज-नौकके

---

\* स्वामी सहजानन्दके जीवन चरित्रमें मैने अुनके जीवनकी ऐक घटनाका वर्णन किया है। आधाराम नामके अुनके ऐक दरजी शिष्यने शुरू हैं मेंट करनेके लिअे ऐक सुन्दर अँगरखा सोया। भावनगरके दरवार अिस अँगरखेको देखकर अितने खुश हुअे कि अैमा ही अुनके लिअे सी देनेपर सौ रुपये सिलाभी देनेको तैयार हो गये। मगर दरजीने कहा, “ अैमा दूसरा अँगरखा तो मुझसे नहीं सीते बनेगा। अिस अँगरखेमें तो प्रीतके टॉके पढ़े हैं। अैसे टॉके आपके अँगरखेमें डालनेके लिअे दूसरी प्रीत कहाँसे लायूँ ? ” मच्ची कलाका सर्जन अिस तरह होता है।

कार्यक्रममें विताना और फिर नींद लनेके लिये कोअी दबादाल लेकर सब्रे सात-आठ बजे तक न पूरी नींद, न पूरी जाग्रतिकी हालतमें वित्तरपर करवटे बदलते रहना । फुरसतका जो सच्चा सुख जीवनके सारे कामोंको जान्तिते कर सकनेकी स्थितिमें मिल सकता है, वह कामका वेग दबाकर फुरसत निकालनेकी कोशिशसे नहीं मिल सकता । सुख तो ऐक तरफ रहा, अभी तक तो यह फुरसत ही मिलनेकी आवाज़ा नहीं दिखाई पड़ती ।

वेगवान यत्रों द्वारा हमने समयको धोखा देनेकी कोशिश प्रारम्भ की है । बहुत तेजीसे चौंजे तैयार करना, तेजीसे ज्ञाहे बदलना, यिस तरह वेगके प्रति हमारा मोह पागलपनकी सीमातक पहुँच गया है । फिर भी समय—काल—को धोखा देनेकी स्थितिसे हम अभी कितनी दूर पड़े हैं ? अभी ऐसे विमान नहीं देने, जो हवामें आवाजकी गतिसे होइ लगा सके; पर यिस तरहकी कोशिश अवस्थ्य जारी है । मगर प्रकाश और विजलीकी गतिके सामने यिस वेगकी कोअी कीमत ही नहीं । जब आठ घट्टोंमें बन्दरीसे ल्डन पहुँचानेवाले विमान देनेगे, तब हम बड़ी मुश्किलसे आवाजकी गतिकी दरादरी कर सकेंगे । उन्हें सेकड़में पहुँचानेवाले विमान दनानपर हम प्रकाशकी दरादरी कर सकेंगे । कहौं उन्हें सेकड और कहां आठ घटे ! समयका कितना दिगाइ ! और मनकी गतिके सामने तो प्रकाशकी गति भी धोड़ेके सामने दीरवहटीकी गतिके दरादर है । सच्चा वेग तो तब हासिल होगा, जब हम मनके वेगसे अिच्छित स्थानपर देर सहित पहुँचने और चौंजे दना लेनेकी स्थितिको पहुँच जायेंगे । मगर अस तमय यह फुरसत—शान्ति—सुख—विश्रान्ति हम भोग सकेंगे या नहीं, यह ढीक-ढीक नहीं कहा जा सकता । बहुत करके तो नहीं ही भोग सकेंगे, हाँ, जीवमात्रके नारोंके परिणामत्वस्प क्यामतकी राह देखते हुमें छङ्गों या अन्लरिक्षनें पहुँ रहनेकी फुरसत मिल सकती हो, तो भर्ते निल जाय ! या फिर सभी लोग सत्तुगुणके सत्यतकाल्पी और शुद्ध चित्तवाले जिन्नान द्वं जाय, तब मिल सकती है ।

दब्बनकी येक दात हूँने पाद आ रही है । ऐक सुत्तल्मान वित्तनना हमरे परिवारके साथ स्लेट-सम्बन्ध था । अमरे लड़कों दब्बी देन्ना था । हमरे हुम्में विर्तीवी शादी थी । मेरे चिन्हान्हें विचार

किया कि अिस बहाने अगर यह लड़का वम्बअी जाकर झहर भी देख ले और वहाँकी शादीमें भी शरीक हो जाय, तो क्या हर्ज है। अुसे तैयार होकर आनेकी सूचना भेजी गयी और वह अपने गाँवसे आ पहुँचा। किस गाड़ीमें वम्बअी जाना है, अिसपर चर्चा हो रही थी। अुन दिनों अकोलासे वम्बअी जानेके लिये दो गाड़ियाँ थीं। एक पैसेजर थी, जो लगभग अठारह घण्टोंमें पहुँचती थी और भुसावलमें गाड़ी बदलनी पड़ती थी। दूसरी मेल थी, जो चौदह घण्टोंमें और बिना बदले पहुँचती थी। अुस लड़केने देखा कि मेलका किराया ज्यादा होता है, बीचमें वह बहुतसे स्टेजन छोड़ देती है, और गाड़ीमें बैठना भी कम मिलता है। अिसके सिवा बहुतसे स्टेजन रातमें निकल जाते हैं। पैसेजरका किराया कम, दो गाड़ियोंमें बैठनेको मिले, दिनमें खाना हो, एक-एक स्टेजन दिखे और गाड़ीमें चार घटे ज्यादा बैठनेको मिले। अुसने जब सुना कि मेरे पिताजी बगैरा कुछ लोग मेलमें जानेवाले हैं और दूसरे कुछ लोगोंको पैसेजरसे भेजना तय हुआ है, तो अुसे यह बात विचित्र लगी। ये रेलवेवाले कैसे हैं, जो ज्यादा समयतक गाड़ीमें बैठनेवालों और अुसका ज्यादा अपयोग करनेवालोंको तो सस्तेमें ले जाते हैं, और कम समय बैठनेवालोंसे ज्यादा किराया लेते हैं, और महेंगा सीदा पसन्द करनेवाले ये सेठ लोग भी कैसे हैं? मेरे पिताजीके भोले और भले होनेकी गोहरत तो पहलेसे ही थी, मगर अुसे लगा कि यह तो भोलेपन और भलमनसाहतकी हद हो गयी। रेलवेपर अितना अुपकार करनेका क्या कारण हो सकता है?

यह किसान स्वाभाविक अर्थगाल्को समझता था। आधुनिक अटपटे अर्थशास्त्रमें अभी अुसका प्रवेश नहीं हो पाया था। स्वाभाविक अर्थगाल्कमें सिर्फ समयकी या समयकी बचतकी कीमत नहीं होती। अुसमें समयके साथ मेहनत, तथा बस्तुकी अपयोगिता बगैरा कितनी बढ़ती है, अिसकी कीमत है। अुसके जीवनकी व्यवस्था ही ऐसी थी कि अगर अुसे गाड़ीमें चार घटे ज्यादा बैठना पड़े, तो अिससे अुसका कोअी काम नहीं बिगड़ता था, जुल्टे प्रवासका आनन्द ही बढ़ता था। अुसकी नजरमें तो हमारे भी कोअी काम अिससे बिगड़नेवाले नहीं थे। अिस हालतमें चार घटे कम बैठकर ज्यादा किराया देना अुसके लिये नुकसानका सीदा

या। अुत्तके मजदूत, गठीले गरीरके लिए चार घटे ज्यादा बैठने या गाड़ी बदलनेकी मेहनत कोअी दिसातमे नहीं थी।

अिसते अिनकार नहीं किया जा सकता कि समय, वेग, समयकी वचत, फुरसत, शक्तिकी वचत वर्गराका योग्य परिस्थितियोंमे महत्व है। मगर हन ल्याभग सूखाँकी तरह अिनकी निरपेक्ष स्पष्टता स्वतंत्र ही कीमत समझने ल्ले हैं, बल्कि कभी कभी अुनकी कीमत पैसेसे भी ज्यादा समझ लेते हैं। हमारा कोअी भी काम न विगड़ा हो, अुल्टे बक्त वेकाम जाता हो या अुत्का दुर्घयोग ही होता हो, गरीरमे काम करनेकी शक्ति भी हो, अुल्टे कामके अभावमे गरीर ढीला बनता हो, फिर भी हम समय, वेग आदिकी अध्यपूजा करते हैं। हमने देखा कि चरखेकी अपेक्षा निलने ज्यादा तेजीते कपड़ा तैयार हो सकता है। बैल्याइमे बैठकर या पैदल यात्रा करनेकी अपेक्षा वस द्वारा ज्यादा तेजीते कहीं पहुँचा जा सकता है; और रेल्याइकी अपेक्षा विमान जल्दी पहुँचा देता है। अिसलिए गप्पे मारने या तागन्तरज बेलनेके सिवा दूसरा कोअी काम न हो, वेकारिके कारण कोअी कमाओ भी न हो, फिर भी अगर कोअी चरखा चलानेकी दात कहे, तो वे दलीलें दी जाती हैं—“अिस तरह कब तो कपड़ा बनेगा और कब पहनेगे? चरखेने आगिर किनारा, सूत निकलेगा? अिन यत्रके जमानेमे चरखा कैने चल सकता है? अिसमे किनारा मेहनताना भिलेगा? यह तो बक्त और पैनेकी दस्ताईमे तिवा और कुछ नहीं है। अितने समयमे तो दूसरा बहुतसा काम हो सकता है।” बर्यरा बर्यरा। अगर अुनते कहे कि “आपके गप्पे और तागने समझने आदे भागमे आप अपने कपड़े तैयार कर सकते हैं, चरखा दुनियामें चले जाहे न चले, वह आपकी जस्तर तो पूरी कर ही सकता है,” तो दह दात अुनके गले नहीं धुतरती। यही हाल तेजीते यात्रा बर्लेजे समझने है। बर्देकी, समयकी या अुमकी दचतरी या फुसतरी कम्बन अुमुके अुद्योगके तर्जने पर निर्भर है, यह न समझते हुजे अुन्हें त्रिनेश कम्बन माननेकी हमारी आदत पह गई है।

अगर फुल्लन, समयकी वचत, वेग वर्त्ता दृष्टवक्ते, स्कूट बनते हैं तथा निरिक्षना और सुल्लशक्ति हते हैं तो वे हम दौभारते हैं और

फायदेमन्द भी है, नहीं तो अनकी कोअी कीमत नहीं समझनी चाहिये । मगर यह सब तभी शले अतर सकता है, जब चरित्र और नीतिकी समृद्धिका महत्व हमारी समझमे आ जाय । जबतक हमें सिर्फ वाह्य वैभव विद्वानेकी ही चिन्ता ल्ही है, जबतक वडे वडे शहर, जवरदस्त कारखाने, प्रचड विमान, सर्वविनाशी अस्त्र-गन्ध, सुख-सुविधाके ओक्से एक विद्विया साधन और भोगोंकी अति वृद्धि ही हमे विजान और सभ्यताकी विजय पताकाये मालूम होती है, तबतक जीवनकी ही नहीं, वल्कि पदार्थोंकी भी कीमत ऑक्नेका सच्चा माप हमे नहीं मिलेगा ।

## ८

## आर्थिक क्रान्तिके मुद्दे

मुझे अितना अधिक ज्ञान तो नहीं है कि मैं ठीक-ठीक बतला दूँ कि किस निश्चित योजना और विनिमयके साधन द्वारा अिन सबको अिस तरह व्यवहारमे अुतारा जा सकता है कि जीवनके लिये ज्यादा महत्वकी चीजोंकी कीमत ज्यादा ऑकी जाय और कम महत्वकी चीजोंकी कीमत कम । मगर अिस विषयमे मुझे कोअी सन्देह नहीं कि हमारे विचार और व्यवहारमे नीचे लिखी क्रान्तियाँ होनी ही चाहिये :

१. प्राणोंकी—खास करके मनुष्यके प्राणोंकी कीमत सबसे ज्यादा ऑकी जानी चाहिये । किसी भी जड़ पदार्थ और स्थानकी प्राप्तिको मनुष्यके प्राणोंसे ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिये ।

२. अन्न, जलशय, कपड़े, घर, सफाऊ व तन्दुरस्ती वयैरासे सम्बन्ध रखनेवाली चीजें और अन्हे सिद्ध करनेवाले धन्ये दूसरी सब चीजों और धन्धोंकी अपेक्षा पैसेके स्पमे ज्यादा कीमत अुपजानेवाले होने चाहिये । दुश्मनीके कारण अिनका नाश करना अन्तरराष्ट्रीय नीतिमे अत्यन्त हीन काम माना जाना चाहिये और वैसा करनेवाले मानव-जातिके दुश्मन समझे जाने चाहिये ।

३. किसी चीजकी विरलता, तथा ज्ञान, कर्तृत्व, शौर्य वयैराकी विरलताके कारण वह चीज तथा अुसे सिद्ध करनेवाले धन्धोंकी प्रतिष्ठा भले ज्यादा हो; मगर वह प्रतिष्ठा पैसेके स्पमे नहीं ऑकी जानी चाहिये ।

४. देशकी महत्वकी सम्पत्ति उसकी अन्न पैदा करनेकी शक्ति और मानव सत्त्वयके आधारपर निश्चित की जानी चाहिये; उसकी खनिज सामग्री, विरल सम्पत्ति या यत्रोंके आधारपर नहीं। अगर ऐक आदमीके पास सोना या पेट्रोल पैदा करनेवाली पांच अेकड़ जमीन हो और अन्न पैदा करनेवाली पांचसौ अेकड़की खेती हो और उसे इन दोनोंमेंसे अेकको छोड़ना पड़े, तो आजके अर्थजात्के मुताबिक वह पांचसौ अेकड़की खेतीको छोड़ देगा। सच्ची कीमत-शणितके मुताबिक उसे पांच अेकड़की खदान छोड़नेके लिये तैयार होना चाहिये। यानी वैसा तरीका काममे लाना चाहिये जिससे सम्पत्तिकी कीमत स्वर्णपट्टीसे नहीं, बल्कि अन्नपट्टीसे और अुपयोगिताकी शक्तिसे ऑकी जाय।

५. एक रूपया या एक रूपयेका नोट कहीं रखे हुये अमुक ग्रेन सोने या चाँदीका प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अमुक सेर या तोले अनाजका प्रमाणपत्र होना चाहिये। पैसा यानी अमुक ग्रेन धारु नहीं, बल्कि अमुक भाषपका 'ग्रेन' (धान्य) ही होना चाहिये। पानुष्डका मतल्ब अक्षरशः पानुष्ड — (रतल — अमुक हजार 'ग्रेन' धान्यके दाने) ही समझा जाना चाहिये।

६. सोनेका भाव अमुक रूपये तोला है और चावलका भाव अमुक रूपये मन है, जिस भाषामे अब कोओी अर्थ नहीं रह जाना चाहिये। सच पूछा जाय, तो अिसमे कोओी अर्थ रहा भी नहीं। क्योंकि रूपया खुद ही स्थिर माप नहीं है। सोनेका भाव फी तोला अमुक मन नेहूँ या चावल है, और भीसी भाषा काममे लानी चाहिये (देवक तोले तथा मन दोनोंके बदन पहलेसे निश्चित हो जाने चाहिये।)

७. नोट या सिक्केके द्वारा ही कर्ज़ चुकाना लाज्जी नहीं होना चाहिये। अनाजके मालिकको यह अधिकार होना चाहिये कि वह नोट या सिक्केके पीछे रहनेवाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज़ छुआँ। अगर अनाज पैदा करनेवालोंसे अनाजके ही रूपने बर या मद्दूलबी बदली की जाय, तो सरकार और (नात कर्के शहरी तथा गैरविहन) प्रजाकी अन्न सकारदे समय काले दाजार, नणाछोरी वर्जनाने दूर्वा,

तरह रखा हो सकती है। क्योंकि अुस हालतमें सरकारके पास हमेशा ही अबके कोठे भरे रहेगे।

८. व्याज जैसी चीज़ रहने ही नहीं देनी चाहिये। वॉल्कि धन-सग्रहपर अुल्टे कटीती होनी चाहिये। जिस तरह बेकार पढ़ा हुआ अनाज विगड़कर या सङ्कर कम हो जाता है, उसी तरह बेकाम पढ़ा हुआ धन कम होता है। वह विगड़कर कम भले न हो, फिर भी अुसे सम्भालकर रखनेकी मेहनत तो पड़ती ही है। अगर सोने-चौंदीको धन समझनेकी आटत न हो, तो यह बात आसानीसे समझमें आ सकती है। सोना-चौंदी धन नहीं है, वॉल्कि विरलता, तेजस्विता वर्ष्यग गुणोंकी वदीलत प्रतिष्ठापात्र आकर्षक पदार्थ मात्र है। ये पड़े-पड़े विगड़ते नहीं हैं, अितना ही अिनके मालिकको अिनका लाभ है। अिस लाभके सिवा अिनपर दूसरा कोओ लाभ या व्याज लेनेका कारण नहीं है।


९. यह निश्चित करना अनुचित न माना जाय कि जो चीजें अुपयोगमें लेनेसे धिसें नहीं, या बहुत ही धीरे धीरे धिसें अुनकी कीमत कम औंकी जानी चाहिये। अुनकी प्रतिष्ठा भले मानी जाय, अुनपर कञ्जा करने तथा अुनका अुपभोग करनेके सम्बन्धमें नियम भी रहे, मगर अुनपर किसीका स्थिर स्वामित्व स्वीकार न किया जाय। अुनपर सबका सयुक्त अधिकार हो। यह अधिकार कुटुम्ब, गाँव, जिला, देश या जगतमें अुचित ढंगसे बैटा हुआ हो।

१०. आमदनी तथा खानगी पूँजीकी ऊपर तथा नीचेकी मर्यादाये वॉधनी चाहिये। नीचेकी मर्यादासे कम आमदनी तथा पूँजीबाले पर कर वर्ष्यराके बधन न रहे; और अूपरकी मर्यादासे ज्यादा आमदनी तथा पूँजी रखी ही न जा सके।

# जड़मूलसे क्रान्ति

तीसरा भाग

राजकीय क्रान्ति



## कुओं और हौज़

अब मैं राजकीय क्रान्तिके प्रस्तोपर थोड़ा विचार करना चाहता हूँ। अिस सम्बन्धमें भी पुराने ज्ञानानेते ही मानव-समाज कभी प्रकारके राजकीय तत्रों और वादोंका विचार और प्रयोग करता आया है। अेक व्यक्तिका राज, शणराज, प्रजाराज, गुरुशाही, राजाशाही, सरदार-भडल्लाही, महाजन-शाही, पंचायतशाही, तानाशाही (डिक्टेडरशिप), नहुमतशाही (मेजॉरिटी राज). वैरा अनेक प्रकारके तत्रोंकी चर्चाये चलती ही रहती है, और शायद भविष्यमें भी चलती रहेगी।

जिसका मतल्ल तिर्फ़ जितना ही है कि सभी लोग मनुष्य जीवनको खुशी बनानेके लिये किसी न किसी तरहके राजतत्रका होना आवश्यक समझते हैं; मगर शुतका (राजतत्रका) आदर्श विधान अभी तक कोई खोज नहीं रखा है। मानव-समाज अिस सम्बन्धमें विचार और प्रयोग करता आया है, अनुभव लेता आया है, मगर अभी तक कोई प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ। और न कोई लम्हे अस्ते तक सन्तोषजनक स्पते काम देनेवाला साइत हुआ।

कहा जा सकता है कि आज दुनियाके समस्तान न्यक्ति और झुनका अनुसरण करनेवाले देश तीन सुख्य काँून बैठे हुए हैं। प्रजार्वाप नहुमत-शाही (डेमोक्रेश्नी) फौजी तानाशाही (फानिस्ट डिक्टेडरशिप) और मज्जूरोंकी तानाशाही (साम्यवादी डिक्टेडरशिप)। फ़ि. फ़ि. नहुने आर्थिक वादमें शहा हो अस्तेके सुतादिक जिनने पृथ्वीवादी, न्यमज्जवादी दर्शन भेद पढ़ते हैं, और हरेक देशकी प्रस्तुति-रिति-विचारने हरेक ‘शाही’ के व्यावहारिक स्वत्वप्रेक्षण दरेने की तरहे विचार दर्शने; जैसे ज्ञानिवार मन्त्राधिकार, ऐक्यव न्याधिकार, स्वरूप न्याधिकार, विनिए जन मन्त्राधिकार, प्रस्तुति तुताव, स्वरूप तुताव दे छान्दोग्ये, देव धारातमा भज्जन बेन्द्र, न्यादिन बेन्द्र दर्शन करें।

अगर हरअेक मतकी प्रामाणिकताको स्वीकार करे, तो अन्न सब पक्षोंका सिर्फ अितना ही अर्थ होता है कि मनुष्यको सुखी बनानेके अुपाय खोजनेमे हम अभी भी अंधोंकी तरह ही टटोल ग्हे हैं।

अन्न वादोकी सूक्ष्म नुक्ताचीनी करनेका मेरा अिरादा नहीं है। हमारे देशके ज्यादातर विद्वानोंका मत है कि हमारे अपने देशके लिये ऐक प्रजाकीय वहुमतगाही अनुकूल हो सकती है, और आज तो यह बात ऐक तरहसे तय है कि जो कुछ भी प्रयोग करने हों, वे सब अिस शाफ्टके अनुकूल रहकर ही किये जाने चाहिये।

मगर अिस मूल चीज़को स्वीकार कर लेनेके बाद भी मताधिकार, चुनाव, राजकीय पक्ष वगैराके सबाल कुछ कम झगड़ा और कम खून-खगवी करानेवाले तथा अल्ज़नमे डालनेवाले नहीं हैं। काना, मात्रा, छिज़जे, व्याकरण, विराम चिह्न, वगैराकी चाहे ऐक भी भूल न हो, और वहुत साफ अक्षरोमे लिखा गया हो, फिर भी कानून चीज ही ऐसी है कि जिसके अप्रामाणिक अुपयोग करनेके रास्ते निकल ही आते हैं। क्योंकि कानून अन लोगोंके बनाये हुओ रहते हैं, जिनकी दंड-शक्तिपर श्रद्धा होती है और फिर अिस दंड-शक्तिपर ही कानूनकी विधियोंका नियमन होता है। अिसलिये जिस हद तक यह दंड-शक्ति कमज़ोर सावित होती है, अुसी हद तक कानून तोड़नेके रास्ते भी निकल ही आते हैं।

यह दंड-शक्ति कभी तरहसे कमज़ोर सावित होती है। मगर अन सारी कमज़ोरियोंका ऐकमात्र कारण अगर बतलाना हो, तो वह शासित प्रजाका चरित्र ही है।

यह कहावत प्रसिद्ध है कि “कुओमे हो अुतना हौज़मे आवे”। ‘अुतना’ के साथ ‘वैसा’ शब्द भी रखा जा सकता है। यानी कि “कुओमे हो अुतना और वैसा हौज़मे आवे”। यह हो सकता है कि कुओकी अपेक्षा हौज़मे कम आवे, और ऐसा होता ही है। मगर यह स्पष्ट है कि अुससे ज्यादा नहीं आ सकता। फिर कुओका पानी साफ होते हुओ भी वह हौज़में जाकर गिराव सकता है, मगर कुओका पानी दृप्ति हो और हौज़मे साफ पानी आवे यह नहीं हो सकता। अिसलिये कुओके बाद हौज़की सफाईपर ध्यान देनेकी ज़स्त अवस्थ

है, मगर यह नहीं हो सकता कि कुओं खराब हो और हौज़ साफ़ रहे। हौज़ ज्ञासकवर्ग है और कुओं समस्त प्रजा है। चाहे जैसे कानून और विधान बनायिये, मगर यह कभी नहीं होगा कि पूरी प्रजाके चरित्रकी अपेक्षा ज्ञासकवर्गका चरित्र बहुत ऊँचा हो, और प्रजा अपने चरित्रके बल्पर जितने सुख-स्वातंत्र्यके लायक होगी, अुससे ज्यादा सुख-स्वातंत्र्य वह भेग नहीं सकेगी। जिस राजप्रणालीमें ज्ञासकवर्गको सिर्फ़ दण्ड देनेका ही अधिकार नहीं मिलता, वल्कि साथ साथ धन और प्रतिष्ठा भी मिलनी है, अुसमें वे सारी अनुकूलतायें तो होती हैं, जिनसे ज्ञासकवर्गका चरित्र प्रजाके चरित्रसे ज्यादा हीन बने, मगर चरित्रके अुन्नत होनेकी अनुकूलतायें नहीं होतीं। और आधिरमें ज्ञासितोंमेंसे ही ज्ञासकवर्ग पैदा होता है। यानी धीरे धीरे वह नतीजा होता है कि ज्ञासित प्रजाके हीनतर भागके हाथमें ज्ञासन चल जाता है। सभी प्रकारकी राजप्रणालिकायें धोड़े ही समयमें जो सझें ल्याती हैं, अुसका यदी कारण है।

यह सच है कि कुओंसे हीज ढोया होता है, मगर ज्ञासकवर्गका हौज़ जितना ढोया नहीं होता कि अूपरका थोड़ा हिस्ता साफ़ हो। और नीचेके हिस्तेमें सख्त कानूनकी गोधक दवा (टिस यिन्केकन्ट) ढाल दे, तो सब ठीक हो जाय। क्योंकि प्रजाका प्रत्यक्ष सुख-स्वातंत्र्य अूरी दर्जेके ज्ञासकोंके हाथमें नहीं, वल्कि नीचेके ज्ञासकोंके हाथमें होता है, और शोधक दवायियां चाहे जितनी तेज़ हों, वे खरादीका बहुत थोड़ा अदा ही दूर कर सकती हैं।

जिसपरसे, प्रजाके हितचिन्तकों, विद्वानों और खुद प्रजाएं भी समाजना चाहिये कि सुख-स्वातंत्र्यकी प्राप्ति सिर्फ़ राजकीय विधान और कानूनोंकी सावधानीसे की हुअी रचना या उद्योगों वर्गराकी योजनाओंद्वारा निर्द नहीं होती, न ज्ञासकवर्गमें धोड़े अच्छे लोगोंने दृढ़तेही होगी, वल्कि समस्त प्रजाकी चरित्रवृद्धि तथा ज्ञासकवर्गमें व्हन दडे भागकी चरित्रवृद्धि द्वारा ही होगी। अच्छे कानून और योजनाये न्दद वर म्हणती हैं, मगर सिर्फ़ न्यूनतें रखने। वे सब कारा नहीं बन रक्तीं। अगर प्रजाको दूसरी बर्दें लिखे लुसी प्रजाएं लेंगेंही उन्नन पर्तीं तो, तो दृष्टे दृष्टे दिजेता भी दृष्टान् चरित्रवर्ल्ड प्रजाओं लम्बे

अरसे तक पेरेशान नहीं कर सकता । और सुखी करनेके लिये भी अगर अुसी प्रजाके लोगोंकी ज़स्तरत रहती हो, ( और वह तो हमेगा ही रहती है ) तो धर्मात्मा राजा और महान् प्रधानमंडल भी चरित्र-शून्य प्रजाको लम्बे अरसे तक सुखी नहीं रख सकेगा ।

मगर जॉच करनेपर पता चलेगा कि हम अिससे अुलटी श्रद्धाको लेकर काम करते हैं । हम मानते हैं कि सामान्य वर्ग भले वहुत ज़्यादा चरित्रवान न हो, मगर वहुत अच्छी तनखाहें वर्गे देकर हम गासकर्वर्गके लिये अुसमेसे अच्छे चरित्रवान व्यक्ति ज़स्तर पा सकते ह और अुनकी मार्फत जनहितकी योजनायें और कानून बनाकर प्रजाको सुखी कर सकते ह । यह ऐसी ही बात है जैसे कोअी कहे कि गँदले पानीमे थोड़ासा साफ पानी मिला देनेसे सारा पानी साफ हो सकता है । ऐसा हो तो नहीं सकता, मगर सब जगह प्रचलित अिस श्रद्धाका नतीजा यह होता है कि शासित वर्ग अपनी सारी सुख-सुविधाओंके लिये राज्यकी तरफ ही देखता है, खामियोंके लिये अुसीको दोष देता है और जुदे जुदे पक्षोंके आनंदोलनोंका तथा दंगे करानेवालोंका शिकार बनता है । मानो चुनाव और जुलूस, परिषदें, समितियों, भाषण, हड्डताले और दगे ही प्रजाकीय शासनके अंग हों । अितना होते हुओं भी अगर प्रजाओंके जीवनमे व्यवस्था रहती है, तो अुसका कारण राज्यके कानून या व्यवस्थागवित नहीं, बल्कि अिन सारी धांधलियोंके बावजूद प्रजाके मध्यम वर्गोंमे रहनेवाली स्वाभाविक व्यवस्थाप्रियता और शान्तिप्रियता है ।

## राजकीय हलचले और प्रथायें

यह सब पक्कर अब पाठकका जी शायद अुकता गया होगा । अुते ल्लाता होगा कि ऐक ही दातको मैं वारावर क्यों दोहराया करता हूँ ! चरित्रकी आवश्यकताके सम्बन्धमें किसीका मतभेद ही कहाँ है, जो मुझे वारावर यह दान कहनेकी ज़रूरत पड़ती है ? अिसे मानकर तथा खिसे मदद करनेके लिये ही सारी राजकीय पद्धतियोंपर विचार होता है । कोअी समझदार आदमी सिर्फ राजकीय पद्धतियोंपर ही जोर नहीं देता । चरित्र हो तो, तथा चरित्र-निर्माणमें मददस्प्य होनेके लिये कौनसी राज्यवस्था और प्रथाये अच्छी हैं, जिसी पर विचार करनेकी ज़रूरत है ।

यह विचार ही धोखेमें डाल्नेवाला है । जब चरित्रका पारा बहुत अतर जानेते भगुणीक दुख अुत्सन्न हुआ हों, और गजकीय हलचले तभा अनुभेते पैदा होनेवाली खुले स्पष्टमें हितक या दिवाने भरने लिये अहितक लहाबियों जिस चरित्रको हीनतर बनानेका ही काम करती हों, तब यह कहा कि चरित्रके भहत्तको नानक चल गया है खुदको और दूसरोंको धोखा देना है, या कहिये कि अुत्सन्न नानवके देवभावमें पैदा होनेवाले चरित्रको नानक चल गया है लद्भभावको नहीं । युन्हे लद्भभावकी विभिन्न सम्बन्धमें संदेतकी हाइ रही है । सारी राजकीय हलचले जैसे पद्धतियोंके प्रयत्न देखवा स्वाभृत करनेके लिये होता है, लद्भभावका नहीं ।

व्यवहारोंमें राजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका वाद अुत्पन्न हुआ । यह अब अिस हद तक विद्या है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके वर्तन-स्वातन्त्र्यका विल्कुल अन्त ही हो जाता है । पहले वादने मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और अुसे सेभालनेकी अुसमें स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि वलवान पक्षमें ज्ञान और शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (यानी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमें चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है । ये सारी मान्यतायें गलत होनेसे ही मनुष्यके दुःख जैसेके तैसे ही रहे हैं ।

अिसी तरह हम डेमोक्रेसीकी, चुनावोकी, राजकीय पक्षसगटनकी, तथा अुन पक्षोंके कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुकताचीनी करते हैं । मगर मूलमें रहनेवाली कमी पर कभी भी विचार नहीं करते । हमारी हलचलोंमें ‘परस्पर रिझाकर परम श्रेय हासिल करने’<sup>\*</sup> का नहीं, बल्कि ‘परस्पर खिलाकर परस्पर श्रेय हासिल करने’का प्रयत्न होता है । सबको फायदा पहुँचानेके लिये ऐकत्रित होना हमारे सगटनोंका ध्येय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने-गिराने-चूटने-हरान करनेके लिये ही हम अिकट्टे होते हैं और लोगोंको भी अुसमें शामिल करनेकी कोशिश करते हैं । विचार, वाणी, सभा, स्थान-रचना वगैरा सबकी स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव बढ़ाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव बढ़ाना होता है । कभी ये विरोधी पक्षवाले देशी या विदेशी जासकर्वा होते हैं, कभी प्रतिद्वन्द्वी कोअी राजकीय पक्ष होता है और कभी प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजकीय अुपपक्ष होता है ।

हममें रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखाअी पड़ता है । कहा जाता है कि औरंगजेबका ऐसा स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था । मगर सेनापति, मत्री, स्त्री वगैरा अधिकारियोंके बिना काम तो चल नहीं सकता था, अिसलिये वह ‘अ’को सेनापति बनाकर ‘ब’को अुसपर

\* परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता)

जात्सी करनेके लिए अुपतेनापति नियुक्त करता था। अिस तरह असने हरअेक विभागमे अेक दूसरेके प्रतिपक्षियोंके जोड रख दिये थे। नतीजा यह हुआ कि कोअी भी पूरे आत्मविश्वास और हिम्मतसे काम ही नहीं कर सकता था; सभीको अपने काममे ढील करने और अेक दूसरेकी भूले देखनेकी आदत पड़ गयी थी।

विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवस्थाये और गणेनी ही है। हम गजा रखते हैं, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला ही होता है; गवर्नर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने मन्त्रिमंडलकी मर्जीके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज्यादाते ज्यादा सत्ता अुत्तीर्णे हाथमे रहे; प्रान्तीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय सरकारकी सत्ता नियन्त्रित नयाँदामे ही रहे; हरअेक व्यक्ति सत्ताका लालची और दृढ़तरकी सत्ताके प्रति अधीर्या रखनेवाला होता है।

ईसे मानसते भूत्तन्न होनेवाली व्यवस्थाये अगर खर्चीली, दीर्घमूली, 'रेड टेपी', दोझीली और सिर्फ बाहरी गोभा रखनेवाली, छाक्कट-नियंत्र-अधीर्या-चुगलबोरी-रिस्वत-वैरभाव वगैरगने भी हुओ हों, तो अिसमे कोअी अच्छज्जकी दात नहीं है। अिसके चुनावोंमें नगर प्रजाका भावाधिकार हो, चाहे धोड़ोंका, सीधा हो चाहे टेपा; ईसे किसी टगज हो, जिसमे सभी वगोंके प्रतिनिधि योग्य प्रसाणमे चुने जा सके या सीधा-मादा हो, हर टाल्मे ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ छूचे करनेवा ही ज्ञान दे सकते हैं, गजनवको सुधारनेका काम जिनसे नहीं हो सकता। ये चाहे उसे ज्ञान या चन्द्रिकाले हो, मार जो थोड़े-दहुत अति चहुर दृष्टि होते ह, व्यवहारमे वे ही सरी सत्ता भोगते ह। दे आग अच्छे हुए तो प्रजाका सुउ पैने दो पैन्चमर दइ जाता है और हीन इक्षित हुए ते हुएकी इच्छी लगा देते ह।

ऐसोंत्रैनीक व्यावहारिक अर्थ लिर गिनता ही रह गया है। वे अद्य ये तो बह ही नहीं सत्ता वि ज्यादा निर दानी बहुद समझदार यित्तलिए जिस तरफ ज्यादा निर लैकर हैं, इस तरफ निर्दि चन्द्र सम्पर्कभित्र होता। लिर किस कान्ते लिए दूरे हुए हैं, यही बहुद

व्यवहारोंमें राजकी दखलअन्दाज़ी करनेकी योग्यताका बाद अुत्पन्न हुआ। यह अब अिस हद तक वदा है कि आर्थिक सम्बन्धोंमें मनुष्यके वर्तन-स्वातन्त्र्यका विलक्षुल अन्त ही हो जाता है। पहले वादने मान लिया कि मनुष्यमात्र अपने फायदेको समझता है और अुसे सँभालनेकी अुसमे स्वाभाविक शक्ति होती है; दूसरे वादकी मान्यता है कि बलवान् पक्षमे ज्ञान और शक्ति तो होते हैं, मगर चरित्रका (याणी सद्भाव, न्याय वगैराका) अभाव होता है तथा कमजोर पक्षमे चरित्र होता है और ज्ञान तथा शक्तिका अभाव रहता है। ये सारी मान्यताये गलत होनेसे ही मनुष्यके दुःख जैसेके तैसे ही रहे हैं।

अिसी तरह हम डेमोक्रेसीकी, चुनावोंकी, गजकीय पक्षसगटनकी, तथा अुन पक्षोंके कार्यक्रमोंकी चर्चा तथा नुक्ताचीनी करते हैं। मगर मूलमे रहनेवाली कमी पर कभी भी विचार नहीं करते। हमारी हलचलोंमे ‘परस्पर रिक्षाकर परम श्रेय हासिल करने’\* का नहीं, बल्कि ‘परस्पर रिक्षाकर परस्पर श्रेय हासिल करने’का प्रयत्न होता है। सबको फायदा पहुँचानेके लिये अेकत्रित होना हमारे सगटनोंका श्रेय नहीं होता, बल्कि विरोधीको हराने-गिराने-चूटने-हरान करनेके लिये ही हम अिकट्ठे होते हैं और लोगोंको भी अुसमे शामिल करनेकी कोशिश करते हैं। विचार, वाणी, सभा, संस्था-रचना वगैरा सबकी स्वतत्त्वाकी प्राप्तिके पीछे हमारा हेतु मानव-मानवके बीच सद्भाव वदाना नहीं, बल्कि किसी विरोधी पक्षवालेके प्रति द्वेषभाव वदाना होता है। कभी ये विरोधी पक्षवाले देशी या बिदेशी आसकर्वग होते हैं, कभी प्रतिद्वन्द्वी कोअभी राजकीय पक्ष होता है और कभी प्रतिद्वन्द्वी अपने ही पक्षका राजकीय अुपपक्ष होता है।

हममे रहनेवाले अिस द्वेष और अविश्वासका असर हमारे विधानों और कानूनोंमें दिखाअी पड़ता है। कहा जाता है कि औरगजेवका ऐसा स्वभाव हो गया था कि वह किसीपर विश्वास ही नहीं कर सकता था। मगर सेनापति, मन्त्री, सद्वा वगैरा अधिकारियोंके बिना काम तो चल नहीं सकता था, अिसलिये वह ‘अ’को सेनापति बनाकर ‘व’को अुसपर

\* परस्पर भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ । (गीता)

जासूसी करनेके लिअे अुपसेनापति नियुक्त करता था । अिस तरह अुसने हरअेक विभागमे अेक दूसरेके प्रतिपक्षियोंके जोड रख दिये थे । नतीजा यह हुआ कि कोअी भी पूरे आत्मविक्षास और हिम्मतसे काम ही नहीं कर सकता था; सभीको अपने काममे ढील करने और अेक दूसरेकी भूले देखनेकी आदत पड़ गअी थी ।

विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी सभी राजकीय व्यवस्थाये औरगजेबी ही है । हम राजा रखते हैं, मगर वह सिर्फ शोभाका पुतला ही होता है; शर्वनर नियुक्त करते हैं, मगर वह अपने मन्त्रिमंडलकी मर्जीकि खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता; केन्द्रीय सरकार चाहती है कि ज्यादासे ज्यादा सत्ता अुसीके हाथमे रहे; प्रान्तीय सरकार चाहती है कि केन्द्रीय सरकारकी सत्ता निश्चित मर्यादामे ही रहे; हरअेक व्यक्ति सत्ताका लालची और दूसरेकी सत्ताके प्रति अधिर्घा रखनेवाला होता है ।

जैसे मानससे अुत्पन्न होनेवाली व्यवस्थाये अगर खर्चाली, दीर्घसूत्री, 'रेड टेपी', दोझीली और सिर्फ वाहरी गोभा रखनेवाली, छलकपट-निन्दा-अधिर्घा-चुगलखोरी-रिस्वत-वैरभाव वगैराते भरी हुअी हों, तो अिसमे कोअी अचरजकी बात नहीं है । अिनके चुनावोंम सारी प्रजाका मताधिकार हो, चाहे थोड़ोका, सीधा हो चाहे टेवा; औसे किसी ढगका हो, जिसमे सभी वर्गोंके प्रतिनिधि योग्य प्रमाणमे चुने जा सके, या सीधा-सादा हो. हर हालतमे ये प्रतिनिधि सिर्फ हाथ अूचे करनेका ही काम दं सकने हैं, राजतत्रको सुधारनेका काम अिनते नहीं हो सकता । ये चाहे जैसे ज्ञान या चरित्रवाले हो, मगर जो थोड़े-बहुत अति चतुर व्यक्ति होते हैं, व्यवहारमे वे ही सारी सत्ता भोगते हैं । ये अगर अच्छे हुअे तो प्रजाका सुख पैसे दो पैसेभर वड जाता है, और हीन इत्तिके हुअे तो दुःखकी झड़ी ल्या देते हैं ।

डेमोक्रेसीका व्यावहारिक अर्थ सिर गिनता ही रह गया है । कोअी यह तो कर ही नहीं सकता कि ज्यादा सिर यानी ज्यादा समझदारी; अिसलिअे जिस तरफ ज्यादा सिर अूचे हों, उस तरफका निर्णय ज्यादा समझदारीभरा होगा । सिर किस कामके लिअे अूचे हुअे हैं, यही महत्वका

है, सिर्फ कितने सिर अँचे हुओ यह नहीं। गँदले पानीके पॉच तालाबोंकी अपेक्षा साफ पानीकी ओक छांटी-सी औरी ज्यादा महत्वकी है।

मतलब यह है कि सिर्फ ज्यादा सिरोंके अँचे अठन्से सुख नहीं वढ़ जाता। अँचे अठनेवाले सिर योग्य गुणवालोंके होने चाहिये। ओक चॉद जितनी चॉदनी फैलाता है, अुतनी करोड़ों तारे मिलकर भी नहीं फैला सकते।

अिसके सिवा, डेमोक्रेसीमें सिर्फ धाराये वनानेवालों और हुक्म निकालनेवालोंका ही चुनाव होता है। धाराओं और हुक्मोंपर अमल करनेवाले तो चुनावके क्षेत्रसे बाहर ही रहते हैं और अुनकी भरती अलगा ही ढगसे होती है। अगर अमलदारोंकी भरतीका तरीका ऐसा न हो कि अुनमें सिर्फ अच्छे व्यक्ति ही लिये जा सकें, तो प्रतिनिधियोंके अच्छे होनेपर भी शासन-प्रबन्धमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता।

अिसलिए यह विचारना जितना महत्वपूर्ण है कि किस तरह अच्छे ही प्रतिनिधि और अच्छे ही अमलदार नियुक्त किये जा सकते हैं, अुतना यह नहीं कि किस तरह अमुक गजकीय पक्षका बहुमत हो सकता है और न यही कि सभी बातोंमें बहुमतसे ही निर्णय करना चाहिये।

## चुनाव

चुनावों द्वारा हमारी डेमोक्रेसी चलती है और सरकारी नौकरों द्वारा नासन चलता है। प्रतिनिधियोंके सुक्रावले सरकारी नौकर राज्यतंत्रके ज्यादा स्थिर अग होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रजापर अनुका ज्यादा प्रत्यक्ष कानू होता है, और राज्यकारवारका ज्यादा अनुभव भी अनुर्ध्वको होता है। यह तच है कि प्रतिनिधियोंकी अनुके अपर सत्ता होती है, ज्यादा अनुकी नियुक्ति अत्यधीयी और वारवार बदलनेवाली होनेसे, तथा नौकर ही अनुके हाथपॉव तथा ऑख्कान होनेसे, प्रतिनिधियोंके बाद और लिद्दान्त बहुत बार अपनी ज्ञाह धरे रह जाते हैं और प्रत्यक्ष वारवार नौकरोंकी सलाह और मतके मुताविक ही चलता रहता है। इसने भी फिर सदसे छोटे नौकर और सबसे बड़े नौकरके बीच जिनने ज्यादा दरजे होंगे, तुधारके प्रयत्नोंका असर प्रजातक पहुँचनेमे अतनी ही ज्यादा कठिनाजी होगी।

जितलिए बागर हमे तुराज्य कायम करना है तो चुनाव और भरती दोनोंके सम्बन्धमे हमारा दृष्टिकोण साफ होना जरूरी है।

चुनावों द्वारा हम प्रजाके प्रतिनिधि पतन्द करनेकी कोशिश जरूर करते हैं, नगर यह चुनाव करनेमे हमारा जो दृष्टिकोण होता है, असुकी योग्यताके सम्बन्धमे हमने कभी दृष्टि तरह विचार नहीं किया।

विचार करनेपर हमे पता चलेगा कि चुनावने हरअेक मतदाता 'अपने' व्यक्तिको मत देता है। जित व्यक्तिके 'अपना' होनेके विविध कारण होते हैं; जैसे कि वह अपना आधियदाता या झुसका निपुक्त किया हुआ हो, या अपनी जतका गंवका, प्रात्का धर्मका, पहच, धर्मे कंगारका हो, तो वह 'अपना' व्यक्ति का जाता है। लेते चुनकर भेजनेमे मतदाताकी अपेक्षा यह होती है कि वह नारी जनताके

नहीं, वल्कि अुसके वर्गके हित या स्वार्थकी रक्षा करनेमें ज्यादा साबधान रहेगा। और जिस कड़ीके योगसे वह 'अपना' कहलाता है, अुस कड़ीको और अुसके सभी व्यक्तियोंको दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा फायदा पहुँचायेगा।

चुने जानेका अुम्मीदवार प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओंको असी तरहकी आगाये बैधाता है। 'मुझे भेजोगे, तो आपके लिए मैं अमुक हासिल करनेकी कोशिश करूँगा, और आपके विरोधियोंको अमुक ढगसे चित्त करूँगा।'

‘ अिस तरह प्रतिनिधि तथा मतदाता अपने पक्षके स्वार्थका ही विचार करके सु-राज्य कायम करनेकी आगा रखते हैं। यह मध्यकालीन श्रद्धा अभी भी हमारे चुनावोंमें काम कर रही है कि अगर सभी मनुष्य अपने अपने स्वार्थ सेभालें, तो सबका स्वार्थ सिद्ध हो सकता है।

दरअसल यह श्रद्धा ही अनथों और झगड़ोंकी जड़ है। चुनावकी यह पथा पचनियुक्त करनेकी पद्धतिका नहीं, वल्कि वकील नियुक्त करनेकी पद्धतिका अनुसरण करती है। 'अ' और 'ब' के बीच अगर झगड़ा हो, तो दोनों अपने वकील नियुक्त करते हैं। वे न्यायाधीशके सामने अपने मुवक्किलोंके स्वार्थोंको पेश करते हैं। अिसमें वे अपने विरोधीके हितोंका विचार नहीं करते। दोनोंके विरोधी स्वार्थोंपर विचार करके अिन्साफ करनेकी ज़िम्मेदारी न्यायाधीश पर होती है। अिस न्यायाधीशको अगरचे अ और ब ने ही नियुक्त किया हो, फिर भी अुससे यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी ओकके ही स्वार्थका खयाल रखेगा; वल्कि अुससे यही अपेक्षा रखी जाती है कि वह किसी ओकका व्यक्ति नहीं बनेगा और दोनोंके स्वार्थों और विरोधोंका विचार करके ही अिन्साफ देगा।

अिस तरह यह सच है कि अदालतमें पार्टियोंके अपने अपने प्रतिनिधि होते हैं; मगर निर्णय देनेका अधिकार अिन प्रतिनिधियोंको नहीं, वल्कि अिन दोनोंसे भिन्न किसी ओकका प्रतिनिधित्व न करनेवाले सघके मान्य प्रतिनिधिको होता है। यह सर्वमान्य प्रतिनिधि ओक ही व्यक्ति हो चाहे वहुतसे हों, हरओकसे गैर-तरफदार होनेकी आगा रखी जाती है; अगर वह किसीके पक्षका हो या किसीकी तरफदारी करे, तो यह अुसका दोप माना जाता है।

ऐसा होनेके बदले अगर किसी मुकदमेमे सभी वादी-प्रतिवादियोंको अपने-अपने बकील नियुक्त करनेकी सुविधा हो और अन बकीलोंपर अपने अपने मुवक्किलोंका हित साधनेकी जिम्मेदारी होते हुओ भी, वे बहुमतसे जो निर्णय दें वही अन्तिम फैसला माना जाय, तो अन्साफकी शक्ति क्या होगी ? स्वष्ट है कि अगर वादी-प्रतिवादी ऐक ऐक ही हो, तो (जैसा कि पंजाब और बंगालके पञ्च-वैद्यवारेमे हुआ) ज्यादातर गतिरोध ही होगा; और अगर अनकी तादाद कम-ज्यादा हो, तो जिस पक्षकी तादाद बढ़ जाय, असके हक्कमे फैसला होगा । फिर गतिरोध हटानेके लिए किसी तीसरे रैडक्लिफको सरपञ्च नियुक्त करना पड़ेगा और अगर वह छुरा अन्साफ करे तो भी सबको कहुल करना होगा ।

ऐसी न्याय-पद्धति बुरी होती है, इसे स्वीकार करनेमे किसीको देर नहीं ल्पोगी; मगर विचार करने पर मालूम होगा कि हमारी सभी प्रतिनिधि सभाये अल्पा अल्पा पक्षोंके बकीलोंकी मजलिसे ही होती है, गैरतरफदार न्यायाधीशोंकी बैठके नहीं । क्योंकि प्रतिनिधि भेजनेवालोंको हम यही कहते हैं कि हरअेक मनदाता 'अपने' आदमीको मत दे; यहं नहीं कहते कि सब मिलकर लगभग सर्वमान्य या लाभग किसीको अमान्य न हो ऐसे ही निष्पक्ष, चृत्रिवान् और व्यवहार कुगल आदमियोंको पसन्द करें । अिससे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वे सबके पञ्च नहीं, बल्कि ऐक या दूसरे पक्षके बकील ही होते हैं और पक्षोंके नियमोंके मुनाविक अनपर अपने पक्षके खिलाफ कोअी भी निर्णय (मत) न देनेकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है । ऐसी सभा जो कुछ निर्णय करे या कानून बैरा बनाये, वे बकीली अदालतके हुक्मनामे जैसे माने जा सकते हैं, न्यायालयके हुक्मनामे जैसे नहीं । क्योंकि अन प्रतिनिधियोंको अपने पक्षको छोड़नेकी जरा भी स्वतंत्रता नहीं होती । वे अध्यक्ष हों, चाहे मंत्री, अपने पक्षके बन्धनोंसे कभी छूट नहीं सकते ।

जैसी हालमे भी अगर रिंथर चुराप्य थोड़ा दहून नह सकता है, तो असका कारण 'डेमोक्रेसी' नहीं, बल्कि यह सत्य है कि मनुष्य अपनी मनुष्यताको पूरी तरहसे छोड़ नहीं सकता ।

जिस तरह वहे मुकदमोंमें अल्पा अल्पा पक्षोंको अपने अपने वकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अल्पा ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, असी तरह राजसभामें प्रजाके अल्पा अल्पा पक्षों या दितोंके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुगल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अल्पा होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, ऐसे) लोगोंमेंसे जिन्हे गैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुगल और चरित्रवान समझते हों, उन्हें मत दे; और अन्तिम निर्णय करने और अनपर अमल करनेकी सत्ता अनके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सुराज्य, कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । असलिअे 'निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "बदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, राह सुराज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा सचालित राज्य — जरूर होगा ।

जिस तरह वह मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने बकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और वकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, उसी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षों या द्वितोके प्रतिनिवियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुशल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णयिक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, ऐसे) लोगोंमेंसे जिन्हे गैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुशल और चरित्रवान समझते हों, अनुन्हे मत दें; और अन्तिम निर्णय करने और अनुपर अमल करनेकी सत्ता अनुके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । असलिअे 'निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, वह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिए, प्रजा द्वारा सचालित राज्य — ज़रूर होगा ।

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग।  
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रग॥

ननुष्ठको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुत्सके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। नौनिसे एक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाओी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रंजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुणवर्तीके अखाड़े बने और शासन रिक्वित्वोरों और तिकारिशी लोगोंके ताथमें चला जाय, तो अिसमें आदर्श्य किस बातका?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुस्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी स्कारिता उत्तम होनी चाहिये जिससे झूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दददवा, शृगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्बल्प बौराते होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और जिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सांद जीवनका नह्ना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्हर बड़ान्वाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कलक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग।  
तुल्जी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिरिलताके लिए काफी होता है। पिर यदि अिनके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या ढूँची नौकरी पानेसे १ हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो शॉडते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। नैनेसे अेक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाओी पहलेसे कुछ छट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। जैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक नस्थाये गुटबन्दीके अलाइ बने और शासन स्विवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके ताथमें चला जाय, तो अिसमें आधर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर उसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आवान और आकर्षक तो कठबी नहीं होनी चाहिये। जैसी मन्त्स्कारिता उत्तम होनी चाहिये जिससे ढूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-स्नाना-नशोवाजी (कॉकटेल) के सम्बलन बैरासे दोनोंके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-स्थन अिनना और अिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालेके लिए सांद जीवनना नहीं और भार रहन दोना चाहिये। वह आवश्यक बड़नेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

ननुष्ठको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच कलेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुआी सभाके सभासद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमें कअी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या बडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। नौमंसे एक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक तस्याये गुण्डन्दके अखाडे बने और शासन रिक्विरेंस और सिफारिशीं लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; नगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुखिकल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी संस्कारिता कुसम्ब होनी चाहिये जिससे झूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दददवा, शृशार, नाच-नाटक-चाय-स्थाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के रम्बेल्स वैगरसे होनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-त्थहन अिनका और जिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सांद जीवनका नह्ना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्बर ब्रानेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या डूँची नौकरी पानेसे हमें कअी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सग्कारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। सौमेसे अेक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फाफडेमन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमे अगर सारी सार्वजनिक नस्थाये गुट्टन्दके अखाड़े बने और शासन रिहवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके ताथमे चला जाय, तो अिसमे आदर्श्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतआई नहीं होनी चाहिये। ऐसी स्तूपान्तिका अुत्पन्न होनी चाहिये जिससे जूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दददबा, शुगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-जशेवाजी (कॉकटेल) के नम्बलन कौरासे दोनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-स्थन खिनचा और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालेके लिये लांड ईदनबा नरना और भार रहित होना चाहिये। वह आदम्बर दृष्टेवाल,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्वजि, कामिनी त्वजि, त्वजि धातुनको सग ।  
तुल्सी लब्धि भोजन करी, जियत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिश्रुति का लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अन्तके प्रलोभन और चरित्रिकी विभिन्नताके लिये काफी होता है। फिर यदि यिनके माय अन्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और लुप्त-सुविधायें भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच कन्नपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओंकी सभाके सभासद होनेसे वा उन्होंनी नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और लुप्त-सुविधायें मिलती हैं। किनी भी जाहिर कमेटीका सभानद होनेवालेको वा वड़े मन्त्रालय अधिकारीको न तो गॉठसे पेसे खगचने पड़ते हैं, न अमुविधायें भेगनी पड़ती हैं। मौनेसे ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कलाजी परेंसे हुउ घट जाती होगी, मगर इतातर लोगोंके लिये तो वह फारमन्ड रोहगार ही बनता है। औसी हालतमें अगर सागी सार्वजनिक नहगर गुटर्न्डेन अखाडे बने और शासन रिवेतखोरे और निकानिमी रेंगें एवं चला जाय, तो यिसमें आश्चर्य पिस यातका ।























## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिए काफी होता है। फिर यदि अिनके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमे कअी किस्मके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती है। मौमेसे अेक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाओं पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। ऐसी हाल्कामे अगर सारी सार्वजनिक संस्थाये गुटबन्दीके अखाड़े बने और शासन रिह्वतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमे चला जाय, तो अिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतआई नहीं होनी चाहिये। ऐसी संस्कारिता अुत्तम होनी चाहिये जिससे झूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाज़ी (कॉकटेल) के सम्बन्ध वर्गरासे छोनेके बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिए सांद जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्यर बढ़ानेवाला,



## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कम्बक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग॥

ननुष्ठको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अन्तके प्रलोभन और चरित्रकी द्विधिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि जिनके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुअी सभाके सभासद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमें कअी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। जौमेते ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाऊ पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फावडेमन्द रोजगार ही बनता है। जैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक तत्त्वाये गुट्टन्दके अखाइ बने और शासन रिक्वेट्सों और सिफारिशी लोगोंके ताथमें चला जाय, तो जिसमें आश्चर्य किस बातका?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; नगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति सुकिल होनी चाहिये, वह आसान और जाकर्मक तो कतअी नहीं होनी चाहिये। जैसी स्तकारिता अुत्तम होनी चाहिये जिससे झूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी ददवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के उम्मेलन वैगराते होनेके बदले सादर्गाके साथ हो। जिन ओहदेदारोंका रहन-रहन जिनका और जिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये रांद जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्हर बड़ानेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चत्रिकी गिथिलताके लिए काफी होता है। फिर यदि जिनके साथ उसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या ढूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो नॉठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगानी पड़ती है। नौमेसे एक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ छट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। जैसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक तत्त्वाये गुट्टवन्दके अखाड़े बने और शासन स्विवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके द्वारमें चल जाय, तो अिसमें आध्यर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर उसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुस्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। जैसी मंत्कारिता झुलझ होनी चाहिये जिससे ढूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्बल्प बर्गरासे दोनोंके बदले सादरीके साथ हो। अिन ओहदेदारोंका रहन-सहन अिनका और जिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिए सबं जीवनका नहना और भार रहना होना चाहिये वह आवश्य द्वानेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्वजि, कामिनी त्वजि, त्वजि धातुनको संग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

ननुष्ठको अगर सत्ता और प्रतिश्रुति का लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अस्तके प्रलेभन और चरित्रिकी विधिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि जिनके साथ अस्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओंके सभाके सभासूचनासे या डूँचोंकी नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभानामद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भेगनी पड़ती है। नौनेसे ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाओंपर फूलेसे कुछ घट जाती होगी, भगव इयादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोज़गार ही बनता है। जैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक नस्यामें गुटन्देके अखाइ बने और शासन रिवतखोरों और सिफारिशी लंगोंके नाथमें बला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, भगव अस्तके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुस्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो करती नहीं होनी चाहिये। जैसी न्तकानिता अस्तन होनी चाहिये जिससे जूचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दरदना, शृणार, नाच-नाटक-चाय-सानान-शोदाजी (कॉकटेल)के तम्बल्ज बोररत्से टोनेके नदले सादगीके साथ हो। जिन ओहदेदारोंना रक्षन्दन जिनमा और जिनके परिजनोंका आतिथ्य अस्तेवालोंके लिये सांदे डैक्नदा नहुना जैसे भार रहित होना चाहिये वह याडम्बर दृक्कंवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

न्त्रज त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको संग ।  
बुल्ली लघु भोजन करी, जिनत नानके संग ॥

न्त्रजको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह सूतके प्रसादमन और चत्रिकी निधिलक्षणके लिए काफी होता है। जिस पदे जिनके साथ सुते कभी तरहके आर्थिक लाभ और चुरू-चुविधाये भी नहीं, तब तो कहना ही क्या ? जॉन कर्सन देसेंगे कि हन्सी हर्डेक छुनी हुई लमाके समातद होनेते या दूर्जी नौकरी पानेते हने कभी किसके आर्थिक लाभ और चुरू-चुविधाये मिलती हैं। किसी भी जाहिर कोडीका समातद होनेवालेको गवडे दरबारी अधिकारीको न को गोठते दैते खरबने पड़ते हैं, न अचुविधाये नेगरी पड़ती हैं। नौन्ते ऐक दो आदमी बैठते होंगे जिनी निजी कमाली पहलेते कुछ छट जाती होगी, नगर जगदातर लंगोंके लिए तो यह फागडेन्द रोजगार ही बनता है। जैली हाल्काने अगर सती सर्वजनिक स्त्रियों गुट्टवन्दके अखाडे बने और शास्त्र विविधों और स्थानिकी लंगोंके हाथमें चढ़ा जाय, तो जिसने आचर्य निज बातना ?

सर्वजनिक बासके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, नगर सूतके साथ धन और चुरू-चुविधाकी प्राप्ति सुधिकल होनी चाहिये, वह आत्म और आत्मक तो बनायी नहीं होनी चाहिये। जैली सेत्करिता सूतक होनी चाहिये जिसके दैर्घ्ये ओहदेका रामबन्ध भारी दददबा, शृगार, नाचनाटक-चाप-खाना-नौकरी (कॉकटेल) के हमेलन कर्माते होने ददहे लदाकि साथ हो। जिन ओहदेवारोंना रहन-रहन जिनका और जिनके परिस्तेवां आतिथ्य करनेवालोंने लिए सांड जीवनका नहाना और भार रहित होना चाहिये वह आचर्य वडेन्वाल,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।

तुल्सी ल्यु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्तुष्टको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह जुतके प्रयोगन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। किर पदे जिनके साथ अुते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओं के सभाके सभासद होनेसे या डूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किलके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किती भी जाहिर कनेट्रका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैते खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। तौनेते ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाओं पहलेसे कुछ घट जाती होगी, भगव ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायडेम्बद रोजगार ही बनता है। जैसी हालतने अगर तारी सार्वजनिक तत्त्वाये गुट्कर्दके अखाइ बने और शास्त्र द्वित्तेखोरों और सिकारियों लोगोंके हाथमे चला जाय, तो जिसमे आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; नगर जुतके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुस्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो करओ नड़ी होनी चाहिये। जैसी हंत्कारिता जुतन दोनी चाहिये जिससे जूँचे ओहदेका रम्भ भारी दबदवा, शृणार, नाचनाउक-चाप-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल)के रम्भेलन बगैराते होनेके दबले सादगीके साथ हो। जिन ओहदेदारोंका रहन-सहन जिनका और जिनके परिज्ञानका जातिय छरनेवालोंके लिये सांदे जीवनका नहना और भार रहित रहना चाहिये। वह आडम्बर बड़केवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कलक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुल्सी ल्यु भोजन करी, जिवत मानके सग ॥

न्तु अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिल्ता हो, तो भी वह अुत्तके प्रलेभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है । फिर यदि अिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओ सभाके सभासद होनेसे या दूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हैं । किसी भी जाहिर कनेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं । तो मैंसे ऐक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाओं पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रंजगार ही बनता है । ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक स्थाये गुटबन्दीके अखाडे देने और शासन स्थितत्वोंरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुत्तके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये । कैसी संत्कारिता अुत्तम होनी चाहिये जिससे दूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नगेवाजी (कॉकटेल) के सम्बन्ध बंगराते होनेके बदले सादगीके साथ हो । अिन ओहदेदारोंका रहन-त्वहन अिनका और अिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सांदे जीवनका नह्ना और भार रहित होना चाहिये । वह आडम्हर बड़ानेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्वजि, कामिनी त्वजि, त्वजि धातुनको संग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रण ॥

ननुष्ठको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुत्तके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। किंव यदि जिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभात्तद होनेसे या ढूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कर्मेयीका सभात्तद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गॉठसे पैसे खर्चने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। सोमेत्ते ऐक दो आदमो जैसे होंगे जिनकी निजी कमाओी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फावडेमन्द रोज़गार ही बनता है। जैसी हाल्तमें अगर सारी सार्वजनिक सत्थाये गुद्धवर्न्दके अखाइ बने और शासन स्विवत्खोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आस्तर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और तुल-सुविधाकी प्राप्ति मुस्किल होनी चाहिये, वह आवान और आकर्षक तो कतओी नहीं होनी चाहिये। जैसी संत्कारिता तुलना होनी चाहिये जिससे ढूँचे ओहदेका समन्व भारी दददवा, शृगार, नाच-नाटक-चाय-चाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्मेलन बौराते होनेके बदले सादगीके साथ हो। जिन ओहदेदारोंका रहन-सहन जिनका और जिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सांद जीवनका नह्ना और भार रहित होना चाहिये; वह आडम्हर बड़ानेवाला,

## सार्वजनिक ओहडे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुलसी लब्धि भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्नुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह सुन्तके प्रलोभन और चरित्रकी द्विथिलताके लिए काफी होता है। किर यदि जिनके साथ अुते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच कलेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या दूची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गोठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। नौनेते अेक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ छट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो वह फावडेमन्द रोज़गार ही बनता है। जैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक लत्थाये गुटकर्दीके अखाडे बने और शासन द्विवत्खोरों और सिफारिंगी लोगोंके ताथमे चला जाय, तो अिसमे आन्चय किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर दूसरे साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति सुश्किल होनी चाहिये, वह आवान और आकर्षक तो कभी नहीं होनी चाहिये। जैसी संस्कारिता दृत्यन्त होनी चाहिये जिससे दूचे ओहडेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणा, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेदाजी (कॉकटेल) के सम्बेलन वर्गराते दौनेजे बदले सादगीके साथ हो। अिन ओहडेदारोंका रहन-स्थिन अिनका और जिनके परिज्ञोंका जातिय्य करनेवालोंके लिए सांड जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये। वह आडमर बड़ानेवाल,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुसके प्रलोभन और चरित्रकी शिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अनिके साथ अुसे कअी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमें कअी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो शॉउसे पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। सौमेसे ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ घट जाती होगी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक स्थाये गुट्टर्न्दीके अखाडे बने और शासन रिहबतखोरों और सिफारिशी लोगोंके हाथमें चला जाय, तो अिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही; मगर अुसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो कतआई नहीं होनी चाहिये। ऐसी सत्कारिता अुत्तम होनी चाहिये जिससे जूँचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृगार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्बेलन बौंगरासे दोनेके बदले सादगीके साथ हो। अन ओहदेदारोंका रहन-दहन अिनका और अिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालेकि लिये सांद जीवनका नह्ना और भार रहित होना चाहिये, वह आडम्हर बडानेवाला,

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कलक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्तुष्टको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चरित्रकी गिथिलत्तके लिए काफी होता है। फिर यदि यिनके साथ अुत्ते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुयी सभाके सभारुद होनेसे या झूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कनेटीका सभातुद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गोठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। नौनेते ऐक दो आदमी जैसे होंगे जिनकी निजी कमाओं पहलेसे कुछ घट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। जैसी हालतने अगर सारी सार्वजनिक संस्थाये गुट्टर्न्डेके अखाइ बने और शासन रिक्विक्योरों और तिफारिशी लोगोंके हाथमे चल जाय, तो जिसमें आदर्श्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके साथ धन और चुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आत्मान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। जैसी संस्कारिता दृत्तन्त्र होनी चाहिये जिससे दूचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबदवा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-खाना-नगेन्द्राजी (कॉकटेल) के सम्बन्ध बर्गरसे होनेके ददले लादगांके साथ हो। यिन ओहदेदारोंका रहन-स्थन यिनका और यिनके परिज्ञोका आतिथ्य करनेवालोंके लिए सांद जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये वह आडम्हर बडानेवाला,

जिस तरह वडे मुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने बकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और बकीलमंडलको कोअरी अदालत नहीं कहता, बल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, अग्री तरह राजमधाम प्रजाके अलग अलग पक्षों या छिंतोके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुण्डल और चरित्रवान् व्यक्तियोंकी निर्णयिक सभा अलग होनी चाहिये। मतदाताओंने कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाट वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, ऐसे) लोगोंमेंसे जिन्हे गैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुण्डल और चरित्रवान् समझते हों, उन्हें मत दें; और अन्तिम निर्णय करने और अनपर अमल करनेकी सत्ता उनके हाथोंमें रहे। यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, बल्कि निष्पक्ष पक्षोंके भारी बहुमतसे ही सुराज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है। असलिए 'निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअरी प्रथा जारी की जानी चाहिये।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "बदतो व्याघात" जैसा है। प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रेसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सुराज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिये, प्रजा द्वारा सचालित राज्य — ज़रूर होगा।

## सार्वजनिक ओहदे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुलसी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

न्तु यहको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह अुसके प्रलोभन और चरित्रकी गिरिलताके लिए काफी होता है। पिर यदि यिनके साथ अुते कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिले, तब तो कहना ही क्या ? जॉन करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुयी सभाके सभात्तद होनेसे या दूची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती है। किसी भी जाहिर कमेटीका सभात्तद होनेवालेको या वडे संगकारी अधिकारीको न तो गॉठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। जैनसे अेक दो आदमी ऐसे होंगे जिनकी निजी कमाओं पहलेसे कुछ घट जाती होनी; मगर ज्यादातर लोगोंके लिए तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक नस्थाये गुट्टवर्द्धके अखाड़े बने और शासन रिक्वितखोरों और तिफारियाँ लोगोंके ताथमें चल जाय, तो यिसमें आश्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर अुसके नाथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति सुस्किल होनी चाहिये, वह आसान और आकर्षक तो करभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी संत्कारिता अुत्तम होनी चाहिये जिससे दूचे ओहदेका सम्बन्ध भारी दबद्वा, शृणार, नाच-नाटक-चाय-दाना-नगेवाजी (कॉकटेल) के सम्बल्प बौराते दौन्तेके दबले सादरीके साथ हो। यिन ओहदेदारोंका रहन-स्थन यिनका और यिनके परिज्ञोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिए सांद जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये वह आडम्हर बहानेवाला,

जिस तरह वहे सुकदमोंमें अलग अलग पक्षोंको अपने अपने बकील नियुक्त करनेकी सुविधा भले हो, मगर फैसला करनेवाले न्यायाधीश अलग ही होते हैं, और बकीलमंडलको कोअी अदालत नहीं कहता, वल्कि न्यायाधीश ही अदालत माने जाते हैं, असी तरह राजसभामें प्रजाके अलग अलग पक्षों या छिठोंके प्रतिनिधियोंकी निवेदक सभा भले हो, मगर किसी सर्वमान्य पद्धतिसे नियुक्त की हुअी निष्पक्ष, व्यवहारकुण्डल और चरित्रवान व्यक्तियोंकी निर्णायक सभा अलग होनी चाहिये । मतदाताओंसे कहना चाहिये कि 'अपने' आदमियोंको चुननेके बाद वे अपने पक्षसे बाहरके (दूसरे पक्षके हों, या किसी भी पक्षके नहीं, ऐसे) लोगोंमेंसे जिन्हे गैरतरफदार, न्यायी, व्यवहारकुण्डल और चरित्रवान समझते हों, अनुहे मत दें; और अन्तिम निर्णय करने और अनपर अमल करनेकी सत्ता अनुके हाथोंमें रहे । यानी, यह सभा पहली सभासे छोटी ही रहे ।

पक्षोंके प्रतिनिधियोंके बहुमतसे नहीं, वल्कि निष्पक्ष पचोंके भारी बहुमतसे ही सु-राज्य कायम कर सकना ज्यादा सम्भव है । अिसलिए 'निष्पक्ष पंच नियुक्त करनेकी कोअी प्रथा जारी की जानी चाहिये ।

पक्षोंके राज्यको प्रजाका राज्य — डेमोक्रेसी — कहना "वदतो व्याघात" जैसा है । प्रजा द्वारा मान्य पक्षातीत राज्य डेमोक्रसी कहा जाय चाहे न कहा जाय, यह सु-राज्य — यानी प्रजाका, प्रजाके लिए, प्रजा द्वारा सचालित राज्य — जरूर होगा ।

## सार्वजनिक ओहडे और नौकरियाँ

कनक त्यजि, कामिनी त्यजि, त्यजि धातुनको सग ।  
तुल्सी लघु भोजन करी, जिवत मानके रंग ॥

मनुष्यको अगर सत्ता और प्रतिष्ठाका लाभ ही मिलता हो, तो भी वह उसके प्रलोभन और चत्तिकी गिथिलताके लिये काफी होता है। फिर यदि अनिके साथ अुसे कभी तरहके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये भी मिलें, तब तो कहना ही क्या ? जॉच करनेपर हम देखेंगे कि हमारी हरअेक चुनी हुओी सभाके सभासद होनेसे या ढूँची नौकरी पानेसे हमें कभी किसके आर्थिक लाभ और सुख-सुविधाये मिलती हैं। किसी भी जाहिर कमेटीका सभासद होनेवालेको या वडे सरकारी अधिकारीको न तो गोठते पैसे खरचने पड़ते हैं, न असुविधाये भोगनी पड़ती हैं। नौनेते ऐक दो आदमी बैठते होंगे जिनकी निजी कमाऊी पहलेसे कुछ छट जाती होगी, मगर ज्यादातर लोगोंके लिये तो यह फायदेमन्द रोजगार ही बनता है। ऐसी हालतमें अगर सारी सार्वजनिक तत्थाये उद्यवन्दीके अखाडे बने और शासन रिहवतखोरों और सिफारिशी लोगोंके ताथमें चला जाय, तो जिसमें आन्चर्य किस बातका ?

सार्वजनिक कामके साथ सत्ता और प्रतिष्ठा तो रहेगी ही, मगर उसके साथ धन और सुख-सुविधाकी प्राप्ति मुश्किल होनी चाहिये, वह आतान और आकर्षक तो कतभी नहीं होनी चाहिये। ऐसी स्तूपरिता उत्पन्न होनी चाहिये जिससे जूँचे ओहडेका समन्वय भारी दबदवा, शृगार, नाच-नाटक-चाय-स्टाना-नशेवाजी (कॉकटेल) के सम्मेलन बैराते दोनेके बदले सादरीके साथ हो। अन ओहडेदारोंका रहन-स्थन अनन्न और जिनके परिजनोंका आतिथ्य करनेवालोंके लिये सांद जीवनका नहना और भार रहित होना चाहिये। वह आहम्मर दबानेवाला,

दौड़धृप करानेवाला, और खर्चीला न बने। एक चारसौ-पाँचसौ रुपये माहवारकी आमदनी पर गुजर करनेवाला तथा वालवच्चोंवाला मध्यम श्रेणीका घृस्थ गहरमे जिस दरजेका जीवन विता सकता है, उससे किसी बड़े बड़े अधिकारीके जीवनका और रहन-सहनका दरजा ऊँचा नहीं होना चाहिये। इसे मध्यमश्रेणीका एक माप कहा जा सकता है। पेशवाओं जमानेके प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री जैसे विरल पुरुषका दरजा तो इसे नहीं ही कहा जा सकता, मगर यह मर्यादा निभानेवाले दुनियावी आदमीका दरजा ज़रूर है। इसकी निजी तथा सार्वजनिक सेवाके चांदोंसे होनेवाली आमदनी ऐसी मर्यादित रहनी चाहिये कि वह अतिना ही खर्च निभा सके। जिसका जीवन इस दरजेसे ऊँचा जाय अथवा सेवाके दरमियान जिसकी मिल्कियत वहे, उसके विपर्यमे यह सन्देह होनेका कारण है कि उसे दूसरी भी कोअी आमदनी होती होगी। अगर यह आमदनी व्यक्तिगत भेटके बढ़नेसे होनेवाली खर्चकी बचतकी बदौलत हो, तब भी उसे अनुचित ही समझना चाहिये। राष्ट्रमे चाहे जितना ऊँचा दरजा हो, उसके जीवनका दरजा एक मध्यम मर्यादासे अपर नहीं जाना चाहिये। सरकारी ओहदेदारोंकी अुच्चतम आमदनी तथा मिल्कियतकी मर्यादा राष्ट्रके लिअे व्यक्तिगत आमदनी तथा मिल्कियतकी सामान्यरूपसे ठहराओ हुओ अुच्चतम मर्यादासे नीची होनी चाहिये। तथा ऐसी परम्परा कायम होनी चाहिये कि जिसकी व्यक्तिगत मिल्कियत तथा आमदनी पहलेसे ही इससे छयादा हो, वह विना तनखाह लिये सेवा करना अपना फर्ज समझे।

ओस्ट अिण्डिया कम्पनीके ज़मानेसे लेकर आज तक 'भत्ता' बहुत बड़ी आमदनीका एक साधन बना हुआ है। खर्च न किया हो, अल्ले प्रजाने ही खर्च किया हो, फिर भी ठहराये हुओ दरसे 'भत्ता' लेनेमे किसीको भी अप्रामाणिकता नहीं मालूम होती। और सरकारके हिसाबी विभागोंने भी हिसाब 'रखनेमे मेहनत न वहे इस खयालसे निश्चित दरसे कम भत्ता न देनेकी प्रथा डाल दी है। अगर दिल्लीकी लोकसभामे जानेके लिअे पहले दरजेका किराया और तीस 'रुपये' प्रतिदिनका भत्ता ठहराया गया हो, तो हरअेक सदस्यको यह रुपया ज़रूर ही लेना होगा, फिर इसके मुताबिक उसका खर्च हुआ हो, चाहे न हुआ हो। अगर किसी

सदस्यको अिसमेसे निजी लाभ न लेना हो, तो वह अिस बचतका, कहीं दूसरी जगह भले दान कर दे, मगर सरकारी तिजोरीमे तो अितना वाञ्छर व्यवश्य ही क्येगा। अिसका मतलब यह हुआ कि भाष्ट-भत्तेके नामपर अिस व्यक्तिको निजी ओमदनी करनेका भौका दिया जाता है। जिस तरह ओक काम करनेके लिये सौ रुपयोंका ठेका दिया गया हो, तो अुस ठेकेदारको अिस बातकी छूट होती है कि वह अपनी होशियारीसे बचत करके जितनी कमाओ उतनी करना चाहे अुतनी कर सकता है, अुसी तरह ओहदेदार मानो देशकी सेवा करनेवाले ठेकेदार हो और अुन्हे अपनी तनखाह, भत्ते और किरायेमेसे अपनी होशियारी और काटकसरसे बचत करके कमाओ उतनी करनेकी छूट हो !

अिस प्रथाका परिणाम सुराज्य नहीं हो सकता, फिर भले अिसमे दसरांच अत्यत त्यागी और निःस्युह व्यक्ति अकस्मात आ गये हो। मगर दूसरे ओहदेदार ऐसे व्यक्तियोंको आदर्ग या आदरणीय माननेके बजाय दुल्हे अुनकी हँसी और निरादर करते हैं।

हमारी जाति-भाषा-सप्रदाय पर रन्ही हुओ अिस व्यवस्थाका ओक वडा अनिष्ट फल सार्वजनिक नौकरियों और ओहदोंमे 'वर्ग-प्रतिशत-विवाद' (rule of communal proportion) है। हरओक वर्गको हरओक महत्वकी नौकरी और ओहदेमे अमुक प्रतिशत भाग (परसेएज) मिलना चाहिये, यह आग्रह सुराज्य कायम करनेमे बाधक है। मगर ओक लम्हे अरसेसे हमारे समाजका गठन ही ऐसा हो गया है कि अगर अिस मॉगपर विलक्कुल विचार ही न करे, तो वर्गके कभी भागोंको कभी वडी जवाबदारी दुर्घानेका भौका ही न मिल सके और कभी जगहे अमुक वर्गके अिजारे जैसी ही बन जायें। यह बात ध्यानमे रखनी चाहिये कि जबते ये परिणाम निकलने प्रारम्भ हुये हैं, तर्भीते ये मोर्गे भी पैदा होने ल्यां हैं।

अिस समन्वयमे धोहे समयके लिये भले ही कोअी 'समाधान' त्वीकार कर लिया गया हो, मगर यह बल्तु अनिष्ट है। नारे ओहदों तथा नौकरियोंके लिये व्यक्तियोंवा चुनाव करनेमे दो ही बाते ध्यानमे रखनी चाहिये — एक तो यह कि दूसरे व्यक्तिका चरित्र कैसा है और दूसरे दूसरों दूसरे कामबी वितनी जानकारी है। जो वर्ग चरित्र और गिरण

वर्गेरामे पीछे रह गया हो, अुसे अन्हें हासिल करनेको खास सुविधायें देना और दूसरोंकी वरावरीमे लाना एक बात है; मगर जिस कामके लिए वे अयोग्य हों, अुसमें भी अन्हे कृत्रिम फी-सर्दीके नियम (परसेएज) के आधार पर लेना ही पड़े, तो अिसे कुराज्यका ही अचूक साधन कहा जा सकता है।

यह नहीं भूलना चाहिये कि अँचे ओहटे तथा नौकरीके साथ ज्यादा धन और सुख-सुविधाओंका मिलना भी 'परसेएज-विवाद'का एक कारण है। भगीकी नौकरीमें भंगियोंका ही अिजारा है, मगर अिसके लिए किसी दूसरे वर्गके लोग यह मॉग नहीं करते कि 'हमे हमारी तादादके मुताविक परसेटेज मिलना चाहिये'! भंगियोंकि अन्त्पेक्षणकी जगहके लिए ज़स्तर होड़ ल्या सकती है ! भगीकी नौकरीका अिजारा अिसलिए सुरक्षित है कि अिसके साथ न तो अधिकार जुड़ा हुआ है, न प्रतिष्ठा जुड़ी है और न आकर्षक आर्थिक लाभ या जीवनकी- सुख-सुविधाये ही जुड़ी है। या अगर कठो कि ये सब है, तो सबेरेसे ऐसी आज्ञाये (!) देना कि 'दादा, पानी डालना', 'दादा, दूर रहना' अुनका अधिकार है, ग्रहणके दिन 'सोनादान, रूपादान, बल्दान' वर्गेरा वेग-कीमती चीजं मॉगकर फटेटूटेमैले-अुतरे हुये चीयें अिकट्ठे करना प्रतिष्ठा है, कोअी भी करनेकी अिच्छा तक न करे ऐसी सेवा वजाकर महीनेमें फी सडास चार आनेसे ल्याकर रूपये-दो रूपये तक पाना अुनका आर्थिक लाभ है और फी आदमी आठ आने या एक रूपया किराया देकर एक छोटीसी कोठरीमें दस बारह आदमी अिकट्ठे रहना सुख-सुविधा है !

ऐसे कभी दूसरे भी — हल्कारे, हमाल वर्गेराकी नौकरियोंकि स्थान अमुक वर्गके अिजारे जैसे होंगे, मगर अुनके लिए दूसरे वर्गवाले 'परसेएज' की आवाज़ नहीं झुठाते ।

अपरके अिजारे हिन्दू समाज-न्यवस्था द्वाग स्वय निर्माण किये हुये अंत्यजों — भंगियों — के लिए सुरक्षित (?) है। एक मतके अनुसार अत्यज प्रातिलिंगम वर्णसक्रतामे ( अँची जातिकी स्त्रीका नीची जातिके पुरुपसे विवाह होनेसे ) अुत्पन्न हुयी प्रजा है। अग्रेजोंने भी यहाँ आकर वर्णसक्र प्रजा निर्माण की और हिन्दुओं जैसे ही अँचेपनके अभिमानसे अन्हे अपनेमेसे

निकले हुआे अंत्यज माना। यह अंग्लो-अंग्रेज द्वारा प्रजा कहलाई। हिन्दुओंकी ही तरह अन्होंने अपने लिए कुछ नौकरियों सुरक्षित कर दी। अंग्रेजोंमे अपनका स्थान अद्वृतों जैसा ही है। मगर वे चाहे जैसे अंत्यज हों, फिर भी आखिर राज करनेवाली प्रजाके अंत्यज ठहरे, असालिए अनुकी खास नौकरियाँ ऐसी तो हैं ही कि जिनके लिए कुलभिमानी वर्गोंके मुँहमे भी पानी छूटे ! अिससे भगीका अिजारा जिस तरह सुरक्षित रहा अुस तरह अनुका नहीं रह पाया और अब तो वह खत्म ही हो गया है। अगर भगीकी नौकरी करनेवालेको सौ रुपयोंसे चारसौ रुपयों तककी तनखाह, फी कुडम्ब तीनसे छः कमरोंका ब्लॉक, खास वरदी (युनिफॉर्म) और प्रजासे तफाऊके नियमोंका पालन करनेके लिए कुछ अधिकार दिये जायें, तो अिस धन्येके बारेमे भी 'परसेप्ट'का सवाल अुठ खड़ा हो !

अेक दूसरी व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह प्रज्ञ विचारने लायक है। प्रजाके अर्थ-अनर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले जुदे जुदे विषयोंपर ज्यों ज्यों ध्यान जाता है, और अनुका खास अभ्यास और काम करनेवाले मनुष्य पैदा होते जाते हैं, तैसे तैसे अेक अेक विषय अेक अेक अल्ला खाता बनता जाता है, और गाँवसे लगाकर अखिल भारतीय सरकारी तंत्र खड़ा करना पड़ा है। अैसे हरअेकके लिए अखिल भारतीय, प्रान्तीय वर्षे जुदे जुदे खास अधिकारी नियुक्त करनेकी जरूरत पड़ती है। आज अधिकार और तनखाहका जैसा नेल है, अुसके परिणाम स्वरूप अेक अेक खाता खड़ा करनेमे खर्चका ऑकड़ा अितना बढ़ जाता है कि सिरके पाड़ी भारी हो जाती है, और ज्यादातर सिर्फ पत्र-व्यवहार, फाइलों कमेटीकी बैठकों, ठहरावों और वाजुचरोंके कागज ही बढ़ते हैं। अिनके सिवा प्रत्यक्ष प्रणालिमे ज्यादा तेजी नहीं आती। फिर भी, यह सब किये दिना नहीं चलता। अिसकी दुपगेगिता और जरूरत रहती ही है। और जैसे जैसे प्रजाकीय प्रश्नियों दरती जायेगी, वैसे वैसे अैसे सैकड़ों खाते दनते जायेगे। अिस कामको अगर दडे अधिकारके साथ दड़ी तनखाह, दड़ा बगल वर्षे द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो, तो हम समाजादकी बाहे जिनी बाते करे, यह विषमता, भूख, गरीबी, बेकारी और अनुके परिणाम स्वरूप होनेवाले नये नये रोग, और रिस्बन, कालावाजर, लृटमार,

चोरी तथा किसी न किसी वहाने छुटेवाज़ी, दगे, आपसी युद्ध (सिविल वार) वगैरा हुओ बिना नहीं रहेंगे, और नियुक्तियोंमें कुगलताकी नहीं, बल्कि पक्ष, सिफारिश, जातपॉत वर्गराकी ही मुख्यता रहेगी। यह ऐसी ही बात है, जैसे अनाजकी तगी कम करनेके लिए कोअी दूध-नी, पेड़-वरफी, अनार-मोसमी खाकर अकालका सामना करनेके लिए कहे। और यह अिस बातका सबूत है कि आज सचमुच ही ऐसी सलाह दी जाती है।

कलाभिके जमानेसे ही सार्वजनिक नीकरियोंमेंसे रिवत वर्गराकी बुराइयों दूर करनेके अुपायोपर विचार किया जाता रहा है। फिर भी ये बुराइयों कम नहीं हुआईं, अुल्टे प्रगति ही करती रहीं। अिसका कारण यह है कि अिसके अुपाय अिस मान्यतापर रचे गये हैं कि 'आगमे भरपूर धी डालनेसे अुसकी भूख बुझ जायेगी या अिन्द्रियोंको भरपूर विषय-सेवन मिलनेपर वे शान्त हो जायेगी। या फिर लोगोंका यह ख्याल है कि जिन्दगी भर चूहे मारनेके बाद ढलती अुप्रमे तीर्थ करनेके लिए निकलनेवाली या बच्चोंको निरामिप भोजनका अुपदेश देनेवाली विहीकी तरह अुपदेश दे देनेसे ही यह काम हो जायगा। अेक बनिये व्यापारीके यहौं बनिया ही मुनीम है, व्यापारी सटोरिया है और सेठेके सीदे अिस मुनीमकी मारफत ही होते हैं। मुनीम हर दिन देखता है कि बाजारमेंसे जो भाव सुन-सुनकर वह सेठके पास पहुँचाता है, अुसपरसे खरीद-क्रिकी करके सेठ लखपती बनता है। मुनीम खुद भी सेठका ही जातिभाऊ है। अुसकी रगोंमें भी वही खून बहता है। अुसके मनमें क्यों न हो कि थोड़ा सदा करके मैं भी तेज़ीसे रुपया बनाऊँ? मगर नसीब अुसका साथ नहीं देता और वह नुकसानमें पढ़ जाता है। सेठके पैसे झुटा लेता है, और वह मुनीमके असन्तोष और अप्रामाणिकतापर तिरस्कार भरा प्रवचन करता है। अब सोचिये कि मुनीमके दिलपर अिस बातका कितना असर पड़ेगा? यही हाल रिवतकी बुराई दूर करनेकी कोणिश करनेवालोंका है। वे तीन तरहके अुपाय काममें लाते हैं। अेक तो सज्जा के कान्दनोंको और भी सछत कर देनेका, दूसरा, रेड-ट्रेप तथा जास्ट्रसीका

जाल विद्याकर निगरानी रखनेका, और तीसरा, तनखाहु भत्ता वर्षेरा वदाकर अन्हे सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करनेका ।

मगर कायदे जितने ही सछत होते हैं, अन्हे निफल करनेके अुतने ही रात्ते भी निकल आते हैं, इसके बाद पुर्लीस और मजिस्ट्रेट द्वारा रिक्विट वर्चैरके कानूनोंपर अमल कराना वैसा ही है, जैसे डबलियो कैडी द्वारा किये गये जेलके किसी कस्तूरका न्याय डबलियो कैदियोंकी पचायतसे ही कराया जाय ।

दूसरा अपाय जितना खर्चालि, जितना ढीला, जिथिल्ला बठानेवाला और प्रजाके लिये जितना अनुविधाजनक है कि प्रजा खुद ही रिक्विटको उत्तेजन देने ल्याती है । अगर चार आनेकी रिक्विट देनेते एक काम पांच मिनटमे हो सकता है और ये चार आने बचानेते पांच महीने तक नेजाना चक्रकर खानेते भी कोअी सुनवाओ नहीं होती, और रेडेपेंग बढ़ता ही जाता है, डाकखर्च भी बढ़ता है, तो साधारण प्रजा अगर रिक्विटका रात्ता न ले तो क्या करे ? चार आनेकी रिक्विट अगर पांच मिनटमे काम करा सकती है, तो जिसका मतलब यह हुआ कि ज्यादा रेडेपेंग अनावस्यक ही होता है; मगर कानून असे बठानेकी सुविधायें देता है, और अधिकारी जान्हझकर अपनी सत्ताका अपयोग नहीं करते ।

तीसरा अपाय तो यी डाल्कर आग बुझानेकी कोशिश करने जैसा है । अस्तने भी फिर खबरी यह होती है कि यह अपाय सबसे छोटे और तबसे बड़े नौकरके बीचका अन्लर आर्थिक स्पमे बढ़ता ही रहता है । नान लैजिंग कि अधिकारियोंकी तनखाह वर्गरामे अनुचित बढ़ती करनेते अनका चल रात्तेते कमानेका लोभ कम होगा और जिस अन्लरामे साथ अनकी तनखाहे नीचे दिये अनुसार दश दी जानी हैं ।

प्रेर	दृ	ददनी	न्दो आहिरो	पुराना	नदा
	तनखाह	प्रतिशत	तनखाह	प्र॑	प्र॒
१	५० तक	२०	६०	—	—
२	६१-८००	१५	८३०	६५०	६७०
३	८०१-१०००	१०	६६००	८००	८७०
४	१००१-३०००	५	३१६०	२०००	६९६०
५	३००१-६०००	२	६१२०	३०००	२९७०

अिसमें अपगरसे तो जान पड़ता है कि ज्यों ज्यों ग्रेड वढ़ता जाता है, त्यों त्यों वढ़तीका प्रतिशत तेजीसे घटना जाता है; मगर हरअेक ग्रेडके आखिरी आदमीकी और उसके बाटके ग्रेडके आखिरी आदमीकी आमदनीके बीचके पुराने और नये फर्ककी जांच करें, तो पता चलता है कि विलक्षण अन्तिम दो ग्रेडोंमें ही दो ग्रेडके आठमियोंकी आमदनीका फर्क थोड़ा कम हुआ है। यह तो एक काल्पनिक अदाहण है। दरअसल तो ज्यों ज्यों ग्रेड वढ़ता जाता है, त्यों त्यों एक या दूसरे अलायुन्सके स्वप्नमें आमदनीका सच्चा अंकड़ा हरअेक सुधारके साथ वढ़ता ही जाता है। अँचे ग्रेडके अधिकारियोंको बहुत बार दो-तीन खातोंके अधिकार सौंप दिये जाते हैं। अुस बहुत अन्हे अुनके ग्रेडकी तनखाहके अलावा खातेवार खास अलायुन्स भी मिलते हैं। अदाहणके लिये सिविल सर्जन अगर जेल सुपरिएण्डेण्ट भी हो, डॉक्टरोंके अिन्सपेक्टर जनरलको जेलोंका बड़ा अधिकारी भी बना दिया जाय, तो अुसे अपनी तनखाहके अलावा दूसरे पदोंके खास अलायुन्स भी मिलते हैं। अगर ऐसी मान्यता न हो कि सारे काम अर्थविनिमयसे ही कराने चाहिये, तो अिस बातको समझना ही कठिन जान पड़े। अिक्करारके कायदेका यह सिद्धान्त है कि बदले (consideration) के बिना अिकरार रद माना जाता है, अिसी तरह भत्तेके बिना अधिकार रद है! अिसलिये चीफ सेक्रेटरी अगर चार दिनोंके लिये गवर्नरका ओहदा सेभाले, तो अन चार दिनोंमें वह पैसेसे ज्यादा यिस जानेवाला हो! अधिकार और तनखाह-भत्तेके सम्बन्धकी कल्पना 'जीव और स्वासकी सगाऊी' की तरह की गयी है। अिस कल्पनामेंसे छूटना जरूरी है, और यह सिर्फ नियम बदलनेका सबाल नहीं है, वल्कि पुरानी परम्पराये बदलने और चरित्र-वृद्धिका सबाल है।

# जड़मूलसे क्रान्ति

भाग चौथा

तालीम



## सिद्धान्तोंका निश्चय

ताफ है कि क्रान्तिका विषय अन्तमे जाकर तालीमसे बुझा हुआ है। प्रजाके धार्मिक विचार, सामाजिक आचार-विचार, भाषा-साहित्य-कला-अर्थते सम्बन्ध रखनेवाला पुरुषार्थी, राजकीय स्थायें वर्गेरा चाहे जिसे ले, हरअेकके अद्वेष्योंके अनुतार प्रजाकी व्यवस्थित तालीमकी योजना की जानी चाहिये। तालीममे चाहे केवल लेखन-वाचन और गणितका ही समावेश किया जाय, फिर भी असमे भाषा और लिपिका निश्चय पहले होना चाहिये। भाषा यानी सीखनेवालेकी घेरेलू भाषा (सात्रभाषा या स्वभाषा) को ही ले और अुसीका आप्रह रखे, तो असमेते भी अनेक कठनाअियाँ खड़ी होती हैं। हर प्रान्तमे बोलचाल — व्यवहारकी अनेक भाषाओं (बोलियों) और साहित्यिक — गिक्षणकी भाषाका फर्क करना ही पड़ता है। दूरके ऐकाष छोटेने बहरमे भी दो चार गुजगती, दो चार मारवाडी, दो चार विविध प्रादेशिक बोलियाँ बोलनेवाले हिन्दी, दो चार दक्षिण भारतकी कोओं भाषा बोलनेवाले, और दो चार मराठीभाषी परिवारोंका निल जाना असम्भव नहीं है। और यह भी सम्भव है कि गहरकी सामान्य जननाकी बोली कोओं साहित्यिक भाषा न हो (जैसे कि, मालवा या निमाड — खड़वा, बुरहानपुर वर्गी, या गगा, भागलपुर वर्गीमे देखा जाता है।)। नारवाडी कोकणी वर्गी कुछ भाषाये आज ऐसी मध्यम स्थितिमे हैं कि अन्दे साहित्यिक भाषाओंमे स्थान देने न देनेके सम्बन्धमे जवरदस्त रूपीकरान मनी हुई हैं।

परि विविध भाषाओंका सम्बन्ध जुदी जुदी लिपियोंके साथ जुझा हुआ है। भले ही लिखना-दृढ़ना जाननेवाले सौ पीछे आठ दस ही हों, और कहीं कहीं तो जितने भी नहीं होंगे, फिर भी जो थोड़ेसे लोग लिखन-दृढ़ सज्जे हैं अन्हे जिस लिपिका उदाहरण और मसन्द है, तथा

जिसका साहित्य अुनके पास सग्रहीत है, वही लिपि अुस भाषाके साथ जोड़ दी जाती है।

अिस तरह हम सिर्फ अध्यर-ज्ञान और अंक-ज्ञानको ही तालीम समझ ले, फिर भी अुद्देश्यके निम्नयके बिना अुसकी योजना नहीं की जा सकती। किस भाषा और किस लिपिको चलाना है, अिसका निर्णय किये वर्गार यह नहीं हो सकता। फिर अगर 'जीवनके विविध पहलुओंपर विचार करें, तो जीवनका ऐक भी विषय ऐसा नहीं है, जो तालीमके क्षेत्रमें न आता हो। अिस तरह तालीमका सवाल जीवन जैसा ही विश्वाल बन जाता है। अिसमें यह तो होगा ही कि अनेक विषयोंपर सवके ऐकसे मत न हों, कभीके सम्बन्धमें यह निम्नयके साथ कहते न बनता हो कि ऐक यही सच है और वाकी सब गलत ही है, कभी वार दो परस्पर-विरोधी विचारोंमें भी हरऐकमे सचाओंका अग हो, और किसकी कितनी मर्यादा समझी जाय यही महत्वका सवाल हो, कभी विषयोंका महत्व स्थानीय और असुक समयके लिये ही हो, फिर भी अुतने स्थान और समयमें अुनकी अवगणना न की जा सकती हो; और कभी वातें लोगोंके राग-द्वेषके साथ जितनी बुल-मिल गयी हों कि अुनके सम्बन्धमें बुद्धिका प्रवाह औंधे बड़ेपर पानीकी तरह वह जाता हो। अिससे नेताओंमें भी मतभेद रहेंगे और अिसलिये जायद ही ऐसा होगा कि सवको सन्तोष देनेवाली तालीमकी योजना या पद्धति कभी गड़ी जा सके। फिर भी चाहे जितने राग-द्वेष या ममत्वके वावजूद जिस तरह  $5 \times 3 = 15$  को स्वीकार करना ही पड़ता है, अिसमे १४ या १६ के लिये गुजाऊिश नहीं रहती, अुसी तरह अगर हम विवेकबुद्धिका निरादर न करें, तो कुछ महासिद्धान्त सर्वमान्य होने लायक लाने चाहिये।

ये सिद्धान्त नीचे दिये अनुसार है :

१. मनुष्यसे मनुष्यको अल्पा करनेवाले कारण चाहे कुदरती हो, या मनुष्यके बनाये हुओ हों, टाले जा सकने लायक हों या न टाले जा सकने हों, तालीमका सिद्धान्त कहिये या अुत्तम जीवनका सिद्धान्त कहिये, यह होना चाहिये कि ये कारण तथा भेद ज्यादा जड़ और पक्के करनेके बजाय कम और कमजोर किये जाने चाहिये। जीवनकी अनेक

बातोंके लिये मनुष्यमे 'अस्मिता', 'अभिमान', 'ममत्व' बचैरा तो रहेगे ही; मगर शिक्षणगालीका प्रयत्न अिन्हे सकुचित क्षेत्रमे रोक रखने और मज़बूत करनेके बजाय अिनका क्षेत्र भरसक विगाल बनाने और अुसकी पकड़को ढीली करनेवाला होना चाहिये ।

२. भूतकालको जैसेका तैसा या कुछ बदले हुओ स्पष्टमे फिरसे लाना जीवनका ध्येय नहीं होना चाहिये । असी तरह तालीमका यह प्रयत्न भी नहीं होना चाहिये कि द्वेषबुद्धिसे भूतकालके किसी भागकी याददाश्त या निगानीको मटियामेट कर दे । अुसे तो भविष्यके नये अुज्ज्वल चित्र निर्माण करके, ध्येयके स्पष्टमे अुन्हे प्रजाके सामने रखनेकी कोशिश करनी चाहिये । यह मान्यता अनेक भ्रमभरी मान्यताओं जैसी ही है कि किसी समय मानव जातिका वहुत बड़ा भाग सुख-गाति और अुच्च नैतिक चुगमे रहता था, या किसी प्रजाके वहुत बड़े भागने लम्बे अरसे तक कभी रामराज्य या धर्मराज्यका सचमुच अनुभव किया था । यह तो नहीं कहा जा सकता कि भविष्यमे सचमुच ही किसी विशाल क्षेत्रमे रामराज्य या धर्मराज्य कायम किया जा सकेगा या नहीं, मगर यह सच है कि मानव जीवनका अुकर्ष अिस दिग्गमे प्रयत्न करनेमे ही है । यह ध्यानमे रखना चाहिये कि अिस रामराज्य या धर्मराज्यका चित्र रामायण या नहाभारत बचैरामेसे नहीं लिया जा सकता । अिसका आदर्श तो हमें अपनी ही सत्य, विव, सुन्दरकी श्रेष्ठ कल्पनाओंमेसे गठना है । अिस विषयमे खराले परिच्छेदमें थोड़ी ज्यादा चर्चा की गयी है ।

३. अनेक जाहोपर मैं कह चुका हूँ कि मनुष्य सिर्फ प्राकृत ( प्रकृति — कुदरतकी गोदमे रहनेवाला ) प्राणी नहीं है । वह प्राकृत, संस्कृत तथा विज्ञत यों तीन तरहका प्राणी है और रहेगा । अुसका हरअेक पुर्वार्थ प्रकृतिको बदलता है, और हरअेकसे कुछ स्वकृति और कुछ विकृति दोनोंका निर्माण होता है । चारों पुर्वार्थमेसे एक भी पुर्वार्थ, या एक भी पुर्वार्थमेसे कृत्रिमन्तपमे ( यानी जबरदस्ती ) लाओ हुओ निरूपित या उत्तका सकोच या विकास — स्वकृति और अिष्ट परिणाम ही दृपजावे । अथवा विकृति और अनिष्ट परिणाम ही लावे, या प्रकृतिसे अिसे दिल्लुल अलग कर दे, ऐसा नहीं हो सकता । कभी पुर्वार्थोंका अनिष्ट

परिणाम अगर आज नहीं दीखता, तो वादमें मालूम पड़ता है; यही बात अिष्ट परिणामोंके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। अिसलिए पुरुषार्थ चाहे अव्यासमज्ञानके किसी धेनका हो, धर्म (यानी प्राकृतिक विज्ञान और मानव व्यवहारोंकी व्यवस्था) से सम्बन्ध रखता हो, अर्थ सम्बन्धी हो, या काम (सुख) सम्बन्धी हो, हरअेक अगर किसी ऐक ही दिशामें और ऐक ही ढगसे बहे, तो युसमें से कुछ विकृतियाँ निर्माण हुये विना नहीं रहतीं। अनिष्ट परिणाम युत्पन्न होनेसे अगर किसी दिशाके पुरुषार्थको विलकुल छोड़ दिया जाय या युसे अलटी दिशामें मोड़ दिया जाय, तब भी कुछ विकृतियाँ तो निर्माण होती ही हैं। ऐसी कोअी दिशा नहीं है जिसे पकड़कर कोअी ऐक ही रस्तेसे आगे बढ़ता चला जाय और युसे केवल स्वस्कृति, सुख और अुत्तरि ही मिलने गहे। यह भी नहीं कहा जा सकता कि अमुक दिशाके पुरुषार्थको विलकुल छोड़ दिया जा सकता है। जितने वक्त तक ऐक मोटर-ड्राइवर गतिनियामक दाव और दिशा वदलनेवाले चक्रको छोड़कर वेफिक्रीसे मोटर दौड़ाते हुये सलामत रह सकता है, अुतने ही वक्त तक मानव-पुरुषार्थ भी ऐक ही दिशामें बढ़ता रहकर सलामत रह सकता है। शिक्षण-शास्त्रीका कर्तव्य मानव-पुरुषार्थकी दिशा और गतिको बार बार जॉचते रहकर, युसे रास्तेपर बनाये रखना और अनियोंसे बचाना है। पिछले, 'चरित्रके स्थिर और अस्थिर अग' के प्रकरणमें (२-५) मानवके पूर्ण विकासके सम्बन्धमें जो अल्पा अल्पा लक्ष्य बतलाये गये हैं, वे सब मिलकर मानव-पुरुषार्थकी मोटरके दाव, चक्र और चावियाँ हैं। तालीमके द्वारा ये लक्ष्य योग्य परिमाणमें सिद्ध होने चाहियें, और किस हद तक वे सिद्ध होते हैं, अिसकी जॉच करते हुये युसके विविध गति बदलनेवाले और रोकनेवाले दावों वर्गेशका अुपयोग करते रहना चाहिये। ऐसा किये विना ऐक भी पुरुषार्थ सुरक्षित नहीं रह सकता।

४. तालीममें भाषा और लिपिका प्रध्न महत्वका है। अिसके विषयमें ज्ञादा चर्चा अन्य परिच्छेदोंमें की गयी है। यहाँ अिस सम्बन्धमें मैं सिर्फ़ अितना ही कहना चाहता हूँ कि भाषा और लिपि—शिक्षण या ज्ञान नहीं, बल्कि अुनके बाहन है। तालीम अथवा ज्ञानकी बृद्धिके लिए

सीखनेवालोंकी (न कि तिखानेवालोंकी) भाषा और जिस लिपि में अस भाषाका साहित्य अुपलब्ध हो, वह लिपि अच्छेसे अच्छा वाहन बन सकती है। सच पूछा जाय, तो मनुष्यकी कोई कुदरती स्वभाषा—मातृभाषा या पितृभाषा—है ही नहीं। दचननमें वह जितनी भाषाओंके बीच पलता है, वे सारी भाषाये असकी स्वभाषा जैसी हो सकती हैं और अनमेंते किसके भी द्वारा असकी तालीम आतानीते चल सकती है। सम्भव है, अनमेंसे एक भी भाषा अुत्तरे जाता पिताकी भाषा न हो। हमारे विशाल देशमें सच्ची स्थिति तो यह है कि अनेक दब्बे जिस साहित्यिक भाषा द्वारा तालीम देना प्रारम्भ करते हैं, वह अनेक दब्बोंमें बोली जानेवाली भाषाते भिन्न ही होती है। विहारका आदमी जो हिन्दी तीखता है, उसे वह धरमे कभी नहीं बोलता। यही हाल नालवेका है। साहित्यिक भराठी नागपुर या वरारकी जनताकी न्याड़ी नहीं है। यही हाल गुजरातीका है। असकी एक निशानी यह है कि शहरें अच्छे विद्वान् यदि साहित्यिक भाषामें गांवके लोगोंसे बाते करते हैं, और स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो वे एक दूसरेकी दात पूरी तरह समझ नहीं सकते। अनेके व्याकरण, लड्डिप्रयोग, अुच्चार और वश्वभार भी जुड़े पड़ जाते हैं। कुछ मिला-जुलतापन होनेते तिक्क जितना होता है कि चार सन्दर्भों आ जाता है। असलिए विलक्षण अन्यों भाषा द्वारा तालीम दी जानेपर भी स्वभाषाकी तालीम नहीं दी जानी, और बहुत दार तो स्वभाषा द्वारा तालीम देना ही अनम्भव होता है।

असका यह नालव नहीं कि स्वभाषा द्वारा दी जानेवाली तालीमका कोई न्यून ही नहीं है, या अिसकी जांग गला है। वल्कि असका न्यून यह है कि (१) हमें अक्षरान अथवा पुतकों द्वारा जानप्राप्ति होने नीतिक तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्ति कीचके भेदको समझना चाहिये। (अिस विषयको नीचे ज्ञाना साफ किया गया है)। (२) पुतकज्ञानके हेतु भाषाओंकी तदाद दर्शनें प्रयत्न करना ठीक नहीं है। (३) (अगर पर्येशने जाकर पर्येका सबाल न हो, तो) स्वभाषा द्वारा दिल्ली, हैदराबाद य दचननरे ल्याकर आडित्यक एक ही भाषा द्वारा दिल्ली, लैंग ज्ञाना महत्वपूर्ण है। शिश्यके बाहनको बास्तवर ददलना

जिए नहीं है। प्राथमिक गिक्षण ऐक भाषामें, माध्यमिक दूसरीमें और अन्त्य गिक्षण किसी तीसरी ही भाषामें लेना अनुचित नहीं है। इसके बजाय वह ज्यादा अच्छा है कि अपनी भाषा न हो, तब भी जिस भाषामें गिक्षण पूरा होना है, उस भाषासे ही उसकी शुद्धतात की जाय। (४) अगर गिक्षणको सार्वत्रिक करनेका बेग वडे और प्रे प्रान्तको भी किसी प्रचलित बोली या भाषाको भूलनेका प्रसग आवे तथा गिक्षणके बाहनके स्वप्नमें निश्चित की हुअी भाषा ही बोलनी पडे, और अगर वह प्रजा राजी खुशीसे इसे स्वीकार करनेके लिये तैयार हो जाय, तो इसमें कोअभी दोप नहीं है। (५) कमसे कम ऐक प्रान्तमें ऐक ही भाषा डार गिक्षण दिया जाना जिए है।

लिपि तो सिर्फ सुविधाकी ही चीज़ है। वह अगर पूर्ण हो यानी इस तरह लिखी जा सके कि अन्नचारणोंमें गड़वड़ी न हो, तो जो लिपि आसान और सुविधापूर्ण हो, वही अच्छी मानी जानी चाहिये। इस बातसे डरनेकी जरूरत नहीं कि कोअभी लिपि दुनियासे<sup>१</sup> लुप्त हो जायगी। दुनियामें अनेक भाषाये और लिपियाँ लुप्त हो गई हैं, वहुतसे ग्रथ लुप्त हो गये हैं या ऐसे हो गये हैं कि अनुहे पढ़ ही नहीं जा सकता। पढ़ लेनेपर भी समझमें नहीं आनेवाला वहुतसा प्राचीन साहित्य है, कअभी मानव जातियोंका सिर्फ नाम ही बचा है — या नाम भी नहीं बचा। तो फिर भाषा, लिपि व साहित्यके बारेमें क्या कहा जाय? वहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो अपने बापके दादासे पहलेके पूर्वजोंका नाम टाम जानते हैं। वे कैसे थे, कहांसे आये थे, कैमी भाषा बोलते थे, क्या पहनते थे, वर्णोंरा किसी भी बातका अनुहे पता नहीं है। मध्यकालमें हम गुजराती, महाराष्ट्री, बगाली, विहारी बंगरा बने। मगर हमारे पास सख्त साहित्य रह गया है, और उसमें इस देशके प्राचीन निवासियोंकी बाते हैं। अब हमें अपने सच्चे पूर्वजोंसे भी ज्यादा ये पौराणिक तथा ऐतिहासिक पुरुष तथा जिस भाषामें वे बातं सुरक्षित हैं वे ही ज्यादा सच्चे लगते हैं। हरऐक हिन्दूको लगता है कि वह राम, कृष्ण, पांडव, राणा प्रताप, शिवाजी वर्गीका वशज है; सुमलमानको लगता है कि वह अरवस्तान और ओगनकी सख्तिका

प्रतिनिधि है। गुजरातीको ल्याता है कि बनराज चावडा और सिद्धराज सोलकीसे अुत्तर का सम्बन्ध है! तिसपर हम जातपांतके भेद भूलनेकी, खूनमे स्करता र्थंवे, तो अुत्तकी अुपेक्षा करनेकी बाते करते हैं; मगर यिस बातकी चिन्ता करते हैं कि कहीं हमारी भाषामे अखबी या फारसी या अंग्रेजीका मिश्रण न हो जाय। यिसके लिये भीतर ही भीतर झगड़नेके लिये भी हम तैयार हैं और पुरानी बातोंको नवजीवन देना चाहते हैं।

कुंदरती कारणोंते या मनुष्य द्वारा मनुष्यपर किये गये अत्याचारोंकी बजहते भाषा, लिपि, वर्णराजा लोप या संकर कर्ती वार हुआ है। अगर यिसके दबाय मनुष्य ऐकता और ज्ञानवृद्धिके लिये खिरादतन ऐसा होने दे, तो यिसमें ज्यादा बुद्धिमानीकी बात होगी। धर्मकी तरह शिक्षा भी मनुष्यको मनुष्यते अलग करनेवाली नहीं, वल्कि ऐक करनेवाली होनी चाहिये। वह मनुष्योंको अपने वीचके पूर्वजोंकी याद दिलानेवाली और छुनके प्रति प्रेम पैदा करनेवाली नहीं, वल्कि सबके ऐकमात्र पूर्वज अथवा आदिकारण — परमेश्वरका ही स्मरण करनेवाली और अुसके लिये प्यार पैदा करनेवाली होनी चाहिये।

## २

### भाषाके प्रश्न - अुत्तरार्ध

स्तृतिकी दृष्टिते पहले खड़में यिस विषयपर कुछ विचार किया गया है। यहाँ मैं अुत्तर विकल्पकी दृष्टिते ज्यादा विचार करूँगा। अप्र पुलकों द्वारा ज्ञानप्राप्ति और बाणी तथा कर्मों द्वारा ज्ञानप्राप्तिके वीचके न्यौदाना शुल्लेख किया गया है। वह स्टृ है कि विज्ञाना अच्छेसे अच्छा और न्यून वाहन विकास देनेवालीकी नहीं, वल्कि विकास लेनेवालेकी अपनी भाग है। वह अस्त्वृत, अशुद्ध व अनेक भाषाके शब्दोंकी सिचड़ी हो, परं भी विकास लेनेवाला इसे ही ज्यादाते ज्यादा समझ सकता है। यिसकी स्तरपत दिया जानेवाला ज्ञान प्रायमिक हो, चाहे अच्छ हो — नहीं ही वह खिचड़ी भाषा द्वारा क्यों न हो — मगर वह विकास लेने वाहेकी भाषा द्वारा ही होना चाहिये।

वाणी और कर्मों द्वारा टिये जानेवाले ज्ञानकी तुलनामें पुस्तक द्वारा दिया जानेवाला ज्ञान अेक तरहसे कम कीमतका है। मगर आज ज्ञानका अितना बड़ा भडार पुस्तकों रूपी पेटियोंमें बन्द है कि बहुत बड़ी हद तक अुसने वाणी और कर्मों द्वारा मिलनेवाले ज्ञानसे भी ज्यादा महत्वका स्थान लें लिया है। भाषा और लिपि अिन पेटियोंको खोलनेवाली चावियों जैसी है। जिनको ये चावियाँ मिले, अुनके लिये ज्ञानका बहुत बड़ा भडार खुल जाता है। अिसलिये वडे पैमानेपर और वडी तेजीसे अश्र-ज्ञान फैलानेकी जरूरत आ पड़ी है।

जिस तरह गस्तेपर सार्वजनिक अुपयोगके लिये खड़े किये गये नलकी टोटी ऐसी नहीं होनी चाहिये कि अुसे खोलनेके लिये खुब ताकन या हिकमत या खास तालीमकी जरूरत पड़े, अुसी तरह पुस्तकोंको खोलनेकी चावियों भी ऐसी होनी जरूरी है कि वे जैसे बने तैसे सबको सुलभ हो सके और अुनके अुपयोगका तरीका सबको तुरन्त ही आ जाय। अिन चावियोंके अनेक अटपटे 'पेटट' होना अष्ट नहीं है। जिस तरह साइकल जैसी सार्वजनिक अुपयोगकी चीजे बनानेवाले कारखाने सेकड़ों हों, फिर भी अुनका ढॉचा और विविध भाग कुछ निश्चित कद और निश्चित मापके ही बनानेकी ओर हमारा छुकाव रहता है, अुसी तरह भाषा और लिपिके सम्बन्धमें भी होना चाहिये।

भाषा और लिपिमेंसे भाषाकी विविधताको टालना ज्यादा कठिन है, लिपिकी विविधताको टालना कम। सारी दुनियाकी बात तो अेक तरफ रही, हिन्दुस्तान जैसे विशाल देशकी, या अिसके किसी एक ही भाषावार प्रान्तकी भाषामें भी विविधताका अुत्पन्न न होना असभव है। पहले चोलनेमें फर्क पड़ता है, वही धीरे धीरे लिखनेमें अुत्पन्न है। लिपिकी विविधताको विलकुल टाला भले न जा सके, फिर भी अुसे ज्यादा आसानीसे कम किया जा सकता है।

मगर विविधता रहते हुओ भी अगर हमारे सकुचित दुराग्रह कम हों, तो नीचे बतलाये हुओ व्यावहारिक रास्ते अखिलयार किये जा सकते हैं :

भाषाके सम्बन्धमें—(क) मीरिक व्याख्यानोंमें सुननेवालेकी या शिक्षण लेनेवालेकी भाषाको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिये : यानी जिस भाषाको वह आसानीसे समझ सकता हो, उसी भाषामें बोलना चक्षाका पहला कर्तव्य है । बोलनेवाले शिक्षक या बक्ताको सुननेवालेकी भाषा सीखनी चाहिये, न कि सुननेवालेको बक्ताकी । अिसका यह मतलब नहीं कि सुननेवालेकी भाषाकी व्याकरण या अुच्चारण समन्धी अशुद्धियाँ भी अुसं रखनी ही चाहिये, मगर अितना ध्यान रहे कि बोलनेवालेकी अपेक्षा सुननेवालेकी सुविधा ज्यादा महत्वकी चीज है । कुछ हदतक सम्भवा भी अिसी नियमके पालनमें है । मान लीजिये कि मेरे साथ वात करनेके लिये आनेवाला कोई ऐसा मद्दाती या पारसी है, जो आसानीसे हिन्दी या (पारसी होते हुअे भी) गुजराती नहीं बोल सकता । वहाँ अयेजी पराजी भाषा होते हुअे भी असोमे वातचीत करना सम्भवा है । अिसी तरह जिस विषयपर जुस्ते वातचीत करनी हो, अस विषयके खास शब्द, जिस भाषामें वातचीत चल रही हो, जुस्ते भिन्न भाषाके होनेपर भी अुन्हे ही काममें लेना चाहिये । अगर हम अिस नियमको समझ ले, तो हिन्दी, अर्द्ध, हिन्दुस्तानी वर्त्तरके विवाद कम हो जायें । और भाषाका विकास किसी खास प्राचीन वाणीमेंसे ही करनेका गलत आग्रह दूर हो जाय । तब हम मामूली तौरपर 'नेना' शब्द भी बोलेंगे और खास जगह पर 'स्वर्ण' या 'हिरष्य', जैसा शब्द भी काममें लेंगे; खायनविद्यामें 'ओरम' शब्द और 'au' न्याया भी अुपयोग करेंगे । ऐस्युमिनियम या निकलके लिये नये 'शब्द शब्दनेकी जट्टत नहीं समझेंगे । एक ओर अगर मारोज शब्द काममें लाने ह, तो मारोज, मारोजी भी लेने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं रखेंगे । कन्ट्राक्टर शब्दका अुपयोग करते हैं, अिसलिये अिक्रार और अिक्रारनामा शब्द छोड़ देने चाहिये और कन्ट्रॉक्ट और कन्ट्रॉक्ट-डीड ही कहना चाहिये, ऐसा भी आग्रह नहीं करेंगे । 'तिम्बेचर' के लिये सही या रुताक्षर शब्दका जित्तेमाल करना सुननेवालेकी सहृलियतपर निर्भर रहेगा; और रुताक्षरका अुपयोग किया अिन्लिये signed का हत्ताक्षरित या signatory का हत्ताक्षरी करना जरूरी नहीं होगा, और 'सही किया हुआ' 'सही करनेवाला' शब्द ऐसे ही लेंगे जिन्हे दोनों ही नेता नहीं :

(ख) पुस्तककी भाषाके सम्बन्धमें अनेक स्थानीय बोलियों और शब्दोंकी अपेक्षा व्यवहारमें आँठी हुअी व्याकरण-शुद्ध भाषा और ज्यादासे ज्यादा प्रचलित शब्द काममें लेने चाहिये। मौखिक व्याख्यानमें भले सुननेवालेकी सहूलियतको ज्यादा महत्व दिया जाय, मगर पुस्तकीय लेखनमें लेखक, पाठक और पुस्तकका विषय तीनोंकी परस्पर सुविधाका खयाल रखना ज़रूरी है। लेखक अगर अपनी ही सहूलियत और सन्तोषकी दृष्टिसे लिखे, तो जिसे गरज होगी वही पढ़ेगा। मगर लेखक पाठकके फायदेके लिए और पुस्तकके विषयको अच्छेसे अच्छे ढंगसे पेश करनेके लिए लिखता हो, तो उसे भाषाकी योजनामें वहुत कुछ खुलापन और स्वतंत्रता भी लेनी होगी। मगर अिसके साथ ही तालीमके क्षेत्रमें आनेवाली और अुसके लिए ही लिखी गयी पुस्तकोंमें भाषाकी जिस प्रकारकी योजना शिक्षण लेनेवालेके लिए योग्यमें योग्य बाहन हो सकती हो, वैसी ही होनी चाहिये। अिसमें ऐसा करनेकी ज़रूरत नहीं है कि शिक्षण लेनेवालेको अिसकी भाषा समझनेमें कुछ भी मेहनत न अुठानी पड़े। मगर वह योजना ऐसी भी नहीं होनी चाहिये कि भाषा समझने पर ही वहुतसा ध्यान देना पड़े। अिसमें अिस बातका भी खयाल रखा जाय कि शिक्षाका विषय कितना सार्वजनिक है। अदाहणके लिए खेती, ग्रामोद्योग, व्यापार, स्वच्छता वगैराकी व्यावहारिक तालीमका एक तरफ तो स्थानीय महत्व है और दूसरी तरफ वह समूचे देश या पूरी दुनियाके लिए व्यापक है। डॉकटरी विद्याये, विज्ञानकी विविध शाखाये, बड़े बड़े अुद्योग और अुनसे सम्बन्धित विद्याये वगैरा जगद्व्यापी विषय हैं। सामान्य राजनीति, अर्थशास्त्र वगैरा राष्ट्रीय महत्वके विषय कहे जा सकते हैं। सकृत, फारसी, अरबी, द्राविड़ी वगैरा भाषाओंका प्रान्तों तथा पूरे हिन्दुस्तान और ऐशियाके अधिकांश भागकी भाषाओंके साथका सम्बन्ध मूल तत्व और अुनमेसे निकले हुओं विविध रसायनों जैसा है; अग्रेजी तथा अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिभाषा अिन भाषाओंमें अूपरसे पड़े हुओं मसालों जैसी मानी जायेगी। हिन्दुस्तानकी प्रान्तीय भाषाये अिन सभी भाषाओंसे पोपित हैं। अिसमें यह विषय वहुत महत्वका नहीं है कि किस भाषाका कितना 'परसेण्डे' है। किसी भाषाके चाहे पॉच फी सदी शब्द भी न

हों, फिर भी जिस तरह क्षार और विद्यमितके 'परसेप्ट' जरीरके स्वास्थ्य और शठनमे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं, वैसे ही अिनका भी महत्व हो सकता है। अिसलिये अिन भाषाओकी तरफ अिस तरह देखना अनुचित है कि वे कोअी रोग पैदा करनेवाले जहर हो, वा हमे भ्रष्ट करनेके लिये आओ हों।

अिन सारी दृष्टियोंसे विचार करनेपर मुझे लगता है कि (१) प्राथमिकते ल्याकर अुच्च शिक्षण तकके मौखिक शिक्षणमे जहाँतक हो सके स्थानीय भाषाका ही उपयोग होना चाहिये, फिर भले अुससे सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तके अुस भाषामे न हों, और भले विशिष्ट परिस्थितिमे अपवाद स्वप्ते किसी अध्यापकको हिन्दुस्तानीमे सिखानेकी छूट हो; (२) प्रान्तीय महत्वके विषय और शुरूआतकी पुस्तके प्रान्तीय भाषामे लिखी जायें; (३) अन्तरप्रान्तीय महत्वके विषयोंका लेखन हिन्दुस्तानीमे हो और यथासम्बव प्रान्तीय भाषाओंमे भी हो। अग्रेजी भाषाकी पुस्तकोंका उपयोग कामचलाभू हो। और जैसे वने तैसे अुसे कम करनेकी तरफ झुकाव हो, (४) अन्तरराष्ट्रीय महत्वके विषयोंके लिये अग्रेजी पुस्तकोंका उपयोग तथा लेखन हो; और (५) अन्तिम मगर महत्वकी वात यह है कि बोलने या लिखनेकी भाषा चाहे जो हो, मगर सभी भाषाये अपने अन घब्दोंको निकालकर नगे वनानेका रख न रखे, जो अुनमे प्रचलित हो गये हैं, फिर भले वे किसी भी भाषासे क्यों न आये हों। पारिभाषिक शब्द अगर पाश्चात्य विद्याओं, धन्धों और स्थाओंसे सम्बन्ध रखते हों, और अिन विद्याओं वर्गामे प्रचलित हों, तो जहाँ तक वने अुन्हे ही रहने दिया जाय, फिर भले वे सजाये हों, क्रियाये हों, गुण हों, मूल हों, या साधित हों, या व्याकरणके दूसरे कोअी अग हों, और जहाँ भैसे शब्द नये ही वनाये जायें, वहाँ सारे प्रान्तोंमे अनिवार्य स्वप्ते ऐक ही रहे। किसी नगे विषयका लेखक या नया शोधक अलबत्ता अुसे योग्य ल्यो, वैसे शब्द वना सकता है, और जहाँ तक हो सके, वे ही शब्द सारे प्रान्तोंमे स्वीकार विने जायें।

हिन्दुस्तानीके नामते मैं जिस भाषाका सुझाव रखता हूँ, वह किसी दनावटी, वेसिक अंग्रेजीकी तरह अनुक ही शब्द-भडाखाली या व्याकरणकी

मर्यादामे वैधी हुयी भाषाका नहीं, वल्कि अँचेसे अँचा, अच्छेसे' अच्छा, लेखककी भाषागत्तिको क्षेत्र देनेवाला साहित्य अुत्पन्न कर सकनेवाली भाषाका है। अुसका शब्दभंडार, वाक्यरचना, गैली वर्गामे सस्कृत, अरवी, फारसी, अग्रेजी या दूसरी किसी भी भाषाका अुपयोग किया जा सकता है। अुसका व्याकरण तथा स्कृप्रयोग साहित्यिक हिन्दी तथा साहित्यिक अुर्दू दोनोंके आधारपर रखे जा सकते हैं और किसी दूसरी भाषाका भी अुपयोग कर सकते हैं, मगर अिसमे किसी ग्राम्बीय विषयकी पुस्तके लिखनी हों, और शिक्षण संस्थाओंके लिये तथा रोजानाके सामाजिक नियमों या व्यापार या दूसरे क्षेत्रोंके व्यवहारके लिये अुपयोगी विषयोंका निरूपण करना हो, तो अुसमे प्रचलित शब्दोंका तथा अन्तरप्रान्तीय व अन्तरराष्ट्रीय परिभाषाका ही अुपयोग करना चाहिये। साहित्यिक निवन्ध, काव्य, कथा वचैरामे लेखकको अपनी स्त्रिये अनुसार चाहे जैसी भाषा लिखनेकी आजादी हांती ही है। जितनी ही वह भाषा समाजको प्रिय होगी, अुतनी ही दूसरे क्षेत्रोंमे तथा व्यवहारमे दाखिल होती जायगी, और भाषाको समृद्ध करती जायगी।

भाषाओंके सम्बन्धमे हमारे देशमे एक शौक जस्तरतसे ज्यादा फैला हुआ है। अिसपर मैं शिक्षणकी दृष्टिसे कुछ कहना चाहता हूँ। विविध कारणोंसे हमारे देशके ब्राह्मण और व्यापारी वर्गको जुदी जुदी भाषायें सीख लेनेकी हथौटी जैसी सध गअी है। अल्पता, दोनों वर्गों की सीखनेकी रीति और अुसपर कावू व विद्वत्ता जुड़े प्रकार की है। मगर अेकाध ज्यादा भाषा सीख लेना अनके लिये आसान बात हो गअी है, और ऐसा होनेसे अनहे अिसका शौक भी लग गया है। बाहर-तेरह भाषायें जाननेवाले विद्वान हमारे यहाँ मिल सकते हैं। शिक्षणका तत्र ज्यादातर अुर्द्दीके प्रभावमे रहनेसे शिक्षणमे भाषाओंकी तादाद बढ़ानेकी और ही अनका छुकाव रहता है। स्वाभाविक होनेसे मातृभाषा, देशवासीकी हेसियत से—हिन्दी, अुर्दू दोनों शैलियोंसे युक्त—हिन्दुत्तानी, स्वभाषाकी जननी होनेसे सस्कृत या फारसी, धर्मके कारण सस्कृत-प्रावृत्त, या अरवी या जद भाषा, पड़ोसी धर्मकी रूपसे पड़ोसी प्रान्तकी भाषा, अेकाध द्राविड़ी कुलकी भाषा, और अन्तरराष्ट्रीय होनेसे तथा पाइचात्य विद्याओंका द्वार रूप

होनेसे अंग्रेजी भाषा — अिस तरह सुझावकी सीमा छहसात भाषाये सीखने तक पहुँच जाती है।

हिन्दुस्तान जैसे बड़े देशमे ऐसे अनेक भाषाये जाननेवाले पॉच-दग हजार भाषा-पड़ितोंके होनेमे कोअी बुराओी नहीं है। अपनी हीस या ग्रौक्से भले कोअी आदमी ऐकके बाद अेक नयी नयी भाषा सीखता चल जाय। अिस तरह सीखनेकी अच्छा रखनेवालेको वैसी सुविधा मिलनी रहे तो बस है। फिर व्यापारी या वाजाह पद्धतिसे—यानी किसी दूसरे प्रान्तके लोगोंके बीच बसकर और अनेके प्रत्यक्ष सहवासमे रहकर—अगर कोअी आदमी जुदी जुदी भाषाये सीख लेता है, तो अिसमे कोअी दोष नहीं है। मगर शिक्षणके तत्रमे भाषा ज्ञानको स्थान देनेका सवाल हो और फिर अन भाषाओंके साथ विविध लिपियाँ भी हों, तो भाषाओंकी तादादपर कुछ मर्यादा रखनी चाहिये। दूसरे अनेक अुपयोगी विषयोंको कम करनेपर ही विविध भाषाओंको जगह दी जा सकती है। अिस दृष्टिसे मेरी रायमे सिर्फ दो ही भाषाओंका व्यवस्थित शिक्षण आवश्यक हो सकता है: ऐक प्रान्तकी साहित्यिक भाषा और दूसरी हिन्दुस्तानी। ये दोनों भाषाये खब अच्छी तरहसे सिखाओ जानी चाहिये। दूसरी सारी भाषाओंका शिक्षण जहरन पढ़नेपर और आवश्यकताके अनुसार ही दिया जाय। अुदाहरणके लिअे, अुच्च शिक्षणमे विज्ञानकी विविध शाखाओंमे अंग्रेजी और जर्मनमेसे ऐक या दोनों भाषाओंकी जहरत पढ़ सकती है। राज्यतत्रके विषय सीखनेवालेको अंग्रेजी और दुनियाकी कोअी दूसरी ऐक या ज्यादा भाषाये भी सीखनी जहरी हो सकती हैं, दर्गनगाल्को अम्यासी, भाषाशाली वगैराके लिअे ऐक या ज्यादा प्राचीन भाषाये सीखना आवश्यक हो सकता है। प्रायः सभी विषयोंमे अंग्रेजीकी समान जहरत होनेते मौजूदा जमानेकी जहरतके अनुसार भुक्तका वितान शिक्षण सबके लिअे लाजमी किया जा सकता है, जिससे अुच्च शिक्षणमे पुस्तके वगैरा समझमे आ सके। मगर, अिसके अलावा दूसरी भाषाओंको सिर्फ भाषाके खास विद्यार्थी ही सीखे, और वर भी अुच्च शिक्षण लेना आरम्भ करनेके बाद ही।

धार्मिक वृत्ति तथा चरित्रकी अनुनति या आत्मज्ञानके लिअे प्राचीन भाषाओंजा ज्ञान आवश्यक नहीं है, न व्यवहार चलानेके लिअे जी नामे-

भाषाओंके व्यवस्थित — व्याकरणबद्ध शिक्षणकी ज़रूरत है। कभी भाषाओंका सिर्फ समझना और पढ़ते वन जाना काफी होता है, अनुनको लिखते या बोलते आना ज़रूरी नहीं है। किसी प्राचीन भाषाओंके आवश्यक अगोंका समावेश होना चाहिये, जिन्होंने अस भाषाओंके व्याकरणके रूपमें असकी रचनामें अंट-चूना-रेती वर्गीराका काम किया है। मगर इसके लिए हरअेकको वे प्राचीन या अर्वाचीन भाषाये सीखनी ही चाहिये औसा ज़रूरी नहीं है।

अगर भाषाज्ञानकी महिमा और अससे सम्बन्धित वहम कम नहीं होंगे, तो अद्योगपरायण, व्यवहारकुगल और प्रसन्न बुद्धिकी प्रजाका निर्माण होना कठिन है। कोअी चाहे जितनी हॉक-पुकार करे, शिक्षणमें पंडितादी और तक-कुगलताका ही प्रथम स्थान रहेगा।

### ३

## लिपिका प्रश्न — अुत्तरार्ध

लिपिके सम्बन्धमें भी मै पहले खड़में कह चुका हूँ। यहों हमें शिक्षणकी दृष्टिसे असपर विचार करना है।

स्वर-व्यञ्जन वर्गीराकी व्यवस्थित जमावट ( वर्गव्यवस्था या वर्णनुक्रम ) और वर्ण ( जुदी जुदी लिपियोंमें घनियों दिखानेवाली आकृतियों और मरोड ) दोनो एक ही चीज नहीं है। अस वातमें कोअी अनकार नहीं कर सकता कि सस्कृत भाषाका वर्णनुक्रम बहुत व्यवस्थित है। असमें भी मनदेह नहीं कि अलिफ वे या ओ-वी-सीके क्रममें कोअी व्यवस्था नहीं है। और यह भी सच है कि सष्ठ अन्व्यागण दर्शनके लिए कमसं कम जिनने स्वतंत्र अक्षर चाहिये, अतने अन दो लिपियोंमें नहीं है। अन दो की अंपेक्षा भी सस्कृत वर्णनुक्रमवाली लिपियोंमें बहुत ज्यादा अक्षर है।

अरबी-फारसी लिपिके सवालपर अिसले ज्यादा चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अिस लिपिको अिस देशकी या ज्ञातकी ऐकमात्र लिपे बनानेका कहीं भी सुझाव नहीं है। अिसलिए सवाल मस्तृन वर्णमालावाली विविध लिपियों और अंग्रीसी के बीच ही है।

अक्षरोंकी तादाद और अनुक्रम-व्यवस्थाकी दृष्टिसे सस्तृन कुलकी लिपियोंकी विगेषता अूपर बतलाई गयी है, मगर आकृतियों, स्वर-व्यजनके घोणों और संयुक्ताक्षरोंकी सरलता और अिसलिए अुनको सीखने तथा लिखनेमे आतानीकी दृष्टिसे विचार करें, तो अंग्रीसीके उग सस्तृत कुलकी किसी भी लिपिसे बढ़ जाते हैं और अिस बातसे अिन्कार करना मृदाग्रहके स्थिति और कुछ नहीं है। अिसकी आकृतियोंकी सरलता के लिए दो कसीटियों काफी हैं। अंग्रीसी के छन्नीस अक्षर और घनियोंको अुपजानेवाले सस्तृत कुलकी किसी भी लिपिके छन्नीस अक्षर ऐक ही मापमे (जान लीजिये ऐक वर्गांभिचके चौकठमे) लिखे और फिर नापकर देखें कि अंग्रेजी अभ्यरोंमें कुल कितने यिच लम्बी रेखाये खींचनी पड़ती हैं और हमारी लिपियोंने कितनी। पता चलेगा कि अंग्रेजी लिपिमे कुल मिलाकर कन लम्बी रेखाये हैं। अिसका कारण यह है कि विविध अक्षरोंमें हमारी लिपियोंके सुकाकर अंग्रीसी में कम भरोड और गोठ कौरा आती हैं।

दूसरी जौन यह है कि ऐक बाल्क तथा ऐक निरक्षर प्रौढ़को स्थानाध थे हमारी लिपिके मूलाक्षरों तथा अंग्रेजी लिपिके मूलाक्षरोंका परिचय देना प्रारम्भ कीजिये और देखिये कि वे किस लिपिके अक्षरोंको ज्यादा तेजीसे गद कर सकते हैं। अिसके बाद अनुहे लिखना सिखाइये और देखिये कि किन अक्षरोंको वे जल्दी लिखना सीख जाते हैं।

हमारा वर्गानुक्रम तो अच्छा है, मगर वर्णोंके मरोड़ — आकार — मर्म नहीं हैं, और अनुहे स्वरोंके साथ मिलाने व संयुक्ताक्षर लिखनेकी पद्धति भी हुविधानरी नहीं है। अिसने अन्हें सीखने तथा लिखनेमे ज्यादा नेतृत्व पड़ती है और गति भी धीमी रहती है।

फिर भी, अगर हम जितने तीव्र देशाभिमानी हो सके कि प्रान्तीय लिपियोंको छोड़कर देवनागरीमें ही नारी प्रान्तीय भाषायें

लिखना मजूर करे, तो अंग्रेजी लिपिका सवाल एक तरफ छोड़ा जा सकता है और अर्द्ध लिपिका सवाल भी बहुत गोण हो सकता है। देवनागरीको सुधारना तो होगा ही, मगर जो प्रजाये अपनी अपनी प्रान्तीय लिपियों छोड़नेकी अृच्छाओं तक अुटेगी, अन्हे देवनागरीको सुधारनेके बारेमे सम्मत होनेमे ज्यादा कठिनाओं नहीं महसूस होगी।

अगर प्रान्तीय लिपियोंका सवाल यिस तरह विलक्षण हट जाता है, तो अर्द्ध लिपि लिखनेवाले प्रान्तोंको तथा ( हिन्दू-मुसलमान जो हों अन सब ) जातियोंको समझाया जा सकता है कि आप चाहे जैसी अग्नी — अर्द्ध गढ़िये, 'चाहे जितनी अुसे अख्ती-फारसी भरी बनाइये, मगर अुसे देवनागरीमे ही लिखिये और देवनागरीमे ही सीखिये। यिसमे आपकी भाषाको भी फायदा है और देशकी दूसरी भाषाओंको भी फायदा ही होगा।

मगर यदि हम अपने प्रान्तीय अभिमानको न छोड़ सकते हो, तो मान लीजिये कि सिर्फ मुसलमान ही अर्द्धवाले हो, फिर भी वे अगर अर्द्धका आग्रह न छोड़ सके तो अन्हें दोष नहीं दिया जा सकता।

मगर प्रान्तीय लिपियोंका आग्रह छूट सकना आज मुश्किल मालूम होता है। तब फिर यह देखना वाकी रहता है कि गिक्षण और राजतत्रकी दृष्टिसे अिस समस्याको कैसे हल किया जा सकता है। वहाँ रोमन लिपि भी अपनी अम्मीदवारी पेश कर रही है। लेलन, छपाओ वगैराकी दृष्टिसे अिसकी सुविधाके सम्बन्धमे मैं अपर कह चुका हूँ। कोओ भी दो लिपियों जाननेवालोंकी अगर मर्दुमशुमारी करें, तो दूसरी लिपिकी तरह रोमन लिपि जाननेवाले सबसे ज्यादा निकलेंगे। देशकी कुछ भाषायें रोमनमे लिखी भी जाती है। तारों व चिट्ठी-पत्रीमे सभी भाषाओंके व्यक्तियों तथा स्थानोंके नामोंके लिये रोमन लिपिका ही अपयोग होता है। देशके बाहर जगतमे यही लिपि सबसे ज्यादा महत्वकी है। अिसके दोपोको थोड़े फेरफारसे दूर किया जा सकता है।

यिन सब बातों पर विचार करनेके बाद मे नीचे लिखे नतीजों पर पहुँचा हूँ:

१. रोमन लिपिका ऐसा स्वरूप निर्दिच्चत किया जाय, जिससे वह प्रान्तकी विविध भाषाओंके अुच्चारोंको पूरी तरहसे और ठीक ठीक पेग कर सके. इसे निर्दिच्चत की हुई रोमन लिपि कहा जाय।

२. सबके लिये दो लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो, प्रान्तीय लिपिका और निर्दिच्चत की हुई रोमनका।

३. किसी भी स्पष्टे हिन्दुस्तानीको मानृभाषाकीं तरह बोलनेवालेके लिये जो दो लिपियों हैं, वे हैं देवनागरी और अर्द्ध। यानी मानृभाषाकी तरह हिन्दुस्तानी सीखनेवालेके लिये देवनागरी तथा रोमन, अथवा अर्द्ध तथा रोमन लिपियोंका ज्ञान आवश्यक हो।

४. हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषाकी तरह सीखनेवाला असे अपनी प्रान्तीय लिपिमे तथा रोमन लिपिमे सीखे, और उन दोमेसे किसीभी ऐकका अपनी शुद्धिके अनुसार अपयोग करे। प्रान्तीय सरकार युन दोनोंको मान्य रखे। प्रान्तकी भाषाके सम्बन्धमे भी यही कहा जा सकता है।

५. केन्द्रीय सरकारके कारबारमे अपयोगमे आनेवाली हिन्दुस्तानीमे प्रजा 'निर्दिच्चत की हुई' रोमन, देवनागरी तथा अर्द्धमेते किसी भी लिपिका अपयोग करे। प्रजाकी जानकारीके लिये प्रकाशित किये जानेवाले लेखन, वर्गीयमे रोमन तथा जिस प्रान्तके लिये वह लेखन प्रकाशित हो वहाँकी लिपि दोनोंका अपयोग किया जाय।

यिस व्यवस्थासे देशकी हरऐक भाषाके लिये कमसे कम ऐक सामान्य लिपि — और वह भी ज्ञादव्यापी लिपि—प्राप्त हो सकेगी, और रोजानामे भीतरी व्यवहारोंमे तथा साहित्यमे प्रान्तीय लिपियों भी रह सकेगी। और कोई भी भाषा सीखनेका रात्ता आसान हो जायेगा।

## अितिहासका ज्ञान

पिछले पचास वर्षोंसे विद्वानोंने अितिहासके ज्ञानकी बड़ी महिमा गाऊँ है, और अनेक दिग्गांओंमें अैतिहासिक गोध करने तथा अनेक विषयोंका अितिहास लिखनेकी काफ़ी कोशिश हुओ है। अपने देश, जगत् तथा जीवनकी अनेक वातोंका पिछला अितिहास जानना मनुष्यकी सर्वांगीण और सामान्य तालीमका आवश्यक अग माना गया है। अर्थ-गालियोंमें अितिहासवादियोंका एक सम्प्रदाय ही है। कम्युनिस्ट अपनी विचारसरणीको अैतिहासिक सत्योंपर ही आधारित मानते हैं और उस परसे मानव जीवनके भविष्यके सम्बन्धमें निश्चित मत प्रतिपादित करते हैं। अैतिहासिक ज्ञानकी महिमामें से अितिहासको 'सुरक्षित रखनेका' भी एक आग्रह पैदा हुआ है और वह अिस हद तक बढ़ा है कि मानवके आदियुगका नमूना लुप्त न हो जाय, अिसलिये कुछ पुरातत्त्ववादियोंका विचार है कि जगली व पिछड़ी हुओ जातियोंको अुनकी आदि दशामें ही रहने दिया जाय। ऐसे लोग भी हैं, जो अनेक स्थियों तथा सत्याओंको आजके जीवनमें अर्थहीन और असुविधाजनक होने हुओ भी अितिहासको सुरक्षित रखनेके लिये बनाये रखना चाहते हैं।

जब अितिहासका अितना ज्यादा महत्त्व माना जाता हो, तब मेरे यह कहनेमें धृष्टवा मालूम होगी कि यह मान्यता लगभग वहमकी कोटिकी है। मगर वड़ी नम्रतासे मैं कहना चाहता हूँ कि अितिहासके ज्ञानका जितना महत्त्व माना जाता है, अुतने महत्त्वका पात्र वह नहीं है। अिसमें पीतलके गहनेको सोनेका गहना मान लेने जैसी ही भूल की जाती है।

सच वात तां यह है कि किसी भी घटनाका सोलह आने सन्चा अितिहास हमें भाग्यसे ही मिलता है। खुदकी ही की हुओ और कही

हुआई वातोंकी भी याददाक्षत अितनी तेजीसे फीकी पड़ जाती है कि थोड़े समय बाद अुसने सत्य और कल्पनाका मिश्रण हो जाता है। किसी मानव-शार्नने ऐक प्रयोगका वर्णन किया है। विद्वानोंकी सभामें ऐक नाट्य-प्रयोग किया गया। अुसमें ऐक वारदातका प्रदर्शन किया गया। प्रयोगके साथ ही अुसकी फिल्म भी उतार ली गयी। प्रयोग कुछ मिनिटोंका ही था। प्रयोग होनेके आधे घट्टे बाद श्रोताओंसे कहा गया कि अुन्होंने जो देखा अुसका ठीक ठीक वर्णन लिखे। नतीजा वह आया कि तीत साक्षियोंमेंसे सिर्फ ऐक दोके वर्णन तो फिल्मके साथ ८० फीसदी मिलने थे। जेष सबके वर्णनोंमें ४० फीसदीसे ६० फीसदी तककी भूले निकली।

अिसमे आश्चर्य करने जैसी कोअी वात नहीं है। जब तरस्थ और सावधान साक्षी भी घट्टाओंको यों तेजीसे भूल जाते हैं, तब फिर जिनमे घट्टाचे अुत्तम करनेवाले तथा लिख रखनेवाले लोगोंका कोअी रागद्वेष — पक्षपात वर्चरा हो, अुनके वर्णनोंमें अगर सचाअीका हिस्सा कम हो और जैसे जैसे सत्य वीतता जाय, वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा कम होता जाय, तो अिसमे आश्चर्यकी क्या वात है? वर्तमान घट्टाये भी ऐक ही दिनमे अैसी सन्यास्पद वन सकती है कि सच सच घट्टा क्या वर्दी। वह कभी भी निष्पत्तिवक नहीं कहा जा सकता। कल तक कम्कर्तेकी 'काल कोठी'की वातको सभी विद्यार्थी और शिक्षक सच्ची घट्टा नमझते थे। वही अब गप सावित हुआई है। अभी हाल ही मे प सुन्दरलालजीने यह बतलाकर हमे आश्चर्यचकित कर दिया है कि तोन्ताथने लृटनेकी वात भी सच नहीं है। अगलत १९४६के बाद देशभरमे होनेवाले हिन्दू-मुस्लिम अस्याचारों और दर्गोंका सोलह आने सच्चा अितिहास कभी भी नहीं मिल सकेगा। कृष्णका सच्चा जीवन-चरित्र कौन जान सकता है? गमका ही नहीं, अीसा मसीहका भी कभी जन्म हुआ था या नहीं, और अुत्ते कॉस पर चढ़ाया गया था या नहीं, जिस्मर भी शका की गयी है। जोक्त्वपीयरके नाटकोंके सम्बन्धमें प्रेमानन्दके नाटकों जैसा ही विवाद है। अिधर विद्वानोंमें अिस सम्बन्धमें चर्चा है कि कालिदास विनने हो गए हैं।

अिस तरह जिस अतिहासके ज्ञानकी हम महिमा गाते हैं, वह भले ही अतिहासके नामसे और सेक्रेटरियेटके दफ्तरों तथा प्रत्यक्ष भाग लेनेवालोंके मुँहसे सुनकर लिखा गया हो, फिर भी वह अुपन्यास या सम्मान्य घटनासे ज्यादा कीमती नहीं होता। अिसका बाचन और पिछली कढ़ियोंको खोजने और जोड़नेकी बोटिक कसरत मनोरजक अवध्य है, मगर शेक्सपीयर, कालिदास, वर्णार्ड गांके अुत्तम नाटकों, या पीराणिक वार्ताओं तथा परम्परागत टनकथाओंमें न तो अिसकी ज्यादा कीमत करनी चाहिये न अुनसे ज्यादा अिसके ज्ञानका मोह ही रखना चाहिये।

अतिहास पक्कर, भूतकालके सम्बन्धमें हम जो कल्पनाये करते हैं, वे योग्य मात्रासे बहुत ज्यादा व्यापक स्पष्टिये होती हैं। और अुनपर्से हम जो, अभिमान या द्वेष अपने दिलोंमें पालते हैं, वे तो वेहद अनुचित होते हैं। प्रजाजीवनके वर्णनोंमें प्रजाके बहुत ही थोड़े भागके जीवनकी जानकारी अुसमें दी हुअी रहती है, मगर हम समझ लेते हैं कि वह प्रती प्रजाकी हालतका वर्णन है। भूतकालमें भी समृद्धि थी। वडे वडे नगर, नालदा जैसे विद्यापीठ वर्गा थे; अिस जमानेमें भी है। मगर हमें ऐसा नहीं लगता कि आजकी तरह तब भी थोड़े ही लोग अुस समृद्धिका अुपरोग करते होंगे, ज्यादातर लोग गरीब ही होंगे; गुरुकुलोंका लाभ गिने चुने लोग ही लेते होंगे; गार्भ जैसी विद्युपी कोअी हर ब्राह्मणके घरमें नहीं होगी; अनेक ब्राह्मणियों तो आज जैसी ही निक्षर होंगी, और दूसरे वर्णोंके स्त्री-पुरुष भी आज जैसे ही होंगे। मगर हम समझते हैं कि अुस समय तो सभीकी हालत अच्छी ही थी, बादमें बदल गयी। लेकिन बहुत वडे प्रजा-समूहके लिए ऐसा कहाँ तक कहा जा सकता है, अिसमें शक ही है।

शिवाजीने उस ज्ञानेके मुसल्मान राज्योंके खिलाफ मोर्चा लिया और स्वतन्त्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की, अिसपरसे मराठे मात्रको लगता है कि मुसल्मानोंसे द्वेष करना अुनका कुलधर्म है, अिसी न्यायमें शिवाजीने सूरतको लूटा था, अिसे पक्कर मेरे ऑक बचपनके साथीको, जिसके पूर्वज सूरतमें रहने थे, जैसा लगता था कि शिवाजी और मराठे सब लुटेरे ही थे और महाराष्ट्रियोंके प्रति वृणा रखनेमें अुसे कुलाभिमान मालूम होता

या । अगर वित्तिहास जैसी कोई चीज न हो, मनुष्यको भूतकालकी कोई सृष्टि ही न रहती हो, तो देश-देश और प्रजा-प्रजाके वीचकी दुःखनियोंको पोषण न मिले । अभी तक जैसी कोई प्रजा या व्यक्ति नहीं हुए, जिन्होंने वित्तिहास पढ़कर कोई शिक्षा ली हो और समझदार देने हों ।

तच पृथा जाय, तो वित्तिहास सृष्टि या वाददात्तका ही दूसरा नाम है । क्योंकि ज्यादातर वित्तिहास लिखनेकी प्रवृत्ति अस समय नहीं होती, जब कि सृष्टि ताजी होती है, तर्कि अस समय होती है, जब वह धुधली पड़ जाती है और सच्चे हालचाल जाननेके साधन भी उम होने लगते हैं । नार ताजी और सच्ची सृष्टि भी मनुष्यको मिला हुआ बदला ही नहीं, तर्कि शाप भी है । दो गार्योंकि वीच सहानुभृति — प्रेम रदा रहता है । सुनके वीच हुआ झगड़ा क्षणिक होता है, क्योंकि अनकी वाददात्त बहुत कमज़ोर होती है । और जब झगड़ा न हो, असकी वाद भी न हो, तब अनकी आपत्तकी सहानुभृति स्वभावसिद्ध ही होती है । नार नश्य सृष्टिको ताजी रखकर ज्यादातर देखको ही जीवित रखता है; यानी सहानुभृतिने — प्रेमको ध्याता है । स्वभावसिद्ध सहानुभृति या प्रेम अगर किसी खात कमंदारा व्यक्त किया गया हो, तो वह याद रहे और पुष्ट हो; नार सुनके अभावमें या अुक्ते भुला उक्कनेवाला झगड़ा कहीं ऐकाघ वार भी हो जाय, तो वह सृष्टिद्वारा लम्बे अरते तक टिकता है ।

यह सब देखते हुए नुमे नहीं लगता कि वित्तिहासका शिक्षण, कव्यनाट्क-पुराण-सुपन्थास वर्गों साहित्यके शिक्षणसे ज्यादा महत्व रखता है । वित्तिहासका ज्ञान ऐकाघ प्रतिद्वं नाटक या काव्यके अजानसे ज्यादा दर्ढी रहनी नहीं है । जिते न्नोरंजंकं साहित्यका ही ऐक विभाग स्मृहता चाहिए ।

आज्ञा नानवरीवन वित्तिहासका ही परिणाम है । हमे वर्तमान मानव-र्जनका अस्थी नरहते निरीक्षा करना चाहिये और वित्तिहासकी कैदमें पड़े और धूर्जी सम्पत्ताओंका हल खोजना चाहिये । जैसा भय रखनेका कोई बाल नहीं है वि वित्तिहास दृढ़ जाना या अुक्तकी परम्परा नहीं निभेगी ।

क्योंकि अुसके संस्कार तो पहलेसे ही हमारे जीवनमें हृद हो चुके हैं। अिसलिये चाहे जितना कीजिये, अुसकी कारण-कार्य-शृणुला तो टूट ही नहीं सकती। जो अपाय हम सोचेगे, वे हमें भूतकालके किसी संस्कारमेंसे ही सूझेगे, यानी विन-पठे अितिहासमेंसे ही सूझेगे। पठे हुओ अितिहासका, अुल्टे अिसमें विमर्शप होना ही ज्यादा सभव रहता है।

अगर अितिहास न होता, तो झंडेके चक्रकी अगोकके धर्मचक्रमें या कृष्णके सुदर्शन चक्रसे तुलना करनेकी अिच्छा न होती; और चॉद-तारेके झंडेको भी महत्त्व न मिलता। अितिहासका ज्ञान क्षीण होनेके कारण जिस तरह मध्यकालमें हिन्दुस्तानमें आये हुओ शक, हृण, यवन, वर्वर, असुर वगैरा लोगों तथा अनेक धर्मों और आर्योंके बीच आज कोअी स्वदेशी-परदेशीका भेद नहीं करता या हिन्दूकी 'सावरकरी' व्याख्या पढ़ने नहीं बैठता, अुसी तरह आज मुसलमान, अीसाअी, पारसी वगैराके सम्बन्धमें भी हुआ होता। पौराणिक चतुःसीमाके अनुसार अरबस्तान, तुर्कस्तान, मिश्र, वरमा, वगैरा सब देश भरतखंडके ही देश माने जाते। जिस तरह अितिहासके अज्ञानके कारण कुछ लोग मानते हैं कि सारे पुराण एक ही कालमें और एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे गये हैं, अुसी तरह सारे धर्म सनातनधर्मके ही भेद समझे जाते। अितिहास पढ़नेके परिणाम स्वरूप हम दूसरोंसे अलग होना सीखे हैं, मिलना नहीं।

शिक्षणमें अितिहासको शौण स्थान देनेकी जरूरत है। अुसकी कीमत भूतकाल सम्बन्धी कल्पनाओं अथवा दन्तकथाओंके वरावर ही समझनी चाहिये।

## अुपसंहार

अब यिस लम्बे विवेचनको पूरा करना चाहिये ।

यिस विषयमे कहीं भी मतभेद नहीं है कि जगत आज अतिशय अत्यधिक है । विज्ञान और अद्योग्नोमे बहुत कुछ विकास हुआ और हस्तोज दृढ़ता जाता है । मानव जातिके प्रारम्भते लेकर सन् १८०० अीस्टी तकके लम्बे समयमे भी कुल जितना अुत्पादन नहीं हुआ, अुतना और अनन्त प्रकारका अुत्पादन पिछले दो सौ वर्षोमे हुआ होगा । पुराणों तथा योगशास्त्रोमे वर्णित सिद्धियों हम प्रत्यक्ष होती देखते हैं और विना योग साथे अुनका अुपभोग कर सकते हैं । पिर भी तरीका पार नहीं, दुःखोंका अन्त नहीं, शांतिसुल्लहस्तोषका नाम नहीं । यित्सान यित्सानको देखकर खुश नहीं हो सकता । वह दाव और सॉपते भी ज्यादा धातक और जहरीला बन गया है । कोओ देश या कोओ प्रजा ऐसी नहीं रही, जो मानवताके अमावकी दृष्टिते दूसरे किसी देश या प्रजाते कम हो । यह नहीं कहा जा सकता कि अशान, चरीबी या जगली जीवनकी अपेक्षा विद्रोह, विजान, तत्त्वज्ञान या सम्युक्ताके साथ अमानवताका कम मेल वैठता है ।

हमारे जीवनमे कहाँ खरादी है ? उख़के साधन हमारे लिये दुःख रूप — शाप जैसे क्यों हो पड़े हैं ? यिसका नुस्खा जो कारण मालूम होता है, सो कहता है :

दर्शीचेका माली ल्याकी जड़मे पानी डालता है, वहाँ खुर्यी चलता है, भिन्नी चढ़ाता है, अुसकी नीरोगताकी जोन्च करता रहता है । यद अुसपर फूलोंकी दहार आती है, तो क्षगभर खुश हो लेता है, कुछ गुच्छे तोड़कर मालिकको दे आता है । अुते फूलोंको देखते हुये यहे रहनेकी ज्यादा फुलतत नहीं होती । कगर दर्शीचेका मालिक बाईमें घूमने निकलता है तो फूलोंको देखनेने ही तन हो जाता है । फूलोंको अपनेनवार्ह लता और अुसके मूलबो देखनेकी बात दूने दूसरी ही नहीं । दोनों जैसे लड़े और फूल-पत्तोंमे रहिए सूलकी तरफ भजा अुसका

कैसे आकर्षण हो सकता है? अुसका दिल तो फूलोंके रंग और गधमे ही रमता है। अिस तरह वह प्वे वगोचेमे धूम लेता है, मगर अुसकी नज़र ज्ञाहेकि अूपरी वैभवपर ही धूमती रहती है, नीचे छुककर अुनके मूल नहीं देखती। अुसमे रसिकता है, मगर वह कार्यको ही समझ सकता है, कारणकी कदर नहीं कर सकता।

अथवा, ऐक दूसरा व्यांत लें : गंकु आकारके नीचे जैसे ऐक वहुत लम्बे पोगेकी कल्पना कीजिये। अुसके बीचमे खड़ा हुआ मनुष्य

क्


•.म

रव

अगर ख की ओर अपना मुँह रखकर चलता है, तो अुसे विकास और विस्तार ही दिखाऊी पड़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रदेशकी अनन्तता ही मालूम पड़ती है। कहीं भी अुसके आदि, अन्त या मूल नजर नहीं आते। सभीकुछ आगे और आगे बढ़ता हुआ और ऐक दूसरेसे दूर व दूर जाता हुआ ही जान पड़ता है। ऐसा लगता ही नहीं कि अिसका कभी अन्त भी आयेगा। अुसे लगता है मानो अनन्तमे भट्टकते भट्टकते वह खुद ही खो गया हो। मगर वही मनुष्य जव क सिरेकी ओर मुड़ता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे सँकरापन और सकोच बड़ने जाते हैं। सभी कुछ छोटा और भीइमे फँसा हुआ-सा जान पड़ता है। अगर वह आगे चलता ही रहे, तो अितने छोटे प्रदेशमे पहुँच जाता है, जहाँ सिंक अुससे ही पोंगा भर जाय। अुसके खुदके सिवा और कुछ रहता ही नहीं। वहाँ विविधता नहीं, विस्तार नहीं,

## शुपसहार

ता नहीं। मगर अुते ऐसा नहीं लगता कि वह खुद असमें खो गया या राता भूल गया है, बल्कि अितसे अुलटे वह समझने लगता है कि एसे सब कुछ है। सबके साथ अुते अपना ही सम्बन्ध दिखाओ पड़ता है। पहली स्थितिमें मनुष्य दूसरा सब कुछ देखता है, मगर अपनेको नहीं रखता, दूसरी स्थितिमें वह तर्किं अपनेको ही देखता है, दूसरा और कुछ नहीं देखता। पहली दिनामें वह मानता है कि वह अनन्तमें अुड़नेवाली नकुछ रख है, जो अकस्मात् कुतन्ह हो गयी है और विना ध्येयके भट्टक रहते हैं। दूसरी दिनामें वह मानता है कि वह खुद ही विद्यवा आदि- कानग और अङ्क है। वह नहीं जानता कि असर्की दृष्टि, बुद्धि और शक्ति एक शक्ति आकारके पौराणें काम कर रही है, जो एक तरफसे चौड़ा होता जाता है और दूसरी तरफसे सँकरा।



इसके ही दृष्टान्तों अब योहा बदल दीजिये। एक मनुष्यके ददले अनेक नमूणोंकी कलना कीजिये। कुछ सब की तरफ जाते हैं, कुछ की नफ। जो ख की तरफ जाते हैं, वे अनन्त, अपार, विविध, सन्दृढ़ और स्वचयापक प्रकृतिको ही देखते हैं। प्रवृत्तिकी ही सारी लीला और महिमा देखते हैं। इन्हीं कुछ दृष्टियां और विस्तृत होता हुआ दिखाओ देखते हैं। युनिक्यून उनीना अन हैंडनेज प्रयत्नमें वे आने और आगे पढ़ाते हैं। कोई योहा चलकर धक जाता है, कोई दूर जाकर दृष्टि जाते हैं। कोई योहा ही दित निगमन पहुँच जाता है कि अितनी अन जानेवाला नहीं है कोई दृष्टियां धूम चुकनेवे-

अिस नर्तीजे पर पहुँचता है। जब वह थकने लगता है, तो निराग हो जाता है और वापस लौटना चाहता है, तथा उ की दिगामे मुड़ना है। अिस तरह कोअी बहुत बड़ा चक्रकर ल्याकर लौटना है, तो कोअी छोटा।

दूसरी तरफ जो क की ओर मुड़े हुओ हैं, वे अपने मनकी ही सारी विकृति और भ्रान्तिको देखते हैं। अनुन्हें सब कुछ मनमें ही समाया हुआ सा लगता है। मनके बाहर भी किसीका अस्तित्व है या नहीं, अिसमें अनुन्हें सन्देह रहता है। अिसलिए वे मनको ही पकड़नेकी कोशिश करते हैं। मगर वे भी कभी थकने लगते हैं। अिस तरह मनको पकड़कर भी अनुन्हें पूर्ण सन्तोष नहीं होता। ऐसा मन अनुन्हें गत्तिहीन, विभूतिहीन, कर्तृत्वहीन और सकुचित होता जान पड़ता है। अिसमें अनुन्हें विकास नहीं, विलय—नाग मालूम होता है। अिसलिए ऐसा थका हुआ मनुष्य भी अुसी दिगामे टिकना नहीं चाहता। वह भी बादमे द के पासमे मुझी हुआ दिगामे घूमना चाहता है, और गति, विभूति, कर्तृत्व, विकासको प्राप्त करनेमे प्रवृत्त होता है। अिसमें भी कुछ लोग जल्दी थक जाते हैं और कुछ क के बहुत नजदीक तक जाकर थकते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं, जो विना थके आखिर तक अिसी ओर बढ़ते रहते हैं। अिस तरह कुछ लोगोंकी मुँह ख की तरफ मुड़े हुओ हैं और कुछ के क की तरफ किसी बार बहुत बड़ा सब ख की तरफ जाता है, तो किसी बार क की तरफ। सभी ख की तरफ जाते हैं या सभी क की तरफ मुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता।

आज मानव जातिके बहुत बड़े भागकी हालत वर्गीचेके अम मालिक जैसी या ख की तरफ मुँह बुमाये हुओ लोगों जैसी ही है। सब फूलोंकी बहार देखनेमे, प्रकृतिकी खूबियां और विविधता खोजनेमें ही मगागूल ह। नीचे झुककर या पीछे घूमकर अनको यह देखनेकी अिच्छा नहीं होती कि यह किसका विस्तार है और किसकी विजय व महिमा है। दुनिया हमें स्वयंभू प्रकृतिका ही सारा अन्पद्य खेल मालूम होता है। अिसका कोअी मूल, बीज, कारण या कर्ता भी है या नहीं, अिसमे हमें अक है। जो अिस सम्बन्धमें विचार करते हैं, अनका गवाल है कि

जीवसृष्टि — चैतन्यकी अनुपत्ति भी अच्छानक ही हो गयी है। जिस तरह लतापर फूलोंकी वहार आती है, अुसी तरह प्रकृतिपर जीवसृष्टिको वहार आओ हुआ है। जिस तरह फूल चाहे जितने सुन्दर और सुगन्धित हों, फिर भी वे मूलेकि ही कार्य है, कारण नहीं, या वे अनादि भी नहीं है; अुसी तरह जीवसृष्टि भी प्रकृतिका ही कार्य है, कारण नहीं, और वह अनादि भी नहीं है। अिसलिए रसिक व्यक्तिके लिए फूलोंकी जितनी कीमत होती है, अुससे ज्यादा हमे जीवकी कीमत नहीं रही। जब तक अिसमे रश और शध हो, तब तक तो अिसकी कीमत है; बादमे अिसे पैरों तले कुचल डालते हैं। और अिसकी कीमतका यह मतलब नहीं कि अिसके लिए किसी तरहका आदर हो, बल्कि जिसके प्रति हमे आदर हो, अुसके लिए अिसका बलिदान करने जितनी ही अिसकी कीमत है। अिस तरह जिस चीज़को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, अुसके लिए समग्र जीवसृष्टिका और मनुष्यका भी बलिदान करने, उन्हे छेदकर, पिरोकर, बौधकर कुचल डालनेमे हमे हिचकिचाहट नहीं होती। हमारी नज़र लतके मूल्की तरफ नहीं, बल्कि अपरकी वहारकी तरफ, पोगेके क सिरेकी तरफ नहीं, ख सिरेकी तरफ मुझी हुआ है, और यही हमारे दुःखोंका मूल कारण है। दिनमे सिर्फ हमारी पृथ्वीका ही विस्तार साफ दिखाओ पहता है, मगर रातमे तो हमे समग्र विश्वकी समृद्धिके दर्जन होते हैं और रात जितनी ही अँधेरी हो अुतनी ही अच्छी दिखती है, जैसे कोओ घृक्ति दिनको अँधेरा करनेवाला और रातको प्रकाश फैलानेवाली कहे, अुसी तरह हम ख की दिशामे प्रकाश और विकास देखते हैं, तथा क की दिशामे सकोच और गृन्थता अनुभव करते हैं।

भक्त और तत्त्वज्ञानीकी भाषामे कहे, तो हम मायाकी साधनामे भगवानको भूल गये हैं, प्रकृतिके ध्यानमे आत्माको खो बैठे हैं। आधुनिक साधारण भाषामे कहे तो हम महत्त्वके और वैभवके मोहमे अिन्सानियतको छोड़ते आये हैं। जिसके लिए महल बैधवाया जा रहा है, वह खुद मरने दैठा हैं। मगर अुसकी सेवा करनेकी हमे फुरसत नहीं है। हम सोचते हैं कि पहले महल बन जाय, तो फिर अुसमें ऐक अत्यतालङ्घ कमग भी रखेगे और अुसमें अिसका जिलाज करेगे। अंगर

तब तक यह मर गया, तो अिसके लड़केका अिलाज करेगे, और अिसका लड़का नहीं रहा, तो किसी दूसरे वीमारको लाकर उसमे रखेगे, यह हमारा न्याय है। 'अधेर नगरी चौपट गजा' का न्याय अिससे ज्यादा दोषपूर्ण नहीं था। अुल्टे, अुसने तो घृलीको समझकर ही घृली खड़ी की थी, हम गायद महल समझकर कतलखाना खड़ा करते हैं।

मतलब यह है कि जो वडीसे वडी क्रान्ति हमे करनी है, वह जड़ जाहोजलालीके वजाय मानवताको सबसे ज्यादा महत्व और जीवको सबसे ज्यादा आदर देना सिखानेवाली हो। अिसके अभावमे किसी भी प्रकारका राजतंत्र या अर्थवाद या धर्म मनुष्यको सुख-गान्ति नहीं दे सकेगा।

यह लिखते हुओ मैं अितना और कह देता हूँ कि मेरे मनमे मानवजातिके सम्बन्धमे निराशा नहीं है। हिन्दुस्तानके बारेमे तो मैं अिससे भी ज्यादा आशावान हूँ। मेरा मन कहता है कि मानव अभी भले थोड़ा अिधर अुधर टकराये, गोते खाये, नुकसान अुठाये, मगर बादमे वह क की दिशामे अवश्य ही मुड़ेगा, प्रकृति-पूजाकी जगह फिरसे भगवानकी ही स्थापना करेगा और अुसे ज्यादा शुद्ध स्वरूपमे समझकर करेगा। यह कोअी निराधार आशावाद नहीं है। पिछले पचास-साठ वरसोमे हिन्दुस्तानमे जो ऐक्से ऐक ऊँचे नेता पैदा हुओ हैं, अुसपरसे मुझे लगता है कि हिन्दुस्तानका — और सम्भवतः अुसके द्वारा मानव जातिका — जहाज अुचित दिशामे जा रहा है। गांधीजीके बाद प० जवाहरलालकी तरफ सारे जगतका आदर और आशाकी नज़रसे देखना अकारण नहीं है। अिनका 'भगवान' शब्दको दूर रखना कुछ महत्व नहीं रखता, मगर मानवमात्रके लिअे अिनके दिलमे आश्या और सदूभाव है, यही अिनकी सबसे ऊँची आध्यात्मिकता है।

हम ऐसी क्रान्ति करें, जिससे कदम कदम पर हमारी मानवता दिखाओ दे और कदम कदमपर विकसित हो, तथा पूरी मानवजाति उस पथकी ओर मुड़े। यही सच्ची धार्मिकता है, और यही सच्ची समाजरचना, अर्थरचना और राज्य-प्रणालिका है।

शत्रु वडे मानवमात्रके समान;  
 गदगी, रोग, गरीबी, अज्ञान,  
 आल्स, दम और असत्य,  
 मद, मदन और मद्य,  
 आसुर अभिलाष, अदम्य विकार,  
 काम-क्रोध-लोभ-भग्वन्के अनाचार —  
 ये सब अर्धम-सर्गके आविष्कार ।

अीश्वरसत्त्वाद न सच्ची आस्तिकता,  
 वीश्वरनास्तिकता न सच्ची नास्तिकता ।  
 पिता-पुत्र, भाऊ-भाऊी, स्वामी-स्त्रेवक,  
 पति-पत्नी, शासित और शासक,  
 व्यापारी-कारीगर और ग्राहक,  
 कला, तौदर्य या विज्ञानके अुपासक,  
 धन-विषयार्थ ही माने सम्बन्ध,  
 यिन्द्रियाकर्षणको ही माने आनन्द,  
 ऐसा ब्रह्म हो जीवनका लक्षण,  
 वही नास्तिकताका असल चिन्ह ।  
 जहाँ तक आसुरी अभिलाषाओंमे श्रद्धा,  
 वहाँ तक सुख-ज्ञानि ऋद्धिकी अशक्यता ।

दृष्टाना-प्रकट्याना अुच्च गुण सर्दैव.  
 मानवताके अुक्तपर्यको मान जीवनका ध्येय,  
 सद्भावने, धर्मभावसे करना जीवोंकी सेवा,  
 मानवमात्रको हृदयसे अपनाना,  
 जीवमात्रको प्रेमामृतसे नहलाना,  
 शदगी, रोग, शरीरी, अज्ञान हृदयाना,  
 सत्य, शौच, अुद्योग आदि सद्गुण फैलाना,  
 यितरमे ही आत्मज्ञान व ज्ञान्ति पाना ।

जिस तरह जीवन भर करे युपासना,  
 रखकर अीश्वरनिष्ठा व निःस्वार्थ भावना;  
 न रखे चिंता, ममता या भावीका सोच,  
 आवे देहका अत, तो छोड़े निःसंकोच,  
 अनिके समाधान, ग्रान्ति और मोक्ष,  
 नक्षद, अकलिप्त और अपरोक्ष ।

२८-११-'४७

